



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

12.8

सं० 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2001 (पौष 8, 1923)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2001 (Pausa 8, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued  
by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2001

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001

अधिसूचना सं. एन.एच.बी.एचएफसी.डीआईआर.1/सीएमडी/2001-- जबकि, इसे लोकहित में आवश्यक समझते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रत्येक आवास वित्त कम्पनी को, 1989 के आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश जारी किए थे।

2. और जबकि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कम्पनियों को आय अभिज्ञान, लेखांकन मानक, आर्स्टि वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता एवं ऋण/निवेश सकेन्द्रण पर विवेक सम्मत मानदंडों से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए थे।

3. और जबकि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1987 के अधिनियम में राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का 15) के द्वारा आगे संशोधन किया गया है जिससे राष्ट्रीय आवास बैंक जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रख सके और देश में आवास वित्त कम्पनियों की जोस एवं सार्वभौमिक वृद्धि का संवर्धन हो सके।

4. और जबकि, पूर्वोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय समझा जाता है कि उन मामलों के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए जाएं जो मामले आवास वित्त कम्पनियों द्वारा जमा राशियों की स्वीकृति, आय अभिज्ञान, लेखांकन मानकों, आर्स्टि वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता, ऋण/निवेश सकेन्द्रण से संबंधित हैं और जिनका पालन आवास वित्त कम्पनियों की ओर से किया जाना है, और जो मामले ऐसी आवास वित्त कम्पनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे तथा उन सहायक एवं प्रासंगिक मामलों से संबंध रखते हैं।

5. अतः अब, राष्ट्रीय आवास बैंक इसे लोकहित में आवश्यक समझते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश में उसके लाभ के लिए आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक के सामर्थ्य के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक हैं और एतद्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30, 30ए, 31 एवं 33 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में तथा उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अधिक्रमण में यहाँ आगे विनिर्दिष्ट निर्देश दिए जाते हैं।

अध्याय-1 प्रारंभिक

निर्देशों का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं प्रयोग्यता

1. (1) इन निर्देशों को यथा आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 कहा जाएगा। ये सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। इन निर्देशों में इनके प्रारंभ होने की तारीख के लिये कोई संदर्भ उसी तारीख का संदर्भ माना जाएगा।

(2) अध्याय 4 में अन्तर्बिष्ट निर्देश किसी भी आवास वित्त कम्पनी के प्रत्येक लेखापरीक्षक के लिए लागू होंगे।

परिभाषाएं.

2. (1) इन निर्देशों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "बैंकिंग कम्पनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 (ग) में यथा परिभाषित बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) "अवशिष्ट मूल्य" का अर्थ उस साम्य पूंजी तथा आरक्षित निधि से होता है जिसमें से अमूर्त आस्तियां और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां घटा दी जाएं तथा जिसे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाए।

(ग) "वहनीय लागत" का अर्थ आस्तियों के बही मूल्य एवं उन पर प्रोद्भूत ब्याज किंतु अप्राप्त ब्याज से होता है।

(घ) "कम्पनी" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ (क क) में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जो तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के तहत परिसमापनाधीन है.

(ङ) "चालू निवेश" का अर्थ उस निवेश से होता है जो अनी प्रकृति महज ही वसूली योग्य है तथा जो उस तारीख, जिसको ऐसा निवेश किया जाता है, से एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रखा जाना अपेक्षित होता है।

(च) "जमाराशि" से वही अभिप्रेत होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ (ख ख) में यथा नियत है;

(छ) "जमाकर्ता" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने किसी आवास वित्त कंपनी में राशि जमा की है, अथवा जो उसका कोई उत्तराधिकारी, वैध प्रतिनिधि, प्रशासक अथवा समनुदेशिनी है।

(ज) "संदिग्ध आस्ति" का अर्थ एक सावधि ऋण अथवा कोईपट्टाकृत आस्ति अथवा कोई किराया खरीद आस्ति, अथवा अन्य कोई आस्ति है जो कि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक उपमानक आस्ति रहती है।

(झ) "अर्जन मूल्य" का अर्थ कर उपरांत लाभ के औसत से संगणित किसी साम्य शेयर का मूल्य होता है जिसमें अधिमान लाभान्श घटा दिया जाता है और असाधारण एवं गैर आवर्ती मदों के लिए समायोजित किया जाता है। यह समायोजन तत्काल पूर्वगामी तीन वर्षों के लिए होता है तथा आगे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विभाजित और निम्नलिखित दरो पर पूंजीकृत किया जाता है-

(i) उत्कृष्ट रूप में निर्माता कंपनी के मामले में, 8 प्रतिशत।

(ii) उत्कृष्ट रूप में व्यापार करने वाली कंपनी के मामले में, 10 प्रतिशत।

(iii) किसी आवास वित्त कंपनी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, 12 प्रतिशत।

टिप्पणी:

यदि कोई निवेश कंपनी घाटे में चलने वाली कंपनी है, तब अर्जन मूल्य यथा शून्य लिया जाएगा,

(ट) "उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य तथा अवशिष्ट मूल्य के साधन से है।

(ठ) "निर्बध आरक्षित निधियों" में शेयर प्रीमियम खाता, पूंजी और डिबेंचर, शोधन निधि में शेष तथा अन्य कोई आरक्षित निधि शामिल होगी जिसे कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाया या प्रकाशित किया गया हो, जो ऐसी आरक्षित निधि न हो (1) जिसका सृजन मविष्य की किसी देयता के प्रतिसंदाय या आस्तियों के अवक्षयण या अशोध्य ऋणों के लिए किया गया हो अथवा (2) जिसका सृजन कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा किया गया हो;

(ड) "आवास वित्त कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक ऐसी कंपनी होता है जो मुख्य रूप से लेनदेन करती है अथवा चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में, आवास हेतु वित्त प्रदान करने का व्यापार चलाना उसके प्रधन उद्देश्यों में से एक होता है।

(ढ) "संकर ऋण" का अर्थ उस पूंजी लिखत से है जिसमें ऋण की विशेषताओं के अतिरिक्त साम्य पूंजी की कतिपय विशेषताएं होती हैं।

(ण) "ऋणदाता सार्वजनिक वित्त संस्थान" का अर्थ

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4ए के तहत अथवा इसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान; अथवा

(ii) कोई राज्य वित्तीय निगम अथवा कोई राज्य औद्योगिक विकास निगम; अथवा

(iii) कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; अथवा

(iv) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित साधारण बीमा निगम, अथवा

(v) अन्य कोई संस्थान जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक इस दिशा में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(त) "हानिप्रद आस्तियों" का अर्थ -

(i) ऐसी कोई आस्ति जिसकी पहचान आवास वित्त कंपनी अथवा उसको आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तब तक हानिप्रद आस्ति के रूप में की जाती है, जब तक यह आवास वित्त कंपनी द्वारा बट्टे खाते में नहीं डाल दी जाती है; और

(ii) एक ऐसी आस्ति जो या तो प्रतिभूति के मूल्य में कमी के कारण अथवा प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने के कारण अथवा उधारकर्ता की ओर से किसी कपटपूर्ण कृत्य अथवा गलती के कारण वसूल नहीं हो सकने की संभावित खतरे से पूरी तरह प्रभावित है।

(थ) "निवल आस्ति मूल्य" का अर्थ है संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा विनिर्दिष्ट योजना के संबंध में वर्तमान में घोषित निवल आस्ति मूल्य।

(द) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है-

(i) किराया खरीद आस्ति के मामले में, कुल देय राशि एवं प्राप्त भावी किस्तें, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रमारों की शेष राशि को घटा कर और आगे इन निर्देशों के अनुच्छेद 24 (2) (1) के अनुसार किए गए प्रावधानों की राशि भी घटा दी जाती है।

(ii) पट्टाकृत आस्तियों के मामले में, यथा प्राप्य लेखा प्रदत्त अतिदेय पट्टा किराए के पूंजी अंश का कुल योग और पट्टा समायोजन लेखा की शेष राशि से यथा समायोजित पट्टाआस्ति का अवक्षयित बही मूल्य होता है।

(घ) "निवल स्वाधिकृत निधि" का अर्थ वह निवल स्वाधिकृत निधि होता है जो उन चुकता अधिमान शेयरों को उन चुकता अधिमान शेयरों, जो कि अनिवार्य रूप से साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय है, के सहित, 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए में परिभाषित है।

(न) "अनुपयोज्य आस्तियां (जिन्हें इन निर्देशों में यथा अनुपयोज्य आस्तियां विनिर्दिष्ट किया गया है) का अर्थ :-

- (i) कोई ऋण आस्ति, जिसके संबंध में ब्याज 6 महीने के लिए "विगत देय" रहता है;
- (ii) असंदत ब्याज सहित कोई सावधि ऋण - जब किस्त 6 महीने से अधिक के लिए अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की राशि 6 महीने के लिए विगत देय रही ;
- (iii) कोई विनिमय-पत्र जो 6 महीने के लिए अतिदेय रहता है ;
- (iv) अल्पावधि ऋणों / अग्रिमों की प्रकृति में, "अन्य वर्तमान आस्तियां" शीर्ष के अधीन, किसी ऋण अथवा किसी प्राप्य पर आय के संबंध में ब्याज, औरजो सुविधा 6 महीने की अवधि के लिए अतिदेय रही ;
- (v) आस्तियों की बिक्री अथवा दी गई सेवाएं, अथवा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के मददे कोई देय राशि, जो 6 महीने की अवधि के लिए अतिदेय रही ;
- (vi) पट्टा किराया एवं किराया खरीद की किस्तें जो 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए तिदेय हो गई हैं।
- (vii) कोई अंतर कंपनी जमाराशि, जिसके संबंध में ब्याज अथवा मूलधन 6 महीने की अवधि में अतिदेय रहा ।

(प) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि है जिसमें साम्य शेयरों में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों सहित चुकता पूंजी, निर्बंध आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम लेखा में शेष राशि, आस्तियों की बिक्री की राशि में से उत्पन्न अधिशेष जताने वाली पूंजी आरक्षित निधियां आती हैं, किंतु आस्ति के पुनर्मूल्यन से निर्मित वे आरक्षित निधियां शामिल नहीं हैं, जिनमें से संचित हानि की शेष राशि, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य तथा आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई है, को घटा दिया जाता है।

(फ) "विगत देय" का अर्थ आय अथवा ब्याज की कोई राशि जो देय तारीख से परे 30 दिनों की अवधि के लिए असंदत रहती है ।

(ब) "सार्वजनिक निक्षेप" से निक्षेप अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, अर्थात्:-

- (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई राशि और जिसका प्रतिसंदाय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा हो अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक आवास एजेंसी या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त राशि;
- (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या

साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 (1983 का 62) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अधिनियम 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत बोर्ड या तमिलनाडु औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० या दि इण्डस्ट्रियल फाईनांस कारपोरेशन आफ इंडिया लि० या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि० या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि० या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० या कृषि वित्त निगम लि० या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लि० या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि० या एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) या क्रेडिटैन्स्टैल्ट फर वाइडरआफबो (केएफडब्ल्यू) या किसी अन्य संस्था, जिसे इस निमित्त राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, से प्राप्त कोई राशि;

(iii) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा अन्य कंपनी से प्राप्त राशि;

(iv) शेयर, स्टॉक, बांड या डिबेंचरों का आबंटन लंबित रहने तक उक्त किसी भी शेयर, स्टॉक, बांडों या डिबेंचरों में अभिदान के तौर पर प्राप्त कोई राशि और आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में शेयरों पर पहले से मांग के रूप में प्राप्त कोई राशि, जब तक कि ऐसी राशि आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के तहत सदस्यों को प्रतिसंदेय नहीं है;

(v) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय आवास वित्त कंपनी का निदेशक था या किसी गैर सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि या ऐसी गैर-सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 क के तहत सार्वजनिक आवास वित्त कंपनी बन गई है और अपने अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंधों को शामिल करना जारी रखती है:

*परंतु यह कि यथास्थिति, निदेशक या शेयरधारक, जिससे राशि प्राप्त हुई है, राशि देते समय आवास वित्त कंपनी को लिखित रूप में इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करता है कि यह राशि अन्यों से उधार लेकर या राशियां स्वीकार करके उसके द्वारा अर्जित निधियों में से नहीं दी जा रही हैं;*

इसके अतिरिक्त, यह भी कि किसी प्राइवेट लि० कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, पहले नाम वाले शेयरधारक को छोड़कर उनसे अथवा संयुक्त शेयरधारकों के नाम में प्राप्त धन कंपनी के शेयरधारकों से प्राप्त हुआ धन समझा जाने के लिए ग्राह्य नहीं होगा।

(vi) आवास वित्त कंपनी की किसी अचल सम्पत्ति या किसी अन्य परिसम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों या उन्हें आवास वित्त कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ जारी किए गए बांडों या डिबेंचरों द्वारा जुटाई गई कोई राशि, परंतु किसी अचल सम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत या अन्य परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों के मामले में, ऐसे बाण्डों या डिबेंचरों की राशि ऐसी अचल सम्पत्ति / अन्य परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी;

(vii) प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यक्षीन, ऋणदाता संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में अप्रतिभूत ऋण के रूप में लाई गई कोई राशि, अर्थात् :

(क) यह ऋण ऐसे वित्त का अंशदान करने हेतु प्रवर्तकों की बाध्यता को पूरा करने के लिए ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में लाया जाता है,

(ख) यह ऋण प्रवर्तकों द्वारा स्वयं / और या उनके संबंधियों द्वारा प्रदान किया जाता है, और न कि उनके मित्रों एवं कारोबार सहयोगियों द्वारा, और,

(ग) इस उपखंड के अन्तर्गत छूट केवल तब तक उपलब्ध होगी, जब तक ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था के ऋण का प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता एवं उसके बाद नहीं;

(viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) विनियमन, 1996 से संचालित म्युचुअल फंड से प्राप्त कोई राशि;

(ix) संकर ऋण अथवा गौण ऋण जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 80 महीने से कम नहीं है, के रूप में प्राप्त कोई राशि

(x) किसी आवास वित्त कंपनी के निदेशक के किसी संबंधी से प्राप्त हुई कोई राशि।

टिप्पणी. निक्षेप केवल जमाकर्ता की ओर दिए गए आवेदन पर स्वीकार किया जाएगा। जिसमें यह घोषणा अन्तर्निहित हो कि निक्षेप तारीख पर, वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित एक संबंधी की हैसियत से विनिर्दिष्ट निदेशक से संबंधित है।

(म) "सार्वजनिक आवास एजेंसी" में ऐसा कोई भी प्राधिकरण शामिल होगा जो किसी नियम द्वारा अथवा उसके तहत भारत में गठित किया गया हो, जो या तो आवास व्यवस्था की आवश्यकता पर कार्यवाही करने और उसे पूरा करने के प्रयोजन में लगा हो या जो शहरों, कार्यालयों और गांवों या दोनों की योजना बनाने, विकास या सुधार करने के प्रयोजन में लगा हो;

(म) "प्रतिभूतियों" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;

(य) "मानक आस्ति" का अर्थ ऐसी आस्ति होती है, जिसके संबंध में मूलधन के पुनर्मुगतान अथवा ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं दिखता है और जिससे कोई समस्या नहीं होती है और न ही इसमें व्यापार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम ही होते हैं।

(र) "उपमानक आस्ति" का अर्थ

(i) एक ऐसी आस्ति, जिसे दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) एक ऐसी आस्ति है, जहां ऋण की कोई किस्त जारी की जाने के बाद ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में करार की शर्तें बातचीत से पुनः तय की गई हैं अथवा पुनर्निर्धारित हुई हैं अथवा एक ऐसी अंतर जमा राशि तक आगे बढ़ायी जाती रही है, पुनः तय की गई अथवा पुनर्निर्धारित शर्तों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त हो जाने तक वो "उप मानक आस्ति" मानी जाएगी।

किंतु यह कि जहां किसी परियोजना के पूरी होने में विलंब कारण उस परियोजना को क्रियान्वित करने वाले अभिकरण के नियंत्रण से परे होता है, वहां ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों को परियोजना पूरी होने से पूर्व एक बार पुनर्निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे ऋण को इस शर्त के अधीन यथामानक आस्ति समझा जाए कि ऐसे पुनर्निर्धारण की अनुमति केवल एक बार संबंधित आवास वित्त कंपनी के निदेशक मण्डल की ओर से दी जाएगी और यह कि ऐसे ऋण पर नियमित रूप से दिया जाता है और कोई व्यतिक्रम नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी कि जहां प्राकृतिक आपदाएं उधारकर्ता की पुनर्भुगतान करने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं, वहां ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है तथा ऐसे ऋणों को यथा उपमानक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे ऋणों का वर्गीकरण इसके बाद संशोधित नियम एवं शर्तों के अनुसार संचालित होगा।

(ल) "गौण ऋण" का अर्थ एक पूर्णतया चुकता पूजी लिखत होती है जो कि अप्रतिभूत तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण बना दिया जाता है और यह प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा आवास वित्त कंपनी के पर्यवेक्षणीय प्राधिकारी के सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं है। ऐसी लिखत का बही मूल्य बट्टा काटने के अध्यक्षीन होगा, जैसा यहां नीचे दिया जा रहा है:

लिखत की शेष परिपक्वता	बट्टा दर (प्रतिशत)
(i) 1 साल तक	100
(ii) 1 साल से अधिक परंतु 2 साल तक	80
(iii) 2 साल से अधिक परंतु 3 साल तक	60
(iv) 3 साल से अधिक परंतु 4 साल तक	40
(v) 4 साल से अधिक परंतु 5 साल तक	20

जितने तक ऐसा बट्टागत मूल्य टियर-1 पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता है।

(व) "पर्याप्त हित" का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा उसके पत्नी अथवा उसके प्रति अथवा अवयस्क बच्चे का चाहे एकल रूप में अथवा एक साथ मिलकर किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित होना जिस पर संदत्त राशि उस कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अथवा किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी होता है।

(श) "टियर I पूंजी का अर्थ है स्वाधिकृत निधि, जिसमें से अन्य आवास वित्त कंपनियों के शेयरों, ऋणपत्रों, बंधपत्रों में निवेश, सहायक कंपनियों को दिया गया किराया खरीद एवं पट्टा वित्त और उनमें तथा उसकी समूह की कंपनियों में जमा की गई राशियों सहित ऋण एवं अग्रिम जो कि कुल योग में स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, घटाया गया हो।

(ष) टियर - II पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) अधिमान शेयर (उन्हें छोड़कर जो साम्य पूंजी में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय हैं) ;

(ii) 55 प्रतिशत की बट्टागत दर पर पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां;

(iii) उतनी राशि तक, समान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधियां, जितने तक इन्हें मूल्य में वास्तविक ह्रास, अथवा किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में पहचान योग्य संभाव्यहानि के कारण से हुए नहीं माना जा सकता है और जोखिम भारित आस्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत तक अनायास हानियों को पूरी करने के लिए उपलब्ध हैं।

(iv) संकरण ऋण

(v) गौण ऋण

उस सीमा तक, जितने तक कि कुल योग टियर - 1 पूंजी से अधिक नहीं होता है।

(2) प्रयुक्त, किंतु यहां अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें वहां दिया गया है। यहां अथवा अधिनियम में अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में समनुदेशित किया गया है।

(3) (क) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई कंपनी वित्तीय संस्थान है या नहीं तो, केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे प्रश्न का विनिश्चय किया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कि क्या कोई कंपनी एक आवास वित्त कंपनी है, तो उसका विनिश्चय राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा।

### अध्याय - 2 - सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करना

निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबंध

3. (1) ऐसी कोई आवास वित्त कंपनी जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि (इसके बाद जिसे नि०स्वा०नि०) 25 लाख रुपए से कम है, सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी।

(2) ऐसी कोई आवास वित्त कंपनी जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपए और इससे अधिक है, सार्वजनिक निक्षेप निम्न उल्लेखित सीमा के अतिरिक्त, स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करेगी:-

(i) कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुणा से अनधिक, बशर्ते जहां आवास वित्त कंपनी ने वर्ष में कम से कम एक बार किसी अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी से सावधि निक्षेपों के लिए कम से कम "ए" ऋण पात्रता निर्धारण प्राप्त किया हो और ऋण पात्रता निर्धारण की एक प्रति रा०आ०बैंक को भेजी गई हो तथा कंपनी सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो; और

(ii) ऊपर (i) में किए गए उल्लेखनुसार ऋण पात्रता निर्धारण न होने पर, अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के दुगुने या 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, से अनधिक जिसमें इन निक्षेपों को स्वीकार या नवीनीकरण करने की तारीख को उसकी बहियों में कोई भी बकाया राशि शामिल होगी बशर्ते (क) यह सभी विवेकसम्मत मानदंडों का अनुपालन कर रही हो, और (ख) पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15 प्रतिशत से कम न हो।

अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियां

वर्तमान में अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों के नाम निम्न प्रकार हैं:

(क) दि क्रेडिट रेटिंग इन्फारमेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि० (क्रिसिल)

(ख) इकरा लि०

(ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि० (केयर)

(घ) फिच रेटिंग इंडिया प्रा०लि०

(3) किसी भी आवास वित्त कंपनी के निक्षेप, सार्वजनिक निक्षेपों के साथ जिसकी कुल राशि तथा उसके पास रखी गई कोई अन्य राशि जिसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की



उपधारा (खख) की धारा (iii) से (vii) में किया गया है, यदि कोई हो, तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण का अन्य सहायता को मिलाकर, उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के दस गुणा से अधिक नहीं होंगे।

(4) जहां आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के आरंभ होने की तारीख को, ऊपर (2) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप रखती हो और जो इस पर लागू हैं या ऊपर (3) में उल्लिखित मदों सहित निक्षेप ऊपर (2) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं तो कंपनी —

(क) नए निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी या नए निक्षेप खाते नहीं खोलेगी, अथवा

(ख) मौजूदा निक्षेपों का नवीनीकरण नहीं करेगी या जब किसी आवृत्ति योजना के अन्तर्गत निक्षेप राशि जमा रही है, योजना अवधि समाप्त होने के बाद उस योजना के अन्तर्गत किस्ते प्राप्त नहीं करेगी,

(ग) सीमा से अधिक जमा निक्षेपों को परिपक्वता पर पुनर्भुगतान कर कम करेगी।

(5) आवास वित्त कंपनी द्वारा पहले धारित ऋण पात्रता निर्धारण के बाद, "ए" से नीचे के किसी भी ऋण पात्रता निर्धारण स्तर पर होने पर, कंपनी

(i) राष्ट्रीय आवास बैंक को 15 दिनों के भीतर स्थिति की सूचना भेजेगी;

(ii) यदि उसके पास धारित जमाराशि ऊपर अनुच्छेद 3(2) की धारा (ii) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो तो सार्वजनिक निक्षेप तुरंत प्रभाव से स्वीकार नहीं करेगी, एवं

(iii) ऋण पात्रता निर्धारण का स्तर घटने की तारीख से 3 वर्ष के अंदर उल्लिखित सार्वजनिक निक्षेपों को उसके देय होने की तारीख पर पुनर्भुगतान करके अथवा अन्यथा, कम करके "शून्य" पर या ऊपर अनुच्छेद 3(2) की धारा (ii) में उल्लिखित अनुमत सीमा, पर जैसा भी मामला हो, लाएगी।

निक्षेपों की अवधि

4. कोई भी आवास वित्त कंपनी कोई भी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करेगी—

(क) जो मांग पर या नोटिस पर संदेय है, या

(ख) जब तक ऐसे निक्षेप उन्हें स्वीकार करने या उनका नवीनीकरण करने की तारीख से कम से कम 12 + 1 - एवं अधिक से अधिक 84 माह उपरांत पुनर्भुगतान के लिए संदेय हो।

स्पष्टीकरण

जब सार्वजनिक निक्षेप किस्तों में हो, तो ऐसे निक्षेपों की अवधि की गणना प्रथम किस्त प्राप्ति की तिथि से की जाएगी।

संयुक्त जमाराशियां

5. जहां वांछित हो, जमाराशियां संयुक्त नामों से स्वीकार की जा सकती हैं, जिसमें "आइवर और सर्वाइवर" "नम्बर वन और सर्वाइवर/स", "एनीवन और सर्वाइवर /स", जैसा वाक्य खण्ड हो या नहीं हो।

सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए जाने वाले आवेदन पत्र में उल्लेखित किए जाने वाले ब्यौरे

6 (i) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी सार्वजनिक निक्षेप को उसके द्वारा जारी प्रपत्र पर जमाकर्ता द्वारा लिखित में आवेदन करने के अतिरिक्त, स्वीकार या उनका नवीनीकरण नहीं करेगी, इस प्रपत्र में वह

सभी विवरण होंगे जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं विविध गैर बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में उल्लिखित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58क के अन्तर्गत तैयार किया है और इसमें जमाकर्ताओं की विशेष श्रेणी अर्थात् क्या जमाकर्ता आवास वित्त कंपनी का अंशधारक या निवेशक या प्रवर्तक है या सामान्य नागरिक है या कंपनी के निदेशक का संबंधी है, के ब्यौरे भी दिए गए हैं।

(ii) आवेदन फार्म में निम्नलिखित सूचनाएं भी निहित होंगी:

(क) उसके निक्षेप को प्रदान की गई ऋण पात्रता का निर्धारण और आवास वित्त कंपनी की ऋण पात्रता का निर्धारण करने वाली ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम;

(ख) इस आशय का एक विवरण कि आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने निक्षेपों को चुकाने में किसी चूक के मामले में, जमाकर्ता राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच या जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में जा सकता है,

(ग) इस आशय का कथन कि निक्षेपों में अनुबद्ध निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संपूर्ण निक्षेप या उसके किसी भाग की गैर अदायगी की दशा में, जमाकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की वित्तीय स्थिति, जैसा कि प्रकट किया गया है और आवेदन फार्म में दिए गए अभ्यावेदन सही और ठीक हैं तथा आवास वित्त कंपनी और उसका निदेशक बोर्ड उसकी शुद्धता और सत्यता के लिए जिम्मेदार है,

(ङ) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की जमा राशि स्वीकार करने की गतिविधियां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। तथापि, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए या आवास वित्त कंपनी द्वारा किए गए किसी भी विवरण या अभ्यावेदन या उसके द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय की शुद्धता के लिए; और आवास वित्त कंपनी द्वारा जमा राशि के प्रतिसंदाय / देनदारियों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है;

(च) उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य हस्तियों अथवा उन व्यापारिक उद्यमों जिनमें निदेशकगण और अथवा आवास वित्त कंपनी पर्याप्त हित रखते हैं रखती हैं, उन कंपनियों से और उनको दी गई निधि एवं गैर निधि आधारीक, दोनों प्रकार की कुल देय राशियों, सुविधाओं से देय कुल राशियों और उनसे तथा ऐसी हस्तियों को निवेश की कुल राशियों से संबंधित जानकारी।

(छ) आवेदन फार्म के अन्त में, लेकिन जमाकर्ता के हस्ताक्षर से पहले जमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित सत्यापन खंड जोड़ा जाएगा "मैंने आवास वित्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय और अन्य विवरणों / तथ्यों / अभ्यावेदनों को पढ़ लिया है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं अपने जोखिम और इच्छा शक्ति पर आवास वित्त कंपनी के पास रकम जमा कर रहा हूँ।

जमाकर्ताओं का परिचय

7. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी नया खाता खोलने या जमा राशि स्वीकार करने से पहले नए जमाकर्ताओं से उचित परिचय प्राप्त करेगी और उस साक्ष्य को अपने अभिलेख में रखेगी जिसके आधार पर उस परिचय पर विश्वास किया गया।

**स्पष्टीकरण:**

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, परिचय से आशय प्रत्याशित जमाकर्ता की पहचान करना होगा और यह काम या तो किसी मौजूदा जमाकर्ता द्वारा या स्थायी खाता संख्या (पैन), चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट या राशन कार्ड के आधारपर किया जा सकता है।

**जमाकर्ताओं को पावतियां देना**

8. (1) यदि ऐसा पहले न किया गया हो, तब प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट को प्रत्येक उस राशि, जिसे इन निर्देशों के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले या बाद में निक्षेप के रूप में आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया, की पावती देगी।

(2) इस निमित्त आवास वित्त कंपनी के लिए कार्य करने हेतु पात्र अधिकारी द्वारा उक्त पावती पर विधिवत् हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और वह निक्षेप की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमा राशि के रूप में आवास वित्त कंपनी को प्राप्त हुई राशि का शब्दों और अंकों में कथन करेगा, उस पर देय ब्याज दर और उस तारीख को बताएगा, जिस तारीख को वह राशि प्रतिदेय होगी।

परंतु, यदि ऐसी प्राप्ति किसी आवृत्ति जमा की पहली किस्त के बाद की किस्तों से संबंधित हैं, तो उसमें केवल जमाकर्ता / (ओं) का नाम, तारीख और जमा राशि निहित होगी।

**निक्षेपों का रजिस्टर**

9. (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी एक या अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह के बारे में निम्नलिखित ब्यौरे रखे जाएंगे-

- (क) जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह, उनके नामितों के नाम व पते,
- (ख) प्रत्येक निक्षेप की तारीख और राशि,
- (ग) प्रत्येक निक्षेप की अवधि और देय तारीख,
- (घ) प्रत्येक निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज और प्रीमियम की तारीख और राशि,
- (ङ) प्रत्येक पुनर्मुग्तान की राशि व तिथि, चाहे मूलधन, प्रीमियम या ब्याज हो,
- (च) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख,
- (छ) पुनर्मुग्तान में पांच कार्यदिवसों से अधिक देरी होने के कारण,
- (ज) निक्षेपों से संबंधित कोई अन्य ब्यौरे।

(2) ऊपर उल्लिखित या एक अधिक रजिस्टर आवास वित्त कंपनी की प्रत्येक शाखा में जहां जमा खाता खोला गया, जमा खातों के बारे में रखे जाएंगे और आवास वित्त कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसकी सभी शाखाओं का एक समेकित रजिस्टर बनाया जाएगा और उसे उस वित्त वर्ष जिसमें किसी जमा के पुनर्मुग्तान या नवीनीकरण के बारे में सबसे बाद में इंदराज किया गया हो, और जिसके ब्यौरे उस रजिस्टर में हों, की तारीख से कम से कम 8 वर्ष तक अच्छी हालत में रखा जाएगा।

बशर्ते कि, यदि आवास वित्त कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा ( ) में उल्लिखित लेखा बहियां उस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रखती है, तो यह उप अनुच्छेद का उपयुक्त अनुपालन होगा यदि पूर्वोक्त रजिस्टर ऐसे

दिएसके अन्य स्थान पर रखे जाते हैं, बशर्ते कि वह आवास वित्त कंपनी कथित उपधारा के प्रावधानों के अन्तर्गत नवीनीकरण की नोटिस की एक प्रति, नोटिस भेजने की तारीख से 7 दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजें।

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना

10. (1) इन निर्देशों के प्रारम्भ की तारीख के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में रखी गई निदेशक बोर्ड की प्रत्येक रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण या सूचना शामिल की जाएगी अर्थात् .

(क) आवास वित्त कंपनी के सार्वजनिक निक्षेप खातों की कुल संख्या, जिनका जमाकर्ताओं द्वारा दावा नहीं किया गया है या जिस तारीख को जमाराशि प्रतिसंदाय के लिए देय हुई उस तारीख के बाद आवास वित्त कंपनी द्वारा उसका संदाय नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसे खातों के अंतर्गत देय कुल राशियां, जिनका दावा नहीं किया गया है या पूर्वोक्तानुसार खण्ड (क) में उल्लिखित तारीखों के बाद संदाय नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विवरण या सूचना उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख के अनुसार दी जाएगी जिससे वह रिपोर्ट संबंधित है और यदि पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफ के खण्ड (ख) में यथा उल्लिखित अदावी या असंवितरित राशि पांच लाख रुपए की कुल राशि से अधिक है तो जमाकर्ताओं या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को देय राशि और अदावी या संवितरित बकाया राशि की वापसी अदायगी के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में एक विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

ब्याज दर तथा दलाली और अतिदेय सार्वजनिक निक्षेपों की अधिकतम सीमा

11 (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी

(क) 14 प्रतिशत से अधिक वार्षिक ब्याज दर पर किसी सार्वजनिक निक्षेप आमंत्रित, स्वीकार या उसका नवीनीकरण नहीं करेगी। ब्याज का भुगतान या चक्रवृद्धि आधार पर किया जा सकता है, जो एक माह से कम अवधि का नहीं होगा।

(ख) किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक निक्षेपों पर,

(i) इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि से दो प्रतिशत अधिक की दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी,

(ii) उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचरों/बिलों के आधार पर इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय नहीं करेगी।

(2) अतिदेय जमाराशि पर ब्याज का भुगतान

कोई भी आवास वित्त कंपनी, अपने विवेक पर, अतिदेय सार्वजनिक जमाराशि पर या उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी भाग पर, जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से ब्याज की अनुमति दे सकती है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि .-

(i) कुल अतिदेय जमाराशि या उसके किसी भाग का, इन निर्देशों के संबंधित उपबंधों के अनुसार, उसकी परिपक्वता की तारीख से किसी भावी तारीख तक नवीकरण किया जाता है, और

(ii) अनुज्ञेय ब्याज ऐसी अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा, जो केवल इस प्रकार नवीकृत जमाराशि पर ही देय होगा:

परंतु, जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्ता द्वारा दावा किए जाने पर, परिपक्वता पर जमाराशि का ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है, वहां आवास वित्त कंपनी दावा किए जाने की तारीख से प्रतिसंदाय किए जाने की तारीख तक जमाराशि पर यथा लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगी।

जमाराशियों की वापसी अदायगी के संबंध में सामान्य उपबन्ध

12 (i) कोई भी आवास वित्त कंपनी, सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर किसी भी सार्वजनिक निक्षेप की वापसी अदायगी नहीं करेगी।

(ii) जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्ता (ओं) के अनुरोध पर उपर्युक्त खण्ड (i) में बताई गई अवधि के पश्चात परंतु, परिपक्व होने से पूर्व सार्वजनिक निक्षेप की वापसी अदायगी करती है वहां यह निम्नलिखित दर से ब्याज का भुगतान करेगी:

(क) तीन महीने लेकिन छः महीने की समाप्ति से पहले	कोई ब्याज नहीं
(ख) छः महीने लेकिन बारह महीने की समाप्ति से पहले	दस प्रतिशत वार्षिक से अनधिक
(ग) बारह महीने लेकिन परिपक्वता की अवधि से पहले	उस दर की तुलना में एक प्रतिशत बिन्दु कम, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए स्वीकार की गई होती जिस अवधि के लिए ऐसी जमाराशि इस्तेमाल की गई थी।

परन्तु किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की सूरत में उत्तरजीवी खण्ड के साथ संयुक्त धारिता के मामलों में उत्तरजीवी जमाकर्ता (ओं) को या नाभिती या कानूनी वारिस (वारिसों) को वापसी-अदायगी की तारीख तक संविदागत दर पर ब्याज सहित परिपक्वता की अवधि से सार्वजनिक निक्षेप का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) कोई आवास वित्त कंपनी, सार्वजनिकजमा पर देय ब्याज से दो प्रतिशत बिन्दु अधिक ब्याज दर पर सार्वजनिक जमा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के पश्चात किसी जमाकर्ता को सार्वजनिक निक्षेप के पचहत्तर प्रतिशत तक ऋण मंजूर कर सकती है।

परिपक्वता से पूर्व निक्षेपों का नवीनीकरण

13 जहां कोई आवास वित्त कंपनी किसी जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर का लाभ प्राप्त करने के लिए परिपक्वता से पहले अपनी सार्वजनिक जमाराशि का नवीकरण करने की अनुमति देती है, वहां ऐसी कंपनी, जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी, बशर्ते कि,

(i) सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण इन निर्देशों के अन्य उपबन्धों के अनुसार और मूल संविदा की बाकी अवधि से लम्बी अवधि के लिए किया गया है; और

(ii) सार्वजनिक जमाराशि की समाप्त हुई अवधि का ब्याज, उस दर से एक प्रतिशत बिन्दु कम कर दिया गया है, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए

स्वीकार की गई हाती, जिस अवधि के लिए ऐसी जमा राशि इस्तेमाल की गई थी; पहले ऐसी घटी हुई दर से अधिक भुगतान किया गया कोई भी ब्याज वसूल/समायोजित किया जाएगा।

#### अनुमोदित प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा

14 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ख के अनुसार विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों को रखना आवश्यक है। इस संबंध में आवास वित्त कंपनी, जहां उसका पंजीकृत कार्यालय है, वहां इस आशय से इसके द्वारा नामित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को इसका उत्तरदायित्व सौंपेगी।

बशर्ते यह कि आवास वित्त कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को, राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व स्वीकृति लेकर एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस संबंध में विहित की गई शर्तों के अध्यक्षीन, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को सौंप सकती है।

बशर्ते यह भी कि, जब आवास वित्त कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त, किसी अन्य स्थान पर अवस्थित नामित बैंक में संघटक सब्सिडियरी जनरल खाते के रूप में अपनी प्रतिभूतियां रखना चाहती है, तो वह राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है।

(2) उपर्युक्त उप अनुच्छेद (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्त्ताओं की प्रसुविधा के लिए ऐसे अभिहित बैंक को सौंपी जाती रहेंगी और वह आवास वित्त कंपनी जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान करने के अतिरिक्त इन्हें न तो वापस लेगी, न ही मुनाएगी अथवा इनके संबंध में अन्यथा कार्रवाई नहीं करेगी।

किंतु यह तब जबकि,

(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के एक भाग को निकालने की हकदार होगी। प्रतिभूतियों का यह निकाले जाने वाला भाग उसकी जमा राशि में कमी के यथा अनुपात और उसके लेखा परीक्षकों से इस दिशा में विधिवत् अनुप्रमाणित होना चाहिए।

(2) जहां आवास वित्त कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित करना चाहती है, तो वह ऐसे आहरण से पूर्व अभिहित बैंक को समान मूल्य की प्रतिस्थापन प्रतिभूति सौंप कर ऐसा कर सकती है।

स्पष्टीकरण:

"अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक" से 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी बैंक से है किंतु कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक इसमें शामिल नहीं है।

कर्मचारी प्रतिभूति जमा -

15. अपने सामान्य कारोबार के दौरान, अपने किसी भी कर्मचारी से, उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए, प्रतिभूति जमा के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने वाली आवास वित्त कंपनी उस राशि को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में या डाक घर में कर्मचारी और आवास वित्त कंपनी के संयुक्त नाम वाले खाते में इस शर्त पर रखेगी कि :-

- (1) यह कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना राशि नहीं निकालगी; और  
 (2) यह राशि कर्मचारी को ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित प्रतिदेय होगी, बशर्ते कि इस या उसके किसी भाग का, कर्मचारी की ओर से उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन में असफल रहने के कारण आवास वित्त कंपनी द्वारा विनियोजन न किया जाना हो।”

#### विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण

16 (1) सार्वजनिक जमा राशियाँ स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के उपबंधों का अनुपालन करेगी और उसके तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित भी विनिर्दिष्ट करेगी।

- (क) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिफल की वास्तविक दर  
 (ख) जमाकर्ता को भुगतान करने का ढंग,  
 (ग) जमा राशियों की परिपक्वता अवधि;  
 (घ) किसी विनिर्दिष्ट जमा राशि पर देय ब्याज  
 (ङ) यदि कोई जमाकर्ता, परिपक्वता से पहले जमा राशियाँ निकालता है तब जमाकर्ता को दिए जाने वाली ब्याज की दर।  
 (च) वे शर्तें और निबंधन जिनके अध्यक्षीन किसी जमा राशि का नवीकरण किया जाएगा, और  
 (छ) उन शर्तों और निबंधनों से संबंधित अन्य विशेष बातों जिनके अध्यक्षीन जमा राशियाँ स्वीकार की जाती हैं/उनका नवीकरण किया जाता है।

(ज) उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य हस्तियों, अथवा व्यापारी उद्यमों, जिनमें निदेशको और अथवा आवारत कंपनी पर्याप्त हित रखती है से (उनको प्रदत्त गैर निधि आधारिक सुविधाओं सहित) कृत्रिम देय राशियों तथा ऐसी हस्तियों के निवेश की कुल राशि से संबंधित सूचना।

(2) जहां कोई आवास वित्त कंपनी, सार्वजनिक जमा राशियाँ आमंत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित किए बिना या उसे अनुमति दिए बिना या उसे इसका निमित्त बनाए बिना जमा राशियाँ स्वीकार करना चाहती है, वहां यह ऐसी जमा राशियाँ स्वीकार करने से पहले वह राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में पंजीकरण के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विवरणों के विज्ञापन के बदले में एक विवरण प्रस्तुत करेगी और यहां उपर्युक्त उप पैराग्राफ (1) में उल्लिखित विवरण, जो पूर्वोक्त नियमों में बताए गए ढंग से विधिवत् हस्ताक्षरित हो।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के तहत दिया गया विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने पूरे होने तक वैध होगा जिसमें उसे दिया गया है या उस तारीख तक जब तक कि आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में तुलना पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते या जहां किसी वर्ष की वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हुई है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार वह अद्यतन तारीख, जिस तारीख तक बैठक हो जानी चाहिए, इनमें से जो भी पहले हो और उस वित्तीय वर्ष में जमा राशियाँ स्वीकार करने से पहले प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में नया विवरण दिया जाएगा।

शाखाएं खोलना

17. कोई भी आवास वित्त कंपनी, शाखा या कार्यालय खोलने से पहले, शाखा या कार्यालय खोलने के अपने झरादे के बारे में, लिखित में, राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करेगी।

शाखाएं बंद करना

18. निक्षेप स्वीकार करने वाली कोई भी आवास वित्त कंपनी अपनी शाखा / कार्यालय को बंद करने के अपने प्रस्ताव के बारे में 90 दिन पहले राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित किये बिना तथा राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र में और उस स्थान पर प्रसारित किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति दिए बिना शाखा / कार्यालय बंद नहीं करेगी।

### अध्याय - 3 विवेक सम्मत मानदंड

आय अभिज्ञान

19. (1) आय अभिज्ञान मान्यता प्राप्त लेखांकन के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।

(2) ब्याज बट्टा अथवा अनुपयोज्य आस्तियों पर अन्य प्रमारों सहित आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जब ये वास्तव में वसूल हो जाती हैं। आस्ति में अनुपयोज्य हो जाने और वसूली नहीं होने से पूर्व ऐसी कोई भी आय वापिस की जाएगी।

(3) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, जहां किस्ते 12 महीने से अधिक के लिए अतिदेय हैं, वहां आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जब किराया प्रमार वास्तव में प्राप्त हो जाते हैं। आस्ति के अनुपयोज्य हो जाने और वसूल नहीं होने से पूर्व लाभ एवं हानि लेखा में जमा करने के लिए ली गई ऐसी किसी अन्य आय को वापिस किया जाएगा।

(4) पट्टा आस्तियों, के बारे में, जहां पट्टा किराये 12 महीने से अधिक के लिए अतिदेय होता है वहां आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जबकि पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो जाता है। आस्ति अनुपयोज्य हो जाने एवं वसूल नहीं होने से पूर्व लाभ एवं हानि लेखा में जमा करने को लिया निवल पट्टा वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजार्थ, निवल पट्टा किराए का अर्थ सकल पट्टा किराया होता है जो लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाले गए / जमा किए गए पट्टा समायोजन लेखा से समायोजित किया जाता है और जिसमें से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अधीन लागू दर से अवक्षयण घटा दिया जाता है।

निवेश से आय

20 (1) निगमित निकायों एवं म्युचुअल फंड्स की यूनितों पर लाभांश से हुई आय को नकदी आधार पर लेखा में लिया जाएगा।

किंतु यह तब जबकि, निगमित निकायों के शेयरों पर लाभांश से हुई आय को तब प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिया जाए जब ऐसा लाभांश निगमित निकाय द्वारा अपनी साधारण बैठक में घोषित किया जाता है और भुगतान प्राप्त करने का आवास वित्त कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।



(2) निगमित निकायों के बंधपत्रों / ऋणपत्रों से तथा सरकार की प्रतिभूतियों / बंधपत्रों से आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिया जाए।

किंतु यह जब, जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पूर्व अवधारित होती है तथा ब्याज नियमित रूप में प्राप्त होता है और बकाया राशि में नहीं रहता है।

(3) निगमित निकायों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिभूतियों, जिसके ब्याज का भुगतान एवं मूलधन की गारंटी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने दे रखी है, पर आय को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाए।

#### लेखांकन मानक

21. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (जिसे इन निर्देशों में यथा भा0सं0ले0सं0 निर्दिष्ट किया गया है) की ओर से जारी लेखांकन मानक एवं दिशा निर्देश संबंधी टिप्पणियां का वहां तक पालन किया जाएगा, जहां वे इन निर्देशों से असंगत नहीं हैं।

#### निवेश हेतु लेखांकन

22 (1) प्रतिभूतियों में निवेश यथा वर्तमान एवं दीर्घावधि निवेश वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) कोई दीर्घावधि निवेश का मूल्य भा0सं0ले0सं0 द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार लगाया जाएगा।

(3) उद्धृत वर्तमान निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन से, निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जाएगा -

(क) साम्य शेयर

(ख) अधिमान शेयर

(ग) ऋणपत्र एवं बंधपत्र

(घ) राजकोष के बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां

(ङ) म्युचुअल फंड्स की यूनिटें, और

(च) अन्य

प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्धृत वर्तमान निवेशों, का मूल्य लागत अथवा बाजार मूल्य में से जो अल्पतर है, पर लगाया जाएगा। इन प्रयोजनार्थ, श्रेणी के निवेश को प्रतिभूति, तथा लागत एवं बाजार मूल्य क्रम से माना जाएगा और यह सभी श्रेणियों के निवेशों का योग होगा। यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी की कुल लागत से कम होता है तब निवल अवक्षयण प्रदान किया जाएगा अथवा लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा। यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए कुल लागत से अधिक हो जाता है, तब निवल अवक्षयण की उपेक्षा कर दी जाएगी। निवेशों की एक ही श्रेणी में अवक्षयण को किसी अन्य श्रेणी में अधिमूल्यन के लिए मुजरा नहीं किया जाएगा।

(4) वर्तमान निवेश की प्रकृति में उद्धृत नहीं किए गए साम्य शेयरों का मूल्य लागत अथवा अवशिष्ट मूल्य में से जो भी अल्पतर है, पर किया जाएगा। तथापि, यदि आवास वित्त कंपनियां आवश्यक समझती हैं, तब वे शेयरों के अवशिष्ट (अलग-अलग) मूल्य के लिए उचित मूल्य प्रतिस्थापित कर सकती हैं। जहां निवेशी कंपनी का तुलनपत्र दो वर्षों तक उपलब्ध नहीं होता है, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन केवल एक रुपए पर किया जाएगा।

- (5) वर्तमान निवेश की प्रकृति में उद्धृत नहीं किए गए अधिमान शेयरों का मूल्य लागत अथवा अंकित मूल्य निवल आस्ति मूल्य में से जो भी कम है, पर लगाया जाएगा। यदि निवल आस्ति मूल्य नगण्य है, तब इसका मूल्य शून्य पर लगाया जाना चाहिए।
- (6) उद्धृत नहीं की गई सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सरकारी गारंटीकृत बंधपत्रों में निवेश का मूल्य वहनीय लागत पर किया जाएगा।
- (7) वर्तमान निवेशों की प्रकृति में, म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में उद्धृत नहीं किए गए निवेश का मूल्य प्रत्येक योजना विशेष के संबंध में म्युचुअल फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर लगाया जाएगा।
- (8) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य वहनीय लागत पर किया जाएगा।

टिपणी: उद्धृत नहीं किए गए ऋण पत्रों को उनकी अवधि अनुसार, आय अभिज्ञान एवं आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए एक दीर्घावधि ऋण अथवा ऋण सुविधाओं के अन्य प्रकार के रूप में माना जाएगा।

#### आस्ति वर्गीकरण

23 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी मलीभांति परिभाषित ऋण संबंधी कमजोरियों को और वसूली के लिए समर्थक प्रतिभूति पर कितनी निर्भरता है, उसको हिसाब में लेने के बाद, पट्टा / किराया खरीद की अपनी आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा ऋण के अन्य रूपों को निम्न लिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी:-

- (i) मानक आस्तियां
- (ii) उप मानक आस्तियां
- (iii) संदिग्ध आस्तियां
- (iv) हानिप्रद आस्तियां

(2) ऊपर निर्दिष्ट किए गए आस्तियों के वर्ग को तब तक पुनर्निर्धारण के एक परिणाम के रूप में समुन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरी नहीं करता है।

#### प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं

24 प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, किसी लेखा का अनुपयोज्य बन जाने, इस रूप में, उसके अभिज्ञान के बीच समयांतर, प्रतिभूति की वसूली तथा प्रसारित प्रतिभूति के मूल्य में समयोपरि कमी को लेखा में लेने के बाद, उपमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए यथा निम्नलिखित प्रावधान करेगी :-

*खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों सहित, ऋणों अग्रिमों एवं अन्य ऋण सुविधाएं*

(1) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों सहित, ऋणों अग्रिमों एवं अन्य ऋण सुविधाओं के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं यथा निम्न होंगी-

- 1) हानिप्रद आस्तियां

समस्त आस्तियों को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। यदि आस्तियों को किसी भी कारण से लेखा बहियों में रहने दिया

जाता है, तब 100 प्रतिशत बकाया के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

2) संदिग्ध आस्तियां

(क) उतने तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जितने तक अग्रिम उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य में नहीं आ जाता जिसके लिए आवास वित्त कंपनी के पास वैध संसाधन है। वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थ आधार पर किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि जिसमें आस्ति संदिग्ध रही है, पर निर्भर करते हुए प्रतिभूति अंश (अर्थात् बकाया राशियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा -

जिस अवधि में आस्ति यथा संदिग्ध मानी गई	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्षों तक	30
तीन वर्षों से अधिक	50

3) उप मानक आस्तियां

कुल बकाया के 10 प्रतिशत का एक सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए।

पट्टा एवं किराया खरीद की आस्तियां

(2) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाएँ यथा निम्न होगी.-

किराया खरीद की आस्तियां

(i) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, (अतिदेय तथा भावी किस्तों को एक साथ मिलाकर) कुल देय राशि, जिसमें से लाभ एवं हानि लेखा में जमा नहीं किए गए और अपरिपक्व वित्त प्रभारों के रूप में यथा अग्रणीत, वित्त प्रभारों तथा पूर्वता प्राप्त आस्तियों के अवक्षयित मूल्य को घटाकर प्रावधान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.

इस प्रयोजन से, आस्ति का अवक्षयित मूल्य अनुमान से संगणित किया जाएगा क्योंकि आस्ति की मूल लागत में से अवक्षयण 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से, एक सीधी रेखा पद्धति में कम कर दिया जाएगा। प्रयोग में आ चुकी आस्तियों के संबंध में, मूल लागत ऐसी प्रयुक्त आस्तियों को अर्जित करने में उपगत वास्तविक लागत होगी।

किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के संबंध में, अतिरिक्त प्रावधान निम्न प्रकार से किया जाएगा.-

- (क) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की "शून्य" प्रतिशत कोई राशि 12 महीने तक अतिदेय रहती है -
- (ख) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत कोई राशि 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीनों तक अतिदेय रहती है -
- (ग) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत कोई राशि 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीनों तक अतिदेय रहती है -
- (घ) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत कोई राशि 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीनों तक अतिदेय रहती है -
- (ङ) जहां किराया प्रभारो अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत कोई राशि 48 महीनों से अधिक के लिए अतिदेय रहती है-

(iii) किराया खरीद पट्टाकृत आस्तियों की अंतिम किस्त की देय तारीख के बाद 12 महीनों की अवधि समाप्त हो जाने पर, संपूर्ण निवल बही मूल्य के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणियां:

(क) किराया खरीद करार के अनुसरण में, उधारकर्ता आवास वित्त कंपनी के पास रखी गई अवघज्ञान राशि मार्जिन राशि प्रतिभूति की राशि को उपर्युक्त खंड (i) के अधीन निर्धारित प्रावधानों के लिए काट ली जाए, यदि करार में मासिक किस्तों को समान बनाते समय पहले से ही हिसाब में नहीं ली गई हैं। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी प्रतिभूति मूल्य की कटौती केवल उपर्युक्त खंड (ii) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति मूल्य के साथ पट्टा करार के ही अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा आवास वित्त कंपनी के पास रखी गई प्रतिभूति की राशि की कटौती केवल उपर्युक्त खंड (ii) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय अभिज्ञान एवं उनके लिए प्रावधान किया जाना, विवेक सम्मत मानदंडों के दो भिन्न प्रश्न हैं तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान, पट्टा समायोजन लेखा में, यदि कोई शेष राशि होती है, तब उसे समायोजित किया जाने के बाद, संदर्भाधीन पट्टाकृत आस्ति के अवक्षयित बही मूल्य सहित अनुपयोज्य आस्तियों की कुल बकाया शेष राशियों पर प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है। इस तथ्य, कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है, को प्रावधान नहीं किया जाने का कारण नहीं माना जा सकता है।

(4) इन निर्देशों के अनुच्छेद 2 (1) (र) में यथा निर्दिष्ट कोई आस्ति, जिस पर पुनः बातचीत हो चुकी है अथवा पुनर्निर्धारित की जा चुकी है, एक उप मानक आस्ति होगी अथवा उसी वर्ग में बनी रहेगी जिसमें वह यथा स्थिति, एक संदिग्ध आस्ति अथवा एक हानिप्रद आस्ति के रूप में पुनः बातचीत करके तय किए जाने अथवा पुनर्निर्धारित किए जाने से पूर्व थी। ऐसी आस्ति के लिए यथा लागू आवश्यक प्रावधान तब तक

किया जाना अपेक्षित है, जब तक इसे समुन्नत नहीं किया जाता है। जहां किसी आस्ति को, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं, जिन्हे उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता को क्षीण कर दिया है, के कारण पुनर्निर्धारित किया गया है, जैसा अनुच्छेद 2 (1) (र) के द्वितीय परंतुक में दिया गया है, वहां ऐसे पुनर्निर्धारण से पूर्व किया गया कोई प्रावधान न तो पुनरांकित किया जाएगा, न ही प्रावधान संबंधी ऐसी अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जाएगा जो कि भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण

25. (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी उन प्रावधानों को, उन्हें आय से घटाए बिना अथवा आस्तियों के मूल्य से घटाए बिना तुलनपत्र में पृथक रूप से प्रकट करेगी जो प्रावधान उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 24 के अनुसार किए हैं।

(2) ये प्रावधान पृथक रूप से आवास एवं गैर आवास वित्त व्यापार के लिए और ब्यौक्तिक रूप से प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए पृथक लेखा शीर्ष में स्पष्टतया निम्नानुसार उपदर्शित किए जाएंगे:-

(क) उप मानक, संदिग्ध एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए प्रावधान

(ख) निवेश में अवक्षयण के लिए प्रावधान।

(3) ऐसे प्रावधानों का सामान्य प्रावधानों तथा रखी गई हानि आरक्षित निधियों यदि कोई हैं, से आवास वित्त कंपनी, द्वारा विनियोग नहीं किया जाएगा।

(4) प्रत्येक वर्ष के लिए, ऐसे प्रावधान लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाले जाएंगे। सामान्य प्रावधान एवं हानिप्रद आरक्षित निधि शीर्ष में रखे, अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, को उनके लिए समायोजित किए बिना पुनरांकित किए जाएं।

पूंजी पर्याप्तता के बारे में अपेक्षाएं

26 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी टियर -1 एवं टियर - 2 पूंजी का एक न्यूनतम पूंजी अनुपात रखेगी, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा -

(i) 31 मार्च, 2001 को अथवा इससे पूर्व 10 प्रतिशत; और

(ii) 31 मार्च, 2002 को अथवा इससेपूर्व 12 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रतिशत उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों का और तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का होगा।

(2) किसी भी समय कुल टियर - 2 पूंजी टियर - 1 पूंजी के 100 प्रतिशत अधिक नहीं होगी।

तुलनपत्र की आस्तियों पर स्पष्टीकरण:

(1) इन निर्देशों में प्रतिशत भार के रूप में अभिव्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की आस्तियों को समनुदेशित की गई है। इसलिए, प्रत्येक आस्ति / मद के मूल्य को आस्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए सुसंगत जोखिम भारों से गुणा किया जाना अपेक्षित है। कुल योग को न्यूनतम पूंजी

अनुपात की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित आस्तियों को यथा निधिकृत मदों के भारित कुल योग परिकलित किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:-

भारित आस्तियों अर्थात् तुलन पत्र की मदें	प्रतिशत भार
1. (i) मीयादी जमाराशियों और बैंको के पास जमाराशियां के प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक शेष राशियां	0
(2) निवेश	
(क) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां	0
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के बंधपत्र एवं जमाराशियां / जमाराशि प्रमाणपत्र / सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बंधपत्र	20
(ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटें	20
(घ) सभी कंपनियों के शेयर में उपरोक्त (ख) में उल्लेखरहित कंपनियों के डिबेंचर / बण्ड्स एवं वाणिज्यिक पत्र एवं उपरोक्त ग) के अतिरिक्त अन्य म्युचुअल फंड्स यूनिटे	
(3) (क) व्यक्तिको को दिए गए अचल संपत्ति बंधक समर्थित आवास ऋण जो कि मानक आस्ति के रूप में निर्दिष्ट हैं एवं जहां ऋण का मूल्य अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है	75
(ख) अन्य आवास ऋण	100
(4) चालू आस्तियां	
(क) किराये पर स्टाक (कृपया अगले पृष्ठ पर टिप्पणी 2 देखें )	100
(ख) अंतरनिगमित ऋण / जमाराशियां	100
(ग) कंपनी की अपनी जमाराशियों द्वारा पूर्णतः जमानती ऋण और अग्रिम	0
(घ) स्टाफ को ऋण	0
(ङ) अच्छे समझे गये अन्य जमानती ऋण और अग्रिम	100
(च) खरीदे भुनाये गये बिल	100
(छ) अन्य (उल्लेख करें )	100
(5) अचल आस्तियां (निवल मूल्यहास)	
(क) पट्टे पर दी गयी आस्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(ख) परिसर	100
(ग) फर्नीचर और जुडनार	100
(घ) अन्य अचल आस्तियां (उल्लेख करें)	100
(6) अन्य आस्तियां	
(क) स्रोत पर काटा गया आय -कर (निवल प्रावधान)	0
(ख) भुगतान किया गया अग्रिम कर (निवल प्रावधान)	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
(घ) अन्य (उल्लेख करें )	100

- (1) घटाए जाने का कार्य केवल उन आस्तियों के संबंध में किया जाए, जिनमें प्रावधान अवक्षण के लिए अथवा अशोध्य एव संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया है।
- (2) किराए पर लिया माल वित्तीय प्रभारों अर्थात् ब्याज एवं वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटा कर दर्शाया जाना चाहिए।
- (3) उन आस्तियों, जो अनु0 2 (1) (श) के अनुसरण में, टियर - I पूंजी निकालने के लिए स्वाधिकृत निधि से काट ली गई है, को "0" की भांति मिलेगी।

#### तुलनपत्र बाह्य मदें

(2) इन निर्देशों में, तुलनपत्र बाह्य मदों से जुड़ी ऋण जोखिम निवेश की मात्रा को ऋण संपरिवर्तन कारक के एक प्रतिशत रूप में अभिव्यक्त किए गए हैं। अर्थात् प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को तुलनपत्र बाह्य मदों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए, पहले सुसंगत संपरिवर्तन कारक से गुणा किया जाना आवश्यक है। कुल योग को न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम भांति मूल्य को गैर निधिकृत मदों के ऋण संपरिवर्तन कारकों के अनुसार परिकलित किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:-

	मद का विवरण	ऋण संपरिवर्तन कारक (प्रतिशत)
i)	संस्तुत परंतु असंवितरित आवास ऋण	50
ii)	वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
iii)	शेयर डिबेंचर के हामीदारी दायित्व	50
iv)	अंशतः प्रदत्त शेयर डिबेंचर	100
v)	बट्टाकृत पुनः बट्टाकृत बिल	100
vi)	तय परंतु अनिष्पादित बट्टा करार	100
vii)	अन्य संभाव्य देयताएं (उल्लेख करें)	50

किंतु यह तब, जबकि, उपर्युक्त मद (1) में, उन मामलों, जिनमें कोई प्रलेख निष्पादित नहीं किया गया है, में कोई संवितरण नहीं हुआ है, और यदि समय के क्रम में संस्वीकृत व्यपगत हो जाती है तथा संभावित उधारकर्ता को इस दिशा में नोटिस दे दिया जाता है, तब ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 0 प्रतिशत माना जाएगा और आंशिक रूप में संवितरित आवास ऋणों के मामले में, ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 50 प्रतिशत माना जाएगा।

टिप्पणी . नकदी मार्जिन / जमाराशियां की कटौती संपरिवर्तन कारक लागू किया जाने से पूर्व की जाएगी।

भूमि, भवन और उद्धृत नहीं किए शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

27 (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी, जो सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार कर रही हैं, निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी

(क) अपने निजी उपयोग के अतिरिक्त, भूमि अथवा भवन में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि

(ख) किसी अन्य कंपनी, जो कि सहायक कंपनी नहीं है, अथवा आवास वित्त कंपनी के उसी समूह की कंपनी नहीं है के उद्घृत नहीं किए गए शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि,-

किंतु यह जब तब कि, अपने ऋण के शोधन में अर्जित भूमि, अथवा भवन अथवा उद्घृत नहीं किए शेयर उस आवास वित्त कंपनी द्वारा ऐसे अर्जन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के भीतर अथवा ऐसी किसी अवधि, जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ा दी गई है, के भीतर, निपटा दिए जाएंगे, यदि उस आवास वित्त कंपनी की ओर से पहले से ही रखे गई ऐसी आस्तियों के साथ साथ इन आस्तियों में निवेश उपर्युक्त उच्चतम सीमा से अधिक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी कि इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तारीख से, यहां विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक कंपनी द्वारा धारित उद्घृत नहीं किए गए शेयर अथवा भवन अथवा भूमि को निपटा दिया जाएगा जिससे कि ऐसी धारिता को वह आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्षों के भीतर अथवा ऐसी अवधि, जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ा दी जाती है, के भीतर कथित उच्चतम सीमा से नीचे ला सके।

ऋण / निवेश का सकेन्द्रण

28 (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी निम्नलिखित नहीं करेगी.-

(i) किसी

(क) एकल उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी,

(ख) उधारकर्ताओं के किसी एकल समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी।

(ii) निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी-

(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक,

(ख) कंपनियों के एक एकल समूह के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक।

(3) निम्नलिखित को निम्न सीमा से अधिक (एक साथ ऋण / निवेश) उधार नहीं देगी / निवेश नहीं करेगी -

(क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक

(ख) किसी एक एकल समूह के पक्षों को अपनी स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक

(2) यहां ऊपर विनिर्दिष्ट एव इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान उच्चतम सीमा से अधिक आवास वित्त कंपनी द्वारा किया गया निवेश तथा प्रदत्त कोई ऋण उस आवास वित्त कंपनी द्वारा यथा समय पुनर्भुगतान की अनुसूची के अनुसार नीचे लाया जाएगा।



टिप्पणी:

- (1) ऊपर लिखी सीमा को अवधारित करने के प्रयोजन से, तुलनपत्र बाह्य निवेश को यहां ऊपर स्पष्ट किये गए संपरिवर्तन कारको को लागू करके ऋण जोखिम में परिवर्तित किया जाए।
- (2) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, ऋण पत्रों में निवेश को यथा ऋण समझा जाए न कि निवेश।
- (3) ऋण निवेश पर उपर्युक्त उच्चतम सीमा उधारकर्ताओं निवेशी कंपनियों के अतिरिक्त अपने समूह की आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू होंगी।

लेखा परीक्षकों को निर्देश

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट विषय शामिल हो

29. ये निर्देश प्रारंभ होने के बाद आवास वित्त कंपनियों के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 के अन्तर्गत परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अतिरिक्त, लेखा परीक्षक नीचे दिए गए अनुच्छेद 30 और 31 में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के निदेशक मण्डल को भी रिपोर्ट भेजेंगे।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होने वाले विषय

30. आवास वित्त कंपनियों के लेखा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों पर एक विवरण दिया जाए—

(i) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून, 2000 से पहले हुई हो तो क्या उसने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के अनुसार यथा अपेक्षित पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और क्या उसे अपने पंजीकरण का प्रमाणपत्र मिलने या न मिलने के बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई पत्र मिला।

(ii) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून, 2000 को या उसके बाद हुई हो तो क्या उसे रा0आ0बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र मिला ;

(iii) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ख में किए उल्लेखानुसार चल निधि में का अनुपालन किया और प्रतिभूतियों को नामित बैंक में रखा ;

(iv) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ग का अनुपालन किया ;

(v) क्या आवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के उपबंधों का अनुपालन किया ;

(vi) क्या रा0आ0बैंक को प्रस्तुत विवरणी में उल्लिखित पूंजी पर्याप्त अनुपात का ठीक ठीक निर्धारण किया गया है और क्या यह अनुपात उन निर्देशों में रा0आ0बैंक द्वारा उल्लिखित जोखिमवाली आस्ति अनुपात के न्यूनतम पूंजी के अनुरूप है;

(vii) जहां आवास वित्त कंपनी जनता से निक्षेप स्वीकार / धारित कर रही है; क्या

(क) आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक निक्षेप अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है;

(ख) आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षेप सहित निक्षेप तथा रा0रि0बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की उपधारा (खख) के उप खंड (iii) से (vii) में उल्लिखित राशि या रा0आ0बैंक से प्राप्त ऋण या अन्य सहायता राशि इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है;

(ग) आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमत्य सीमा से अधिक धारित निक्षेपों को रा0आ0बैंक द्वारा निर्दिष्ट विधि से नियमित कराया गया है,

- (घ) निक्षेपों के लिए ऋण पात्रता निर्धारण अर्थात् (पात्रता का उल्लेख करे) ऋण पात्रता निर्धारण एजेसी द्वारा निर्धारित पर (तारीख) लागू है और वर्ष के दौरान किसी समय बकाया कुल निक्षेप ऋण पात्रता निर्धारण एजेसी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई ,
- (ङ) आवास वित्त कंपनी अपने जमाकर्त्ताओं को उनके निक्षेपों पर ब्याज का भुगतान करने और / या मूलधन लौटाने में विफल रही जबकि वह ब्याज और / या मूलधन देय हो चुका था ;
- (च) सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने के लिए नई शाखाएं या कार्यालय खोलने या शाखाएं या कार्यालय बंद करने के मामले में, आवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के संगत प्रावधानों का अनुपालन किया ,
- (viii) जहां आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं करती है - वहा क्या
- (क) निर्देशक मंडल ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव पास किया ।
- (ख) कंपनी ने विचाराधीन अवधि / वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किया ।
- (ग) कंपनी ने विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन किया ।

प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के लिए कारणों का उल्लेख करे

31. जहां, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में दिया गया विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण देने, जो भी मामला हो, के कारणों का उल्लेख किया जाए। जब लेखा परीक्षक उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में अपना मत व्यक्त करने में असमर्थ हो, तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कारणों सहित इस आशय का भी उल्लेख किया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक को रिपोर्ट भेजने के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

32. जहां, आवास वित्त कंपनी के मामले में, उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो या लेखा परीक्षक की राय में कंपनी ने इन निर्देशों के प्रावधानों या अधिनियम के अध्याय - V के प्रावधानों का अनुपालन न किया हो तो लेखा परीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के ब्यौरे और / या अनुपालन न करने के बारे में, जो भी मामला हो, रिपोर्ट में दें और उसे नई दिल्ली स्थित रा0आ0बैंक के मुख्य कार्यालय को भेजें।

अध्याय - 5 - विविध

आवास वित्त कंपनी के अपने शेयरों के आधार पर ऋण देने पर रोक

33. (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी अपने शेयरों के आधार पर ऋण नहीं देगी।  
 (2) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा इन निर्देशों के लागू होने की तारीख पर अपने ही शेयरों के आधार पर दिए गए बकाया ऋण की वसूली आवास वित्त कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

सार्वजनिक निक्षेप लौटाने में असफल आवास वित्त कंपनियों पर ऋण देने तथा निवेश करने पर रोक

34. आवास वित्त कंपनी जो कोई सार्वजनिक निक्षेप या उसके अंश को अधिनियम की धारा 36 क (1) में उल्लिखित निक्षेप शर्तों के अनुसार लौटाने में विफल रही, वह कंपनी चूककर्त्ता रहने तक किसी भी नाम से कोई ऋण या कोई अन्य आस्ति का सृजन नहीं कर सकेगी।

लेखा समिति का गठन

36. जिस आवास वित्त कंपनी की आस्ति उसकी पिछली संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए या अधिक होगी वह लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें बोर्ड में कम से कम 3 गैर कार्यकारी निदेशक होंगे।

लेखा वर्ष

38. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी 31 मार्च, 2002 को समाप्त लेखा वर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा तैयार करेगी। बशर्ते कि यदि किसी आवास वित्त कंपनी का लेखा वर्ष 31 मार्च, 2002 के बजाए किसी अन्य को समाप्त होता है तो वह आवास वित्त कंपनी 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के बीच अंतराल अवधि का अपना तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखा तैयार करेगी।

तुलनपत्र और लेखा की प्रतियों के साथ निदेशक की रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत किया जाना

37. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को संपरीक्षित तुलनपत्र तथा आम सभा में आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमोदित उस वर्ष का संपरीक्षित लाभ एवं हानि लेखा के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 (1) की शर्तों के अनुसार उस बैठक में आवास वित्त कंपनी के समक्ष प्रस्तुत निदेशक मण्डल की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ बैठक की तारीख से 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजेगी, इनके साथ ही उसके लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखा टिप्पणियों की एक प्रति भी भेजी जाए।

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

39. (1) सार्वजनिक निक्षेप धारित / स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी अनुच्छेद 37 में किए उल्लेखानुसार संपरीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति, निदेशक मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति तथा उसके लेखा परीक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगी कि जमाकर्ताओं के प्रति कंपनी की संपूर्ण राशि देयता को तथा उस पर देय ब्याज को तुलनपत्र में सही रूप से दर्शाया गया है एवं कंपनी इन सभी देयताओं की राशि का भुगतान करने की स्थिति में है।

राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियां

39. (1) अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के होते हुए भी, प्रत्येक आवास वित्त कंपनी रा0आ0बैंक को प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को कंपनी स्थिति के बारे में इन निर्देशों की अनुसूची - I में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर एवं 31 मार्च को कंपनी की स्थिति के संबंध में इन निर्देशों की अनुसूची - II में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में छमाही विवरणी और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की तिमाही के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में अनुसूची - III में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में तिमाही विवरणी भेजेगी।

(2) (i) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, अपना व्यवसाय आरंभ करने से एक माह के भीतर, रा0आ0बैंक को निम्नलिखित सूची के अनुसार एक लिखित विवरण प्रस्तुत करेगी—

- (क) अपने प्रमुख अधिकारियों को नाम और कार्यालय में उनका पद;
- (ख) पंजीकृत / कारपोरेट कार्यालय का पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर,
- (ग) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और कार्यालय का पता,

- (घ) आवास वित्त कंपनी के निदेशकों के नाम और निवास स्थान का पता; और  
 (ङ) आवास वित्त कंपनी की ओर से उप अनुच्छेद (1) में उल्लेखित विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने ।

(ii) इस उप अनुच्छेद के खंड ( 1) में उल्लिखित सूची में किसी भी संशोधन के बारे में, संशोधन करने की तारीख से एक माह के भीतर इस आशय की सूचना राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजी जाएगी।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाने वाला तुलनपत्र, विवरणिया आदि

40 इन निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत / प्रेषित की जाने वाली विवरणियों, तुलनपत्र या सूचना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत / प्रेषित की जाए।

छूट

41. राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी कठिनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अधीन या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी या आवास वित्त कंपनियों के वर्ग को समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

व्याख्या

42 इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, इसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी।

आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 1989 के उल्लंघन के लिए की गई या की जाने वाली कार्रवाई से बचाव।

43 एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 1989 का अधिक्रमण किसी भी स्थिति में निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा:

- (i) उसके तहत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व;  
 (ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड;  
 (iii) पूर्वोक्त के अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार।

और स्थापित की गई, जारी की गई या प्रवृत्त की गई ऐसी कोई जांच कानूनी कार्यवाही या उपचार और अधिरोपित की जा सकने वाली ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड जैसा कि मानों इन निर्देशों का अधिक्रमण नहीं किया गया है।

(शेखर अग्रवाल)  
 अध्यक्ष

## अनुसूची-1

(आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 का अनुच्छेद 39 देखें)

(अनुच्छेद 14 देखें)

यथा 31 मार्च को विवर्णी।

(विवरणी मरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भरा जाएगा	
फाइल रा0	
आईआ रा0	
व्यापार की प्रकृति	
जिला कोड	
राज्य कोड	

1. कंपनी का नाम  
आगकर रथायी खाता रां0

2. (i) पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता \_\_\_\_\_  
गिनकोड \_\_\_\_\_  
टेलीफोन \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_ ई-मेल \_\_\_\_\_  
टेलेक्स \_\_\_\_\_ टेलीग्राफ \_\_\_\_\_

(ii) मुख्य / पशासनिक कार्यालय का पूरा पता \* \_\_\_\_\_ कार्यालय \_\_\_\_\_  
गिनकोड \_\_\_\_\_  
टेलीफोन \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_ ई-मेल \_\_\_\_\_  
टेलेक्स \_\_\_\_\_ टेलीग्राफ \_\_\_\_\_

3. क्या सरकारी कंपनी है \_\_\_\_\_ हां / नहीं

4. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां कंपनी पंजीकृत है:

5. स्थिति +  
1. पब्लिक लिमिटेड ( )  
2. मानित पब्लिक कंपनी ( )  
3. प्राइवेट लिमिटेड ( )  
4. किसी विदेशी कंपनी की शाखा ( )

दिन दिन मास मास वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

6. निम्नलिखित की तारीख (i) निगमित होने की  
(ii) व्यापार पारम्भ करने की  
(iii) कंपनी के वित्त वर्ष की \_\_\_\_\_

7. (i) संस्था के तर्जिनियमों में यथा उल्लेखित, कंपनी का मुख्य उद्देश्य  
(ii) रिपोर्टिंग वर्ष में कंपनी द्वारा किया गया मुख्य व्यापार  
(iii) रिपोर्टिंग वर्ष में ही कंपनी द्वारा किए गए अन्य व्यापार

8. क्या कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है : हां / नहीं

यदि हां, तब आवेदन की तारीख बताएं और यदि पहले से ही पंजीकृत है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण की संख्या दें:

9. शाखाओं / कार्यालयों की सं० (अ) -

10. कर्मचारियों की कुल सं० (i) पूर्णकालीक  
(ii) अंशकालीक  
(iii) अवैतनिक आधार पर

11. क्या कंपनी के शेयर किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, यदि हां, तब शेयर बाजार/ (रों) का नाम बताएं:

12. क्या विवेक सम्मत मानदंडों पर अर्धवार्षिक विवरणी राष्ट्रीय आवास बैंक में, इस विवरणी की तारीख से प्रस्तुत की गई है : हां / नहीं  
यदि हां, तब विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि बताएं:

13(क) क्या कंपनी उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंध रखती है, के प्रारंभ में अपनी सावधि जमा राशियों का कोई ऋण पात्रता निर्धारण रखती थी : हां / नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें:

- (i) ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम:
- (ii) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग):
- (iii) ऐसे निर्धारण (रेटिंग) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि:

(ख) क्या कंपनी ने उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंध रखती है, के दौरान अपनी सावधि जमा राशियों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किया : हां / नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें:

- (i) ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम:
- (ii) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग):
- (iii) ऐसे निर्धारण (रेटिंग) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि:

(ग) क्या उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के दौरान उपर्युक्त (क) एवं (ख) में वर्णित क्रेडिट रेटिंग में कोई परिवर्तन हुआ था : हां / नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें:

ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम:

- (ii) ऐसी एजेसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग)  
 (iii) ऐसे निर्धारण (रेटिंग) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि  
 (iv) क्रेडिट रेटिंग में गिन्नता का कारण, यदि कोई है

14 क्या यह एक नियंत्रक कंपनी है अथवा सहायक कंपनी है? \$ हां / नहीं

15. क्या यह कंपनी एक संयुक्त उद्योग है? हां / नहीं

16 कंपनी के प्रवर्तकों और प्रवर्तन संस्थाओं के नाम एवं पते \_\_\_\_\_  
 तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न \_\_\_\_\_  
 (यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें) \_\_\_\_\_

17 कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम एवं पते

दूरभाष सं० \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_  
 सदस्यता सं० \_\_\_\_\_

18 कंपनी के बैंकरों के नाम एवं पते

(यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें)

19 वर्तमान निदेशकों के नाम एवं पते

(यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें)

20 क्या कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1997 की धारा 200 के अनुसार, कोई आरक्षित कोष बनाया है? हां / नहीं  
 यदि हा, तब निम्नलिखित विवरण दे

(i) वर्ष के पारंग में बनाया राशि

(ii) वर्ष के दौरान दृग कोष में अंतरित राशि

(iii) क्या वर्ष के दौरान आरक्षित कोष में किसी राशि का विनियोग किया गया? हां / नहीं

यदि हा, (क) विनियोग की राशि

(ख) विनियोग का उद्देश्य

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक को विनियोग रिपोर्ट करने की तारीख

(iv) क्या निवर्णों की तारीख का बनाया राशि

। जो लागू हो, उस खाने में निशान लगाए।

(d) जहां कंपनी की शाखाएं कार्यालय स्थित हैं, उन स्थानों के नाम व पतों की एक सूची संलग्न की जानी चाहिए।

\$ यदि यह कोई सहायक कंपनी है, तब इसकी नियंत्रक कंपनी का नाम उपदर्शित किया जाना चाहिए।

\* यदि यह पंजीकृत कार्यालय की तिथि की है 2001 है।

## खंड - 1

(क)

31 मार्च \_\_\_\_\_ को बकाया सार्वजनिक निक्षेप राशि के विवरण  
(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	खातों की सं०	राशि
1	सावधि जमाराशियो, आवर्ती जमाराशियो आदि के रुप मे जनता से लिए गए निक्षेप	111		
2	(i) सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से लिए गए निक्षेप (ii) प्राइवेट लि० कंपनी द्वारा प्रथम नाम के शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य संयुक्त शेयरधारकों से लिए गए निक्षेप	112 113		
3	गैर परिवर्तनीय अप्रतिभूत डिबेंचरों की जारी करने से प्राप्त राशि (अनुदेश 13 देखें)	114		
4	योग ( 1+2+3)	110		
5	अनुसूची के खंड 2 में सम्मिलित न हुआ कोई अन्य निक्षेप	120		
6	योग (4+5)			
7	उपरोक्त 6 मदों में कुल जमा राशि में से			
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनःसंदेय *	141		
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि के लिए *	142		
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम की अवधि के लिए	143		
	(iv) 24 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से कम की अवधि के लिए	144		
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम की अवधि के लिए	145		
	(vi) 60 महीने की अवधि के लिए	146		
	(vii) 60 महीने या इससे अधिक परंतु 84 महीने से कम की अवधि के लिए	147		
	(viii) 84 महीने की अवधि के लिए	148		
	(ix) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए *	149		
8.	कुल ( 7 (i) से (ix) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए	140		
9.	उपर्युक्त मद 6 की कुल जमाराशियों में से ब्याज रहित और ब्याज वाली जमाराशियां ( दलाली को छोड़कर, यदि कोई हो तो) # (ब्याज दर - वार्षिक प्रतिशत)			
	(i) व्याज रहित	151		
	(ii) 6 प्रतिशत से कम	152		
	(iii) 6 प्रतिशत से अधिक परंतु 9 प्रतिशत से कम	153		
	(iv) 9 प्रतिशत से अधिक परंतु 11 प्रतिशत से कम	154		
	(v) 11 प्रतिशत से अधिक परंतु 13 प्रतिशत से कम	155		



	(vi) 13 प्रतिशत से अधिक परंतु 14 प्रतिशत से कम	156		
	(vii) 14 प्रतिशत पर	157		
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक *	158		
10.	कुल ( 7 (i) से (viii) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए	150		
11.	उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों का जमाराशियों के आकार के अनुसार वर्गीकरण			
	(i) 5,000 रुपए तक	161		
	(ii) 5001 रुपए से 10,000 रुपए तक	152		
	(iii) 10,001 रुपए से 25,000 रुपए तक	153		
	(iv) 25001 रुपए से 50,000 रुपए तक	164		
	(v) 50001 रुपए से 100,000 रुपए तक	155		
	(vi) 1,00,000 रुपए से अधिक *	160		
12.	कुल ( 7 (i) से (vi) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए	159		
13.	उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों में से			
	(i) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है परंतु दावा नहीं किया गया है	171		
	(ii) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है, एवं दावा भी किया गया है परंतु चुकौती नहीं की गई है	172		
14.	उपर्युक्त मद 4 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों में से			
	(i) वर्ष के आरंभ में वकाया जमाराशियां	181		
	(ii) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई/नवीकृत जमाराशियां	182		
	(iii) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां	3		
	(iv) वर्ष के अंत में वकाया जमाराशियां	184		
15.	उपर्युक्त मद 5 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों में से			
	(i) वर्ष के आरंभ में वकाया जमाराशियां	191		
	(ii) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई नवीकृत जमाराशियां	192		
	(iii) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां	193		
	(iv) वर्ष के अंत में वकाया जमाराशियां	194		
16.	उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों में से, अभिजातीय भारतीयों से प्राप्त जमाराशियां	195		

ख

रिपोर्ट अवधि के दौरान जुटाई गई जमाराशियों ( भाग - 1 (क) 14 ( ) एवं 15 ( ) का विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	खातों की सं०	राशि
1	भाग - 1 (क) की मद सं० 14 ( ) में कुल जमाराशि में से	111.1		
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय *			
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि *	112.1		
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम की अवधि के लिए	113.1		
	(iv) 24 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से कम की अवधि के लिए	114.1		
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम की अवधि के लिए	115.1		
	(vi) 60 महीने की अवधि के लिए	116.1		
	(vii) 60 महीने या इससे अधिक परंतु 61 महीने से कम की अवधि के लिए	117.1		
	(viii) 64 महीने की अवधि के लिए	118.1		
	(ix) 64 महीने से अधिक की अवधि के लिए *	119.1		
2	योग (i से ix तक ) यह भाग - 1 (क) की मद 14 (2) के साथ मिलना चाहिए	110.1		
3	भाग-1(ए) की मद सं० 15 ( ) में कुल जमाराशि में से			
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय *	121.1		
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि*	122.1		
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम की अवधि के लिए	123.1		
	(iv) 24 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से कम की अवधि के लिए	124.1		
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम की अवधि के लिए	125.1		
	(vi) 60 महीने की अवधि के लिए	126.1		
	(vii) 60 महीने या इससे अधिक परंतु 61 महीने से कम की अवधि के लिए	127.1		
	(viii) 64 महीने की अवधि के लिए	128.1		
	(ix) 64 महीने से अधिक की अवधि के लिए *	129.1		
4	योग ( 3(i) से (ix) ) यह भाग - 1(क) की मद 15 (ii) के साथ मिलना चाहिए			
5	भाग - 1(क) की मद 14 (ii) में कुल जमाराशि में से वे, जो ज्यादा मात्रा हैं और जिन पर लागू लागता है (दवाली, यदि लागू है, की छोड़कर) #			

	(ब्याज की दर - प्रतिशत वार्षिक)		
	(i) ब्याज मुक्त	131.1	
	(ii) 6 प्रतिशत से कम	132.2	
	(iii) 6 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 9 प्रतिशत से कम	133.1	
	(iv) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 11 प्रतिशत से कम	134.1	
	(v) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 13 प्रतिशत से कम	135.1	
	(vi) 13 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 14 प्रतिशत से कम	136.1	
	(vii) 14 प्रतिशत पर	137.1	
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक *	133.1	
6.	योग ( 5 (I) से (viii) यह भाग - 1 (क) 14 (ii) से मिलना चाहिए।		
7.	भाग - 1(ए) की मद 15 में कूल जमाराशियों में से, वे जो ब्याज मुक्त और जिन पर ब्याज मिलता है (दलाली यदि कोई, को छोड़कर) # (ब्याज की दर ; प्रतिशत वार्षिक)		
	(i) ब्याज मुक्त	141.1	
	(ii) 6 प्रतिशत से कम	142.2	
	(iii) 6 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 9 प्रतिशत से कम	143.1	
	(iv) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 11 प्रतिशत से कम	144.1	
	(v) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 13 प्रतिशत से कम	145.1	
	(vi) 13 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 14 प्रतिशत से कम	146.1	
	(vii) 14 प्रतिशत पर	147.1	
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक*	148.1	
8.	योग ( 7 (i) से (viii) यह भाग - 1 (क) 15 (ii) से मिलना चाहिए	140.1	
9.	(क) दलाली की संदर्भ राशि	151.1	
	(ख) दलालों को व्यय की प्रतिपूर्ति	152.1	
	(ग) दलालों के भुगतान से जुटाई गई जमाराशि की रकम	153.1	

#विवरणों के दस भाग के साथ दी गई ब्याज की दरों, इसी प्रकार उनकी अवधि अर्थात् 12 महीनों, 24 महीनों, 36 महीनों आदि से अधिक के अनुसार विभिन्न प्रकार की जमाराशियों पर संदर्भ दलाली की दरों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

\*विवरण पृथक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

#### भाग - 2

यथा 31 मार्च \_\_\_\_\_ को ऋण और उन जमाराशियों का वितरण जो सर्वाधिक निधेप में सम्मिलित नहीं की गई हैं:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं०	विवरण	मद	खातों	राशि
----------	-------	----	-------	------

		कोड	की सं०	
1.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ धन अथवा अन्यो से प्राप्त हुआ धन, जिसकी वापसी अदायगी की गारंटी केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार ने दी है अथवा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त हुआ धन	221		
2.	निम्नलिखित से प्राप्त हुआ धन (क) विदेशी सरकार	222		
	(ख) विदेशी प्राधिकरण	223		
	(ग) विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति	224		
	(घ) योग ( (क) + (ख) + (ग) )	225		
3.	राष्ट्रीय आवास बैंक से उधार	226		
4.	निम्नलिखित से उधार (क) बैंकों से (ख) निर्देशों में विनिर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थानों से	227 228		
5.	किसी अन्य कंपनी से प्राप्त हुआ धन			
6.	निदेशकों / निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त हुआ धन	230		
7.	किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त हुआ धन (संयुक्त शेयरधारकों के मामले में प्रथम नाम के शेयरधारकों से प्राप्त राशि ही गणना में ली जाए)	231		
8.	प्रतिभूति जमा के जरिए कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त हुआ धन	232		
9.	कंपनी के व्यापार के अनुक्रम में क्रय विक्रय अथवा अभिकर्ताओं से प्रतिभूति के रूप में अथवा अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ धन, अथवा माल की आपूर्ति, अथवा जम्मा के लिए अथवा सेवाएं प्रदान करने के आदेशों के लिए प्राप्त हुआ अग्रिम	233		
10.	अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर अथवा संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों में प्रतिभूत ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त हुआ धन उपर्युक्त ऋणपत्रों में बैंको द्वारा अमिदत्त	234 235		
	भाग 1 (क) की मद सं० (3) भी देखें			
11.	आवंटन क लंबित रहते, किन्हीं शेयरों में अथवा प्रतिभूत ऋणपत्रों में अमिदान द्वारा प्राप्त हुआ धन, जब तक संस्था के अन्तर्नियमों के अधीन ऐसी राशि शेयरधारकों को प्रतिदेय नहीं है, तब तक संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार, शेयर की अग्रिम मांग से प्राप्त हुआ धन	236		
12.	ऋणदाता संस्थानों की शर्तों के अनुरारण में अप्रतिभूत ऋणों के जरिए प्रवर्तकों द्वारा लाया गया धन	237		
13.	वाणिज्यिक पत्रो	238		
14.	ग्युअुचफ फंड से प्राप्त राशि	239		
15.	संकर ऋण या गौण ऋण से प्राप्त राशि जिनकी परिपक्वता अवधि 60 महीने या इससे अधिक है	240		
16.	योग ( 221 + 225 से 234 + 236 से 240)	250		

**भाग - 3**  
**यथा 31 मार्च** \_\_\_\_\_ **को निवल स्वाधिकृत निधियां दर्शाता विवरण**  
**(राशि लाख रुपए में)**

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	राशि
1.	2	3	4
1.	युक्ता साम्य पूंजी	311	
2.	वे अधिमान शेयर जो अनिवार्यतः साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय है	312	
3.	निर्बंध आरक्षित निधियां		
	(क) सामान्य आरक्षित कोष	313	
	(ख) शेयर प्रीगियम	314	
	(ग) (पृथक खाते में रखी आस्तियों की विक्री पर अधिशेष जताने वाली) आरक्षित पूंजी निधि	315	
	(घ) ऋण पत्र शोधन आरक्षित निधि	316	
	(ङ) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	317	
	(च) लाग एवं हानि खाते में ऋण अधिशेष	318	
	(छ) आगकर अधिनियम, 1961 की धारा 38 (i) (viii) के तहत आरक्षित निधियां	319	
	(ज) अन्य निर्बंध आरक्षित निधियां (विनिर्दिष्ट की जाएं)	319.1	
4.	योग (311 से 319 तक)	310	
5.	हानि का संचित शेप	321	
6.	आस्थगित राजस्व व्यय	322	
7.	अन्य अमूर्त आस्तियां	323	
8.	योग (321 से 323 तक)		
9.	स्वाधिकृत निधियां ( 310-320)	330	
10.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही मूल्य (क) सहायक कंपनियों में (ख) उत्ती समूह की कंपनियों में (ग) अन्य आवास संस्थान जो कि कंपनियां हैं (विवरण अनुलग्नक _____ में)	341 342 343	
11.	निम्नलिखित के ऋणपत्रों और वंधपत्रों में निवेशों का बही मूल्य (क) सहायक कंपनियों में (ख) उत्ती समूह की कंपनियों में	344 345	
12.	निम्नलिखित को दिए गए ऋणों एवं लघुओं और उनमें चामाराशियों का बकाया (क) सहायक कंपनियों में (ख) उत्ती समूह की कंपनियों में (विवरण अनुलग्नक _____ में)	346 347	
13.	योग (341 से 347 तक)	340	
14.	गणित मद 329 के 19 प्रतिशत से अधिक मद 340	350	

८७

	की राशि		
15.	निवल स्वाधिकृत निधियां (330-350)	300	

## भाग - ५

यथा 31 मार्च को अन्तर कंपनी ऋणो जगपराशियों सहित बकाया ऋण एवं अग्रिम दर्शाता विवरण  
(राशि लाख रुपए मे)

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	राशि
1	2	3	4
1.	आवास ऋण		
(i)	व्यैक्तिक	411	
(ii)	निगमित निकाय		
	(क) उसी समूह की कंपनियां	412	
	(ख) वे कंपनियां, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं	413	
	(ग) अन्य निगमित निकाय	414	
(iii)	अन्य		
	योग ( 1 (i) से (iii) तक )	410	
2.	अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i)	उसी समूह की कंपनियां	421	
(ii)	उसी समूह से बाहर की कंपनियां	422	
(iii)	निदेशकगण	423	
(iv)	शेयरधारकगण	424	
(v)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण	425	
(vi)	क्रय विक्रय एवं अभिकर्तागण	426	
(vii)	जमाकर्तागण	427	
(viii)	अन्य	428	
	योग ( 2 (i) से (viii) )	420	
	कुल योग ( 410+420)	430	

भाग - 41

"श्रद्धितकों" को दिए गए आवास ऋणों की विवरणी

संवितरण  
(राशि लाख रुपए में)

श्रेणी / आवास ऋण की राशि	संव. क्र.क	शहर		ग्राम		जिले में से निम्नलिखित को		वर्ष के दौरान पुरबुंगदान	31 मार्च को बकाया				
		राज. राशि.		राज. राशि.		अनु० जनजाति							
		3	4	5	6	9	10			11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नए मकानों की अधिसूचना के लिए 50 000 रुपए तक	451												
60 000 रुपए से अधिक एवं 1 00 000 रुपए तक	452												
1 00 000 रुपए से अधिक एवं 3 00 000 रुपए तक	453												
3 00 000 रुपए से अधिक एवं 5 00 000 रुपए तक	454												
5 00 000 रुपए से अधिक	455												
कुल योग	456												

(ख)

संवितरण  
(राशि लाख रुपए में)

श्रेणी / आवास ऋण की राशि	संव. क्र.क	शहर		ग्राम		जिले में से निम्नलिखित को		वर्ष के दौरान पुरबुंगदान	31 मार्च को बकाया				
		राज. राशि.		राज. राशि.		अनु० जनजाति							
		3	4	5	6	9	10			11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मजदूरों के श्रेणी के अंतर्गत नए मकानों के लिए 20 000 रुपए तक	461												
20 000 रुपए से अधिक एवं 30 000 रुपए तक	462												
30 000 रुपए से अधिक एवं 60 000 रुपए तक	463												
60 000 रुपए से अधिक	464												
कुल योग	465												
14 वीं पैग (460 + 465)	470												

भाग - 42  
आवास ऋणों का अवधि वार विभाजन

(राशि लाख रुपए में)

ऋण की अवधि	श्रद्धितकों को आवास ऋण		वास्तविक निकाशों को आवास ऋण	
	राज.	राशि	राज.	राशि
1 साल से अधिक				
2 साल से अधिक एवं 3 साल तक				
3 साल से अधिक एवं 5 साल तक				
5 साल से अधिक एवं 7 साल तक				
7 साल से अधिक				

**भाग - 5**  
**यथा 31 मार्च को बही मूल्य पर निवेश दर्शाता विवरण:**

*राशि लाख रुपए में*

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	राशि
1	2	3	4
1	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश		
	(क) सहायक कंपनियों में	511	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों में	512	
	(ग) अन्य आवास संस्थान जो कि कंपनियां हैं, क शेयरों में	513	
2.	निम्नलिखित के ऋण पत्रों, बंधपत्रों एवं वाणिज्यिक पत्रों में निवेश		
	(क) सहायक कंपनियों में	514	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों के	515	
3.	उन कंपनियों के शेयरों में और उन कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण बंधपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश और फर्मा तथा स्वमित्व प्रतिष्ठानों की पूंजी में अंशदान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं	516	
4.	अन्य कंपनियों के शेयरों, ऋण बंधपत्रों तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश	517	
5.	अन्य निवेश		
	(i) बैंकों में सावधि जमा बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में	518	
	(ii) बैंक के किसी अन्य जमा खाते में जमा राशि	519	
	(iii) केन्द्र राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और केन्द्र राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बंधपत्रों में	520	
	(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में	521	
	(v) अन्धा में (कृपया मूल्य एवं बाजार मूल्य दर्शाता विवरण प्रस्तुत करें)	522	
6.	योग (511 से 522)	500	



## प्रमाणपत्र

## \* प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत प्राधिकारी का प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 2001 के आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) के निर्देशों में अन्तर्विष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
2. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण /जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है और यह सभी प्रकार से सही एवं पूर्ण पाया गया है।

तारीख:

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत अधिकारी

स्थान:

के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में \_\_\_\_\_ द्वारा रखी हुई लेखा बहियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे शोध चाना के तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमने जिस अभिलेख का परीक्षण किया उससे मिली जानकारी के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ें ठीक हैं।

रानदी लेखाकार

स्थान:

तारीख:

विवरणी के संलग्नक :

निम्नलिखित दस्तावेज विवरणी के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए यदि उन्हें पहले से प्रस्तुत नहीं गया हो। कृपया संलग्न दस्तावेज के लिए निशान लगाएं और यदि पहले से प्रस्तुत किए गए हैं, तब प्रस्तुत करने की तारीख बताएं।

- (1) विवरणी की तारीख से निवृत्तस्थ दिनांकित संपरीक्षित तृतीय पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा की एक प्रति
- (2) नमूना हस्ताक्षर का कार्ड (कृपया अनुदेश 5 देखें)
- (3) आवास वित्त कम्पनी (रा0 आ0बैंक) के 2001 के निर्देशों के अनुच्छेद -8 में निर्दिष्ट आवेदन फॉर्म की एक प्रति।
- (4) प्रधान अधिकारियों की एक सूची एवं निदेशकों के नाम एवं पते
- (5) निर्देशों के अनुच्छेद -38 में यथा अपेक्षित लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र

### विवरणों भरने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

सामान्य.

- 1 यह विवरणी, संकलित की जाने के पश्चात्, आवास वित्त कम्पनी द्वारा वर्ष में एक बार 31 मार्च की स्थिति अनुसार, चाहे लेखा बंद होने की तारीख कुछ भी हो, हर दशा में 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। जैसा कि आवास वित्त कम्पनी (रा0आ0बैंक) निर्देशों, 2001 के अनुच्छेद 40 में विहित है। निर्देशों के अनुच्छेद 38 के अनुसार कम्पनी के लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र भी विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- 2 विवरणी को प्रस्तुत करने में वार्षिक लेखा के परीक्षण को अन्तिम रूप देना/ संकलित किया जाना आदि जैसे किसी भी कारण से विलम्ब नहीं होना चाहिए। विवरणी का संकलन कम्पनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- 3 जहां संभव हो, यह विवरणी एक फलोपी डिस्कट (फलोपी साइज 3.5 डाटा स्ट्रक्चर एक्सील /डी बेस 4) में भेजनी चाहिए जिसके साथ एक मुद्रित और हस्ताक्षरित प्रति भी आनी चाहिए।
- 4 खातों की संख्या वास्तविक अंकों में दी जानी चाहिए जबकि राशि लाख रुपयों में दो दशमलव स्थिति तक पूर्णांकित करके दी जाए।
- 5 इस विवरणी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा -2 में परिभाषित है) और यदि कम्पनी में ऐसा प्रबंधक नहीं है, तब प्रबंधक निदेशक अथवा कम्पनी का कोई अधिकारी जिसे निदेशक गंडल ने विधिवत पाधिकृत किया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य से भेजे गये हों, को हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि नमूना हस्ताक्षर विहित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किये गये हों, तब विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नमूना हस्ताक्षर पृथक रूप से भेजे जाने चाहिए।
- 6 अनुसूची में मांगा गया सभी विवरण भरा जाना चाहिए और कोई भाग / मद निरंक नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि विवरणी के किसी भाग / किसी मद में प्रतिवेदित किया जाने के लिए कुछ न हो, तब उस में शून्य लिखा जाए और यदि कोई भाग / मद सुसंगत अथवा लागू न हो तब इस में लागू नहीं लिख दिया जाना चाहिए।
- 7 विवरणी जिस तारीख से संबंध रखती है, वह तारीख प्रथम पृष्ठ पर और अनुसूची के सभी भागों में समुचित स्थान पर गरी जाए।
- 8 इस विवरणी में वर्णित " सहायक कम्पनियों " का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 ) में इन्हे दिया गया है।
- 9 किसी निगमित निकाय को निवेश कम्पनी को उसी ग्रुप में होना समझा जाएगा यदि निगमित निकाय निवेश कम्पनी की प्रबंध अभिकर्ता है अथवा यदि वह निगमित निकाय और निवेशक कम्पनी एक ही प्रबंधाधीन है।
- 10 " पर्याप्त हित " का अर्थ है किसी कम्पनी के शेयरों जिन पर संसदत राशि उस कम्पनी की चुकता पूंजी अथवा किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिवृत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, में किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी पति अथवा अव्यस्क, बच्चे द्वारा एकत्र रूप में अथवा सम्मिलित होकर एक हिताधिकारी हित रखना।

भाग -1 (क)

- 11 यदि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी है, और अनुदेश सं0 16 में यथा विनिर्दिष्ट एक घोषणा इसके निर्देशकों से ली गई है, तब ऐसी जमा राशियां मद सं0 2 में दिखाई जानी चाहिए।
- 12 जो कम्पनियों आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय और आंशिक रूप से गैर -संपरिवर्तनीय होते हैं उन कम्पनियों के गैर संपरिवर्तनीय भाग से संबंधित राशि को मद 3 में शामिल किया जाए और संपरिवर्तनीय अंश को भाग-2 की मद 10 में दिखाया जाए।
- 13 जैसा कि तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1924 की धारा 15-1 (तीनी) के खंड (iii) एवं (iv) में वर्णित प्रावधानों द्वारा अभिवृत्त गैर संपरिवर्तनीय कम्पनियों को मद- 3 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी राशि को भाग 2 की मद सं0 4 में शामिल किया जाना चाहिए।

14. जमा राशियों का अवधि क्रम से वर्गीकरण उन अवधियों के अनुसार मद-7 के अधीन विभिन्न शीर्षों में किया जाना चाहिए जिनके लिए वे मूलतः, प्राप्त हुई / पिछली बार नवीनी कृत की गईं और उन अवधियों के अनुसार नहीं जो उन्होंने यथा 31 मार्च, अर्थात् विवरणी की तारीख से, चलाई हैं।
15. मद 11 में, खातों की संख्या एवं राशि को निवेश की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में परिकलित किया जाना चाहिए।
16. मद 13 में यदि अदत्त जमा राशि की कुल रकम 5 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, तब प्रत्येक जमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण और पुनर्भुगतान के लिए किए गए उपायों को एक अनुलग्नक में उदर्शित किया जाना चाहिए।
17. भाग-2 में दर्शाई गई राशि को इस भाग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

## भाग - 2

18. केवल ऐसे व्यक्तियों से एक लिखित घोषणा पर प्राप्त हुए धन को मद 6 एवं 7 के मुकाबले दिखाया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों ने यह उधार लेकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति से जमा राशियों स्वीकार करके अर्जित निधियों में से नहीं दिया है।
19. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 43 ए के अधीन एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में मानित किसी प्राइवेट कम्पनी के शेयरधारकों से प्राप्त धन को मद 7 में उपर्युक्त अनुदेश 18 में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त करने के अध्यक्षीन शामिल किया जाना चाहिए।
20. भाग - 1 (क) में पहले ही दर्शाई गई राशि को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

## भाग- 3

21. निवल स्वाधिकृत निधियों से संबंधित आंकड़े विवरणी की तारीख से संबंधित संपरीक्षित तुलना पत्र के अनुसार होने चाहिए और यदि लेखा परीक्षण समाप्त न हुआ है तब आंकड़ें सुसंगत अवधि की लेखा बहियों के अनुसार होने चाहिए।
22. निर्यध आरक्षित निधि" के शेयर प्रीमियम खाते में अधिशेष, पूंजी एवं ऋण पत्र में दर्शाई गई तथा लाभ में से किसी आबंटन के जरिए निर्मित कोई अन्य आरक्षित निधि जो कि (क) किसी भावी देनदारी के भुगतान के लिए सर्जित आरक्षित निधि, अथवा आस्तियों पर अवक्षयण के लिए अथवा अशोध्य ऋणों के लिए न हो अथवा (ख) कम्पनी की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए निर्मित कोई आरक्षित निधि न हों, शामिल की जाएंगी।
23. शेयरों में किए गए निवेश में पूर्णतः संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों में निवेश और अथवा आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के संपरिवर्तनीय भाग में निवेश शामिल रहता है या तो निवेश खाते में अथवा विक्रय स्टॉक में निवेश को मद 10 के अधीन शामिल नहीं माना जाना चाहिए।
24. बाहे निवेश खाते में दर्ज ऋण-पत्र हो अथवा विक्रेय माल के रूप में हो, ऐसे सभी ऋण-पत्रों को मद 11 में शामिल किया जाना चाहिए। गैर-संपरिवर्तनीय, ऋण-पत्रों आंशिक रूप में संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों का गैर-संपरिवर्तनीय भाग और निकल्पत संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों को भी इस मद में शामिल किया जाए।
25. लाभ एवं हानि खाते में ऋण अधिशेष को अनुपयोज्य आस्तियों के लिए किए गए वारंशिक प्रावधान द्वारा समायोजित किया जाना चाहिए।

## भाग - 4

26. विविध देनदारों, अग्रिम रूप में सादत कर और अन्य वसूली योग्य मदे जो कि ऋणों एवं अग्रिम की प्रकृति की न हों, को इस विवरण में नहीं दर्शाया जाना चाहिए।
27. अन्य कम्पनियों में सावधि जमा राशियों को यथा स्थिति मद 2 (i) अथवा 2 (ii) में शामिल किया जाना चाहिए और भाग - 5 में नहीं।
28. (शेयर बाजार की) सूची से इतर ऋण-पत्रों में निवेश नहीं अपितु ऋण समझा जायेगा और इन्हें भाग - 5 में शामिल नहीं किया जाएगा।

## भाग - 5

29. निवेश के खाते में या व्यापारगत माल के जरिए शेयरों ऋण-पत्रों एवं वाणिज्यिक पत्रों को इस भाग में शामिल किया जाना चाहिए।
30. कम्पनियों में जाम सावधि जमा राशियों को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए अपितु इन्हें भाग-4 में दर्शाया जाना चाहिए।
31. सूची से इतर ऋण-पत्रों में निवेश यथा ऋण समझा जाएगा और निवेश नहीं, और यह भाग-5 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

## अनुसूची- II

[आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक निर्देश, 2001 का अनुच्छेद 39 (1) देखें ]

31 मार्च 30 सितंबर, \_\_\_\_\_ की स्थिति अनुसार अर्धवार्षिक विवरणी  
(अर्धवर्ष समाप्ति से दो माह के अंदर प्रस्तुत की जाए)

आवास वित्त कंपनी का नाम.	
कंपनी कोड संख्या	
पंजीकरण संख्या	

## भाग -क पूंजी निधि - टियर - 1 (राशि लाख रुपए में)

मद सं०	विवरण	मद कूट	राशि
1.	चुकता शेयर पूंजी	111	
2.	अधिमान शेयर जो शेयरों में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है	112	
3.	निर्बंध आरक्षित निधियां		
	(क) सामान्य आरक्षित निधियां	113	
	(ख) शेयर प्रीमियम	114	
	(ग) पूंजीगत रिजर्व निधियां अधिशेष (परिसंपत्तियों की बिक्री दर्शाती है, जिसे अलग खाते में रखा जाता है)	115	
	(घ) डिबेंचर आरक्षित शोधन निधि	116	
	(ड) पूंजी आरक्षित शोधन निधि	117	
	(च) लाम एवं हानि खाते में जमा शेष	118	
	(छ) अन्य निर्बंध आरक्षित निधियां (उल्लेख करें)	119	
4.	कुल (111 से 119)	110	
5.	संचित हानि शेष	121	
6.	आस्थगित राजस्व व्यय	122	
7.	अन्य अमूर्त आस्तियां	123	
8.	कुल (121 से 123)	120	
9.	स्वाधिकृत निधियां (110-120)	130	
10.	निम्न के शेयरों में निवेश का बही मूल्य	141	
	(क) अनुषंगियो	142	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	143	
	(ग) अन्य आवास वित्त संस्थानज ी कंपनियां हैं		
11.	निम्न के डिबेंचरों तथा बंधपत्रों में निवेश का बही मूल्य	144	
	क) अनुषंगियो	145	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
12.	निम्न की ओर बकाया ऋण एवं अग्रिम एवं निम्न में जमा धनराशि	146	
	(क) अनुषंगियो में	147	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
13.	मद संख्या 140 की राशि जो मद संख्या 130 के 10 प्रतिशत से	140	

	अधिक है।		
14.	योग (141 से 147)	150	
15.	टियर 1 पूंजी - निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	151	

## भाग - ख - पूंजीगत निधियां टियर - 11 (राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद कूट	राशि
(1)	(2)	(3)
(i) अधिमान शेयर (जो अनिवार्यतः साम्य में परिवर्तनीय है को छोड़कर)	161	
(ii) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि	163	
(iv) संकरण पूंजीगत लिखत	164	
(v) गौण ऋण	165	
(vi) योग टियर - 11 पूंजी	160	
कुल पूंजीगत निधिया (151+160)	170	

## भाग - ग - जोखिमपूर्ण आस्तियां एवं तुलनपत्र बाह्य मदें

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद कूट	राशि
(i) निधिक जोखिम आस्तियों का समंजित नूल्य अर्थात् तुलनपत्र की मदें (भाग घ के साथ मिलनी चाहिए)	181	
(ii) अनिधिक और तुलनपत्र बाह्य मदों का समंजित मूल्य (भाग ङ के साथ मिलनी चाहिए)	182	
(iii) कुल जोखिम मारित आस्तियां कुल निवेश (योग (i) + (ii) )	180	
(iv) जोखिम मारित आस्तियां निवेश के मुकाबले पूंजीगत निधियों का प्रतिशत:	191	
(क) टियर -1 पूंजी		
(ख) टियर - 2 पूंजी	192	
(ग) कुल पूंजी	193	

## भाग घ - मारित आस्तियां जैसे तुलनपत्र की मदें (राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद कूट	बही मूल्य	जोखिम मारित	समंजित मूल्य
I. सावधि निक्षेपों और निक्षेप प्रमाणपत्रों सहित नकदी तथा बैंक शेष	210		0	
II. निवेश				
(क) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में परिभाषित अनुगोदित प्रतिभूतियां	221		0	
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बंधपत्र तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में सावधि जगा / जगा प्रमाणपत्र / बंधपत्र				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	222		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	223		20	

(c) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	224		20	
(घ) सभी कंपनियों के शेयर में उपरोक्त ख) में उल्लेखरहित कंपनियों के डिबेंचर / बाण्ड्स एवं वाणिज्यिक पत्र एवं उपरोक्त ग) के अतिरिक्त अन्य म्युचुअल फंड्स यूनिटें				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	225		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	226		100	
<b>III. चालू आस्तियां</b>				
(क) किराये पर मंडार (नीचे टिप्पणी 2 देखें)				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	231		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	232		100	

(ख) अंत कारपोरेट ऋण/निक्षेप				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	233		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	234		100	
(ग) कंपनी के स्वयं के निक्षेपों द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत ऋण तथा अग्रिम	235		0	
(घ) स्टॉफ को ऋण	236		0	
(3) (ड) व्यक्तियों को दिए गए अचल संपत्ति बंधक समर्थित आवास ऋण जो कि मानक आस्ति के रूप में निर्दिष्ट है एवं जहां ऋण का मूल्य अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है	237		75	
(च) अन्य आवास ऋण (व्यक्तियों को दिए गए उन ऋणों को मिलाकर जो उपरोक्त (ड) में नहीं आते	238		100	
(छ) अन्य ऋण तथा अग्रिम				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	241		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	242		100	
(ज) क्रय / बट्टाकृत बिल				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	243		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	244		100	
(झ) अन्य ( उल्लेख करें)	245		100	
<b>IV. अचल आस्तियां [अवक्षयण की निवल राशि]</b>				
(क) पट्टे पर दी गई आस्तियां				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	251		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	252		100	
(ख) परिसर	253		100	
(ग) फर्नीचर एवं जुड़नार	254		100	
<b>V. अन्य आस्तियां</b>				
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधानों की निवल राशि)	255		0	
(ख) अग्रिम कर भुगतान (प्रावधानों की निवल राशि)	256		0	
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में देय ब्याज	257		0	
(घ) अन्य ( उल्लेख करें)	258		100	
कुल मारित आस्तियां	200			

नोट:

1. जहां अवक्षयण या अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के बारे में प्रावधान किया गया है, वहां आस्तियों के संबंध में इसे घटाया जा सकता है।
2. किराए पर स्टाक को वित्त प्रभार की निवल राशि में दर्शाया जाए जैसे ब्याज तथा वसूल होने वाले अन्य प्रभार।
3. निवल स्वाधिकृत निधि ज्ञात करने के लिए स्वाधिकृत निधि से जिन आस्तियों को व्यवकलित किया गया (मद कूट सं० 150) उनका मारित मूल्य "0" होगा।

भाग - ड - मारित गैर निधि निवेश / तुलन पत्र की बाह्य मदें

राशि लाख रुपए में

विवरण	मद कूट	बही मूल्य	परिवर्तन कारक	समकक्ष	जोखिम मारित	समजित मूल्य
1 संस्वीकृत आवास ऋणों की असंपितरित राशि	310		50		100	
2. वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	320		100		100	
3. शेयर / डिबेंचर हामीदारी दायित्व	330		50		100	
4 आंशिक प्रदत्त शेयर / डिबेंचर	340		100		100	
5. पट्टाकृत / पुन.बट्टाकृत बिल	350		100		100	
6. निष्पादित पट्टा करार परतु जिनका निष्पादन होना अभी शेष है	360		100		100	
7 अन्य आकस्मिक देयताएं (उल्लेख करें)	370		50		100	
कुल गैर निधि निवेश	300					

नोट परिवर्तन कारक की प्रयोज्यता से पहले नफ़द मार्जिन / निक्षेपों का व्यवकलन किया जाएगा, जहां लागू है।

भाग - च - आस्ति वर्गीकरण (राशि लाख रुपए में)

कुल ऋण एक्सपोजर तथा उसके लिए प्रावधान

विवरण	मद कूट	राशि	निर्देशानुसार अपेक्षित प्रावधान	वास्तव में किया गया प्रावधान
(i) मानक आस्ति	411			
(ii) उप मानक आस्ति				
व्यवित्तक आवास ऋण	412			
नगरपोरेट / एजेंसियों को दिए गए आवास ऋण	413			
पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	414			
अन्य ऋण सुविधाएं	415			
(iii) संदिग्ध आस्तियां				
व्यवित्तक आवास ऋण	416			
कारपोरेट / एजेंसियों को दिए गए	417			

आवास ऋण			
पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	418		
अन्य ऋण सुविधाएं			
(iv) हानिप्रद आस्तियां	419		
व्यक्तिक आवास ऋण	420		
कारपोरेट / एजेंसियों को दिए गए आवास ऋण	421		
पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	422		
अन्य ऋण सुविधाएं	423		
कुल प्रावधान	400		
निम्न के बारे में अन्य प्रावधान			
(i) अचल आस्तियों पर अवक्षयण	451		
(ii) निवेश पर अवक्षयण	452		
(iii) हानि / अगोचर आस्तियां	453		
(iv) कर के लिए प्रावधान	454		
(v) उपदान / भविष्य निधि	455		
(vi) अन्य (उल्लेख करें)	456		
<b>Total</b>	<b>450</b>		

भाग - छ - एक ही समूह की कंपनियों / फर्मों तथा अन्य आवास वित्त कंपनियों में निवेश तथा अग्रिम के ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) एक ही समूह की सहायक कंपनियों तथा अनुषंगियों को दिए अग्रिमों और निक्षेपों तथा वधपत्रों और डिबेंचरों एवं बकाया ऋणों का बही मूल्य (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	510	
(ii) एक ही समूह की सहायक कंपनियों और अनुषंगियों में तथा सभी आवास वित्त कंपनियों के शेयरों में निवेश (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	520	
(iii) अन्य कंपनियों, फर्मों तथा स्वामित्व प्रतिष्ठानों जिनमें आवास वित्त कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है, के शेयरों, डिबेंचरों, ऋणों एवं अग्रिमों, पट्टे पर, किराया खरीद वित्त, निक्षेपों आदि में निवेश	530	

भाग - ज - अग्रिमों का सकेन्द्रण, तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर और उपरोक्त भाग छ सहित अन्य पक्षों में निवेश के साथ विवरण

विवरण	मद कूट	राशि
(i) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर सहित ऋण एवं अग्रिम (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	610	
(ii) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर सहित ऋण एवं अग्रिम (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	620	
(iii) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किसी एकल कंपनी में निवेश (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	630	
(iv) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का	640	



किसी एकल समूह द्वारा जारी शेयरों में निवेश		
(v) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष के शेयरों में निवेश तथा उसे दिए ऋण व अग्रिम (डिबेंचर, वधपत्र और तुलनपत्र से बाह्य एक्सपोजर सहित)	650	
(vi) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में निवेश और उसे दिए गए ऋण, अग्रिम (डिबेंचर, वधपत्र और तुलनपत्र से बाह्य एक्सपोजर सहित)	660	

नोट:

(1) ये एक्सपोजर सीमाएं आवास वित्त कंपनी के अपने समूहों तथा कंपनी समूह के उधारकर्ताओं/निवेशकर्ताओं पर लागू हैं।

(2) इस प्रयोजनार्थ डिबेंचरों में निवेश का निवेश नहीं ऋण माना जाएगा।

भाग - झ - परिसरों और उद्धृत नहीं किए गए शेयरों में निवेश से संबंधित ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) कंपनी द्वारा अपने इस्तेमाल के आंतरिक परिसर (भूमि एवं भवन) में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक निवेश		
(क) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्जित	710	
(ख) अपने ऋण के शोधनार्थ	720	
(ii) एक ही समूह की सहायक कंपनियों और अनुषंगिया के अतिरिक्त, अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक उद्धृत नहीं किए गए शेयरों में निवेश	730	

भाग - त - ऋण पात्रता निर्धारण

निक्षेप लिखत	ऋण पात्रता निर्धारित करने वाली एजेसी का नाम	ऋण पात्रता निर्धारण की तारीख	आवृत्ति ऋण पात्रता	वैधता की तारीख	ऋण पात्रता निर्धारण एजेसी द्वारा लगाई गई ऋण सीमा या शर्तें

नोट इस विवरणी के साथ ऋण पात्रता की एक प्रति सलग्न की जाए।

भाग थ - आवास वित्त कंपनी द्वारा एव उसके विरुद्ध दायर किए मुकदमों और डिक्री ऋणों के ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं जिनके लिए आवास वित्त कंपनी ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए किसी न्यायालय में मुकदमा दायर किया तथा जिन मामलों में डिक्री मिली	810	
5 वर्ष से अधिक समय से लंबित	811	
3 से 5 वर्ष तक समयावधि से लंबित	812	

(i) से 3 वर्ष की समयावधि से लंबित	813	
1 वर्ष से कम समय से लंबित	814	
(ii) उपर्युक्त (i) में से, वह ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं जिनके लिए आवास वित्त कंपनी को डिक्ली प्राप्त हो गई है	820	
(iii) दायर मुकदमों / डिक्ली ऋणों में की गई वसूलियां (न्यायालय में जमा कराई गई राशि सहित)	830	
(iv) कंपनी के विरुद्ध दायर मुकदमों और डिक्लिया	840	

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि -

- (1) इस विवरणी में दिए गए आंकड़े / सूचना आवास वित्त कंपनी (रा0आ0वैक) निर्देश, 2001 के अनुसार दी गई है। इस विवरणी को कंपनी की लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेख से संकलित किया गया है तथा मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ;
- (2) कंपनी ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए और इनसे प्राप्त जमा राशि कंपनी की अनुमत्य सीमा में है ;
- (3) कंपनी ने निक्षेपों पर निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज / दलाली का भुगतान नहीं किया ;
- (4) कंपनी ने परिपक्व निक्षेपों का भुगतान करने में व्यतिक्रम नहीं किया ;
- (5) ऋण सीमा निर्धारण एजेंसी द्वारा सावधि निक्षेपों के लिए समनुदेशित ऋण सीमा निर्धारण पर (निर्धारित स्तर) वैध है ;
- (6) विवरणी के भाग ग में उल्लिखित पूंजी, पर्याप्तता को भाग घ, ङ तथा च में दिए व्योरे के आधार पर सही रूप से गणना करके दर्शाया गया है ;
- (7) विवरणी के भाग च में उल्लिखित आस्तियों के वर्गीकरण का सत्यापन किया गया और उसे ठीक पाया गया। पुनर्निर्धारणीय ब्याज युक्त / पुनर्निर्धारणीय ऋणों, पट्टे एवं किराया खरीद लेनदेन तथा नियत तारीखों के बाद बिलों का अवलोकन किया गया। अवमानक यासंदिग्ध या हानिप्रद आस्तियों का, यदि स्तर बढ़ाया गया तो वह निर्देशों के संगत प्रावधानों के अनुसार है ;
- (8) इस विवरणी के भाग छ में उल्लिखित समूह कंपनियों में किया गया निवेश और अर्धवार्षिक विवरणी के भाग ज में किये उल्लेखानुसार ऋण / निवेश सकेन्द्रण मानदंडों की सीमा से अधिक व्यक्तियों / फर्मों / अन्य कंपनियों में एकसपोजर और उन आस्तियों का वर्गीकरण सही है ;
- (9) कंपनी के टियर -1 के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि की सही रूप से गणना की गई है।

कृते तथा की ओर से

(कंपनी का नाम)

स्थान:

तिथि:

प्रबंध निदेशक /  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय मुहर

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने \_\_\_\_\_ कंपनी लि० द्वारा पूंजी, निधियों, जोखिम आस्तियों निवेश और जोखिम आस्ति अनुपात इत्यादि के लिए रखी गई लेखा बहियों एवं अन्य अभिलेखों का कंपनी के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यहां ऊपर दिए गए विवरणों का \_\_\_\_\_ को परीक्षण किया है। हम यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेख में किए गए उल्लेखानुसार यहां ऊपर दिए गए विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, त व थ में दर्शाए गए आंकड़ें ठीक हैं।

सनदी लेखाकारों के लिए  
तथा उनकी ओर से  
सदस्यता सं०  
हस्ताक्षरी का नाम:

स्थान:

तिथि:

कार्यालय मुहर

अनुसूची -3

मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर, 20

को समाप्त तिमाही की साविधिक अर्थसुलम आस्ति की विवरणी  
(राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ख और आवास वित्त कपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश,  
2001 का अनुच्छेद 39 (1) देखें

1.	कपनी का नाम					
2.	कपनी कोड					
3.	पजीकृत कार्यालय का पता					
		पिन				
	फोन न0	फैक्स स0		ईमेल का पता		
4.	कारपोरेट / मुख्य कार्यालय का पता					
		पिन				
	फोन न0	फैक्स स0		ईमेल का पता		
5.	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के अनुसार रा0आ0बैंक मे पजीकरण की स्थिति  i) यदि रा0आ0बैंक ने जारी किया हो तो पजीकरण प्रमाणपत्र की स0 व तारीख,					

<p>ii) यदि पंजीकृत नहीं है, तो बताएं क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकृत हो गया / लंबित है</p>	
---	--

## भाग - क

## सार्वजनिक निक्षेपों के ब्यौरे और अर्थसुलभ आस्तियों का अनुरक्षण

I. पिछली दूसरी तिमाही अर्थात् मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर 20..... के अंत में बकाया सार्वजनिक निक्षेपों के ब्यौरे (कृपया नीचे टिप्पणी 1 देखें)

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	कूट सं०	राशि
1.	जनता से सावधि जमा, आवृत्ति जमा आदि के रूप में प्राप्त निक्षेप	111	
2.	(i) पब्लिक लि० कंपनी द्वारा अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप	112	
	(ii) प्राइवेट लि० कंपनी द्वारा प्रथम नामित अंशधारक के अतिरिक्त संयुक्त अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप	113	
3.	(iii) अपरिवर्तनीय गैर जमानती ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि (कृपया नीचे टिप्पणी 2 देखें)	114	
	(iv) किसी और प्रकृति के निक्षेप	115	
4.	योग (111 से 115)	100	

II. अनुरक्षित अर्थसुलभ आस्तियों के ब्यौरे:

1.	अर्थसुलभ आस्तियों की न्यूनतम राशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में उपरोक्त मद कूट सं० 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि के - प्रतिशत पर निवेश करना अपेक्षित है।	121	
2.	अर्थसुलभ आस्तियों की न्यूनतम राशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं विनिर्दिष्ट अर्थसुला आस्तियों के साथ मद कूट सं० 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि के प्रतिशत पर रखनी आवश्यक है।	122	
3.	वास्तव में अनुरक्षित अर्थसुलभ आस्तियां क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियां		

	(अनुलग्नक 1 अनुसार विवरण दिए जाएं)	123		
	ख. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा या जमाराशि के प्रमाणपत्र	124		
	ग. रा0आ0बैंक में जमाराशि (ख और ग के ब्यौरे अनुलग्नक 2 के अनुसार दिए जाएं)	125		
	ग. रा0आ0बैंक द्वारा जारी बंधपत्रों में (अनुलग्नक 4 अनुसार विवरण दिए जाएं)	126		
	योग (123 से 126)	120		
4.	(क) निर्दिष्ट बैंक का नाम जहां प्रतिभूतियां जमा की जाती हैं। (अनुलग्नक 3 अनुसार विवरण दिए जाएं)			
	(ख) जमा की गई प्रतिभूतियों की राशि (i) बही मूल्य	127		
	(ii) बाजार मूल्य	128		
	उल्लेख करें क्या कंपनी ने तिमाही के दौरान दैनिक आधार पर अर्थसुलभ आस्तियों को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखा क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	ख. समग्र आधार पर (अर्थात् विल्लंगरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा अन्य विनिर्दिष्ट अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में निवेश ) (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	यदि नहीं, तो तिमाही के दौरान तारीखवार कमी दर्शाएँ (अनुलग्नक 5 के अनुसार )			
5.	(क) क्या अंतिम तिमाही के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	(ख) यदि नहीं, तो क्या रा0आ0बैंक द्वारा दांडिक ब्याज की मांग की गई? (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	(ग) यदि हां,			
	(i) राशि	129		
	(ii) मुगतान की तारीख	130		

## भाग - ख

आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) के अनुपालन के  
संबंध में सूचना

(लाख रुपए में)

1.	निवल स्वाधिकृत निधि (कंपनी के पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)	131	
2.	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (कंपनी के पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)	132	
3.	ऋण पात्रता निर्धारण		
	i) समनुदेशित ऋण पात्रता	133	
	ii) ऋण पात्रता निर्धारण की तिथि	134	
	iii) ऋण पात्रता निर्धारित करने वाली एजेसी का नाम	135	
	iv) क्या पिछले ऋण पात्रता निर्धारण के बाद कोई परिवर्तन हुआ (कृपया ब्यौरे अलग से दें)	136	
4.	आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के प्रारंभ होने की तिथि को कारोबार समाप्ति पर बकाया सार्वजनिक निक्षेप	137	
5.	आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी द्वारा धारित अतिरिक्त सार्वजनिक जमा राशि, यदि कोई हो	138	
6.	यह विवरणी भेजने की तारीख पर बकाया सार्वजनिक निक्षेप (अर्थात् तिमाही का अंतिम कार्यदिवस जिससे यह विवरणी संबंधित है)	139	
7.	इस विवरणी की तारीख पर आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के उपबंधों के अनतर्गत अनुमत्य सार्वजनिक जमा राशि की मात्रा	140	
8.	इस विवरणी की तारीख पर नियमित करने के लिए बकाया अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेप की मात्रा	141	
9.	संदर्भाधीन तिमाही के दौरान स्वीकार किए गए निक्षेपों की राशि	142	
10.	संदर्भाधीन तिमाही के दौरान निक्षेपों की राशि जिनका नवीनीकरण किया गया	143	
11.	इस विवरणी की तारीख पर परिपक्व हुए निक्षेप जिनका भुगतान नहीं किया गया नवीनीकरण नहीं किया गया :		
	(क) खातों की सं0	144	
	(ख) राशि	145	
12.	उपर्युक्त 11 के बारे में, जिनमें राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त हुए		
	(क) खातों की सं0	146	
	(ख) राशि	147	

13.	(क) अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेप को नियमित करने के लिए निर्देशों के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा में की गई / कार्रवाई की जा रही कार्रवाई (कृपया अलग सारणी में ब्यौरा दें)		
	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करने के लिए की गई कार्रवाई (कृपया अलग सारणी में ब्यौरा दें)		

## भाग - ग

निक्षेप स्वीकार करने के लिए शाखाओं / कार्यालयों को खोलने और बंद करने से संबंधित सूचना

(क) खोली गई शाखाओं / कार्यालयों की सूची:

शाखाओं / कार्यालयों के नाम और पते	खोलने की तारीख	रा0आ0बैंक से हुए पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख	अभ्युक्ति

(ख) बंद की गई शाखाओं / कार्यालयों की सूची:

शाखाओं / कार्यालयों के नाम और पते	खोलने की तारीख	बंद करने की तारीख	रा0आ0बैंक से हुए पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख	अभ्युक्ति

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सत्य एवं ठीक है।

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा

नोट:

1. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ, परिसंगतियों को आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 2 (1) (झ) में किए गए उल्लेखानुसार पिछली दूसरी तिमाही के अंतिम कार्य दिवस तक,



दैनिक आधार पर तैयार किया जाए और वे सार्वजनिक जमादेयताओं (उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) से संबंधित होने चाहिए। उदाहरणार्थ 30 जून, 2000 (अर्थात् 1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2000) को समाप्त तिमाही के दौरान अर्थसुलभ आस्तियों को प्रतिदिन के आधार पर तैयार किया जाए एवं यह 31 दिसंबर, 1999 को समाप्त तिमाही के अंतिम कारोबार समाप्त दिवस को सार्वजनिक जमादेयताओं से संबंधित होना चाहिए।

2. इस मद में अपरिवर्तनीय गैर जमानती डिबेंचरों बंधपत्रों (बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अभिवृत्त को छोड़कर अन्य) तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल करना चाहिए।
3. यह विवरणी संबंधित तिमाही की अंतिम तिथि से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

#### अनुलग्नक -1

अर्थसुलभ आस्तियों की अपेक्षा के प्रति रखी गई अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	प्रतिभूति का नाम	राशि (बाजार मूल्य या उल्लिखित मूल्य, जैसा भी मामला हो)	ब्याज संग्रहण तिथियां

#### अनुलग्नक -2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या राष्ट्रीय आवास बैंक में रखे निक्षेपों की सूची

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	राशि (प्रोद्भूत ब्याज सहित)

#### अनुलग्नक -3

नामित बैंक (बैंकों) का नाम व पता

क्रम सं०	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	अभ्युक्ति (रा०आ०बैंक को सूचना भेजने वाले पत्र की सं०)



## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

### भर्ती नियम

#### टिप्पणी:

- 1 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों (अ पि वर्ग) के अभ्यर्थियों तथा विकलांगों के लिए छूट व रियायतें भारत सरकार तथा/अथवा परिषद कार्यालय द्वारा नियुक्ति व पदोन्नति के लिए समय-समय पर यथासंशोधित आदेशों के अनुसार लागू होंगी। अजा/अजना/अपिर्ग/अपिर्ग काडर की भर्ती व पदोन्नति के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सामान्य अनुदेश लागू होंगे।
- 2 आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख होंगी। रोजगार कार्यालयों से भर्ती के मामले में आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुभव अर्हता में छूट देने के लिए, सक्षम प्राधिकारी, विवेकानुसार निर्णय ले सकेगा जब चयन के किसी स्तर पर उन्हें लगे कि इन समुदायों के, अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और यह आरक्षित पद भर पाना संभव नहीं हो पाएगा। नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा अनुभव से सम्बद्ध अर्हताओं में छूट देने के कारण पद टिप्पणी में दिए जाएंगे।
- 4 समय-समय पर यथा संशोधित के सि से (पेशन)नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के वर्षों को जोड़ने का काम अनुमत होगा।
- 5 यदि अभ्यर्थी अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दे सकेगा।
- 6 पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता व-मारेड का मानदण्ड अपनाया जाएगा। पदोन्नति के लिए अन्यथा योग्य पाए गए विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में आयु व शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशसा होने पर सक्षम प्राधिकारी चयन पदों में अर्हक सेवा में छूट दे सकते हैं।
- 7 संगत चयन पद में उच्चतर पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों में विहित अर्हक सेवा पूरी करने पर ही गैर प्रकार्य चयन ग्रेड लागू होगा।
- 8 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के का ज्ञा सं 35034/1/97-स्थापना(घ) दिनांक 9 8 1999 में जारी सुनिश्चित कैरियर पोत्रयन योजना के आदेश परिषद के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे (अनबध-1)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के ग्रुप 'क' पदों के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सचिव	1	18400-500-22400 तथा यथाअनुमत्य प्रेक्टिसबंदी भत्ता	चयन	लागू है	40 से 55 वर्ष के बीच लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी	<p><b>शैक्षिक योग्यताएं</b>            मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से एम बी बी एस तथा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान डिग्री।  <b>अनुभव</b>            इस वृत्ति में 16 वर्ष का अनुभव जिसमें स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद किसी मेडिकल कॉलेज में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव और मेडिकल कातेज या शिक्षण अस्पताल के किसी विभाग में प्रोपेसर के पद पर कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव।            अथवा            इस वृत्ति में कुल 16 वर्ष का अनुभव जिसमें से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में अपर सचिव के रूप में 2 वर्ष का तथा सयु सचिव के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।</p>

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिन्से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>एक वर्ष</p>	<p>पदोन्नति से और इसक न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>पदोन्नति - रु 16400-20000/- के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अपर सचिव अथवा अपर सचिव संयुक्त सचिव के ग्रेड में मिलाकर 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा अपर सचिव के पद रिक्त रहने की स्थिति में 14300-18300/-के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले संयुक्त सचिव</p>	<p>अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य अपर महानिदेशक स्वा सेवा (एम ई.)-सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति तीन सदस्य मनोनीत करेंगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य-सचिव होंगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
पूर्णकालिक निरीक्षक	3	18400-500-22400 तथा यथाअनुमत्य प्रेक्टिसबन्दी भत्ता	चयन	लागू नहीं	50 से 55 वर्ष के बीच (विशिष्ट मामलों में ढील दी जा सकेगी)	<p>अर्हताएं</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस तथा क्लीनिकल व अक्सीनिकल विषयों में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री।</p> <p><b>अनुभव</b></p> <p>स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद 16 वर्ष का अनुभव जिसमें से मेडिकल कॉलेज स्नातकोत्तर संस्थान में प्रोफेसर के रूप में कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय</b></p> <p>आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकपूर्व व स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण व परीक्षण दोनों का अनुभव अथवा शिक्षण अस्पताल या कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अधीन एसोसिएशनो में प्रशासन और प्रबंधन का अनुभव हो, इस परिषद् में निरीक्षण तथा अभिविन्यास व मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो।</p>

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संबिदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/व्ययन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	प्रथमतः पद की कालावधि तीन वर्ष की होगी जो परिषद् 62 वर्ष की आयु तक बढ़ा सकेगी।	सीधी भर्ती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं	अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी समिति तीन सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद् के सचिव सदस्य सचिव होंगे। व्ययन कार्यकारिणी समिति क अनुमोदन किए जाने की शर्तार्थिन होंगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-व्ययन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अपर सचिव	1	16400-450-20000 तथा यथाअनुमत्य प्रेक्टिसबदी भत्ता	चयन	लागू नहीं	40 से 50 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी	अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी बी एरा तथा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडीकल डिग्री। अनुभव कुल 14 वर्ष का इस वृत्ति में अनुभव जिसमें से स्नातकोत्तर मेडीकल डिग्री के बाद 8 वर्ष का किसी मेडीकल कॉलेज में शिक्षण का अनुभव। अथवा इस वृत्ति में कुल 14 वर्ष का अनुभव जिसमें से 2 वर्ष की नियमित सेवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में सयुक्त सचिव के रूप में की गयी हो।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
नहीं	एक वर्ष	पदोन्नति से जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति- ₹ 14,300-18,300 के ग्रेड में संयुक्त सचिव के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा या संयुक्त सचिव/ उप सचिव ग्रेड में मिलाकर 6 वर्ष की नियमित सेवा।	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद् की कार्यकारिणी समिति तीन सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद् के सचिव - सदस्य सचिव होंगे। चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शताधीन होगा।
पद का नाम	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	3	4	5	7
संख्या	14300-400-18,300 तथा यथाअनुसृत्य प्रोविडेंटसर्बन्दी भत्ता	चयन	लागू है	अर्हताएं
संख्या	1		40 से 50 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.डी.एस. तथा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडीकल डिग्री। <b>अनुभव</b> कुल 12 वर्ष का इस वृत्ति में अनुभव जिसमें से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद 5 वर्ष का किसी मेडीकल कॉलेज में शिक्षण का अनुभव। अथवा इस वृत्ति में कुल 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष की नियमित सेवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में उप सचिव के रूप में की गयी हो।



क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
नहीं	एक वर्ष	पदोन्नति से जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति-उप सचिव (मेडिकल) रु.12,000-18,000 के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा।	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति तीन सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे। चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	वैतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप सचिव	3	12,000-375-18,000 तथा यथाअनुमत 25% प्रेक्टिसबन्दी भत्ता	लागू नहीं	लागू है	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती	अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस तथा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री। <b>अनुभव</b> इस वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए जिसमें से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री के बाद 3 वर्ष का किसी मेडिकल कॉलेज में शिक्षण का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवेशिका की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेंगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे। चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा।
पद का नाम	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	3	4	6	7
उप सचिव (प्रशासन)	12,000-375-18,000	चयन	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती	शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। अनुभव सार्वजनिक/उपक्रम/साविधिक या स्वायत्त संगठन में 10,000-325-15,200 के वेतनमान में वरिष्ठ युप 'के' अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो और स्थापना, लेखा और प्रशासनिक कार्य का ज्ञान रखते हो।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति से जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>क. पदोन्नति रु 10,000-15,200 के वेतनमान में सहायक सचिव के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा । ख. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/ सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी हो और i. नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात हों अथवा ii. जो 10,000-15,200 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हों, तथा iii) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों और साथ ही स्थापना तथा लेखा संबंधी विषयों का अनुभव रखते हों ।</p>	<p>अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेंगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
विधि अधिकारी	1	12,000-375-18,000	लागू नहीं	लागू है	35 से 45 वर्षों के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्षों तक की छील जा सकती है	<p><b>शैक्षिक अर्हता</b> स्नातक एल एल बी सहित और कम से कम 55% अंक लिए हों।</p> <p><b>अनुभव</b> इस वृत्ति में भारतीय बार काउंसिल के साथ पंजीकरण के उपरान्त कम से कम 10 वर्षों का अनुभव</p> <p><b>वांछनीय</b> सरकारी/स्वायत्त संगठन के विधि विभाग में कार्य अनुभव।</p>

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	ए.दे विभागीय पदोन्नति समिति/ध्ययन समिति मंजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे । व्ययन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की गारंटी दी जायेगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक सचिव-	3	10,000-325-15,200	चयन	लागू है	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी	शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । अनुभव सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त संगठन में 8,000-275-10,500 के वेतनमान में 5 वर्ष की निश्चित सेवा या 6500-200-10,500 के ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो और साथ ही स्थापना, लेखा, मूल व पूरक नियमों तथा अन्य सरकारी नियमों का ज्ञान हो ।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) और इनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी यदि विभागीय प्रत्याशी को इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तब इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ पद माना जाएगा ।	क) पदोन्नति-रु 8,000-13,500 के ग्रेड में 5 वर्ष की निरामित सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में मिलाकर 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो या प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त रहे होने की स्थिति में 6500-10,500 रुपये के ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अनुभाग अधिकारी । ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/ सार्वजनिक उपक्रम/साविधिक या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी हो और । नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात हो, अथवा ॥ जो 8,000-13,500/6500-10,500 के वेतनमान में क्रमशः 5/8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हों; तथा (iii) सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता रखते हो और स्थापना तथा लेखा सबंधी विषयों का अनुभव रखते हो ।	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तों में होगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासनिक अधिकारी	1	8,000-275-13,500	चयन	लागू है	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी	अर्हता द्वितीय श्रेणी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। अनुभव सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त संगठन में अनुभाग अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या 5500-9000/6500-10,500 के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा। वांछनीय सरकारी नियमों तथा विनियमों का ज्ञान।



<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक सविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पकालिक सविदा भी शामिल है) और इनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पणी</b> यदि विभागीय प्रत्याशी को इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तब इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ पद माना जाएगा।</p>	<p>क) पदोन्नति-रु 6500-10,500 के ग्रेड में अनुभाग अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा या अनुभाग अधिकारी/अधीक्षक के ग्रेड में 5500-9000 के वेतनमान में मिलाकर 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/ सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक या स्थापित संगठनों के कर्मचारी हो और</p> <p>i. नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात हों अथवा</p> <p>ii. जो 6500-10,500/5500-9000 के वेतनमान में क्रमशः 5/8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हों; तथा (iii) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों और साथ ही स्थापना तथा संस्था संगंधी विषयों का अनुभव रखते हों।</p>	<p>अध्यक्ष - अध्यक्ष उपाध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे। चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तार्थीन होगा।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अयोग्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	8,000-275-13,500	लागू नहीं	लागू है	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी	अर्हता डी सी.ए. या एम.सी.ए.के. मध्य स्टेटेस्टिक्स/ गणित (स्टेटेस्टिक्स सहित)/ ऑपरेशन रिसर्च/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र (स्टेटेस्टिक्स सहित) वाणिज्य (स्टेटेस्टिक्स सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान में या इसके समकक्ष डिग्री। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय</b> अनिवार्य अर्हता के रूप में दर्शाए विषयों में स्नातकोत्तर इंजीनियरी डिग्री या डॉक्ट्रेट डिग्री एक या ज्यादा प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान (भर्ती के समय उल्लेख करें)

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अपेक्षित ही नहीं	अध्यक्ष - अध्यक्ष उपअध्यक्ष - सदस्य परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होगे। चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तार्थीन होगा।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति-रु 5500-175-9000 के ग्रेड में अधीक्षक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के ग्रुप 'ख' पदों के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अर्पणित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
लेखा अधिकारी	1	6500-200-10,500	चयन	लागू है	35 से 45 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी	अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। अनुभव केन्द्रीय/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/ सांविधिक या स्वायत्त संगठन में रु.5500-175-9000 के वेतनमान में लेखाकार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) और इनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पणी</b> यदि विभागीय प्रत्याशी को इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तब इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ पद माना जाएगा ।</p>	<p>क) पदोन्नति-रु.5500-175-9000 के ग्रेड में लेखाकार के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।</p>	<p>अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे ।</p> <p>चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
निजी सचिव	1	6500-200-10,500	चयन	लागू है	25 से 35 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की छील दी जा सकती है।	अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।  अनुभव सरकारी / अर्धसरकारी/ साविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या शिक्षण संस्थान में आशुलैपिक/ वैयक्तिक सहायक के रूप में 5500-175 9000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियुक्ति सेवा।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिभूतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) और इनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पणी</b> यदि विभागीय प्रत्यक्षी को इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तब इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ पद माना जाएगा।</p>	<p>क) पदोन्नति-रु 5500-9000 के ग्रेड में निजी सहायक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों का कर्मचारी हो और</p> <p>ग) नियमित आधार पर सदृश पद पर तैनात हों अथवा</p> <p>ii: जो 5500-9000/5000-8000 के वेतनमान में क्रमशः 3/6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हों; तथा (iii) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों।</p>	<p>अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष</p> <p>परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे।</p> <p>चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जान की शर्तोंवांग होगा।</p>



पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशान) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	6	7
वैयक्तिक सहायक	1	5500-175-9000	गैरचयन	लागू है	25 वर्ष और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की छील दी जा सकेगी ।	अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री : <b>अनुभव</b> 5000-8000 के वर्तमान में आशुलिपिक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा तथा आशुलिपिक व टाइपिंग में निम्नानुसार प्रवीणता आशुलिपि में 120 श प्र मि की गति तथा टाइपिंग में 40 श प्र मि की गति ।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक-संबिधा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति से और इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>क) पदोन्नति-रु 5000-8000 के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड-2 के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 5000-8000/4500-7000 के ग्रेड में मिलाकर 6 वर्ष का सेवाकाल । ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/साविधिक या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी हो और नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात हो अथवा ॥ जो 5000-8000/4000-6000 के वेतनमान में क्रमशः 3/10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हों</p>	<p>अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनोनीत करेंगी जबकि परिषद के सचिव सदस्य सचिव होंगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जान की शताधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1 अधीक्षक	2 5	3 5500-175-9000	4 गैरचयन	5 लागू है	6 25 से 30 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है।	7 अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। <b>अनुभव</b> सरकारी / सार्वजनिक/ अर्धसरकारी/ उपक्रम/ सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त संगठन में 5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	8	9	<p>परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	10	<p>पदोन्नति द्वारा और इसके न होने पर सीधी भर्ती से ।</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	11	<p>क) पदोन्नति-रु 5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 5000-8000/4500-7000 के ग्रेड में मिलाकर 6 वर्ष का सेवाकाल ।</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>	12	<p>अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनांनित करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तोंधीन होगा ।</p>
<p>नहीं</p>	8	9	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति द्वारा और इसके न होने पर सीधी भर्ती से ।</p>	10	<p>पदोन्नति द्वारा और इसके न होने पर सीधी भर्ती से ।</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	11	<p>क) पदोन्नति-रु 5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 5000-8000/4500-7000 के ग्रेड में मिलाकर 6 वर्ष का सेवाकाल ।</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>	12	<p>अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनांनित करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे । चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तोंधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी मर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
लेखाकार	1	5500-175-9000	गैरचयन	लागू है	25 से 30 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी ।	अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। अनुभव सरकारी / सार्वजनिक/ अर्धसरकारी/ उपक्रम/ सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त संगठन में 5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>मर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रैंड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति द्वारा और इसके न होने पर सीधी भर्ती से।</p>	<p>क) पदोन्नति-रु.5000-8000 के वेतनमान में मुख्य लिपिक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 5000-8000/4500-7000 के ग्रैंड में मिलाकर 6 वर्ष का सेवाकाल।</p>	<p>अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष परिषद की कार्यकारिणी समिति दो सदस्य मनानीत करेगी जबकि परिषद के सचिव - सदस्य सचिव होंगे। चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक ग्रेड-2	2	5000-150-8000	गैर-चयन	लागू है	25 से 30 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी ।	अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। अंग्रेजी भाषा में आशुलिपि की 100 श प्र प्र मि की गति तथा टाइपिंग में 40 श प्र प्र मि की गति । <b>अनुभव</b> सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ साविधिक निकाय अथवा स्वायत्त संगठन/ शिक्षण संस्थानों में 4000-6000 के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड-3 के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा ।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक-संबिधा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति द्वारा और इसके न होने पर सीधी भर्ती से ।</p>	<p>क) पदोन्नति-रु.4000-6000 के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड-3 के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 4500-7000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा । ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण -केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी मेडीकल कॉलेजों/अस्पतालों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी हों और i. नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात हो ii. जो 4000-6000 के वेतनमान के पद में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए हो iii. सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हों</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।</p>



## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के ग्रुप 'ग' पदों के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशान) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिंदी अनुवादक	1	5000-150-8000	लागू नहीं	लागू है	25 से 30 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी।	अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा अंग्रेजी/हिंदी डिग्री स्तर पर मुख्य विषय रहे हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री जिसका माध्यम हिंदी हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में पास की हो या स्नातक डिग्री में हिंदी तथा अंग्रेजी मुख्य विषय हो और इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो जबकि दूसरा मुख्य विषय हो। साथ ही हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स किया हो या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में किसी केन्द्रीय/राज्य के सरकारी कार्यालय या भारत सरकार के उपक्रम में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो। <b>अनुभव</b> रु 4500 125 7000 रु ग्रं में तीन वर्ष की नियमित सेवा।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक-सविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
8	9	10	11	12
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती से</p>	<p>अपेक्षित ही नहीं है।</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष सयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य  चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शलघीन होगा।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1 मुख्य लिपिक	2 10	3 5000-150-8000	4 गैर-चयन	5 लागू है	6 30 से 35 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी।	7 अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। अनुभव सरकारी/सरकारी अस्पताल/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ साविधिक निकाय या स्वायत्त संगठन या शिक्षण संस्थान में रु.4000-6000 के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/स्टारकीपर के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
8	9	10	11	12
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति से जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>पदोन्नति-रु 4000-6000 के ग्रेड में उच्च श्रेणी लिपिक/स्टोरकीपर के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा या रु 4500-7000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष सयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	व्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्विकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कंप्यूटर ऑपरेटर	2	4000-100-6000	लागू नहीं	लागू है	18 से 27 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की छील दी जा सकती है।	अर्हता माध्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष अर्हता और डाटा एंट्री कार्य में प्रति घंटा कम से कम 8000 कुंजीबालन की गति हो।  ट्रेपनी: डाटा एंट्री कार्य में प्रतिघंटा 8000 कुंजीबालन की गति होने का मूल्यांकन ई.डी.पी मशीन पर स्क्रम प्राधिकारी द्वारा गति परीक्षा लेकर किया जाएगा।  अनुभव ₹.3050-4590 के वेतनमान में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-1 के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक सविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना	
8	9	10	11	12	
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं।	सचिव-अध्यक्ष सयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तार्थीन होगा।	
पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
आशुलिपिक ग्रेड-3	5	4000-100-6000	लागू नहीं	लागू है	अर्हता
					7
					अर्हता मैट्रिक या इसके समकक्ष। आशुलिपि(अंग्रेजी) में 80 श प्र मि. की गति तथा टाइपिंग(अंग्रेजी) में 40 श प्र मि की गति। वांछनीय अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-सविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं।	सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तोंधीन होगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
टेलीफोन ऑपरेटर्स-व-स्वागती	1	4000-100-6000	लागू नहीं	लागू है	18 से 21 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी।	अर्हता मैट्रिक या इसके समकक्ष। अनुभव सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सांविधिक निकाय या स्वायत्त संगठन/शिक्षण संस्थान में टेलीफोन, पी बी एक्स, फैक्स व टेलेक्स ऑपरेटर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	अपेक्षित ही नहीं।	सचिव-अध्यक्ष सयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तार्थिन होंगा।



पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्टोरकीपर	1	4000-6000	गैर-चयन	लागू है	18 से 24 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है।	<p><b>अर्हता</b></p> <p>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष</p> <p><b>अनुभव</b></p> <p>किसी सार्वजनिक या निजी सेक्टर की विख्यात कंपनी में स्टोर तथा स्टोर्स का लखा-गणना रखने का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वाछनीय अर्हता</b></p> <p>एम्प्लॉयमेंट एंड लखाकारिता में डिप्लोमा।</p>

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आपैलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>100% पदोन्नति द्वारा</p>	<p>पदोन्नति- रु 3050-4590 के वेतनमान में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा ।</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष , संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य  चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
उच्च श्रेणी लिपिक	16	4000-6000	गैर-चयन	लागू है	25 से 30 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी ।	अर्हता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष । अनुभव निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा ।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
नहीं	दो वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति- रु 3050-4590 के वेतनमान में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा और योग्यता-व-वरिष्ठता के आधार पर ।	सचिव-अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1 स्टाफ कार डाईवर ग्रेड-2	2 1	3 रु 4000-100- 6000	4 गैर-चयन	5 लागू है	6 30 वर्ष या अधिक और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी ।	7 अर्हता मिडिल स्तर(आठवी पास) और राज्य ट्रांसपोर्ट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी से वैध डाईविंग लाइसेंस ।  अनुभव सामान्य ग्रेड में (रु 3050-4590) में 12 वर्ष की नियमित सेवा और अंग्रेजी के अक व संकेत पढ़ने की क्षमता। मामूली नुक्स व छोटी-मोटी मरम्मत कर सकता हो। यालायात विनियमों का अच्छा ज्ञान हो । पहियों को बदलने व इनमें हवा भरने में सक्षम हो । गाड़ी चलान का बंदाग अनुभव हो और किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर कोई बडा जुर्माना/सजा न की गयी हो ।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक-संवैदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>गैर-चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा (योग्यता-व-वरिष्ठता) और साथ ही समुचित स्तर का ट्रेड टेस्ट पास किया हो जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>	<p>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक विभाग व प्रशिक्षण) नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/197-स्था.(डी) दिनांक 9.8.99 के तहत एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के अंतर्गत।</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तोंधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयनपद है या चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल (पेंशन)नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
रिकार्ड कीपर- ब-लाइब्रेरियन	1	रु.3050- 75-3950- 80-4590	लागू नहीं	लागू है	25 से 35 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी ।	अर्हता क) स्नातक या समकक्ष ख) निम्नलिखित में से किसी एक में 3 वर्ष का अनुभव/प्रवीणता 1. 35 श.प्र.मि. की गति से टाइपिंग । 2. वर्गीकरण प्रणाली की जानकारी । 3. सूचिका कार्ड तैयार करने व भरने का अनुभव । 4. काउटर ड्यूटी का अनुभव । 5. बहुभाषा ज्ञान ग) उपर्युक्त-ख में उल्लिखित अर्हताओं में अनुभव/प्रवीणता के मूल्यांकन के लिए अभ्यर्थी को टेस्ट व सामान्य अंग्रेजी परीक्षा पास करनी होगी ।  <b>विशेष/वांछनीय</b> पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट धारक को वरीयता दी जाएगी ।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं	सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तार्थीन होगा ।



पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयनपद है या गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
निम्न श्रेणी लिपिक	27	रु.3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं	लागू है	18 से 27 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की डील दी जा सकेगी ।	अर्हता 1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवी या इसके समकक्ष योग्यता । 2) अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. की टाइपिंग गति ।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक सविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>हों जैसाकि कॉलम 10 में दर्शाया गया है</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>1. 90% सीधी भर्ती 2. 5% रिक्तियां ग्रुप 'घ' स्टाफ में से भरी जाएंगी जो मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष योग्यता रखते हैं और इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। ये विभागीय अर्हक परीक्षा पास करने पर तथा अग्रेजी टाइपिंग की 30 श.प्र.मि की गति से परीक्षा पास करने के आधार पर भरी जाएंगी। अर्हक परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी (अ.जा., अ.ज.जा के मामले में आयु 50 वर्ष) <b>टिप्पणी :</b> क) वर्ष विशेष में भरी न जा सकने वाली रिक्तियां अग्रेणीत नहीं की जाएंगी। ख) यदि उपर्युक्त खंड 2 में उपलब्ध रिक्तियों से अर्हक परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक हो तो ऐसे आधिक्य कर्मचारी अनुवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों में समायोजित किए जाएंगे ताकि जो पहले परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें पहले अवसर मिले। ग) 5% रिक्तियां वरिष्ठता-व-फिटनेस के आधार पर ग्रुप 'घ' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जो मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष योग्यता रखते हैं।</p>	<p>कॉलम 10 में दर्शाए अनुसार</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	1	₹.3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं	लागू है	25 वर्ष से अधिक नहीं लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी।	<b>अर्हता</b> 1. कम-से कम आठवीं कक्षा। 2. मोटरकार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस 3. मोटर मकैनिक का ज्ञान(अभ्यर्थी गाड़ी के मामूली दोष सुधारने की क्षमता रखता हो) 4. मोटरकार चलाने का कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय अर्हता</b> 1. मैट्रिक व समकक्ष। 2. होमगार्ड/ सिविल वालंटियर के रूप में 3 वर्ष की सेवा।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>अपेक्षित ही नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>अपेक्षित ही नहीं है।</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्तमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सिद्धि भर्ती के लिए आयु सीमा	सिद्धि भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
गेस्टेटर ऑपरेटर	2	रु.3050-75- 3950-80-4590	गैर-चयन	लागू है	18 से 24 वर्ष के बीच लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी।	अर्हता मैट्रिक पास। अनुभव गेस्टेटर प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव

<p>क्या सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>मर्ती की पद्धति क्या सीधी मर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संबिधा/पुनर्नियोजन द्वारा मर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p>
8	9	10	11	12
<p>नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>पदोन्नति से जिसके न होने पर सीधी मर्ती द्वारा ।</p>	<p>पदोन्नति 2650-4000 के ग्रेड में 4 माल की नियमित सेवा पूरी करने वाला दफ्तरी जो गैस्टेटर मशीन के प्रचालन में प्रवीणता रखता हो और इसके लिए निर्धारित टेस्ट पास कर पाया हो । लेकिन इसमें वरिष्ठता और फिटनेस का ध्यान रखा जाएगा ;</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्ताधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयनपद है या गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सेवा सिविल (पेंशन)नियम, 1972 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
दफ्तरी	3	रु.2650-65-3300-70-4000	गैर-चयन	लागू है	18 से 27 वर्ष के बीच और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी ।	अर्हता मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास । चपरासी/संदेशवाहक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव । रिकार्ड को सही ढंग से रखने की योग्यता रखता हो ।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p> <p>8</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p> <p>9</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p> <p>10</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्था-नांतरण/अल्पकालिक-सविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p> <p>11</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना</p> <p>12</p>
<p>नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>पदोन्नति द्वारा</p>	<p>चपरासी/संदेशवाहक के रूप में वेतनमान रु.2550-3200 में 4 वर्ष की नियमित सेवा ।</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य  चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।</p>



भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के ग्रुप 'घ' पदों के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सौधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
संदेशावाहक	2	₹ 2550-55-2600-60-3200	लागू नहीं	लागू है	18 से 27 वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती।	उर्हता मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास। सांठनीय होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस में बेसिक तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-सविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।	अपेक्षित ही नहीं	सचिव-अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
चपरासी	5	रु.2550-55-2660-60-3200	लागू नहीं	लागू है	18 से 27 वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की छील दी जा सकती ।	अर्हता मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास । वांछनीय होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस में बेसिक तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक-संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।	अपेक्षित ही नहीं	सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तार्थीन होगा ।

बद का नाम	पदों की संख्या	केतनमान	क्या घयन पद है या गैर-घयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
फराश	1	₹ 2550-55- <del>2600</del> -60-3200	लाभ नहीं	लाभ है	18 से 27 वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।	अर्हता मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास।

<p>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसकी सरचना</p>
8	9	10	11	12
<p>अपेक्षित ही नहीं</p>	<p>एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा ।</p>	<p>अपेक्षित ही नहीं</p>	<p>सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तधीन होगा ।</p>

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सफाई कर्मचारी	1	रु.2550-55-2660-60-3200	लागू नहीं	लागू है	18 से 27 वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकेगी	अर्हता मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति आभेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति मौजूद है तो इसकी संरचना
8	9	10	11	12
अपेक्षित ही नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	अपेक्षित ही नहीं	सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव(प्रशासन)-सदस्य चयन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन किए जाने की शर्तोंधीन होगा।

राम रामदास

(डा. एम. सचदेवा)

सचिव

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद



# दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

२७ कफ पेटेड कोलाता


गुंवई ४००००५

कोरीजेंडम नोटीफीकेशन

8 NOV 2001

३ डब्ल्यूसीए (८)/३/२०००-०१-नोटीफीकेशन नं ३ डब्ल्यूसीए (८)/१/२०००-०२  
ता. २६/०४/२००१ में निम्नलिखित सभासदोंके प्रकटीस प्रमाण पत्र रद्द करने के  
संदर्भ में इस तिथीसे ८/१२/२००० सिरीयल नं जो सभासद के संदर्भ में है,  
वह निकाल दिये गये.

अनु. क.	अनु.नं.	स. नं.	नाम और पता	अनु. क.	अनु.नं.	स. नं.	नाम और पता
१.	१८	५७९०	श्री. मुर्ते अरविंद बाबुगव ३०२ कग्नुगी टॉवर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग वंदना टॉकिजके सामने ठाणे ४००६०२	५.	५४९	४७४२३	श्री. पेगना न अज्ञा ईमार्शल ४८ गराना स्ट्रीट ३ गी भजिवा मुंवई ४००००२.
२.	०३	१४८५१	श्री. फणरोकर सुभाषचंद्र वंगलो नं. १० एरात्रीआय स्टाफ वैभव को. ऑफ दौलत नगर रोड नं. १ बोरीवली (ई) मुंवई ४००००६	६.	६०२	४९०२९	मे. मेहा मधुवी ७९/८१ आंगण्ट कार्वा मार्ग ४ निर्माल निवाय नं. १ मुंवई ४०००५८.
३.	१२०	३०५२७	श्री भोथरा शांतीलाल ताराचंद्र मैन रोड चोपडा एटी अन्ड पी ओ चोपडा चापडा ४२५००१	७.	७४२	१०१८९२	श्री. पालन मेहुल जयंत ७ अंजली चेंवर्स आर.सी. दत्त रोड सार्किट हाऊस के सामने अल्कापुरी वरोडा ३९०००७
४.	३७३	४०८००	श्री. प्रधान राजीव प्रभाकर ११/३२ ग्वांडके विल्डींग जे. के. सावत रोड दादर मुंवई ४०००२८.	८.	७५४	१०२३४४	श्री. शहा मेहुल अनंतराय १०३ रजनीकेतन बापु बागी रोड विले पाले (प) मुंवई ४०००५६.

  
(डॉ. अशोक हलदिया)  
सेक्रेटरी

गुंवाई ४००००५ 12 NOV 2001

३ डब्ल्यूसीए (५)/३/१९९९-२०००-नोटीफिकेशन नं ३ डब्ल्यूसीए (४)/३/९९-२०००  
ता. २७/०९/२००० में निम्नलिखित सभासदोंके नाम - रद्द करने के  
संदर्भ में इस तिथीसे १/१०/१९९९ सिरीयल नं जो सभासद के संदर्भ में है,  
वह निकाल दिये गये .

अनु. क.	अनु.नं. नोटीस.	स. नं.	नाम और पता	अनु. क.	अनु.नं. नोटीस.	स. नं.	नाम और पता
१	१६१	१५५७०	श्री. रसतोगी सतिश चांद १/३ यमुना वीएचवी सोसा ईस्ट हाय कोर्ट रोड कचीपुरा रामदास पेठ नागपुर ४४००१०.	५.	१६४७	४९९८५	श्री. कुंभानी देवांग हसमुख २०६ए विंग मधुवनर७-ए रहेजा टॉवरशिप मालाड (ई) मुंबई ४०००९७.
२.	३७७	३२७११	श्री. दलाल शैलेश ३०७-३०८ राजकमल प्लाजा-श्री समृद्धी कॉम्प्लेक्स हाय कोर्टनजदीक नवरंगपुरा अहमदाबाद ३८०००९.	६.	१७४९	७६५७१	श्री. शिरीप जैन ४-ग-२०२ समर्पण कॉम्प्लेक्स जेसल पार्क भायंदर (ई) ४०११०५
३.	७३०	३९२२२	श्री. कुलकर्णी वलवंत केशव बी-२/१९ मीनल गार्डन ५वी मंजील पटवर्धन वाग एरंडावणे पुणे ४११००४	७.	१९५६	१०२०१८	श्री. शहा निमेश महेशकुमार श्री-१/१ घनश्याम अपार्ट शाहीवाग रोड अहमदाबाद ३८०००४
४.	८९७	४१३६५	श्री. अंधारे किरण सुधाकर ४/३ वीएचवी कॉलनी (एल.आय.जी.) मेडिकल कॉलेज के पीछे नागपुर ४४००२७.	८.	१९८१	१०२३८७	श्री. जैन कपिल आरतुर अंदरसेन अन्ड कं १८वी मंजिल एक्सप्रेस टॉवर नरीमन पॉईंट मुंबई ४०००२१.
				९.	२५४२	१०५५७६	श्री. शहा सुनिल रूपचंद डी-५०३ शंकरेश्वर नगर शिव बल्हय रोड अशोक वन दहियार (ई) मुंबई ४०००६८.


(डॉ. अशोक हलदिया)  
सेक्रेटरी

## दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया

3 दिसम्बर, 2001

(चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स)

संख्या : 25-सी०ए०(43)/91 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबन्धनानुसार, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद द्वारा श्री गुप्ता हेमन्त कुमार, 35, कामायनी कुंज, 69, आई० पी० एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110092, (सदस्यता संख्या-82016) को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के खण्ड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाया गया है। उपर्युक्त अवचार की बाबत इन्स्टीट्यूट की परिषद ने उक्त श्री गुप्ता हेमन्त कुमार को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री गुप्ता हेमन्त कुमार (सदस्यता संख्या-82016) का नाम 29 दिसम्बर, 2001 से एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

  
(टी० कार्तिकेयन)  
अपर निदेशक (विशेष ग्रेड)

सं. 25-30ए०(76)/92 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबन्धनानुसार, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री गुप्ता नरेन्द्र कुमार, एफ०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, ए-45, सेक्टर 26, नोएडा-201301, (जनपद) गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) (सदस्यता संख्या-16064) को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (11) तथा भाग 3 के खण्ड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाया गया है। उपर्युक्त अवचार की बाबत इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने उक्त श्री गुप्ता नरेन्द्र कुमार को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम छह माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री गुप्ता नरेन्द्र कुमार (सदस्यता संख्या-16064) का नाम 29 दिसम्बर, 2001 से छह माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

(टी० कार्तिकेयन)  
अपर निदेशक (विशेष ग्रेड)

**भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान मुंबई ऑफिस** ६  
अनवेशक, २७ कफ पॅरेड, कोलाबा, मुंबई

- 3 DEC 2001

३ डब्ल्यूसीए(४)/२/-२०००-२००१ - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम १९८८ के विनियम १८ के अनुसार में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम १९४९ की धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया गया है।

क्र.सं. सदस्यता नाम व पता दिनांक संख्या

१ ०००००५ श्री शाह नारायणदास मोहनलाल २३/०८/२०००  
शाह अण्ड कं.  
मेकर भवन नं.२, तीसरा माला  
ब्लॉक नं. सी १८, न्यू मरीन लाइन्स  
मुम्बई-४०००२०

२ ०००५१४ श्री लाखीया ११/०८/२०००  
चन्द्रप्रसाद रतीलाल  
६०६, प्रेसीडेन्ट हाउस  
आम्बावाडी सर्कल के पास  
सी एन स्कूल के सामने  
अहमदाबाद-३८०००६

३ ०००७०७ श्री शाह शान्तिलाल ०४/११/१९९९  
केशवलाल  
अ/२, जलविहार ब्लॉक  
अजन्ता कॉमर्सियल सेन्टर  
आश्रम रोड  
अहमदाबाद-३८००१४

४ ०००७२४ श्री खारे महेश्वर त्रिम्बक ०८/०९/२०००  
खारे बंगला, १९-२०  
ब्रन्दावन सोसाइटी  
नवी पेट  
पुणे-४११०३०

५ ००१५८३ श्री घानेकर पुरुषोत्तम दत्तात्रेय ०९/०५/२०००  
पी डी घानेकर अण्ड कं.  
२३१ कमिश्नरीट भवन

००१७९५ श्री मेनधिया भानजी ०९/१२/१९९९  
तुलसीदास  
बी टी मेनधिया अण्ड कं.  
३१ कॉमर्सियल चैम्बर्स जंक्शन ऑफ  
मस्जिद बन्दर  
मोहम्मद अली रोड  
मुम्बई-४००००३

७ ००१८९२ श्री पारिख बाबुभाई ०५/१२/२०००  
अम्बालाल  
बाबुभाई ए. पारिख अण्ड कं.  
ब्लॉक नं. अ-७, पांचवा माला  
सुन्दर सदन ६३ अ वाडिलाल पटेल मार्ग  
मुम्बई-४००००४

८ ००१९९५ श्री कैकी रुस्तम अल्पेइवाला ०७/११/२०००  
ए एफ फरग्युशन अण्ड कं.  
इलाहाबाद बैंक भवन  
बोम्बे समाचार मार्ग  
मुम्बई - ४००००१

९ ००३१६४ श्री शाह प्रतापचन्द २५/०३/२०००  
हिराचन्द  
पी एच शाह अण्ड कं.  
मंगल भवन , दूसरा माला  
रूम नं. २१, मनच्छुभाई रोड  
मालाड-पुर्व  
मुम्बई-४०००९७

१० ००३१९८ श्री गिरनीकर विनायक नारायण २७/०१/२०००  
वी एन गिरनीकर अण्ड कं.  
साई ओम विनायक अपार्टमेट  
४८, हिल रोड गोकुलपेट  
नागपुर-४४००१०

११ ००३४६९ श्री सत्था जहांगिर बेहरामजी ०५/०७/२०००  
बी/३ बेनेट भवन  
भारुचा पारसी कोलोनी  
एस वी रोड  
अन्धेरी  
मुम्बई-४०००५८

१२ ००४०६० श्री अययर मनी अर्जुन ०७/०३/२०००  
के एस अययर अण्ड कं.  
४९-५५ बोम्बे समाचार मार्ग  
मुम्बई-४०००२३


१३	००४९४१ श्री केतकर दामोदर रामचन्द्र ०६/११/२००० दूसरा माला, सिल्वा भवन इरेस्मो कारवेल्लो स्टेशन मरगोवा, गोवा-४०३६०१	२२	००८७२८ श्री पिथवा किशोरकांत २६/०४/२००० नारणदास ३५३/३०/१ महावीर ज्योत्-सी वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर मुम्बई-४०००७७
१४	००५२२१ श्री शाह महेन्द्र हिराचन्द २०/११/२००० ए एस मेडोन अण्ड कं. ७९-८० एस्पलेनेड मेन्शन दूसरा माला १४४ एम जी रोड मुम्बई-४००००१	२३	०१०५१८ श्री मुकदम अमीराली मुसाभाई ०१/०४/२००० मुकदम अण्ड कं. राघवजी भवन, दूसरा माला, राघवजी रोड गोवालीया टैंक मुम्बई-४०००३६
१५	००५७२८ श्री साल्वे हेमन्द्र कुमार प्रसादराव २९/०२/२००० १७/१९, घोबले लेआउट फरास छिन्नद्वारा रोड नागपुर-४४००३०	२४	०१२३१८ श्री राजगोर जवेरलाल २३/१२/१९९९ शंकरजी १७, सूद आनन्द, नरीमन रोड एक्सटेन्शन विलेपार्ला - पुर्व मुम्बई-४०००५७
१६	००५७५० श्री शाह महेन्द्रकुमार धिमनलाल ०७/१२/२००० मेहता चैकसी अण्ड शाह कूपर भवन दुसरा माला २२९ शामलदास गाँधी मार्ग प्रिन्सेस गली मुम्बई ४००००२	२५	०१७३५५ श्री जोशी किरिट कुमार ०४/०४/२००० शांतीलाल बी १२ कामधेनु शास्त्री नगर एस वी रोड, बोरीवली-पश्चिम, मुम्बई-४०००९२
१७	००५७८९ श्री मेहता नयरोज होरमुसजी २०/०८/२००० पुन्डोल भवन मिठाईवाला अग्यारी स्लेटर ग्रांट रोड मुम्बई-४००००७	२६	०३१९५२ श्री श्रीफ राहुल विनोदचन्द्र १२/०६/१९९९ आर वी श्रीफ अण्ड कं. २ सी अरीहन्त, अनुपम टॉकिज के सामने गोरेगाव-पुर्व मुम्बई-४०००६३
१८	००६२५२ श्री सोनी तलक्षी रतनजी २१/१०/२००० टी आर सोनी अण्ड कं. ५६ सी मित्तल कोर्ट नरीमन पॉइन्ट मुम्बई-४०००२१	२७	०३३०७५ श्री पन्थाकी नवजर ०३/०७/१९९९ जमशेदजी एन जे पन्थाकी अण्ड कं. C/O पी जे पोहोवाला, १/९५७ पालीया स्ट्रीट, नानपुरा सुरत-३९५००१
१९	००६४८६ श्री अशेर क्रिश्नराज ३०/०४/२००० अ/४३ भाग्या अपार्टमेन्ट्स भारद्वाजी अंधेरी-पश्चिम मुम्बई-४०००५८	२८	०३४१९३ श्री चारी रामचन्द्र राघव १९/०२/२००१ शॉप नं.४, साइ ज्योत भवन गुप्ते रोड, विशुनगर डॉम्बिवली-४२१२०१
२०	००६४९२ श्री छैया किरिट कुमार १२/११/२००० रामाशंकर राव निवास, बीदासोहल्ला साई बाग, बडौदा-३९०००१	२९	०३४५७४ श्री आनन्दवाला १२/०१/२००० व्योमेश मफतलाल ब्लॉक नं.४०४, चौथा माला तृत्वसी-२, बोपबोम लेन
२१	००७७०५ श्री शाह लक्ष्मीचन्द १६/०२/२००० तुलसीदास चन्द्रा हाउस दूसरा माला		

३०. ०३५७९६ श्री राजह दीपक ०३/०२/२००१  
कर्मिलाल  
दर्शन रेल्वे क्रोसींग के पास  
अमूल डेरी रोड  
आणन्द-३८८००१
३१. ०३७७१८ श्री नन्धा मनीलाल १६/०९/२०००  
जमनादास  
एम जे नन्धा अण्ड कं.  
३ रावलीया प्लॉट  
पोरबन्दर-३६०५७५
३२. ०३८३२६ श्री अग्रवाल विवेक कुमार १३/११/१९९९  
५०२/३-बी, सिद्धीविनायक को. ऑप. हाउ.  
सोसाईटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,  
आशा नगर, बोरीवली-पुर्व  
मुम्बई-४०००६६
३३. ०३८३८३ श्री अग्रवाल रतनलाल फुलचन्द ३०/०४/२०००  
आर एफ अग्रवाल अण्ड कं.  
अ/१०, ईश्वर नगर ग्राउण्ड गाला  
एल वी एस मार्ग, भाण्डुप  
मुम्बई-४०००७८
३४. ०३९३२१ श्री अग्रवाल सुरेश देवराज ०८/०६/२०००  
एस डी अग्रवाल  
११/२ प्रियदर्शिनी कोलोनी  
आर टी ओ नगर के पास  
नागपुर-४४०००१
३५. ०५३५४२ श्री मालू के सी १०/१२/१९९९  
सिन्ही अण्ड कं.  
१३/१०१२ ओल्ड एम.बी.एच. कोलोनी  
गोराई रोड, बोरीवली-पश्चिम  
मुम्बई-४०००९१
३६. १०४१९० श्रीमती निम्बालकर सोनल ०६/०४/२०००  
शिवाजी राव पनोरमा  
एच-२/४५४, लक्ष्मीनगर  
पुणे-४११००९

( डॉ. अशोक हल्दीया )  
सचिव .

३ डब्ल्यूसीए(४)/३/-२०००-२००१ :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम १९८८ के विनियम १८ के अनुसार मे एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम १९४९ की धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार सस्था परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर से निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनकी विनती पर हटा दिया गया है।

क्र.सं.	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
१	०००८४९	श्री श्रीफ पेस्टोजी सोरवजी ८०८ खुशनुम डॉ अम्बेडकर रोड दादर मुम्बई-४०००१४	१४-०३-२००१
२	००७१९५	श्री खाटलावाला ज्योतीन्द्र जरावतलाल अ-९, प्रेरणा, एच पी पम्प के सामने एस पी रोड सान्ताक्रुज-पश्चिम मुम्बई ४०००५४	३१-०३-२०००
३	०३६०४०	श्रीमती स्वाती सिद्धार्थ प्रताप ०/० डॉ के एल शाह २६ दर उल मुलिक २६ पंडता रामाबाई रोड मुम्बई-४००००९	०५-०४-२०००
४	०३८५०२	श्री अहुजा सुनील जवाहरलाल बी-१०-६, पहला माला १, २ सेक्टर १५, वाशी नवी मुम्बई-४००७०३	१५-०८-२०००

  
( डॉ. अशोक हल्दिया )  
सचिव



कलकत्ता-700 071

3ईसीए/5/4/2000-2001: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए(4)/2/1999-2000 दिनांक 11/04/2000, 3एनसीए/4/01/1999-2000 दिनांक 01/03/2000, 3एनसीए(4)/4/1999-2000 दिनांक 20/01/2000, 3डाबल्यूसीए 4/3/1999-2000 दिनांक 31/03/2000, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम 01/10/1999 तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1	015958	मि. कल्याण कुमार बन्द्योपाध्याय एसिए 52, छण्डी घोष रोड कलकत्ता-700 040
2	022140	मि. मोहन एन रवि एसिए हिन्दुस्थान लिबर लिमिटेड जिला तिनसुकिया दुमदुमा-786 151
3	050152	मि. आलोकनाथ सेठ एसिए 35, उपेन्द्र चन्द्र बेनार्जी रोड कलकत्ता-700 054
4	051752	मि. नटवरलाल बेदिया एफएसिए प्रयन्ते गजानन सिकिओरिटिस सार्भिसेस लिमिटेड 9/12 लाल बाजार स्ट्रीट ए ब्लॉक तृतीय तल्ला कलकत्ता-700 001
5	052499	मि. अशोक चिनचेला एफएसिए स्टेट बैंक आव इंडिया (तुलसीपुर शाखा के नज़दीक) देउलासाइ तुलसीपुर कटक-753 008
6	052852	मि. पंकज कुमार बासोतिया एफएसिए 863 लेक टाउन ब्लॉक ए कलकत्ता-700 089

7	053082	मि विशाल सारीन एसिए 7मि हेमछाया 40 आयरन साईड रोड कलकत्ता-700 019
8	054167	मि. पार्थ चर्कवर्ती एसिए 843 ब्लॉक ओ निउ आलिपुर कलकत्ता-700 053
9	054939	मि. अश्विनी मेहरा एसिए प्रयन्ते डाबर नेपाल प्राइवेट लिमिटेड पो. अ बाक्स 14375 टिनकुने नेपाल, काठमाण्डु-0 नेपाल
10	055284	मि सन्दीप सेन एसिए 770ए, ब्लॉक पी निउ आलिपुर कलकत्ता-700 053
11	055720	मि. मनोज कुमार भार्गो एसिए 18, लखी पल्ली, पो आ. मोरेपुकुर जिला-हुगली, रिषड़ा-0
12	058214	मिस. सुनेत्रा गुना एसिए 9बि/2ए गोबिन्दपुर रोड लेक गार्डन्स कलकत्ता-700 045
13	080628	मि. श्रीकुमार मेनन एसिए मुख्य आधिरासी नेगम एंड वाणिज्य बि ओ रि इंडिया लिमिटेड कलकत्ता-700 088
14	090317	मि. विश्वजीवन राय एसिए फ्लॉट नं एडच-7, क्लास्टर-एक्स पूर्याचल, साल्ट लेक कलकत्ता-700 097

अशोक हलिदया  
(अशोक हलिदया)  
सचिव

6 DEC 2001

3ईसीए/5/3/2000-2001: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए(4)/11/1982-83 दिनांक 31/3/1983, 3ईसीए(4)/12/1983-84 दिनांक 31/4/1984, 3सीसीए/4/6/1986-87 दिनांक 28/1/1987, 3ईसीए /4/4/1993-94 दिनांक 1/2/1994, 3ईसीए(4)/3/1994-95 दिनांक 3/2/1995, 3ईसीए(4)/2/1996-97, दिनांक 20/12/1996, 3ईसीए/4/3/1998-99, दिनांक 12/05/1999, 3ईसीए/4/2/1999-2000, दिनांक 11/4/2000, 3ईसीए/4/3/2000-2001, दिनांक 22/2/2001, एवं 3ईसीए/4/3/2000-2001, दिनांक 26/03/2001 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० संख्या	पंजीकृत संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	001864	मि. भगवानदास मणिलाल जन्त्रनिया 26, शरत बोस रोड 'बसुधारा' फ्लॉट 43 कलकत्ता-700 020	8/12/2000
2	004248	मि. बीरेन्द्र किशोर दास एफसिए 50-06-46 स्ट्रीट एपिटि/3ए उड साइड, कुकुन्स, इ.ए.एस.ए निउ इयार्क 11377 निउ इयार्क	01/10/1999
3	004796	मि. किशोर देओ शर्मा एफसिए मेसार्स के डि शर्मा एंड को० 23/1 जनसन रोड हावड़ा-711 101	08/12/2000
4	006323	मि. ओम प्रकाश भुटानी एफसिए 12, बि लार्ड सिन्हा रोड, फ्लॉट न०-4 कलकत्ता-700 071	08/12/2000
5	007555	मि. ताराचौद अग्रवाल एफसिए 152 राजा आर एल मित्रा रोड "आइडियेल एपार्टमेन्ट" सप्तम तल्ला, फ्लॉट नं 7, सि एंड डि कलकत्ता-700 010	08/12/2000
6	008019	मि. आबदुल करिम कमलानी एफसिए पो. आ. बाक्स-88 शारजाह इउएई० इ3 ए ई	08/12/2000

7	008725	मि. तुषारकान्ति नाग एफसिए 699 बि निउ आलिपुर ब्लॉक-पि कलकत्ता-700 053	08/12/2000
8	009511	मि. रजतकान्ति मजुमदार एसिए बि-6/38 डायमन्ड पार्क जोका, कलकत्ता-700 104	17/01/2001
9	009648	मि. अशोक कुमार कापुर एफसिए 139 दक्षिणदौड़ रोड त्रिमुर्ति एपार्टमेन्ट कलकत्ता-700 048	08/01/2001
10	010178	मि. मिहिर कुमार सेन एफसिए 19, कोबाल्टोन कोर्ट ओकलेन्ड, एनजे 07436 इउ एस ए० इउ एस ए	08/12/2000
11	011976	मि. राजेन्द्र प्रसाद एफसिए उपाध्याय आयकर आपील अधिकरण 225/सि ए जे सि बोस रोड कलकत्ता-700 020	08/12/2000
12	012429	मि. अरविन्द घोष एसिए 164ए/6/1 लेक गार्डेन्स कलकत्ता-700 045	08/12/2000
13	012451	मि. प्रह्लाद भगत पासारी एसिए अजन्ता एपार्टमेन्ट्स फ्लॉट नं 8ए 10 गुरुसदय रोड कलकत्ता-700 019	07/03/2001
14	013905	मि. प्रशान्तकुमार रायवर्मण एफसिए पि-26 कानुनगो एफसिए पार्क गड़िया, कलकत्ता-700 084	08/12/2000
15	020527	मि. के पार्थसारथि एसिए 643/बि, ओ ब्लॉक, निउ आलिपुर कलकत्ता-700 053	08/12/2000
16	023503	मि. के.ए.श्री निवासन एसिए एफडि-322 नीचे तल्ला, ए डि पार्क के नज़दीक, सेक्टर-3 साव्ट लेक सिटि, कलकत्ता-700 091	08/12/2000
17	040182	मि. के रंजनकुमार सुबुद्धि एफसिए प्रयत्ने मेसार्स ए एम जैन एंड को० 37, हामाम स्ट्रीट, हामाम हाउस के सामने में मुम्बई-400 023	08/12/2000

18	050044 मि. सत्यव्रत गुहा मजुमदार एफसिए इ स टि पि फेज IV बि टाईप फ्लॉट 14/12 कलकत्ता-700 078	10/10/2000	30	051457 मि. नारायण बेनार्जी एफसिए 15, बि हाजरा रोड कलकत्ता-700 026	08/12/2000
19	050052 मि. अंजन सरकार एफसिए 2 लेक मिड रोड कलकत्ता-700 029	08/12/2000	31	051467 मि. स्वपन बासु एफसिए कमलपुर फ्लॉट बेना थिनि दुर्गापुर-713 213	08/12/2000
20	050126 मि. बोधराज शेट एफसिए 19 ए दैओदार स्ट्रीट फ्लॉट नं बि1-214 नान्दिक एपार्टमेन्ट कलकत्ता-700 019	08/12/2000	32	051793 मि. रामस्वरूप तुलसीयान एफसिए आर एस तुलसीयान एंड को० 62 बेन्टिके स्ट्रीट, तृतीय तल्ला, कलकत्ता-700 069	08/12/2000
21	050334 मि. भगचौंद जैन एफसिए 2बि ग्रान्ट लेन, द्वितीय तल्ला कलकत्ता-700 012	08/12/2000	33	051833 मि. प्रेम कुमार भोतिका एफसिए 65 बाजाल पाड़ा लेन सालकिया, हावड़ा-711 106	08/12/2000
22	050567 मि. मदनलाल बाफना एफसिए 20 ए रमेश मित्र रोड कलकत्ता-700 025	08/12/2000	34	051843 मि. अभय मिश्र एफसिए प्रयन्त मेसार्स राजेश चतुर्वेदी एंड एसोसियेटस् 337 पर्णश्री, कलकत्ता-700 060	08/12/2000
23	050623 अशोक कुमार दासगुप्ता एफसिए 4 कसबा रोड (हालतु बाजार और तरुण सार्भिस स्टेशन के बीच में) कलकत्ता-700 078	20/02/2001	35	052140 मि. विजय कुमार सारायोगी एफसिए मेसार्स वि के सारायोगी एंड को० कक्षा नं 401 मर्गलम 24 हेमन्त बासु सरणी कलकत्ता-700 001	08/12/2000
24	050777 अशोक भाण्डारी एफसिए 9 राजीव एपार्टमेन्ट्स 19 बि मेन्डेभिला गाडेन्स कलकत्ता-700 019	08/12/2000	36	052216 मि. ननीगोपाल कुण्डु एफसिए 3 बि बेलियाघाटा मैन रोड कलकत्ता-700 085	08/12/2000
25	050971 नरेश कुमार जैन एफसिए 4 सि अरविट 1 गार्सिस्टिन प्लेस कलकत्ता-700 001	08/12/2000	37	052380 मि. विश्वनाथ साहा एफसिए पो. आ. और गाव: बिधाननगर कलकत्ता-700 066	08/12/2000
26	051102 मि. गोपाल चन्द्र दीग एफसिए एरिया फिनान्स मेनेजर पश्चिम झरिया, पो. आ. मुनिडिह धानबाद-828 129	08/12/2000	38	052389 मि. अजित कुमार जैन एफसिए मणि टावार्स, फ्लॉट डि-1 31/41 बिनोया भाव रोड दक्षिण ब्लॉक, कलकत्ता-700 038	08/12/2000
27	051178 मि. शेखरकान्ति राय एफसिए 4/17 पुर्वपल्ली, 24 परगना सोदपुर-743 178	08/12/2000	39	052550 मिस्. मधुमिता घोष एफसिए 66 हिन्दुस्तान पार्क कलकत्ता-700 029	09/11/2000
28	051398 मि. अंजनी कुमार अग्रवाल एफसिए एस आर वाटली वाय एंड को० 36 गणेश चन्द्र एवेन्यु कलकत्ता-700 013	08/12/2000	40	052617 मि. अजंम बेनार्जी एफसिए 71, एस. एन बेनार्जी रोड कलकत्ता-700 014	30/11/2000
29	051416 मि. राम अवतार झांनवार एफसिए 23/1 गडियाहाट रोड (पश्चिम) कलकत्ता-700 068	08/12/2000	41	052693 मि. समीर कुमार भट्टाचार्य एफसिए मेनेजर फिनान्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कागम माइनि लिमिटेड पी. ओ. बाक्स 21657 किटवे जाम्बिआ 0 जाम्बिआ	08/12/2000

42	052755	मि. देवाशिस सरकार एफसिए 208 एन एस सि बोस रोड फ्लाट नं० 1 डि कलकत्ता-700 040	08/12/2000	53	053967	मि. एस एवीन्द्रन एसिए आइ डि वि आइ बैंक लिमिटेड 101 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700 016	08/12/2000
43	052784	मि. केशव अग्रवाल एफसिए 225, प्रान्तिक पल्ली कलकत्ता-700 042	08/12/2000	54	054182	मि. पार्थ प्रतिम होड़ एसिए चीफ फिनान्स आफसर टेस्टि बाइट इटेब्लास लिमिटेड आर-4 कोहिनुर एस्टेट वाकडेवाडि बम्बे पुने रोड 3 पुने-411 003	08/12/2000
44	052992	मि रामिन्दर सिं सेखन एसिए एम ए-1/6, फ्लाट 2 बि गार्डन एस्टेटस कलकत्ता-0	08/12/2000	55	054291	मि अरुण कुमार अग्रवाल एफसिए 11 क्लाइव रो, तृतीय तला कक्षा नं 2 बि, कलकत्ता-700 007	08/12/2000
45	053136	मि. अजयकुमार बोस एसिए 1/13 पाइक पाड़ा रो कलकत्ता-700 037	08/12/2000	56	054307	मि. आश्रम पुरोहित एफसिए 35, स्यार हरिराम गोयेका स्ट्रीट कलकत्ता-700 007	08/12/2000
46	053396	मि. दिव्येन्दु दत्ता चौधुरी एफसिए 41 रेल विहार, सेक्टर-30 नयडा-201 303	08/12/2000	57	054336	मि. विजय टेडन एसिए एड्यु बि-292/1 साव्ट लेक, सेक्टर-III कलकत्ता-700 091	08/12/2000
47	053450	मि. बासुदेव नन्दी एफसिए मेसार्स बि नन्दी एंड को० 86 पुर्व सिंथि बाइ लेन (मयदान पल्ली) कलकत्ता-700 030	08/12/2000	58	054343	मि. संजय नागालिया एसिए पी ओ बाक्स 2232, रुइ, पोस्टाल कोड-112 सुलतानेत आभ ओमान-0 सुलतानेत आभ ओमान	08/12/2000
48	053576	मि. बिजयराज जैन एफसिए 32 एजरा स्ट्रीट, कक्षा नं 1062 दशम तला, कलकत्ता-700 001	08/12/2000	59	054350	मि. संजय कुमार लयालका एसिए प्रयन्ते हिन्दुस्थान ग्यास एंड इन्डस्ट्रिज लिमिटेड 22 निड टैंगरा रोड, कलकत्ता-700 046	08/12/2000
49	053679	मि. अशोक कुमार बोकारिया एफसिए ए के बोकारिया एंड को० 113 नेताजी सुभाष रोड तृतीय तला, कक्षा नं 40 कलकत्ता-700 001	08/12/2000	60	054641	मि. जय सरकार एसिए फ्लाट नं 1 सि, शिवम एपार्टमेन्टस 134 पुर्व पल्ली, कसवा (हालतु) कलकत्ता-700 078	01/12/2000
50	053693	मि. अरुण कुमार जैन एफसिए प्रयन्ते बि सि जैन एंड एसोसियेटस 2 बि ग्रान्ट लेन द्वितीय तला, कक्षा नं 74 कलकत्ता-700 012	08/12/2000	61	054744	मि. सुप्रिय सेनगुप्ता एसिए प्रयन्ते डि वासगुप्ता पि-80ए लेक रोड द्वितीय तला कलकत्ता-700 029	06/02/2001
51	053704	मि. आशीश कुमार गोस्वामी एसिए डेपुटी मेनेजर डावलु सि एल माजरी अंधल सि-14 कुचना हाउसिं कामप्लेक्स कुचना, पो. आ. रोम्बाल चन्द्रपुर-442 907	08/12/2000	62	054835	मि. अशोक कुमार अग्रवाल एफसिए 36, महर्षि देवेन्द्र रोड कक्षा नं 606, कलकत्ता-700 006	08/12/2000
52	053886	मिस. कुसुम गुप्ता एसिए 10/9 गोविन्दपुर रोड कलकत्ता-700 045	11/12/2000	63	054858	मि. अरुण प्रकाश खैतान एसिए प्रयन्ते महेश कुमार अग्रवाल फ्लाट नं 308, ब्लॉक ए 138 जि टि रोड हावड़ा-711 101	08/12/2000
				64	054890	मि. प्रमोद कुमार पति एसिए डि-22 एन डि डि वि केम्पास वेस्टार्न एक्सप्रेस हाईवे गुरेगावें (पुर्व), मुम्बई-400 065	03/11/2000

65	054920	मि. सजय कुमार चौधुरी एफसिए 29 एन एस बि रोड जिला बर्धमान, रानीगंज-713 347	08/12/2000	76	055629	मि. अशोक कुमार एफसिए मेसार्स अग्रवाल माईश्वरी एंड को० 2 बि. ग्रान्ट लेन, कक्षा नं 88 घतुर्थ तला, कलकत्ता-700 033	08/12/2000
66	054941	मि. पि. राजाराओ पात्र एफसिए 303 निहारिका एपार्टमेन्ट कटक रोड, भुवनेश्वर-751 007	08/12/2000	77	055643	मिस. आशा एम. बाथिया एफसिए 69 टि प्रिन्स वक्तियार शाह रोड कलकत्ता-700 033	08/12/2000
67	055021	मि. दिलीप कुमार सिपानी एफसिए परमेश्वर बिलडिंग घतुर्थ तला, छत्रिबारि कक्षा नं 7, गुआहाटि-781 001	08/12/2000	78	055650	मि. सुधीर कुमार एफसिए फ्लाट 12सि मिन्टो पार्क सिडिकेट 13 डि एल खान रोड आलिपुर, कलकत्ता-700 027	08/12/2000
68	055186	मि. राजीव कुमार पाण्डे एफसिए प्रयन्ते वीरेन्द्र कुमार पाण्डे फ्लाट नं बि-4 इ सेह गार्डन 28 राज बाहादुर रोड कलकत्ता-700 053	08/12/2000	79	055651	मिस. ज्योति कुमार एफसिए मेनेजार ग्लोबल ट्रास्ट बैंक ओएम टावर 32 चौरिंगी रोड कलकत्ता-700 027	08/12/2000
69	055202	मि. सोम्यब्रत गुहाठाकुरता एफसिए 296 एस एन राय रोड फ्लाट नं 4, कलकत्ता-700 038	08/12/2000	80	055706	मि. हिमांशु कुमार अधिकारी एफसिए 160 ए जादव घोष रोड, सरसुना कलकत्ता-700 007	08/12/2000
70	055266	मि. सजय गोयेल एफसिए पो आ बाक्स 60552 गाबोरोन, बोटसोवाना 0 बोटसोवाना	08/12/2000	81	055804	मि. भास्कास ज्योति बड्ड्या एफसिए आसाम टी ब्रोकार्स प्राइवेट लिमिटेड रुक्मिणीनगर, जि एस रोड गुआहाटि-781 006	08/12/2000
71	055411	मि. निखिलेश गुप्ता एफसिए ब्लॉक 852 टेमपाइन्स स्ट्रीट 82 #06-205 सिंगापुर-520 852 सिंगापुर	04/12/2000	82	055870	मि. गीतामंशु मुखोपाध्याय एफसिए 29/1 राइ मोहन बेनार्जी रोड कलकत्ता-700 035	08/12/2000
72	055493	मि. ब्रह्मानन्द पानी एफसिए डि-2 फेकाल्टि हाउसिं नेशनल इन्स्टिट्यूट आभ डिजाइन, पालडि आहमेदाबाद-380 007	08/12/2000	83	056048	मि. अलोक कुमार बियानी एफसिए दिनेश एपार्टमेन्ट्स फ्लाट नं A.5.3 113/3 दक्षिण दौंडि रोड, श्रीभूमि कलकत्ता-700 048	08/12/2000
73	055505	मि. मि भराधाराजन एफसिए फ्लाट नं 2ए द्वितीय तला 18 करुणामयी घाट रोड कलकत्ता-700 082	08/12/2000	84	056144	मि. सन्दीप गुप्ता एफसिए प्रयन्ते जि एस गुप्ता 6 ए किरण शंकर राय रोड द्वितीय तला कलकत्ता-700 001	08/12/2000
74	055582	मि. विश्वजित दत्ता एफसिए 1 राममोहन प्लेस जिला हुगली कोन्ननगर-712 235	08/12/2000	85	056245	मि. देवेन्द्र कुमार बोहरा एफसिए होटेल आनन्द बिल्डिंग खीयाभग रोड मणिपुर इम्फल-795 001	08/12/2000
75	055617	मि. दिलीप पाल एफसिए ए 2/2 नीरद एपार्टमेन्ट 'एल' रोड बिष्टुपुर जामशेदपुर-831 001	08/12/2000	86	056424	मि. महेश कुमार सांगेनेरिया एफसिए महेश सांगेनेरिया एंड को० बजरंग भवन, प्रथम तला फेसिं बाजार, इउको बैंक के सामने गुआहाटि-781 001	08/12/2000

87	056498	मि. संजय कुमार अग्रवाल एसिए प्लॉट नं एन 3/410 आइ आर सि गॉव नया पल्ली भुवनेश्वर-751 015	08/12/2000	97	057165	मि. राजेश शर्मा एसिए उइ ब्रेसेन्ट टावर 229 ए जे सि बोस रोड कलकत्ता-700 020	08/12/2000
88	056512	मिस. मोनिका सिपानि एफसिए परमेश्वरी बिल्डि चतुर्थ तल्ला, कक्षा नं 7 घन्निबारि गुआहाटि-781 001	08/12/2000	98	057174	मि. सुरेश कुमार साराओगि एसिए 37 डा. अबनी दत्ता रोड गगनाचल कामप्लेक्स हावड़ा-711 106	08/12/2000
89	056633	मि. ललित तोशनीवाल एसिए एक्सपेक्ट्राम सलुयशानस 22/9 मनोहर पुकुर रोड कलकत्ता-700 026	08/12/2000	99	057264	मि बिपल्ब समाजदार एसिए 10 किरण शंकर राय रोड तृतीय तल्ला कलकत्ता-700 001	08/12/2000
90	056698	मि. दीपक सेन एसिए प्रयन्ते मि. समीरकुमार दत्ता 9 खेलात बाबु लेन कलकत्ता-700 037	08/12/2000	100	057389	मि राजेश कुमार कल्याणी एसिए प्रयन्ते आर एस आर मोहता एस पि जि एंड डायलु मि जि मिलस लिमिटेड पो आ हिंगनघाट, जिला वार्धा, वार्धा०	08/12/2000
91	056928	मि. प्रवीण कुमार त्रिवेदी एसिए 356/26 एस के बोस सरणी कालिन्दी पश्चिम चतुर्थ तल्ला घासी पारा कलकत्ता-700 030	08/12/2000	101	057450	मि निलाद्रि प्रसाद मिश्र एसिए प्लॉट नं एन/1/70 नयापल्ली बिल्डि एन. एडव-5 भुवनेश्वर-751 013	08/12/2000
92	056977	मि. आनन्द कुमार सुराना एसिए प्रयन्ते आलेक्सान्द्रिया कार्वन ब्लाक को० एस एइ एल नाहदा रोड एमरेया, आलेक्सान्द्रिया इजिप्ट० इजिप्ट	15/12/2000	102	057478	मि. अरिजित बन्धोपाध्याय एसिए भि एस एन एल एल मि एस बि काशीनाथ धुरु मार्ग प्रभादेवी मुम्बई-400 028	08/12/2000
93	057018	मि. प्रशांत गुप्ता एसिए शांति नगर बिल्डि नं 5 प्लॉट नं 27 लिलुया, हावड़ा-711 204	08/12/2000	103	057497	मि बि. कार्तिकेयन एसिए कापेरिशन बैंक जोनाल आफिस 16/10 आर्य समाज रोड कारोलबाग नयादिल्ली-110 005	08/12/2000
94	057041	मि. आशिस मजुमदार एसिए 188/61 प्रिन्स आनवार शाह रोड कलकत्ता-700 045	08/12/2000	104	057518	मि. अरुण कुमार गुप्ता एसिए 33 अभय गुहा रोड प्लॉट नं 201 लिलुया हावड़ा-711 204	08/12/2000
95	057071	मि. राजकुमार गाधवाला एफसिए 65एन एस रोड घोष मार्केट प्रथम तल्ला, कक्षा नं 19 रानीगंज-713 347	09/12/2000	105	057622	मि. मुकेश कुमार एसिए 6/1/1 पद्मपुकर (नेताजी नगर) कलकत्ता-700 042	08/12/2000
96	057096	मि श्याम सुन्दर राथी एसिए आइ डि वि आइ नरिमेन भवन नरिमेन पयेन्ट मुम्बई-400 021	09/02/2001	106	057665	मि. विश्वरुप सोम एसिए 4/ए/1 धर्मतल्ला रोड प्रथम तल्ला कलकत्ता-700 042	08/12/2000
				107	057777	मि. अलोक गारोदिया एसिए फ्रिटो ले, जे 174 विजय रत्न विहार सेक्टर-15 (पार्ट II) गुरागाँव 0	08/12/2000

108	057938	मि. अनिल अग्रवाल एसिए 8 बीशातला लेन कलकत्ता-700 001	08/12/2000	119	058569	मि. सुरज कुमार धनधनिया एसिए 228, एम. जि. रोड द्वितीय तला कलकत्ता-700 007	08/12/2000
109	058052	मि. विजय कुमार लेका एसिए अटोमोटिव वायारिंग सिस्टेम्स लिमिटेड 4 माइल पोस्ट नगर रोड पुणे-411 014	09/10/2000	120	058793	मि. शारदा अग्रवाल एसिए 3ए महाराज एपार्टमेन्ट 2 ब्रड स्ट्रीट कलकत्ता-700 019	08/12/2000
110	058068	मि. देबदुलाल चट्टोपाध्याय एसिए उत्तरायण, हाउस नं 42 जिला हुगली रिषड़ा-712 102	08/12/2000	121	058846	मि. संजीव कुमार सिंह एसिए केपिटाल एकाउन्ट्स ग्रुप जेनेराल आफिस बिल्डिंग टाटा स्टील जामशेदपुर-831 001	08/12/2000
111	058085	मि. बिकाश चौधुरी एसिए बि चौधुरी एंड एसोसियेट्स प्रयन्ते चौधुरी हाउस नेहरू रोड शिलिगुड़ी-734 405	08/12/2000	122	058876	मि. दीप्ति रंजन मोहान्ति एसिए गोविन्देश्वर रोड, आल्ड टाउन भुवनेश्वर-751 002	28/09/2000
112	058116	मि. अमित कुमार जैन एसिए सि 33 सानराइज फ्लॉट नं 605 एंड 606 शास्त्री नगर लोक मान्डावाला के नज़दीक औधेरी (पश्चिम) मुम्बई-400 053	08/12/2001	123	058901	मिस. सिम्पि अरोरा एसिए ए-1/2/203 सुधीधाम 10 सि कामप्लेक्स जेनेराल ए के विद्या मार्ग मालदा (पुर्व) मुम्बई-400 097	08/12/2000
113	058192	मि. प्रद्युम्न घोष एसिए आईन्थ लिमिटेड 108 एमबेसी सेन्टार 11 क्रिसेन्ट रोड बांगलोर-560 001	07/02/2001	124	058992	मि. अनुराग भागानिया एसिए ए/31 तक्षशीला एपार्टमेन्ट्स 57 आइ पि एक्सटेन्शन दिल्ली-110 092	08/12/2000
114	058199	मि. सजन धानुका एसिए 12 मेगों लेन कलकत्ता-700 001	08/12/2000	125	059238	मि. विवेक गुप्ता एसिए शांति नगर, बिल्डिंग नं-5, फ्लॉट-27 लिसुया, हावड़ा-711 204	08/12/2000
115	058202	मि. राजेश कुमार जैन एसिए 127 नेताजी सुभाष रोड चतुर्थ तला, कक्षा नं 402 हावड़ा-700 001	08/12/2000	126	059258	मि. लक्ष्मीपत बाँधिया एसिए फ्लॉट 5 इंसि मणिकोचन 5/1/1 बि डा. आर के एम सरणी कलकत्ता-700 019	08/12/2000
116	058336	मि. अरविन्द घोखानी एसिए एफ डि-16, सेक्टर III साल्ट लेक सिटि कलकत्ता-700 091	08/12/2000	127	059294	मि. अनिल कुमार डालमिया एसिए प्रयन्ते मेसार्स जि गर्ग एंड को० 14/2 ओल्ड चायना बाजार स्ट्रीट प्रथम तला, कलकत्ता-700 001	08/12/2000
117	058435	मि. राजशेखर पटनायक एसिए निमर्ल भवन, डि आर नं 15-97 अरुन्धती कालोनी, केन्टनमेन्ट कलकत्ता-0	14/12/2000	128	059302	मि. सजय कुमार नाहाटा एसिए रुद्र हिल एपार्टमेन्ट फ्लॉट नं-बि-4, तृतीय तला ए डि रवीन्द्र पल्ली केषपुर कलकत्ता-700 059	08/12/2000
118	058556	मि. राजेश कुमार सिंघल एसिए 23 मित्र लेन कलकत्ता-700 007	08/12/2000	129	059306	मि. सुनील कुमार जैन एसिए प्रयन्ते लोधा केपिटाल मार्केट्स लिमिटेड 13/3 स्ट्रांड रोड 3 कलकत्ता-700 001	08/12/2000

130	059404	मि. राजेश कुमार जैन एसिए प्रयन्ते अभयकुमार जैन रोशन मार्केट, द्वितीय तल्ला फेन्सि बाजार गुआहाटि-781 001	08/12/2001	140	200282	मि. पि. आनन्द कुमार एसिए प्रयन्ते कोयेस्ट इन्टारनेशनल 6 साकि विहार रोड साकिनाका मुम्बई-400 072	08/12/2000
131	059420	मि. लक्षण कुमार प्रसाद एसिए प्रयन्ते भोल्टास लिमिटेड गिलेन्डार हाउस, 8 एन एस रोड कलकत्ता-700 001	08/12/2000	141	206143	मि. कालागोलाप राजत राय एसिए पो. आ बालिदुठ मायाकुजग जिला-जगनसिंहपुर उडिसा, जगनसिंहपुर-754 141	08/12/2000
132	059832	मि. रिशेश कुमार मुन्द्रा एसिए प्रयन्ते पि के मुन्द्रा एंड को० 1 ब्लूकेड लेन 119 मारलिन चैम्बर्स कलकत्ता-700 069	08/12/2000	142	207497	मि. राजेन्द्र कुमार सारागी एसिए सि-7 पार्क भिउ एपार्टमेन्टस् फास्ट प्रफेसर कालोनि तामब्राम पुर्व चेन्नई-600 056	08/12/2000
133	059898	मि. रितुम जैन एसिए फ्लाट 4 ए मेट्रो टावार्स 1 हो चि मिन सरणी कलकत्ता-700 071	08/12/2000	143	057506	मि. सुदर्शन कुमार अग्रवाल 7/15 ग्रान्ट लेन, द्वितीय तल्ला कलकत्ता-700 012	08/12/2000
134	060009	मि. विकास कुमार अग्रवाल एसिए सिनियर एकाउन्टेन्ट डिओलाइट एंड टाच पो. आ. बाक्स 778 बोस्टोआना गोबोरोन 0, बोस्टोआना	08/12/2000				
135	060091	मि. देवदुलाल बन्द्योपाध्याय एसिए मेसार्स डि के दे सरकार एंड को० 167/4 लेनिन सरणी, तृतीय तल्ला कलकत्ता-700 072	08/12/2000				
136	060193	मि. अमित छाओछारिया एसिए सिटि बैंक एन ए सिटि बैंक सेन्टार फ्लाट सि 061, बान्द्रा कुरल कामप्लेक्स बान्द्रा (पुर्व), मुम्बई-400 051	08/12/2000				
137	089188	मि. अभिका प्रसाद विश्वजित मल्लिक एफएसिए एस के सामाल एंड एसोसियेटस बि-221 एडच आइ जि डुप्लेक्स बारमुडा भुवनेश्वर-751 003	08/12/2000				
138	105724	मि. करुणाकर पानसारि एसिए प्रयन्ते अन्नपुर्णा राइस मिलस् बारगर-768 028	08/12/2000				
139	107255	मिस. मनीषा धरनीधरका एसिए ए5 एडच, खेह गाडेन्स 28, राय बाहादुर रोड कलकत्ता-700 053	08/12/2000				

31/12/2001  
(अशोक हलिदया)  
सचिव




10 DEC 2001

3ईसीए/5/5/2000-2001: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए/4/41/2000-2001 दिनांक 26/03/2001, के संदर्भ में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यो जिनका क्रम संख्या है 5,8,12,18,25, 26,30,35,37,39,43,47,48,58,59,61,64,66,69,72,73,74,78,80,82,85 86,87,92,99,104,115,117,118 एवं 119 क्रमानुसारे का कार्य प्रमाण पत्र 8 दिसम्बर 2000 से रद्द समझे जाएँगे क्योंकि उन्होने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1	006998	मि. सुशीलकुमार मजुमदार 36/3, पि जि एम शाह रोड अजलि एपार्टमेंट, फ्लाट-ए कलकत्ता-700 033
2	011926	मि. शिवाजी दासगुप्ता प्रयत्ने पि सरकार एंड एसोसियेटस् 35, चित्तरंजन एवेन्यु, तृतीय तल्ला कलकत्ता-700 012
3	050151	मि. राजेन्द्र कुमार मुकीम मुकीम एंड एसोसियेटस्, मुकीम भवन, द्वितीय तल्ला, जि टि रोड, आसानसोल-713301
4	051550	मि. परिमल सरकार पि सरकार एंड एसोसियेटस् 35, चित्तरंजन एवेन्यु, तृतीय तल्ला, कलकत्ता-700 012
5	052560	मि. आनन्द चॉद मेहता बि-1, गार्डेन एपार्टमेंट्स 2/10 शरत बोस रोड कलकत्ता-700 020
6	052568	मि. नंदन कुमार बागची प्रयत्ने पवित्रपद चक्रवर्ती 47 नंदन कानन साउथ, जिला-28 परगना (उत्तर), रहडा-743186

7	053372	मि. प्रकाशकुमार अग्रवाल 13ए, डेकर्स लेन, कक्षा न-508 पचम तल्ला कलकत्ता-700 069
8	053812	मि. अजयकुमार टोडि 205, रवीन्द्र सरणी द्वितीय तल्ला, कक्षा न 81 कलकत्ता-700 007
9	054063	मि. सव्यसाची सेन प्रयत्ने पि एम सेन, निचि तल्ला, फ्लाट 2- 96 कार्कुलिया राड कलकत्ता-700 029
10	054308	मि. शिव शंकर गुप्त डेपुटी चेयारमन, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जिला जगत सिंहपुर पारादीप-754 142
11	054593	मि. प्रेम कुमार गंगुली 11, क्लाइव रो, तृतीय तल्ला कक्षा न 11, कलकत्ता-700 002
12	055065	मि. रागनी शर्मा 198 बि शरत बोस रोड कलकत्ता-700 029
13	055106	मि. अजय टिब्रेवाल ए डि/63 रास्त लेक, सेक्टर-1 कलकत्ता-700 064
14	055715	मि. सुबोध कुमार मिश्र कक्षा न-6 एड तृतीय तल्ला, 161/1 महान्मा गांधी रोड कलकत्ता-700 007
15	055782	मि. प्रदीपकुमार लुहारुका 90/95 राजारहाट रोड गंगा एपार्टमेंट, तृतीय तल्ला कलकत्ता-700 059
16	055940	मि. श्रीनाथ मुखार्जी लेन्सडाउन स्कोयार मेनशन 30 बि पद्मपुंकर रोड कलकत्ता-700 020

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 17 | 056221 मि. एस घोष घोषुरी<br>'मोनालिसा'<br>28/4 मोतिझिल एवेन्यु<br>कलकत्ता-700 074   | 29 | 058045 मिस. तनुजा सिनहा<br>सि-6/4 ग्रीन टावर<br>गाल्फ ग्रीन<br>कलकत्ता-700 095   |
| 18 | 056317 मि. सुधीरंजन पात्र<br>116/2 नरसिंह दत्ता रोड<br>हायड्रा-711 101  | 30 | 058456 मि. सुनीलकुमार पाटावारी<br>प्रयत्ने बाबुलाल अग्रवाल<br>156 बैठक खाना रोड,<br>द्वितीय तल्ला, कलकत्ता-700 009         |
| 19 | 056663 मि. सुबीर रक्षित<br>3 ए. जयदीप नाथ राय लेन<br>कलकत्ता-700 006  | 31 | 058752 मि. पंकज आरोरा<br>पि-92 ब्लाक बि, तृतीय तल्ला, बागुर एवेन्यु<br>कलकत्ता-700 055                                     |
| 20 | 056737 मि. समरेन्द्र पानी<br>फ्लॉट नं 2132/5036<br>नागेश्वर टागी लियुस रोड<br>भुवनेश्वर-751 002   | 32 | 059930 मि. जयन्त कुमार पांडा<br>प्रयत्ने सन्तोष रथ, कल्पना स्कोयार<br>कोवार्टर नं-2, आर बि 1/2 उडिसा,<br>भुवनेश्वर-751 014 |
| 21 | 056822 मि सुभाशिश दे<br>फ्लॉट 2/3 'गोधुलि एपार्टमेंट्स' एई-1<br>रवीन्द्र पल्ली, पो. आ. प्रफुल्ल कानन<br>कृष्णपुर, कलकत्ता-700 059   | 33 | 060108 मि पार्थ सारथि मिश्र<br>फ्लॉट नं 270 प्रथम तल्ला<br>खारभेल नगर, युनिट-III<br>भुवनेश्वर-751 001                      |
| 22 | 056886 मि. एन गुरुमुर्ति<br>प्रयत्ने मेसार्स पि सरकार एंड एसोसियेटेड्स<br>35 सि आर एवेन्यु, तृतीय तल्ला<br>कलकत्ता-700 012  | 34 | 060208 मि. रोहित सरफ<br>11 ए. कालाकार स्ट्रीट<br>भुवनेश्वर-700 007   |
| 23 | 057116 मि. विनीता अग्रवाल<br>13 ए डेकर्स लेन, पंचम तल्ला<br>कक्षा नं 508, कलकत्ता-700 069   | 35 | 060293 मिस. अरुणा सुग्रहमनियाम<br>112/2 सेलिम पुर रोड<br>कलकत्ता-700 031   |
| 24 | 057228 मि. कमलकुमार गोयेका<br>1/1 इ साउथ सिथी रोड<br>कलकत्ता-700 050  |    |  |
| 25 | 057350 मि. रमेश कुमार बनसाल<br>आई टि सि लिमिटेड,<br>37 बौरिगि, इन्टारनेल आडिट डिपार्टमेंट<br>(छै तल्ला) कलकत्ता-700 071   |    |  |
| 26 | 057623 मि. विकास खांडेलव्वा<br>ब्लाक ए, फ्लॉट-501, 36<br>पाम एवेन्यु<br>कलकत्ता-700 019   |    |  |
| 27 | 057641 मि. दीपालि भाण्डारी<br>55 डि केनिग स्ट्रीट<br>प्रथम तल्ला,<br>कलकत्ता-700 001  |    |  |
| 28 | 057674 मि जयप्रकाश तोशनीवाल<br>एकालन्टस एक्सपेडिन्डटिव,<br>हिन्दुस्तान कोकाकोला बेभारिजेस प्राईवेट लिमिटेड<br>फ्लॉट 11/11 ए देवग्राम इन्डास्ट्रियल ग्रोथ सेन्टार<br>जलपाइगुडि |    |  |

  
 (अशोक हलिदया)  
 सचिव

कानपुर-208001 11 DEC 2001

3 सी.सी.ए (5)/2/2000-2001 : इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3 सी.ए.(4) (6) / 1988-89 दिनांक 09/02/1989, 3 सी.सी. ए.(4) (6) / 1993-94 दिनांक 01/12/1993, 3सी.सी.ए.(4) (1)/1996-97 दिनांक 02/12/1996, 3सी.सी.ए.(4)(4)/1997-98 दिनांक 12/03/1999, 3सी.सी.ए.(4) (1)/1998-99 दिनांक 23/04/1999, 3 सी.सी.ए.(4) (1)/99-2000 दिनांक 12/01/2000, 3 सी.सी.ए. (4) (1) /2000-2001 दिनांक 02/02/2001, 3 ई.सी.ए. (4)/3/1994-95 दिनांक 03/02/95 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
1.	003312 मि. गुप्ता महेश चन्द्र एफ. सी. ए. 133/189 एम ब्लाक किदवई नगर कानपुर-208011	08/12/2000
2.	007249 मि. टोडी गोविन्द राम एफ.सी.ए. मनास्थी 2/1 पारसी मोहल्ला, जी.पी.ओ. इन्दौर-452001	08/12/2000
3.	008084 मि. मेहता रमेश चन्द एफ.सी.ए. एस.बी.-10 गणेश मार्ग बापू नगर जयपुर-302015	08/12/2000
4.	010438 मि. शर्मा वासुधा बल्लभ एफ.सी.ए. 28 शमला हिल्स रोड भोपाल	08/12/2000
5.	012316 मि. सुजीत चन्द्र बन्धोपध्याय ए.सी.ए. डिप्टी जनरल मैनेजर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया मुम्बई मेन आफिस महात्मा गाँधी रोड, फोर्ट मुम्बई-400023	21/11/2000

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
6.	013085 मि. नहाता चन्दनमल ए.सी.ए. वृन्दावन अपार्टमेन्ट डी-2 मीरा मार्ग बानी पार्क जयपुर-302016	08/12/2000
7.	013310 मि. शर्मा राजेन्द्र एफ.सी.ए. आर. सन्डिल्या एण्ड कम्पनी अमृत रघु नाथ जी का मन्दिर जयपुर - 302002	08/12/2000
8.	014272 मि. सक्सेना बिपिन कुमार ए.सी.ए. प्लेट नं० 40 जै लक्ष्मी अपार्टमेन्ट प्लाट नं० 59 आई. पी. एक्सटेन्शन दिल्ली-110092	23/01/2001
9.	028870 मि. श्रीनिवासन आर एफ.सी.ए. 712 एक्सप्रेस अपार्टमेन्टस वैशाली गोजियाबाद	08/12/2000
10.	030806 मि. तविन्दर जीत सिंह एफ.सी.ए. 61 मोतीलाल नेहरू नगर एस.ए.एफ. लाइन्स भिलाई नगर दुर्ग-490022	08/12/2000

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
26.	070407 मि. माथुर प्रेम बिहारी एफ.सी.ए. ग्राउन्ड फ्लोर "साई दीप" बिल्डिंग 7/29, तिलक नगर, कानपुर-208002	08/12/2000
27.	070449 मि. अग्रवाल वेद प्रकाश एफ.सी.ए. 71 आदर्श कालोनी सिविल लाइन्स रामपुर-244901	08/12/2000
28.	070712 मि. दादू राजेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. आर-14/53 निव राज नगर गाजियाबाद-201002	08/12/2000
29.	070790 मि. शाह नवीन चन्द्र ए.सी.ए. 309 5 ए.वी.ई. 500, न्यूयार्क न्यूयार्क-10016 न्यूयार्क यू.एस.ए.	08/12/2000
30.	071228 मि. राजीव कृष्ण ए.सी.ए. नजर बाग बौदा-210001	08/12/2000
31.	071537 मि. इवानी सुधाकर एफ.सी.ए. प्लॉट नं० 3 ब्लॉक नं० 29 वेस्ट नहेरू नगर डि. दुर्ग भिलाई-490020	08/12/2000
32.	071913 मि. जैन महेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. 201 अभित चेम्बर 5-6 जौरा कम्पाउन्ड एम.वाई.एच. रोड इन्दौर-452001	08/12/2000

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
33.	072019 मि. घोष अमिताम एफ.सी.ए. चन्दन काम्पलेक्स नियर कोतवाली रायपुर	08/12/2000
34.	072025 मि. वर्मा दिनेश कुमार ए.सी.ए. सत्य भवन खाईलैण्ड मार्केट अजमेर	08/12/2000
35.	072158 मि. खण्डेलवाल दिनेश चन्द ए.सी.ए. 434 केशव नगर अन्ना सागर सरकुलर रोड अजमेर-305006	08/12/2000
36.	072200 मि. अग्रवाला संजय कुमार एफ.सी.ए. 30/220 फस्ट फ्लोर संजय प्लेस आगरा-282002	08/12/2000
37.	072238 मि. मादुरी मोयुख ए.सी.ए. सीनियर मैनेजर (फाइनेन्स) स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लि. भिलाई स्टील प्लान्ट भिलाई-490001	08/12/2000
38.	072271 मि. प्रमोद कुमार महेश्वरी ए.सी.ए. ए.डी.ए. फेस-द्वितीय आर्य नगर रामघाट रोड नियर डा० नवनीत महेश्वरी का रेजीडेन्स अलीगढ़	06/09/2000
39.	072583 मि. महेश्वरी सुनील कुमार द्वारकादास ए.सी.ए. एम-20 महेश कालोनी टंक फाटक जयपुर-302015	06/11/2000

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
26.	070407 मि. माथुर प्रेम बिहारी एफ.सी.ए. ग्राउन्ड फ्लोर "साई दीप" बिल्डिंग 7/29, तिलक नगर, कानपुर-208002	08/12/2000	33.	072019 मि. घोष अभिताम एफ.सी.ए. चन्दन काम्पलेक्स नियर कोतवाली रायपुर	08/12/2000
27.	070449 मि. अग्रवाल वेद प्रकाश एफ.सी.ए. 71 आदर्श कालोनी सिविल लाइन्स रामपुर-244901	08/12/2000	34.	072025 मि. वर्मा दिनेश कुमार ए.सी.ए. सत्य भवन खाईलैण्ड मार्केट अजमेर	08/12/2000
28.	070712 मि. दादू राजेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. आर-14/53 निव राज नगर गाजियाबाद-201002	08/12/2000	35.	072158 मि. खण्डेलवाल दिनेश चन्द ए.सी.ए. 434 केशव नगर अन्ना सागर सरकुलर रोड अजमेर-305006	08/12/2000
29.	070790 मि. शाह नवीन चन्द्र ए.सी.ए. 309 5 ए.वी.ई. 500, न्यूयार्क न्यूयार्क-10016 न्यूयार्क यू.एस.ए.	08/12/2000	36.	072200 मि. अग्रवाला संजय कुमार एफ.सी.ए. 30/220 फस्ट फ्लोर संजय प्लेस आगरा-282002	08/12/2000
30.	071228 मि. राजीव कृष्ण ए.सी.ए. नजर बाग बोंदा-210001	08/12/2000	37.	072238 मि. भादुरी मोयुख ए.सी.ए. सीनियर मैनेजर (फाइनेन्स) स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लि. भिलाई स्टील प्लान्ट भिलाई-490001	08/12/2000
31.	071537 मि. इवानी सुधाकर एफ.सी.ए. प्लॉट नं० 3 ब्लॉक नं० 29 वेस्ट नहेरू नगर डि. दुर्ग भिलाई-490020	08/12/2000	38.	072271 मि. प्रमोद कुमार महेश्वरी ए.सी.ए. ए.डी.ए. फेस-द्वितीय आर्य नगर रामघाट रोड नियर डा० नवनीत महेश्वरी का रेजीडेन्स अलीगढ़	06/09/2000
32.	071913 मि. जैन महेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. 201 अमित चेम्बर 5-6 जौरा कम्पाउन्ड एम.वाई.एच. रोड इन्दौर-452001	08/12/2000	39.	072583 मि. महेश्वरी सुनील कुमार द्वारकादास ए.सी.ए. एम-20 महेश कालोनी टंक फाटक जयपुर-302015	06/11/2000

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
40.	072611 मि. जैन अशोक कुमार एफ.सी.ए. 103 बरजटिया चेम्बर्स 44 जलोरा कम्पाउण्ड इन्दौर-452001	08/12/2000	47.	073626 मि. जैन राजेश ए.सी.ए. आर-58 जोन-1 एम.पी.नगर भोपाल-462003	08/12/2000
41.	072840 मि. राज शिरोमनी सिंह एफ.सी.ए. 134, एम.आई.जी. अवधपुरी लखनपुर कानपुर	08/12/2000	48.	073745 मि. चतुर्वेदी कृष्णा चन्द्र एफ.सी.ए. प्रथम तल शारदा मार्केट घट्टा बाजार मथुरा-281001	08/12/2000
42.	072888 मि. संजीव कुमार विजय ए.सी.ए. ट्रेजरर मसीलियन स्टेनलेस इनक. 411ओबर रोड एस. डब्लू. पो. आ. बाक्स नं.-4813 ओ. एच.-44648 मसीलियन यू.एस.ए.	08/12/2000	49.	73879 मि. टण्डन ललित नारायण ए.सी.ए. मैनेजर (एफ एण्ड ए) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि. पी.ओ बालको टाउनशिप कोरबा-495684	08/12/2000
43.	072969 मि. चौधरी सच्चिदानन्द ए.सी.ए. शिव सदन बी.बी. रोड करिनीबाद झारखण्ड बी. देवगढ़-814112	08/12/2000	50.	074006 मि. अनिल कुमार शर्मा एफ.सी.ए. फ्लैट नं० टी-2 मन्जुसा अपार्टमेन्ट्स बी-7 रामप्रस्थ गाजियाबाद-201011	08/12/2000
44.	073052 मि. कृपा शंकर ए.सी.ए. सुपरिन्टेन्डेन्ट एकाउन्ट सी-3 फेस-1 टी.सी.एल. काम्प्लेक्स बबराला बदौर्यु-202521	08/12/2000	51.	074060 मि. तिवारी संजय कुमार ए.सी.ए. कस्तूरी आंचल सी-123 डा. आर. के. कालोनी भीलवारा-311001	08/12/2000
45.	073454 मि. राजीव मोहन ए.सी.ए. 278-सी रीगल शिप्रा सन सिटी इन्दिरापुरम गाजियाबाद	29/12/2000	52.	074079 मि. मेहता सुरेन्द्र सिंह एफ.सी.ए. सुरेन्द्र सिंह मेहता एण्ड कम्पनी 101 सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट 51 महावीर नगर इन्दौर-452001	08/12/2000
46.	073574 मि. गुप्ता सुरेश कुमार एफ.सी.ए. 313 दूल्हा हाउस बापू बाजार जयपुर	08/12/2000	53.	074098 मि. अग्रवाला राजेश कुमार एफ.सी.ए. सेकेण्ड फ्लोर जानकी भवन नियर शाहिद पार्क फ्री गंज उज्जैन	08/12/2000
			54.	074104 मि. गेहानी रवि एफ.सी.ए. ए. एल. मोवासत हास्पिटल पो.आ. बाक्स-282 घम्मम-31411 सरुदी अरबिया	03/01/2001

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
55.	074243 मि. चौहान राजेन्द्र सिंह ए.सी.ए. धरतीनाथ भवेलियन बिहाइन्ड शास्त्री सरकल पी.ओ. उदयपुर-313001	08/12/2000	62.	074726 मि. सोनी संजय ए.सी.ए. फाइनेन्स मैनेजर सी.बी.एम. प्रोजेक्ट सेल सी.एम.पी.डी.आई रॉची-834008	08/12/2000
56.	074267 मि. खण्डेलवाल जीतमल ए.सी.ए. 60 शान्तीकुंज नियर सरकिट हाउस अलवर-301001	08/12/2000	63.	074760 मि. शुक्ला सुनील एम ए.सी.ए. बिहारी सदन 5 श्रीनगर (एनेकज) इन्दौर-452001	22/01/2001
57.	074286 मि. पारीख रविन्द्र एफ.सी.ए. 303 एण्ड 304 श्री गोपाल टावर अशोक मार्ग अहिंसा सर्किल सी-स्कीम जयपुर-302001	08/12/2000	64.	074840 मि. तिवारी राकेश ए.सी.ए. एच. न. 20/2528, तिवारी सदन पुरानी बस्ती कान महाजन का बार गोविन्द रजियन का रास्ता जयपुर-302001	08/12/2000
58.	074328 मि. जैन अशोक कुमार एफ.सी.ए. ए-5 मूनलाइट अपार्टमेन्ट 70 आई.पी. एक्टेन्शन पतपड़गंज दिल्ली-110092	08/12/2000	65.	074976 मि. श्रीवास्तव कृष्ण कुमार एफ.सी.ए. 117/एच-1/304 माडल टाउन पाण्डु नगर कानपुर-208005	08/12/2000
59.	074355 मि. जैदी सानुल हसन एफ.सी.ए. 117/556 पी-1 ब्लाक काकादेव कानपुर-208025	08/12/2000	66.	075064 मि. सक्सेना मुदित ए.सी.ए. 215 दिलजकपुर (नियर डा. सेन गुप्ता) गोरखपुर-273001	08/12/2000
60.	074405 मि. जैन दिनेश एफ.सी.ए. रूप कमल 13 बैंक कालोनी नवरंग नगर बेवर-305901	08/12/2000	67.	075204 मि. सोगनी महेश कुमार एफ.सी.ए. 66-ए रेडियो मार्केट नेहरू बाजार जयपुर-302001	08/12/2000
61.	074528 मि. कबरा अनिल कुमार ए.सी.ए. फाइनेन्स कन्ट्रोलर जयप्रकाश इण्डस्टीज लि० कैम्प बस्पा-द्वितीय हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (300एम.वी.वी) सोल्टु कालोनी पी.ओ. थापरी किन्नर-172104	08/12/2000	68.	075212 मि. व्यास राजेश कुमार एफ.सी.ए. व्यास कुटी पुरानी डीग भरतपुर-321001	08/12/2000
			69.	075327 मि. राजेश कुमार टी एफ.सी.ए. 25 मेघना सिंह मार्केट गुमटी नं०-5 कानपुर-208012	08/12/2000

क्र. संख्या	सदस्यता नाम व पता	दिनांक	क्र. संख्या	सदस्यता नाम व पता	दिनांक
70. 075370	मिस छाबरा रश्मि ए.सी.ए. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया पार्लियामेन्ट हाउस नई दिल्ली	08/12/2000	78. 076136	मि. मदन ज्योत्सना ए.सी.ए. 1000/2 शास्त्री नगर मेरठ-250001	08/12/2000
71. 075487	मि. खान हारून ए.सी.ए. पी.ओ. बाक्स नं०-2832 के.एम.पी.जी. सीएट मारविक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सलालह-211 सलतनत आफ ओमेन यू.ए.ई.	08/12/2000	79. 076171	मि. सिंघल महावीर प्रसाद ए.सी.ए. एम.पी.सिंघल एण्ड एसोसियेट्स 64 शापिंग सेन्टर कोटा-324007	08/12/2000
72. 075601	मि. मल्होत्रा रवि ए.सी.ए. डिप्टी मैनेजर (टैक्सेशन) एच.एम.टी. लि. बेवर रोड अजमेर-305003	08/12/2000	80. 076189	मि. शुक्ला शंखर एफ.सी.ए. 3/सी.एच./19 जवाहर नगर जयपुर-302004	08/12/2000
73. 075693	मि. अग्रवाल विवेक प्रकाश ए.सी.ए. द्वारा मि. अंकुश गुप्ता 37-ए मोतियाखान नई दिल्ली-110055	01/01/2001	81. 076240	मि. खण्डेलवाल श्याम सुन्दर ए.सी.ए. मेसर्स राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लि० ई-166, युधिष्ठिर मार्ग सी-स्कीम जयपुर	08/12/2000
74. 075734	मि. सन्बरवाल गिरीश ए.सी.ए. 3, जिलाधीश मार्ग राजपुर रोड देहरादून-248001	08/12/2000	82. 076280	मि. राजन संजीव कुमार ए.सी.ए. एल.आई.सी. आफ इण्डिया एफ. एण्ड ए. डिपार्टमेन्ट डिविजनल आफिस 19 एम.जी.मार्ग इन्दौर	19/02/2001
75. 075795	मि. सेन गुप्ता अमित एफ.सी.ए. एल-5/22 शास्त्री नगर सिगरा वाराणसी	08/12/2000	83. 076310	डा० जैन अरुन कुमार ए.सी.ए. महिला महाविद्यालय जोधपुर-342001	08/12/2000
76. 075981	मि. जैन सुरेन्द्र कुमार ए.सी.ए. 18, तरानी कालोनी देवास-455001	15/12/2000	84. 076311	मि. घूत प्रदीप ए.सी.ए. 27 मलहरगज (देवास) कन्नौड़-455332	08/12/2000
77. 076089	मि. सिंह अमित ए.सी.ए. 8 विद्या भवन स्कूल उदयपुर-313001	08/12/2000	85. 076325	मि. शर्मा नरेश कुमार ए.सी.ए. 44/45 कटेवा चेम्बरस शास्त्री नगर जयपुर-302016	08/12/2000




क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
86.	076345 मि. घोखानी प्रमोद कुमार ए.सी.ए. स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लि० 16/98 एम.जी.मार्ग एल.आई.सी. बिल्डिंग चतुर्थ मंजिल कानपुर-208001	08/12/2000	94.	076742 मि. खण्डेलवाल गजेन्द्र प्रकाश ए.सी.ए. 3768 सरस सदन गंगौरी बाजार जयपुर-302001	08/12/2000
87.	076348 मि. मुस्तफा अली ए.सी.ए. कास्टल टेड्रिंग एण्ड कान्टेनिंग कं० पी.ओ. बाक्स-2323 दुबई यू.ए.ई.	08/12/2000	95.	76777 मि. दुबलिश विपुल चन्द्र ए.सी.ए. 270 सोती गंज मेरठ-250001	08/12/2000
88.	076352 मि. सुशील कुमार ए.सी.ए. जे.आर. 4 डिण्डालको इण्डस्ट्रियल कालोनी रेनूकूट सोनमढ-231217	08/12/2000	96.	076779 मि. कश्यप मुकेश एफ.सी.ए. मेसर्स एम. कश्यप एण्ड एसोसियेट्स शान्ती विहार कालोनी डगनिया रायपुर-492001	08/12/2000
89.	076354 मि. चिन्ताकिन्दी राधा कृष्ण ए.सी.ए. सीनियर एकाउन्ट आफिसर नार्दन कूलफील्ड्स लि० जयंत प्रोजेक्ट सिद्धी-486890	08/12/2000	97.	076796 मि. गर्ग दीपक कुमार ए.सी.ए. योगी एसोसियेट्स 13 विक्टोरिया पार्क मेरठ-280004	08/12/2000
90.	076452 मि. झनवार मुकेश कुमार ए.सी.ए. नियर बालाजी टेम्पल सदर बाजार मदनगंज किरानगढ़-305802	08/12/2000	98.	076952 मि. समतानी पवन ए.सी.ए. प्लाट नं० 314/5 सेक्टर-द्वितीय नोयडा	08/12/2000
91.	076556 मि. गुप्ता विजय कुमार ए.सी.ए. 1096 बरकट नगर किरान मार्ग जयपुर-302015	08/12/2000	99.	077324 मि. सिधवी रजनीश ए.सी.ए. सीमाग्य ए-306 शास्त्री नगर जोधपुर	08/12/2000
92.	076631 मि. मंगल संजय ए.सी.ए. डी-34 एल.जी.एफ. ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली-110065	08/12/2000	100.	077423 मि. जैन राकेश कुमार ए.सी.ए. 165 स्कीम नं० 4 राजेन्द्र नगर अलवर-301001	08/12/2000
93.	076632 मि. अरोरा शिव कुमार एफ.सी.ए. हरनाम शिव एण्ड कम्पनी प्रगति विहार अपोजिट एन.आई.आई.टी. काशीपुर बाईपास रोड रुद्रपुर-263153	08/12/2000	101.	077517 मि. जैन पुष्पेन्द्र कुमार ए.सी.ए. 73/100 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर	14/07/2000

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
102.	077714 मि. अग्रवाल अमिताम ए.सी.ए. रामकुमार शिवदत्त राय सदर रोड पो.आ. फारबेसगंज अररिया	08/12/2000	110.	078575 मि. अमोलक ए.सी.ए. बी-19 रतन नगर नियर बालाजी हास्पिटल ढेर का बालाजी जयपुर-302012	08/12/2000
103.	077803 मि. मट्ट कमलेश कुमार ए.सी.ए. 1/9 किशनगज बेवर-305901	08/12/2000	111.	078707 मि. गर्ग भारत कुमार ए.सी.ए. डी2/23 हरमेश हेरीटेज यशवदा पुने	08/12/2000
104.	077821 मि. बेद विक्रम ए.सी.ए. के-18, दुर्गा दास पथ मालवीय मार्ग सी-स्कीम जयपुर-302001	08/12/2000	112.	078751 मि. सोपरा जितेन्द्र कुमार ए.सी.ए. डा0 जयप्रकाश कालोनी नियर दीन दयाल पार्क डिस्टि. बरन बरन-325205	08/12/2000
105.	77943 मि. अग्रवाल रोहित ए.सी.ए. सी-21, शिवाजी मार्ग डिग्गी हाउस रामबाग रोड, जयपुर-302001	08/12/2000	113.	078833 मि. तिवारी नवीन ए.सी.ए. 18 पंचमहल अपार्टमेन्ट्स 47, आई.पी. एक्सटेंशन नई दिल्ली-110092	08/12/2000
106.	078049 मि. अशवासुनील ए.सी.ए. 18, आहूजा मार्केट आपोजिट श्री कलाथ मार्केट पुर रोड भीलवारा-311001	08/12/2000	114.	079077 मि. पोरवाल राहुल ए.सी.ए. 28 सुराना स्ट्रीट मलदास स्ट्रीट उदयपुर-313001	08/12/2000
107.	078190 मि. विनोद कुमार ए.सी.ए. के-109 साउथ सिटी-प्रथम हरियाना गुड़गॉव-122001	08/12/2000	115.	079087 मि. शाह पंकज ए.सी.ए. के 37/110, ग्वाल दास साहू लेन वाराणसी-221001	08/12/2000
108.	078200 मि. हवेलिया नीलम ए.सी.ए. 18 आर्य समाज मन्दिर रोड गणेश गंज लखनऊ-226018	08/12/2000	116.	079089 मिस. कायथवाल पूजा ए.सी.ए. 14वीं मंजिल सी विंग मित्तल टावर 47/6 एम.जी.रोड बेंगलूर-600001	08/12/2000
109.	078514 मि. पोददार नरेश कुमार ए.सी.ए. साईट-द्वितीय डी-40 सेक्टर55 नोयडा-201301	08/12/2000	117.	079108 मि. खेटपाल प्रदीप ए.सी.ए. इन्द्र पुष्पा सिविल लाइन्स बिहाइन्ड छत्तीसगढ़ कालेज रायपुर-492001	08/12/2000

क्र. सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक	क्र. सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक
118. 079116	मि. गर्ग ललित ए.सी.ए. जी-5 चेतक सेन्टर 12/01 आर.एन.टी. मार्ग इन्दौर-452001	08/12/2000	127. 082338	मि. राकेश कृष्ण ए.सी.ए. सी-1/1565 वसंत कुंज नई दिल्ली-110070	21/07/2000
119. 079141	मि. चौधरी कुलदीप जे. ए.सी.ए. 208-कमला नेहरू नगर अजमेर रोड हीरापुर जयपुर	08/12/2000	128. 082477	मि. अशोक कुमार ए.सी.ए. मैनेजर (एफ एण्ड ए) ओ.एन.जी.सी. टेली. भवन देहरादून-248003	10/11/2000
120. 079180	मि. शुक्ला चन्द्र प्रकाश ए.सी.ए. 216 प्राइम प्लेस अरावली मार्ग फैजाबाद रोड लखनऊ	08/12/2000	129. 087064	मि. माथुर संजय एफ.सी.ए. ए-639 सेक्टर-19 नोयडा-201301	08/12/2000
121. 079340	मि. शर्मा संजीव ए.सी.ए. 1/132 एफ (प्रथम) साकेत कालोनी सुरेन्द्र नगर अलीगढ़	08/12/2000	130. 87383	मि. योगेश कुमार रेनबैकसी लेब लि० 25 नेहरू प्लेस नई दिल्ली	08/12/2000
122. 079516	मि. चोपरा सूर्य प्रकाश ए.सी.ए. बी-71 दुर्गादास नगर पाली मारवार-306401	08/12/2000	131. 087665	मि. अग्रवाल ध्रुव कुमार एफ.सी.ए. ए-69 बी सेक्टर-40 नोयडा-201301	08/12/2000
123. 079677	मि. घामनी मुकेश ए.सी.ए. डी-118ए. बाबू नगर कृष्ण मार्ग जयपुर-302015	08/12/2000	132. 088605	मि. मलहोत्रा राजेश एफ.सी.ए. 16/256/7 वसुन्धरा क्रिस्टि. गाजियाबाद सहीबाबाद	08/12/2000
124. 079704	मि. अरोरा अतुल ए.सी.ए. 41 अंकुर अपार्टमेंट्स 10 गुलमोहर एक्स रोड मुम्बई-400049	08/12/2000	133. 089330	मि. अग्रवाल उमेश एफ.सी.ए. बी-114 गनपति प्लाजा मिवाड़ी-301019	08/12/2000
125. 081155	मि. साहनी अनिल एफ.सी.ए. इफको लि० ओनला यूनिट बरेली-243403	08/01/2001	134. 089373	मि. गोयल अनिल कुमार एफ.सी.ए. 311-311 ए तृतीय मंजिल नामधारी चेम्बर डी.बी. गुप्ता रोड कारोल बाग नई दिल्ली-110005	08/12/2000
126. 081668	मि. गुप्ता अम्बरीश कुमार एफ.सी.ए. के-8 अनुपमा नगर रायपुर-492007	08/12/2000	135. 090000	मि. शशिकान्त आर. ए.सी.ए. के.पी.एम.एल पेट मारविक पी.ओ. बाक्स-7613 अय्यु टाबी यू.ए.ई.	08/12/2000

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
136.	090006 मि. महतो श्याम कुमार एफ.सी.ए. 304 जगत ट्रेड सेन्टर प्रसर रोड पटना-800001	29/11/2000	143.	093565 मि. पंकज मोहन ए.सी.ए. द्वारा श्री आर. एम. गुप्ता द्वतीय सी-117 नेहरू नगर गाजियाबाद-201001	08/12/2000
137.	090198 मि. मनोज कुमार ए.सी.ए. मेसर्स कुमार मनोज एण्ड कं. मधु सुदन दयाल चपेटी, अनूपसहर बुलन्दशहर-202390	08/12/2000	144.	093747 मि. मित्तल अजय ए.सी.ए. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० के.आर.पी.एल. रिफाईनरी पानीपत	08/12/2000
138.	091060 मि. शर्मा सुधीर कुमार एफ.सी.ए. 306 मस्जिद मोड एन.डी.एस.ई.-द्वितीय नई दिल्ली-110049	08/12/2000	145.	094489 मि. गुप्ता श्याम शंकर ए.सी.ए. अपोजिट हेड पोस्ट आफिस फिरोजाबाद-283203	08/12/2000
139.	091660 मि. गुप्ता राजेश कुमार एफ.सी.ए. सी-137 सेक्टर-15 नोयडा-201301	08/12/2000	146.	096077 मि. जैन हितेन्द्र कुमार ए.सी.ए. द्वारा जय कलेन्डर नियर खादी आश्रम अलवर-301001	08/12/2000
140.	091983 मि. सिंह हरनाम एफ.सी.ए. 15/5 शास्त्री नगर उद्यम सिंग नगर बाजपुर-262401	08/12/2000	147.	104323 मिस. कौल विनीता ए.सी.ए. 367 सेक्टर 3 राक्ति नगर मोपाल-462024	08/12/2000
141.	092499 मि. त्यागी प्रमोद ए.सी.ए. नीटाक्रास लि० बी-65 ओखला फेस-1 नई दिल्ली-110020	08/12/2000	148.	105557 मि. तोषनीवाल विनोद कुमार ए.सी.ए. गोकुल राय जी मोरा स्ट्रीट तोषनीवालों का नोहेरा भीलवाड़ा-311001	08/12/2000
142.	093278 मि. अग्रवाला संजीव कुमार ए.सी.ए. श्री डी. डी. सिंघल शान्ती पुरम ए.डी.ए. कालोनी आगरा रोड अलीगढ़	08/12/2000			

  
 (डा० अशोक हल्दिया)  
 सचिव

चेन्नई-600 034 १०/०४/२००१

3- एम सी.ए. (8)/1/2001-2002 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रकृति स प्रमाण पत्र उनके माग दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रकृति स प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	नाम एवं पता	दिनांक
1	003948	श्री शोशाधारी टी एस, एफसीए नं. 13 ( ओल्ड नं.7) फर्स्ट क्रोस स्ट्रीट, कारपागम गॉडेन्स अडयार, चेन्नई-600020	01/04/2001
2	004056	श्री अरुमुगम श्री एन, एफसीए 40-ए, मन्डावली स्ट्रीट, नलवर कोविल पेटाई, तीरुकाञ्चुकुन्दरम-603109	01/04/2001
3.	004479	श्री जोसप के सी, एफसीए वालाकलील, टी.सी. 4/109, काँदीयर पी ओ थीरुवानाथापुरम-695003	01/01/2001
4.	004485	श्री सुब्रामन एम एन, एसीए नं. 4सी थर्ड मेन रोड, पोस्टल कॉलोनी वैस्ट मामबलम, चेन्नई-600034	01/04/2001
5	005777	श्री मुथुकृष्णन एस एफसीए टचवुड अपार्टमेंट्स II फ्लोर, 21 8, रामानाथन स्ट्रीट, महार्लीगापुरम, चेन्नई-600034	01/04/2001
6.	009612	श्री वासुदेवन एमए, एसीए ओल्ड नं. 25/26 वारन रोड, फ्लेट नं. 9, राजशेवरी अपार्टमेंट्स माईलापोर, चेन्नई-600004	01/04/2001
7.	011191	श्री नरसींग राव आर पी, एफसीए हीग नं. 12 के एच बी कॉलोनी, कालाहाली II स्टेज, सिमोगा-577204	01/04/2001
8.	015613	श्री रामामूर्ति ए, एफसीए 10, IIएन्ड स्ट्रीट, Ist फ्लोर, ईस्ट अभीपूरम, माईलापोर, चेन्नई-600004	31/03/2001
9	015773	श्री मोहन जॉर्ज जेकोब, एफसीए 2 जी, किंगस कैम्प, 8 मिल्लर रोड, बैंगलोर-560046	01/04/2001

10.	016425	श्री भास्कर रामदास, एफसीए लावानी, टी सी 17-1029-1, पूजापुरा, तीरुवानाथापुरम-695012	01/04/2001
11.	016815	श्री माधिस नोइल जोसप, एसीए जी-1, ईस्टर्न कोर्ट, 24 कोल्स रोड फराजर टाऊन, बैंगलोर-560005	01/04/2001
12.	018725	श्री किरण चन्द्रा एन बोल, एफसीए बोल सेन्टर, सैकन्ड क्रॉस, गांधी नगर, बैंगलोर-560009	01/04/2001
13.	018976	श्री जोस जे मुलकाल, एसीए फाईनेन्सियल कन्ट्रोलर, इरीदीम मिडल ईस्ट, पोस्ट बॉक्स-32616 दुबई, यू.ए.ई	01/04/2001
14.	020069	श्री राजारामन एन, एफसीए फ्लैट 2 ए, अविन अवारत, नं. 69, पंचाली अमन कॉयल स्ट्रीट, अरुमबाकम, चेन्नई-600106	31/03/2001
15.	020216	श्री गणेशन के वी, एफसीए नं. 51, (ओल्ड नं. 22) I फ्लोर, मारामा टैम्पल स्ट्रीट, ऑफ कोकोनट अवेन्यु रोड, मालेसवरम, बैंगलोर-560003	01/04/2001
16.	021995	श्री मदन वी, एसीए 54 II क्रॉस, II स्टेज, राधाकृष्णा लेआऊट, बैंगलोर-560017	15/06/2001
17.	022853	श्री कशीम ए जे, एसीए I, अप्पू स्ट्रीट, I लेन, माईलापोर चेन्नई-600004	31/03/2001
18.	023319	श्री रघुनाथन एम एस, एसीए जी-1, सुर्या गुरुहा, 10/1, शेनथिल अन्दावार रोड, धनलक्ष्मी कॉलोनी, वादापालानी चेन्नई-600026	31/03/2001
19.	023672	श्री सुधाकर रेडी जे, एफसीए डी नं. 9-14-13, सी बी एम कम्पाउन्ड, विशाखापट्टनम-0	01/04/2001
20.	026000	श्री वेंकटेशन बी, एफसीए चीफ फाईनेन्स ऑफिसर, चीनमाथा इन्टरनेशनल रैजिडेंशियल स्कूल शिरुवनी रोड, नासुरवायल पोस्ट, कोयमबदूर-641114	31/03/2001

21.	027932	श्री रमेश बाबू एस वी, एफसीए 10/03/2001 फाईनैसियल कन्ट्रोलर, बिग स्टार ट्रेडिंग क. लि. पी ओ बॉक्स-39325, नेरोबी केन्या-521301, ईस्ट अफ्रीका	34.	203653	श्री लक्ष्मण कामथ एस, एफसीए 31/03/2001 'माधव क्रीपा' मातादाकानी क्रॉस रोड, मैंगलोर-575006
22.	029611	श्री शंकर नारायण, एसीए 01/04/2001 280, 37 बी क्रॉस, जयानगर, 9th ब्लॉक मैंगलोर-560069	35.	203697	श्री मुरुगेशन आर, एफसीए 01/04/2001 एकाउन्टेंट, एनकाई एक्सप्रेस, पी ओ बॉक्स-55393 यू ए ई
23.	029911	मिस पदमा गौथामन, एसीए 31/03/2001 14-ए धनाशेखरन, I क्रॉस स्ट्रीट, वैस्ट ममबालम, चेन्नई-600033	36.	203723	श्री नारायण वुनम, एसीए 31/03/2001 12-12-160/2, रविन्द्रा नगर, शीथापालमंडी, सिकन्दराबाद-500361
24.	053152	श्री श्रीनिवासन पी ए, एफसीए 01/04/2001 डॉपटी जनरल मनेजर, मैसर्स ओसियन मास्टरस एल एल सी, पी ओ बॉक्स-52056 यू ए ई	37.	204300	मिस महालक्ष्मी एस, एसीए 31/03/2001 ओल्ड नं. 281, न्यू नं. 288, सैक्टर सी जलवायुविहार, कामानाहाली मैन रोड, मैंगलोर-560084
25.	079547	श्री टनडन अभिषेक, एसीए 06/01/2001 फाईनैसियल ऑफिसर (ट्रान्समिशन)-एफपीए, आईटीआई एलटीडी, दूरवानी नगर, मैंगलोर-560016	38.	204329	श्री वैक्टेरेशन आर, एसीए 31/03/2001 1-1-401/2/ए, गांधीनगर, हैदराबाद-500080
26.	095763	श्री सिंह दीपक कुमार, एसीए 31/03/2001 मैनजर कैनरा बैंक ट्रस्टी एन्ड टैक्साएशन सैक्शन 51, स्टॉक एक्सचेंज टॉवरस, 1st क्रॉस जे.सी रोड, मैंगलोर-560027	39.	204584	मिस मीरा रमनन, एसीए 01/04/2001 फ्लैट नं. 303, विजया लीला अपार्टमेंट्स, 7-1-32 लीला नगर अमीरपत, हैदराबाद-500016
27.	200500	श्री जॉन के आब्राहम, एफसीए 01/04/2001 चीफ एकाउन्टेंट, मैसर्स जीसको, पीओ बॉक्स-46625 अबू धाबी, यू ए ई	40.	204889	श्री सुभाषचन्द्रा पाई टी, एसीए 01/04/2001 एफएन-5, एमआरपीएल हाऊसिंग कॉलोनी, कुथेहुर, पीओ बाया काटीपाला, मैंगलोर-574149
28.	200851	श्री चन्द्रामोली एन, एसीए 01/04/2001 फ्लैट-11, सैफन्ड फ्लोर, 3/1 एन्ड 2 देवादी स्ट्रीट, माईलापोर, चेन्नई-600004	41.	204943	श्री नरसीमहन पीएल, एसीए 31/03/2001 फ्लैट नं. 25, थर्ड फ्लोर, 33 थर्ड मैन रोड, गांधीनगर अध्याय, चेन्नई 600020
29.	201925	श्री नरेन्द्रनाथ डी, एसीए 01/04/2001 जी-234, पानामपीली नगर, एरनाकुलम कोची-682036	42.	205054	मिस भारती मुरुगेशन, एसीए 01/04/2001 सी/ओ श्री आर मुरुगेशन पीओ बॉक्स-55393, दुबई, यू ए ई
30.	202253	मिस उषा एन, एसीए 25/04/2001 बसन्त अपार्टमेंट्स 1बी, फर्स्ट फ्लोर न्यू नं. 32, ओल्ड नं. 26, वैक्टेस आगराहरम, माईलापोर, चेन्नई-600004	43.	205483	श्री नागराजन टी, एसीए 31/03/2001 365, साबारी सालाई, जे एम अपार्टमेंट्स, मादिपककाम, चेन्नई-600091
31.	202369	श्री कॉलेथ जॉन सुदीप, एफसी 31/03/2001 फाईनैस मनेजर, लोरन सैटवर्ट पीएलसी, सेटवर्ट हाऊस कैंन्टन रोड, हाररो मिडलैससैक्स एचए3 9टीयू, यूनाईटेड किंगडम	44.	205690	श्री सुरेश आर, एसीए 31/03/2001 सी14 आरआर फ्लैट्स, 8 वारेन रोड, माईलापोर, चेन्नई-600004
32.	202518	श्री नारायण वी एल, एसीए 03/12/2000 4बी 25th वार्ड, कैंटोमेंट, कानेरी-583104	45.	205777	श्री वासीमाला लुथर अन्नदा राजू, 01/04/2001 एसीए हाऊस नं. 6-3-582/1/1, खैरताबाद, हैदराबाद-500004
33.	203691	श्री शैन्थील थैलन एस, एसीए 31/03/2001 11 फस्ट मैन रोड, राजीव गांधी नगर, इरूकेनचैरी, चेन्नई-600118	46.	205979	श्री शिव शरावनन एस के, एसीए 31/03/2001 (ओल्ड नं. 7) न्यू नं. 15, श्रीगंगामल स्ट्रीट, ओल्ड बसीरमैनपत, चेन्नई-600021
			47.	206039	श्री कॉलेपारा रामा गैय, एसीए 30/12/2000 2-2-1137/8/8/ए, न्यू नालाकुन्ता, हैदराबाद-500044

48.	206222	मिस वीना एम सी, एसीए नं. 378, 7TH मैन, 2ND क्रॉस रैमको लेआऊट, विजयनगर, II स्टेज, बैंगलोर-560040	01/04/2001	55.	209480	श्री राहुल त्यागी, एसीए डी/123-ई राजामनार सलाई, के के नगर, चेन्नई-600078	01/04/2001
49.	207407	श्री शानमुगासुन्दरम एन, एसीए सीनियर आकाऊन्टस ऑफिसर (एक्सपोर्ट्स), कैवोन केरी पीथीटी एलटीडी, पोटरस रोड, चेन्नई-600014	02/05/2001	56.	209499	मिस मोरा एस, एसीए जी-2 नं. 6, कृपाशंकारी स्ट्रीट वेस्ट मंगलम्, चेन्नई-60033	31/03/2001
50.	207604	श्री विष्णुवरधन एस, एसीए फ्लैट बी/4, 4TH फ्लोर, पारसन अजय अपार्टमेंट्स, 7, हनुमनथा रोड, चेन्नई-600014	01/04/2001	57.	210092	श्री देवाकुमार पी, एसीए 17/2, विवेकानन्दर स्ट्रीट, एम जी आर नगर, चेन्नई-600078	31/03/2001
51.	207807	श्री वेंकटरमन एम के, एसीए नं. 9 सुबु स्ट्रीट, एल बी रोड, टीरुवैनमीयूर, चेन्नई-600041	01/04/2001	58.	210093	श्री दीपक चन्द्रन, एसीए सी/ओ केपीएमजी, वैस्केयर टॉवरस, 16 सेनोतप रोड, टेईनमपत, चेन्नई-600018	31/03/2001
52.	208513	श्री साई महेश डी, एसीए फ्लैट नं. 3-सी क्याटा ट्रीनीटी, 34 वैस्ट सीट नगर, नन्दानम, चेन्नई-600035	31/03/2001	59.	210277	श्री कृष्णन वी, एसीए नं. 55, (ओल्ड नं. 17), साऊथ के आर कॉयल स्ट्रीट, वैस्ट ममबालम, चेन्नई-600033	01/04/2001
53.	209123	श्री वेंकटाकिशनन एम, एसीए 4/51 अलाथुर सुब्रामनी स्ट्रीट, चुलाई, चेन्नई-600112	31/03/2001	60.	210501	श्री वेनकेशवरा रॉय डी, एसीए टी-4 साई सारावाना रैजीडेंसी, डी नं.4-2-65 ललितानगर, आकायापालेम, वीशाकापट्टनम-530016	28/05/2001
54.	209377	श्री हरीप्रदीप जी, एसीए वाडी अल हवासना ट्रेडिंग एन्ट. पी ओ बॉक्स-1987, पोस्टल कोड-111, सीब शस्तनत ऑफ ओमन	01/04/2001	61.	210504	श्री सूर्यानारायन के, एसीए जी-3 'जुम्बो गनपथ' कार्थीकैयापुरम, 2ND, क्रॉस लेन, मादीपाकाम, चेन्नई-600091	01/04/2001
				62.	210677	मिस चित्रा आर, एसीए ऑफिसर, ( अकाऊन्ट्स डिपार्टमेंट ), सेन्ट्रल ऑफिस नाईकानाल राऊन्ड, केरला, त्रिसुर	11/06/2001

अशोक हल्दिया

अशोक हल्दिया)  
सचिव

12 DEC 2001

3 सी.सी.ए (5)(1)/2001-2002 : इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3 सी.सी.ए.(4) (3) / 1984-85 दिनांक 10/09/1985, 3 सी.सी.ए.(4) (3) / 1987-88 दिनांक 01/12/1987, 3सी.सी.ए.(4) (6)/1988-89 दिनांक 09/02/1989, 3सी.सी.ए.(4) (3)/1992-93 दिनांक 11/11/1992, 3सी.सी.ए.(4) (1)/1996-97 दिनांक 02/12/1996, 3 सी.सी.ए.(4) (4)/1997-98 दिनांक 23/03/1998, 3 सी.सी.ए. (4) (1) /1998-99 दिनांक 23/04/1999, 3 सी.सी.ए. (4) (1) /99-2000 दिनांक 12/01/2000, 3 सी.सी.ए. (4) (1) /2000-2001 दिनांक 02/02/2001, 4 सी.ए. (1) /18/78-79 दिनांक 11/08/1978 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
1.	003681 मि. योतिकर प्रभाकर वासुदेव एफ.सी.ए. 402 आक्रुति निवास 12-13, 619 नगरौअना नगर सिकन्दराबाद-500017	08/12/2000	6.	017529 मि. गुप्ता विजेन्द्र लाल ए.सी.ए. द्वारा जी.पी. शर्मा एडवोकेट शमी छरी बाजार दुर्ग	03/04/2001
2.	011084 मि. जैन सतीश चन्द्र ए.सी.ए. फ्लैट नं० 3 मारवेलुअस अपार्टमेन्ट महात्मा नगर नासिक	28/05/2001	7.	017599 मि. गोयल श्री किशन ए.सी.ए. हाउस नं. 8 वसन्त विहार फेस-द्वितीय देहरादून	08/12/2000
3.	012786 मि. गुप्ता श्याम सुन्दर ए.सी.ए. 40 नवीन पार्क श्याम पार्क एक्सटेन्शन साहिबाबाद गाजियाबाद	21/03/2001	8.	024328 मि. मुकिलन डी एफ.सी.ए. 1/83 सीड कालोनी फेयरलैण्डस तमिलनाडू सलेम-636016	11/05/2001
4.	014039 मि. वर्सने जनार्दन प्रसाद एफ.सी.ए. के-136, शिवालिक नगर फेस-द्वितीय बी.एच.ई.एल. हरिद्वार-249403	14/06/2001	9.	029482 मि. रमेश नायक के ए.सी.ए. तृतीय मेन रोड सुभाष नगर मंगलोर-575001	08/12/2000
5.	015972 मि. अग्निवाल - सीताराम ए.सी.ए. फ्लैट नं. 101 गनेशाल्या झरुधी ए.न.बाद	06/07/2001	10.	039365 मि. कुम्भर पंकज ए.सी.ए. रीजनल फाइनेन्स मैनेजर कोका कोला पी.ओ. बाक्स-52172 दुर्ग यू.ए.ई.	21/08/2001




क्र सं०	सदस्यता नाम व पता राज्य	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता राज्य	दिनांक
11.	043769 मि. लाखोटिया अनिल कुमार ए.सी.ए. 67 अशोक मार्ग अन्नासागर लिंक रोड अजमेर-305001	29/05/2001	19.	059399 मि. जैन अमित कुमार ए.सी.ए. बुस बोक ऐलीन (इण्डिया) लि. 5 जे. एल. नेहरू रोड मेट्रो हाउस द्वितीय मंजिल कलकत्ता-700013	08/12/2000
12.	054481 मि. उमेश कुमार एफ.सी.ए. एच. नं. 73 अम्बेदकर पथ नेशनल स्कूल के पीछे पी.ओ.बी.वी. कालेज पटना-800014	27/04/2001	20.	070094 मि. चौधरी विश्व नाथ एफ.सी.ए. 5/57 विद्याधर नगर जयपुर	17/07/2001
13.	054685 मि. अग्रवाल सुधीर कुमार एफ.सी.ए. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलाइड कामर्स लि. बी-9 रेशर प्लाजा इन्दिरा बाजार जयपुर-302001	08/12/2000	21.	070485 मि. रमेश चन्द्र गुप्ता एफ.सी.ए. फ्लैट नं 550 पाकेट-5 मयूर विहार-प्रथम दिल्ली	28/08/2001
14.	054786 मि. डे संतोष कुमार ए.सी.ए. देय इलेक्ट्रिकल्स गोरस बिल्डिंग लहुराबिर वराणसी-221001	09/05/2001	22.	070999 मि. भूषन लाल बजाज ए.सी.ए. डी.जी.एम. (फाइनेन्स) एन.टी.पी.सी./बी.एस.टी.पी.पी. पी.ओ. विन्धयानगर, सिधी-486385	08/08/2001
15.	055502 मि. सेठ जवाहर ए.सी.ए. डिप्टी मैनेजर फाइनेन्स टाटा इजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव को लिमिटेड छिन्नहट इण्डस्ट्रियल एरिया लखनऊ-226019	31/05/2001	23.	071216 मि. अग्रवाल नरेन्द्र कुमार ए.सी.ए. अग्रवाल सदन ओल्ड स्टेशन रोड अलवर-301001	23/05/2001
16.	055809 मि. पान्नीग्रही पार्थसार्थी ए.सी.ए. पी.ओ. बाक्स-56921 के.एस.ए. रियाध-11564	22/03/2001	24.	071502 मि. मेहता रमेश ए.सी.ए. न 1813, सुभाष नगर जी.एच.बी.आई.ओ.सी. रोड चन्द्रखेडा अहमदाबाद	28/05/2001
17.	055846 मि. माथुर जितेन्द्र ए.सी.ए. द्वितीय/25 जे. अनू किरन कालोनी विआ कोटा भाभा नगर-323307	01/10/1999	25.	071575 मि. पवन कुमार स्वरूप ए.सी.ए. 298/8 संजय कुटीर आसिफगंज आजमगढ़-276001	25/04/2001
18.	057830 मि. असरफ नोमन ए.सी.ए. न 185 पाटलीपुत्र कालोनी पटना	12/09/2001	26.	071592 मि. पण्डिया रमेश चन्द्र एफ.सी.ए. बी-1017 इन्दिरा नगर लखनऊ	06/08/2001

क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक	क्र सं०	सदस्यता नाम व पता संख्या	दिनांक
27.	071831 मि. जैन विनोद कुमार एफ.सी.ए. अभिनव अनिल एण्ड एसोसियेटस 75/6, हालसी रोड कानपुर-208001	06/09/2001	36.	074037 मि. सुमीत चुघ ए.सी.ए. बी-5/24 बल्लम विहार सेक्सन-13 रोहिनी दिल्ली-110085	05/09/2001
28.	071881 मि. गर्ग नेत्रपाल एफ.सी.ए. आई-442 गोविन्द पुरम पोस्ट दसना गाजियाबाद-201002	12/06/2001	37.	074088 मि. खुर्दिया रतन लाल एफ.सी.ए. 178 अश्विनी मार्ग हुमद हाउस, दिल्ली गेट उदयपुर-313001	01/10/1999
29.	072029 मि. गुप्ता अनिल कुमार एफ.सी.ए. 75/6 हालसी रोड कानपुर-208001	08/12/2000	38.	074260 मि. जैन राजेन्द्र ए.सी.ए. आई जी. ए-23 जवाहर नगर जयपुर	01/10/1999
30.	072454 मि. परवीन कुमार ए.सी.ए. गौर मनडी हनुमानगढ़ टाउन श्रीगंगा नगर-335001	01/10/1999	39.	074283 मि. अग्रवाल मुकेश एफ.सी.ए. एफ-306 सरिता विहार नयी दिल्ली-110044	08/12/2000
31.	072797 मि. गुप्ता राम बानू एफ.सी.ए. 5/3 खण्डेलवाल टावर्स विद्याघर नगर जयपुर-302012	08/12/2000	40.	074318 मि. अनन्ता श्याम टी. ए.सी.ए. ई-3/408-एफ भील टाउनशिप कैलाशपुरम त्रिरुची-620014	02/08/2001
32.	072819 मि. सब्बरवाल सुदीप एफ.सी.ए. 11 रंगीटाटा प्लेट लेनफील्ड अखलैण्ड न्यूजीलैण्ड	01/10/1999	41.	074470 मि. मित्तल विनय कुमार ए.सी.ए. 82 अंकुर अपार्टमेन्ट्स पथपर गंज दिल्ली	03/04/2001
33.	073126 मि. त्रिपाठी राजीव एफ.सी.ए. 5/29 सेठ स्ट्रीट फरुखाबाद-209625	27/03/2001	42.	074542 मि. राठी राम किशोर ए.सी.ए. 59 दामोदर कालोनी रामोहल्ल-7 जोधपुर	01/10/1999
34.	073296 मि. राजीव गुप्ता ए.सी.ए. बी-3 बपना हाउस नई कालोनी एम. आई. रोड जयपुर	28/04/2001	43.	074545 मि. सन्धु जसपाल सिंह टी. ए.सी.ए. डी-84 पहली मंजिल रोड 1 अशोक नगर रॉची	13/07/2001
35.	073904 मिस. मेहता सुनीता ए.सी.ए. के-7 मालविया मार्ग सी-स्कीम जयपुर-302001	01/10/1999	44.	074818 मि. जोशी धनश्याम एफ.सी.ए. एच. नं. 871 गंगा माता की गली गोपाल जी का रास्ता जयपुर-302001	01/10/1999

क्र. सं. सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र. सं. सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
45. 75057	मि. मून्दा कैलाश ए.सी.ए गोयल बिल्डिंग सरदारपुरा जोधपुर-342006	01/10/1999	53. 076413	मि. मेहता रोहित ए.सी.ए अंजनी राकेश एण्ड एसोसियेट्स कस्टम रोड बंसवरा-327001	01/10/1999
46. 075178	मि. केठिया गोपाल कुमार ए.सी.ए अन्नापुशना एजेन्सी 113 अम्बा जी टेक्सटाइल मार्केट मीलवारा	21/05/2001	54. 076628	मि. सोनी बदी लाल ए.सी.ए 2/411, विद्याधर नगर जयपुर-302001	08/12/2000
47. 075377	मि. गुप्ता संजय कुमार ए.सी.ए. 128/953 वाई ब्लॉक नियर एस. आई. वी. एन किदवई नगर कानपुर-208011	23/04/2001	55. 076634	मिस. इन्टोडिया दीपा ए.सी.ए 71 सेक्टर नं० 3 हिरन मेगरी उदयपुर-313001	14/06/2001
48. 075556	मि. जालान अजय एफ.सी.ए 323 तृतीय मंजिल गनपति प्लाजा एम. आई. रोड जयपुर-302001	08/12/2000	56. 077120	मि. मतई दिलीप कुमार ए.सी.ए ई-136 अम्बावरी जयपुर-302012	04/06/2001
49. 075678	मि. पाण्डेय रूप मनी एफ.सी.ए 246-बी रीजेन्ट सिप्रा सन सिटी इन्दिरापुरम गाजियाबाद-201010	29/08/2001	57. 077225	मि. गुप्ता प्रशान्त ए.सी.ए 1 पारीख कालेज रोड जयपुर	08/12/2000
50. 075723	मि. गुप्ता कृष्ण कुमार ए.सी.ए 552, ई-ब्लॉक मयूर विहार फेस-द्वितीय नई दिल्ली	01/05/2001	58. 077322	मि. परख राजेश ए.सी.ए दिलोटी एण्ड टच पी.ओ. बाक्स-990 अम्बु दाबी यू.ए.ई.	08/12/2000
51. 075747	मि. सेठी अंशुल ए.सी.ए 2 शिव मार्ग गर्वनर हाउस के पीछे सिविल लाइन्स जयपुर-302006	27/08/2001	59. 077400	मि. गुप्ता आशिष कुमार ए.सी.ए. 105, नई बस्ती, गाजियाबाद-201001	01/10/1999
52. 076121	मि. अग्रवाल प्रमोद एफ.सी.ए 110 सरावगी मेनसियन एम. आई. रोड जयपुर-302003	08/12/2000	60. 077706	मि. डंगायेच मथुरा दास ए.सी.ए एच. नं. 881 बाबा हरिसचन्द्र मार्ग चन्द्रपोली बाजार जयपुर-302001	08/12/2000
			61. 077726	मि. बाजपेयी अनुराग 111/138 हर्ष नगर कानपुर-208012	28/05/2001

क्र. सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक	क्र. सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक
62. 077814	मि. मिश्रा शशी चन्द्र ए.सी.ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 431 एण्ड 232, सेक्टर-प्रथम बोकारो स्टील सिटी-827001	08/12/2000	71. 083710	मि. गगरानी ब्रिज मोहन एफ.सी.ए फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर टोरोरो सीमेन्ट 8-10 इन्टेब ई रोड पी.ओ. बाक्स-22753 कम्पाला उगन्डा	01/10/1999
63. 078387	मिस. मित्तल नीतू ए.सी.ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सेक्टर-सी 68-सोनागिरी पिपलानी मील भोपाल	01/10/1999	72. 085903	मि. रिजवी अहमद परवेज एफ.सी.ए 288 चहुत्ता साहूपीर गेट मेरठ	01/10/1999
64. 078641	मि. झनवार सुरेश कुमार ए.सी.ए ए-501, विजय सिंह पथिक नगर मीलवारा-311001	28/06/2001	73. 086214	मि. अन्शुमन कनकन एफ.सी.ए बी.-91 सेक्टर-27 नोयडा-201301	08/12/2000
65. 079501	मि. समरिया अजय कुमार ए.सी.ए 204, ए ब्लॉक सिलवर लाइन्स अपार्टमेन्ट 20/2 बी मनोरमा गंज इन्दौर	08/12/2000	74. 087648	मि. अनिल कुमार एफ.सी.ए नसको मार्केटिंग कं. लि. याकूरी ग्राउनवे पी.ओ. बाक्स 716, जे.ओ.डी. नाईजीरिया	25/06/2001
66. 080864	मि. गोयल अरुन कुमार ए.सी.ए सी-121 होजरी काम्पलेक्स फेस-द्वितीय एक्सटेन्शन नोयडा	25/06/2001	75. 088103	मि. संदीप कुमार ए.सी.ए मेसर्स संदीप कुमार एण्ड कं० 105 नई बस्ती नया घंटाघर गाजियाबाद-201001	01/10/1999
67. 080957	मि. महेश्वरी राम स्वरूप एफ.सी.ए 135 रतनदीप काम्पलेक्स बरेली	08/12/2000	76. 088941	मिस. काक अंजली ए.सी.ए फ्लैट नं. 586 सेक्टर-29 नोयडा-201303	08/12/2000
68. 081270	मि. जैन सुरेश चन्द्र एफ.सी.ए 26 पार्क रोड देहरादून	20/04/2001	77. 089072	मि. अग्रवाल मुकेश ए.सी.ए. बी-89 पिंक अपार्टमेन्ट पश्चिम विहार नई दिल्ली-110063	18/05/2001
69. 082820	मि. सलूजा परषोत्तम लाल एफ.सी.ए 26 पटेल मार्केट श्रीगंगा नगर-335001	08/12/2000	78. 089796	मि. अग्रवाल संजय एफ.सी.ए 110 सरावगी मेनसेन एम.आई. रोड जयपुर	08/12/2000
70. 083389	मि. ऋषेश्वर प्रसाद ए.सी.ए 16 भगवती रोड नादर्न टाउन जमशेदपुर	08/12/2000			

क्रं सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक	क्रं सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक
79	089807 मि. गुप्ता अशोक कुमार एफ.सी.ए गली कनोनगो मण्डी रामदास मथुरा	08/12/2000	88.	096538 मि. रजनीश कुमार सिंह ए.सी.ए जनक कामिर्शयल काम्प्लेक्स श्री कृष्णा नगर बिगुसराय	07/08/2001
80.	090196 मि. वर्द्धराजन एन. के. ए.सी.ए प्राइस वाटर हाउस कोर्पस थोमस कोर्ट 1 विक्टोरिया एस. टी. विंडसोर ब्रेक एस.एल.4 आई.एच.बी यू.के.	08/12/2000	89.	100890 मि. वाई. वी. नरशिम्हा राव ए.सी.ए मि. कृष्णामूर्ति डोर नं० 86-4-14/3 वादरेवु नगर राजहमुन्द्रे-533103	19/06/2001
81	090316 मि. बुद्धदेव प्रसाद एफ.सी.ए मैनपुर पेहानी पी.ओ. बुनियादगज गया-823003	30/04/2001	90.	102355 मिस. अग्रवाल दीपाली ए.सी.ए द्वितीय-ए/67 नेहरू नगर गाजियाबाद-201001	08/12/2000
82.	092398 मि. जैन मुकेश ए.सी.ए 202 ओसियन काम्प्लेक्स सेक्टर-18 नोयडा	08/12/2000	91.	105899 मि. मोदी कमलेश वी. ए.सी.ए 9 परसवा ब्लाक शान्ती नगर सिरौही - 307001	01/10/1999
83.	093099 मि. मटिया रमेश ए.सी.ए रमेश भाटिया एण्ड एसोसियेटस तृतीय-एम-37 नेहरू नगर गाजियाबाद-201001	01/10/1999	92.	201558 मि. वृष्णन एल. ए.सी.ए फाइनेन्स मैनेजर पालिसी मैनेजर सिस्टम प्रा० लि० ओपटेल साफवेयर टेक्नोलोजी पार्क इन्दौर-452001	08/12/2000
84.	093840 मि. त्रिपाठी राजेश ए.सी.ए सतोष मिश्रा 1252/60 अवध नगर स्टेशन रोड मैनपुरी-205001	16/07/2001	93.	207182 मि. शंकरन आर. ए.सी.ए. आफिसर इडबी बैंक लि० अलंकार चेम्बर्स रतलाम कोठी ए. बी. रोड इन्दौर-452001	08/12/2000
85.	094630 मि. पटरा बी अजय कुमार ए.सी.ए 387 डी.डी.ए. फ्लैटस खिरकी विलेज दिल्ली	09/07/2001	94.	208354 मि. रमेश पी. ए.सी.ए नुराली जवाहर एण्ड कम्पनी 33-बी ब्रिन्दावन एस.टी. वेस्ट ननबालम चेन्नई-33	22/06/2001
86.	094740 मि. सुभाष चन्द्र ए.सी.ए एफ-801 नीलपदम कुन्ज वैशाली गाजियाबाद	08/12/2000			
87.	095291 मि. गगन दीप ए.सी.ए 9 गंगा नगर रेलवे रोड हापुर-245101	08/12/2000			

  
 (डा. अशोक हल्लिया)  
 सेक्रेटरी

**NATIONAL HOUSING BANK**

New Delhi

the 27<sup>th</sup> September, 2001**THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS 2001**

Notification No. NHB.HFC.DIR.1/CMD/2001

Whereas, having considered it necessary in the public interest, the National Housing Bank had issued Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989, to every housing finance company in exercise of the powers conferred on it under the National Housing Bank Act 1987 (53 of 1987).

2. And whereas the National Housing Bank had also issued guidelines to housing finance companies on prudential norms on income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning for bad and doubtful assets, capital adequacy and concentration of credit/investments.

3. And whereas the National Housing Bank Act, 1987 has been amended further by the National Housing Bank (Amendment) Act, 2000 (15 of 2000) further to enable the National Housing Bank to safeguard the interest of depositors and promote healthy and universal growth of Housing Finance Companies in the country.

4. And whereas, having regard to the objectives aforesaid, it is considered desirable to issue consolidated directions in respect of matters relating to acceptance of deposits by housing finance companies, prudential norms for income recognition, accounting standards, asset classification, provision for bad and doubtful assets, capital adequacy and concentration of credit/investments to be observed by the housing finance companies and matters to be included in the Auditors Report by the auditors of such housing finance companies and matters ancillary and incidental thereto.

5. Now therefore, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary to give the Directions mentioned below, hereby in exercise of the powers conferred, by sections 30, 30A, 31 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, and in supercession of the aforementioned directions and guidelines, gives the Directions hereinafter specified.

**CHAPTER I - PRELIMINARY****Short title, commencement and applicability of the Directions**

1. (1) These Directions shall be known as the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette and any reference in these Directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date.

(2) Directions contained in Chapter IV shall be applicable to every auditor of a housing finance company.

## Definitions

2. (1) In these Directions, unless the context otherwise requires,

(a) "banking company" means a banking company as defined in Section 5(c) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(b) "break up value" means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves, divided by the number of equity shares of the investee company;

(c) "carrying cost" means book value of the assets and interest accrued thereon but not received;

(d) "company" means a company as defined in Section 45I(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) but does not include a company which is being wound up under any law for the time being in force;

(e) "current investment" means an investment which is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made;

(f) "deposit" shall have the same meaning as assigned to it in Section 45 I (bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(g) "depositor" means any person who has made a deposit with the housing finance company or a heir, legal representative, administrator or assignee of the depositor;

(h) "doubtful asset" means a term loan, or a leased asset, or a hire purchase asset, or any other asset, which remains a sub-standard asset for a period exceeding two years;

(i) "earning value" means the value of an equity share computed by the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra ordinary and non recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate:-

(i) in case of predominantly manufacturing company, eight percent;

(ii) in case of predominantly trading company, ten percent; and

(iii) in case of any other company, including a housing finance company, twelve percent;

Note:

If an investee company is a loss making company, the earning value will be taken as zero;

(j) "fair value" means the mean of the earning value and the break up value;

(k) "free reserves" shall include the balance in the share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserve shown or published in the balance sheet of the company and created through an allocation of profits, not being (1) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation

in assets or for bad debt or (2) a reserve created by revaluation of the assets of the company;

(l) "housing finance company" means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) which primarily transacts or has as one of its principal objects, the transacting of the business of providing finance for housing, whether directly or indirectly;

(m) "hybrid debt" means capital instrument which possesses certain characteristics of equity as well as of debt;

(n) "lending public financial institution" means -

(i) a public financial institution specified in or under section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); or

(ii) a State Financial Corporation or a State Industrial Investment Corporation; or

(iii) a scheduled commercial bank; or

(iv) the General Insurance Corporation of India established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); or

(v) any other Institution which the National Housing Bank may, by notification, specify in this behalf;

(o) "long term investment" means an investment other than a current investment;

(p) "loss asset" means -

(i) an asset which has been identified as loss asset by the housing finance company or its internal or external auditor or by the National Housing Bank, to the extent it is not written off by the housing finance company; and

(ii) an asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non availability of security or due to any fraudulent act or omission on the part of the borrower;

(q) "net asset value" means the latest declared net asset value by the concerned mutual fund in respect of that particular scheme;

(r) "net book value" means -

(i) in the case of hire purchase asset, the aggregate of over due and future instalments receivable as reduced by the balance of the unmatured finance charges and further reduced by the provisions made as per paragraph 24(2)(i) of these Directions;

(ii) in the case of leased assets, aggregate of capital portion of over due lease rentals accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account;

(s) "net owned fund" means net owned fund as defined under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 including paid up preference shares which are compulsorily convertible into equity capital;



- (t) "non-performing asset" (referred to in these directions as "NPA") means:-
- (i) a loan asset, in respect of which, interest has remained past due for six months;
  - (ii) a term loan inclusive of unpaid interest, when the instalment is over due for more than six months or on which interest amount remained past due for six months;
  - (iii) a bill of exchange which remains over due for six months;
  - (iv) the interest in respect of a debt or the income on a receivable under the head 'other current assets' in the nature of short term loans/advances, which facility remained over due for a period of six months;
  - (v) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained over due for a period of six months;
  - (vi) the lease rental and hire purchase instalment, which has become over due for a period of more than twelve months;
  - (vii) an inter corporate deposit, in respect of which interest or principal has remained over due for a period of six months;
- (u) "owned fund" means paid up capital including preference shares compulsorily convertible into equity shares, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of asset, excluding reserves created by revaluation of asset, as reduced by accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;
- (v) "past due" means an amount of income or interest which remains unpaid for a period of thirty days beyond the due date;
- (w) "public deposit" means a deposit but does not include the following, namely:-
- (i) any amount received from the Central Government or a State Government or any amount received from any other source and whose repayment is guaranteed by the Central Government or a State Government or any amount received from a local authority or any public housing agency, or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person;
  - (ii) any amount received from the National Housing Bank, established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), or the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964) or the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Corporation of India and its subsidiaries established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) or the Small Industries Development Bank of India established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) or the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) or National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1982 or an Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 or the Tamil Nadu Industrial Investment

Corporation Ltd., or the National Industrial Development Corporation of India Ltd., or the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd., or the Industrial Finance Corporation of India Ltd., or the Industrial Investment Bank of India Ltd., or State Trading Corporation of India Ltd., or the Rural Electrification Corporation Ltd., or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., or the Agricultural Finance Corporation Ltd., or the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd., or the Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd., or Asian Development Bank or International Finance Corporation or the Overseas Economic Cooperation Fund (OECE) or Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) or any other institution that may be specified by the National Housing Bank in this behalf;

(iii) any amount received by a housing finance company from another company;

(iv) any amount received by way of subscription to any share, stock, bonds or debentures pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and any amount received by way of calls in advance on shares, in accordance with the Articles of Association of the housing finance company so long as such amount is not repayable to the members under the Articles of Association of the housing finance company;

(v) any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a Director of the housing finance company or any amount received from its shareholders by a private housing finance company or by a private housing finance company which has become a public housing finance company under section 43A of the Companies Act, 1956 and continues to include in its Articles of Association provisions relating to the matters specified in clause (iii) of sub-section (1) of section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956):

*Provided that the Director or shareholder, as the case may be, from whom the money is received furnishes to the housing finance company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting from others;*

*Provided further that in the case of joint shareholders of a private limited company, money received from or in the name of the joint shareholders except the first named shareholder shall not be eligible to be treated as the receipt of money from the shareholder of the company;*

(vi) any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by the mortgage of any immovable property of the housing finance company; or by any other asset or with an option to convert them into shares in the housing finance company provided that in the case of such bonds or debentures secured by mortgage of any immovable property or secured by other assets, the amount of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such immovable property/other assets;

(vii) any amount brought in by the promoters by way of unsecured loan in pursuance of stipulations of lending institutions subject to the fulfillment of the following conditions, namely :-

- (a) the loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by the lending public financial institution in fulfillment of the obligation of the promoters to contribute such finance,
- (b) the loan is provided by the promoters themselves and/or by their relatives, and not from their friends and business associates, and
- (c) the exemption under this sub-clause shall be available only till the loan of the lending public financial institution is repaid and not thereafter;

(viii) any amount received from a mutual fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;

(ix) any amount received as hybrid debt or subordinated debt the minimum maturity period of which is not less than sixty months;

(x) any amount received from a relative of a director of a housing finance company;

Note : The deposit shall be accepted only on an application made by the depositor containing therein a declaration that as on the date of deposit, he is related to the specific director in the capacity of a relative as defined under Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(x) "public housing agency" shall include any authority, constituted in India by or under any law, engaged either for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages or for both;

(y) "securities" means securities as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(z) "standard asset" means the asset in respect of which, no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business;

(za) "sub-standard asset" means -

(i) an asset, which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding two years;

(ii) an asset, where the terms of the agreement regarding interest and/or principal have been re-negotiated or rescheduled after release of any instalment of loan or an inter-corporate deposit which has been rolled over, until the expiry of one year of satisfactory performance under the re-negotiated or rescheduled terms :

Provided that where a delay in completion of a project is caused on account of factors beyond the control of the project implementing agency, terms of the loan agreement regarding interest and/or principal may be rescheduled once before the completion of the project and such loans may be treated as standard asset, subject to the condition that such rescheduling shall be permitted only once by the Board of Directors of the concerned housing finance company and that interest on such loan is paid regularly and there is no default;

Provided further that where natural calamities impair the repaying capacity of a borrower, terms of the loan agreement regarding interest and/or principal may be rescheduled and such loans shall not be classified as sub-standard; the classification of such loans would thereafter be governed by the revised terms and conditions;

(zb) "subordinated debt" means a fully paid up capital instrument, which is unsecured and is subordinated to the claims of other creditors and is free from restrictive clauses and is not redeemable at the instance of the holder or without the consent of the supervisory authority of the housing finance company. The book value of such instrument shall be subjected to discounting as provided hereunder:

<i>Remaining maturity of the instruments</i>	<i>Rate of discount (%)</i>
(i) up to one year	100
(ii) More than one year but upto two years	80
(iii) More than two years but upto three years	60
(iv) More than three years but upto four years	40
(v) More than four years but upto five years	20

to the extent such discounted value does not exceed fifty percent of the Tier-I capital;

(zc) "substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten percent of the paid up capital of the company; or the capital subscribed by all the partners of a partnership firm;

(zd) "tier-I capital" means owned fund as reduced by investment in shares of other housing finance companies and in shares, debentures, bonds, outstanding loans and advances including hire purchase and lease finance made to and deposits with subsidiaries and companies in the same group exceeding, in aggregate, ten percent of the owned fund;

(ze) "tier-II capital" includes the following:-

- (i) preference shares (other than those compulsorily convertible in to equity);
- (ii) revaluation reserves at discounted rate of fifty five percent;
- (iii) general provisions and loss reserves to the extent these are not attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses to the extent of one and one fourth percent of risk weighted assets;
- (iv) hybrid debt;
- (v) subordinated debt

to the extent the aggregate does not exceed Tier-I capital;

(2) Words or expressions used but not defined herein and defined in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them therein. Any other words or expressions not defined herein or in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them in the Reserve Bank of

India Act, 1934 (2 of 1934), Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(3) (a) If any question arises as to whether a company is a financial institution or not, such question shall be decided by the National Housing Bank in consultation with the Central Government.

(b) If any question arises as to whether a company is a housing finance company, the same shall be decided by the National Housing Bank.

## CHAPTER II - ACCEPTANCE OF PUBLIC DEPOSITS

### Restriction on acceptance of deposits

3. (1) No housing finance company having net owned fund (hereinafter referred to as 'NOF') of less than twenty five lakhs of rupees shall accept public deposits.

(2) No housing finance company having NOF of twenty five lakhs of rupees and above shall accept or renew public deposits except to the extent specified below:-

(i) not exceeding five times of its NOF, where the housing finance company has obtained credit rating for fixed deposits not below 'A' from any one of the approved rating agencies at least once a year and a copy of the rating is sent to the National Housing Bank and it is complying with all the prudential norms; and

(ii) in the absence of credit rating as specified in (i) above, not exceeding two times of its NOF or ten crore of rupees, whichever is lower including any amount remaining outstanding in its books as on the date of acceptance or renewal of such deposit, subject to (a) it is complying with all the prudential norms, and (b) having capital adequacy ratio of not less than fifteen per cent as per the last audited balance sheet.

### Approved Credit Rating Agencies

The names of approved credit rating agencies for the time being are as follows:-

- (a) The Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL)
- (b) ICRA Ltd.
- (c) Credit Analysis & Research Ltd.(CARE)
- (d) FITCH Ratings India Private Ltd.

(3) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 as also loans or other assistance from the National Housing Bank, is in excess of ten times of its NOF.

(4) Where a housing finance company holds as on the date of commencement of these directions public deposits in excess of the limits specified in (2) above and as applicable to it or deposits inclusive of the items mentioned in (3) above in excess of the limits specified in (3) above, it shall -

- (a) not accept fresh deposit or open new deposit account; or
- (b) not renew the existing deposit or where the deposits are received under any recurring scheme, receive instalments under such scheme after the expiry of the scheme period;
- (c) reduce such excess deposit by repayment on maturity.

(5) In the event of down gradation of the credit rating to any level below 'A' from the level earlier held by the housing finance company, it shall

- (i) report the position within fifteen working days to the National Housing Bank;
- (ii) with immediate effect stop accepting fresh public deposit if the public deposit held by it is in excess of the limit specified under clause (ii) of paragraph 3(2) above; and
- (iii) reduce within three years from the date of downgrading of credit rating, the amount of excess public deposit to nil or the appropriate extent permissible under clause (ii) of paragraph 3(2) above as the case may be, to which it is entitled to accept, by repayment as and when such deposit falls due or otherwise.

#### **Period of deposits**

4. No housing finance company shall accept or renew any public deposit:

- (a) which is repayable on demand or on notice; or
- (b) unless such deposit is repayable after a period of twelve months or more but not later than eighty four months from the date of acceptance or renewal of such deposits.

#### Explanation

Where a public deposit is in Instalments, the period of such deposit shall be computed from the date of receipt of first Instalment.

#### **Joint deposit**

5. Where so desired, deposits may be accepted in joint names with or without any of the clauses, namely, "Either or Survivor", "Number One or Survivor/s", "Anyone or Survivor/s."

#### **Particulars to be specified in application form soliciting public deposits**

6 (i) No housing finance company shall accept or renew any public deposit except on a written application from the depositors in the form to be supplied by the housing finance company, which form shall contain all the particulars specified in the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977, made under section 58A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and also contain the particulars of the specific category of the depositors, i.e.

whether the depositor is a shareholder or a director or a promoter of the housing finance company or a member of public or a relative of a director of the company.

(ii) The application form shall also contain the following:-

(a) the credit rating assigned for its deposits and the name of the credit rating agency which rated the housing finance company;

(b) a statement to the effect that in case of any deficiency of the housing finance company in servicing its deposits, the depositor may approach the National Consumers Disputes Redressal Forum, the State Level Consumers Disputes Redressal Forum or the District Level Consumers Disputes Redressal Forum for relief;

(c) a statement to the effect that in case of non-repayment of the deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of the deposit, the depositor may make an application to authorised officer of the National Housing Bank;

(d) a statement to the effect that the financial position of the housing finance company as disclosed and the representations made in the application form are true and correct and that the housing finance company and its Board of Directors are responsible for the correctness and veracity thereof;

(e) a statement to the effect that the housing finance company is within the regulatory framework of the National Housing Bank. It must, however, be distinctly understood that the National Housing Bank does not undertake any responsibility for the financial soundness of the housing finance company or for the correctness of any of the statements or the representations made or opinions expressed by the housing finance company; and for repayment of deposit/ discharge of liabilities by the housing finance company;

(f) the information, relating to and the aggregate dues from the facilities, both fund and non-fund based, extended to, and the aggregate dues from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the housing finance company are/is holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities;

(g) at the end of application form but before signature of the depositor, the following verification clause by the depositor shall be appended. "I have gone through the financial and other statements/ particulars/representations furnished/made by the housing finance company and after careful consideration I am making the deposit with the housing finance company at my own risk and volition."

### **Introduction of depositors**

7. Every housing finance company shall obtain proper introduction of new depositors before opening their accounts and accepting the deposits, and shall keep on its record the evidence on which it has relied for the purpose of such introduction.

#### Explanation:

For the purpose of this paragraph, introduction shall mean identification of the prospective depositor and may be done either by one of the existing depositors or on the basis of any one of Income Tax Permanent Account Number (PAN), Election Identity Card, Passport, or Ration Card.

### **Furnishing of receipts to depositors**

8. (1) Every housing finance company shall furnish to every depositor or his agent, unless, it has done so already, a receipt for every amount which has been or which may be received by the housing finance company by way of deposit before or after the date of commencement of these Directions.

(2) The said receipt should be duly signed by an officer entitled to act for the housing finance company in this behalf and shall state the date of deposit, the name of depositor, the amount in words and figures received by the housing finance company by way of deposit, rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable.

Provided that, if such receipts pertain to Instalments subsequent to the first Instalment of a recurring deposit it may contain only name of the depositor/s, date and amount of deposit.

### **Register of deposits**

9. (1) Every housing finance company shall keep one or more registers in which shall be entered separately in the case of each depositor or group of joint depositors the following particulars, namely,

- (a) name and address of the depositor or group of joint depositors, their nominees,
- (b) date and amount of each deposit,
- (c) duration and due date of each deposit,
- (d) date and amount of accrued interest or premium on each deposit,
- (e) date and amount of each repayment, whether of principal, interest or premium,
- (f) date of claim made by the depositor,
- (g) the reasons for delay in repayment beyond five working days, and
- (h) any other particulars relating to the deposits.

(2) The register or registers aforesaid shall be kept at each branch in respect of the deposit accounts opened by that branch of the housing finance company and a consolidated register for all the branches taken together at the registered office of the housing finance company and shall be preserved in good order for a period of not less than eight years following the financial year in which the latest entry is made of the repayment or renewal of any deposit of which particulars are contained in the register:

Provided that, if the housing finance company keeps the books of account referred to in sub-section (1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) at any place other than its Registered Office in accordance with the provisions to that sub-section, it shall be sufficient compliance with this sub-paragraph if the register aforesaid is kept at such other place, subject to the condition that the housing finance company



delivers to the National Housing Bank a copy of the notice filed with the Registrar under the proviso to the said sub-section within seven days of such filing.

#### **Information to be included in the Board's Report**

10. (1) In every report of the Board of Directors laid before the housing finance company in a general meeting under sub-section (1) of Section 217 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) after the date of commencement of these Directions there shall be included, the following particulars or information, namely:

- (a) the total number of accounts of public deposit of the housing finance company which have not been claimed by the depositors or not paid by the housing finance company after the date on which the deposit became due for re-payment; and
- (b) the total amounts due under such accounts remaining unclaimed or unpaid beyond the dates referred to in clause (a) as aforesaid.

(2) The said particulars or information shall be furnished with reference to the position as on the last date of the financial year to which the report relates and if the amounts remaining unclaimed or undisbursed as referred to in clause (b) of the preceding sub-paragraph exceed in the aggregate the sum of rupees five lakhs, there shall also be included in the report a statement on the steps taken or proposed to be taken by the Board of Directors for the repayment of the amounts due to the depositors or group of joint depositors and remaining unclaimed or undisbursed.

#### **Ceiling on the rate of interest and brokerage and interest on overdue public deposits**

11. (1) No housing finance company shall-

- (a) invite or accept or renew any public deposit on a rate of interest exceeding fourteen per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.
- (b) pay to any broker on public deposit collected by or through him,
  - (i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called, in excess of two per cent of the deposit so collected;
  - (ii) expenses by way of reimbursement on the basis of relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5 per cent of the deposit so collected.

(2) *Payment of interest on overdue deposit*

A housing finance company may, at its discretion, allow interest on an overdue public deposit or a portion of the said overdue deposit from the date of maturity of the deposit subject to the conditions that -

- (i) the total amount of overdue deposit or the part thereof is renewed in accordance with other relevant provisions of these Directions, from the date of its maturity till some future date, and
- (ii) the interest allowed shall be at the appropriate rate operative on the date of maturity of such overdue deposit which shall be payable only on the amount of deposit so renewed:

Provided that where a housing finance company fails to repay the deposit along with interest on maturity on the claim made by the depositor, the housing finance company shall pay interest from the date of claim till the date of repayment at the rate as applicable to the deposit.

### **General provisions regarding repayment of deposits**

**12. (i)** No housing finance company shall repay any public deposit within a period of three months from the date of its acceptance.

**(ii).** Where a housing finance company at the request of depositor/s repays a public deposit after the period indicated in clause (i) above but before its maturity, it shall pay interest at the following rate:

- |   |   |
|---|---|
| (a) Three months but before expiry of six months  | No interest   |
| (b) Six months but before expiry of twelve months | Not exceeding ten percent per annum   |
| (c) Twelve months but before the date of maturity | One percentage point less than the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run. |

Provided that in the event of death of a depositor, the public deposit may be paid prematurely to the surviving depositor/s in the case of joint holding with the survivor clause, or to nominee or legal heir/s with interest at the contracted rate upto the date of repayment.

**(iii)** A housing finance company may grant a loan upto seventy-five percent of the amount of public deposit to a depositor after the expiry of three months from the date of public deposit at a rate of interest two percentage points above the interest rate payable on the public deposit.

### **Renewal of public deposit before maturity**

**13.** Where any housing finance company permits an existing depositor to renew his public deposit before maturity for availing the benefit of higher rate of interest, such company shall pay the depositor the increase in the rate of interest provided,

**(i)** the public deposit is renewed in accordance with the other provisions of these directions and for a period longer than the remaining period of the original contract; and

**(ii)** the interest on the expired period of the public deposit is reduced by one percentage point from the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such public deposit had run; any interest paid earlier in excess of such reduced rate is recovered/adjusted.

### Safe custody of approved securities

14. (1) Every housing finance company shall entrust to one of the scheduled commercial banks designated by it on that behalf, in the place where the registered office of the housing finance company is situated, the unencumbered approved securities required to be maintained by it in pursuance of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987;

Provided that a housing finance company may entrust such securities to the Stock Holding Corporation of India Ltd with prior approval, in writing, of the National Housing Bank, subject to such conditions as may be specified by the National Housing Bank in this behalf;

Provided further that where a housing finance company intends to entrust these securities to its designated bank at a place other than the place at which its registered office is situated or keep in the form of constituent's Subsidiary General Ledger Account with its designated scheduled commercial bank, it may do so with the prior approval, in writing, of the National Housing Bank;

(2) the securities mentioned in sub-paragraph (1) above shall continue to be entrusted to such designated bank for the benefit of the depositors and shall not be withdrawn or encashed or otherwise dealt with by the housing finance company except for repayment to the depositors.

Provided that,

(1) a housing finance company shall be entitled to withdraw a portion of such securities proportionate to the reduction of its deposits duly certified to that effect by its auditors;

(2) where the housing finance company intends to substitute such securities, it may do so by entrusting substitute securities of equal value to the designated bank before such withdrawal.

#### Explanation

'scheduled commercial bank' means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) excluding a Regional Rural Bank or a Co-operative Bank.

### Employee Security Deposit

15. A housing finance company receiving any amount in the ordinary course of its business as security deposit from any of its employees for due performance of his duties shall keep such amount in an account with a scheduled commercial bank or in a post office in the joint names of the employee and the housing finance company on the conditions that -

(1) it shall not withdraw the amount without the consent in writing of the employee; and

(2) the amount shall be repayable to the employee along with interest payable on such deposit account unless such amount or any part thereof is liable to be appropriated

by the housing finance company for the failure on the part of the employee for due performance of his duties.

#### **Advertisement and statement in lieu of advertisement**

16. (1) every housing finance company soliciting public deposits shall comply with the provisions of the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977 and shall also specify in every advertisement to be issued thereunder, the following :

- (a) the actual rate of return by way of interest, premium, bonus or other advantage to the depositors;
- (b) the mode of payment to the depositors;
- (c) maturity period of deposits;
- (d) the interest payable on a specified deposit;
- (e) the rate of interest which will be payable to the depositors in case the depositor withdraws the deposit prematurely;
- (f) the terms and conditions subject to which a deposit will be renewed;
- (g) any other special features relating to the terms and conditions subject to which the deposits are accepted/renewed; and
- (h) the information, relating to the aggregate dues (including the non-fund based facilities) provided to/from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the housing finance company are holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities.

(2) where a housing finance company intends to accept public deposits without inviting or allowing or causing any other person to invite such deposits, it shall, before accepting deposits, deliver to the office of the National Housing Bank at New Delhi for registration, a statement in lieu of advertisement containing all the particulars required to be included in the advertisement pursuant to the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977 as also the particulars stated in sub-paragraph (1) hereinabove, duly signed in the manner provided in the aforesaid Rules.

(3) A statement, delivered under sub-paragraph (2) shall be valid till the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is so delivered, or until the date on which the balance sheet is laid before the housing finance company in general meeting, or where the annual general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956(1 of 1956), whichever is earlier and a fresh statement shall be delivered in each succeeding financial year before accepting deposits in that financial year.

### **Opening of Branches**

17. A housing finance company shall, before opening a branch or an office, inform National Housing Bank in writing of its intention to open a branch or an office.

### **Closure of Branches**

18. No housing finance company accepting deposits shall close its branch/office without publishing such intention in any one national level newspaper and in one vernacular newspaper in circulation in the relevant place and without advising National Housing Bank, before ninety days of the proposed closure.

## **CHAPTER III - PRUDENTIAL NORMS**

### **Income recognition**

19. (1) Income recognition shall be based on recognised accounting principles.

(2) Income including interest/discount or any other charges on NPA shall be **recognised only** when it is actually realised. Any such income recognised before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

(3) In respect of hire purchase assets, where instalments are over due for more than twelve months, income shall be recognised only when hire charges are actually received. Any such income taken to the credit of profit and loss account before the asset becoming non-performing and remaining unrealised, shall be reversed.

(4) In respect of lease assets, where lease rentals are overdue for more than twelve months, the income shall be recognised only when lease rentals are actually received. The net lease rentals taken to the credit of profit and loss account before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

Explanation: For the purpose of this paragraph, 'net lease rentals' mean gross lease rentals as adjusted by the lease adjustment account debited/credited to the profit and loss account and as reduced by depreciation at the rate applicable under schedule XIV of the Companies Act, 1956.

### **Income from investments**

20.(1) Income from dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds shall be taken in to account on cash basis;

Provided that the income from dividend on shares of corporate bodies may be taken into account on accrual basis when such dividend has been declared by the corporate

body in its annual general meeting and the housing finance company's right to receive payment is established.

(2) Income from bonds and debentures of corporate bodies and from Government securities/bonds may be taken into account on accrual basis;

Provided that the interest rate on these instruments is predetermined and interest is serviced regularly and is not in arrears.

(3) Income on securities of corporate bodies or public sector undertakings, the payment of interest and repayment of principal of which have been guaranteed by the Central Government or a State Government may be taken into account on accrual basis.

### **Accounting standards**

21. Accounting Standards and Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (referred to in these directions as "ICAI") shall be followed insofar as they are not inconsistent with any of these Directions.

### **Accounting for investments**

22. (1) Investment in securities shall be classified as current and long-term investments.

(2) A long term investment shall be valued in accordance with the Accounting Standard issued by ICAI.

(3) Quoted current investments shall, for the purpose of valuation, be grouped into the following categories, viz.,

- (a) equity shares,
- (b) preference shares,
- (c) debentures and bonds,
- (d) Government securities including treasury bills,
- (e) units of mutual fund, and
- (f) others.

Quoted current investments for each category shall be valued at cost or market value, whichever is lower. For this purpose, the investments in each category shall be considered scrip-wise and the cost and market value aggregated for all investments in each category. If the aggregate market value for the category is less than the aggregate cost for that category, the net depreciation shall be provided for or charged to the profit and loss account. If the aggregate market value for the category exceeds the aggregate cost for the category, the net appreciation shall be ignored. Depreciation in one category of investments shall not be set off against appreciation in another category.

(4) Unquoted equity shares in the nature of current investments shall be valued at cost or break up value, whichever is lower. However, housing finance companies may substitute fair value for break up value of the shares, if considered necessary. Where the balance sheet of the investee company is not available for two years, such shares shall be valued at one rupee only.

(5) Unquoted preference shares in the nature of current investments shall be valued at cost or face value or the net asset value whichever is less. In case the net asset value is negative, it should be valued at zero.

(6) Investments in unquoted Government securities or Government guaranteed bonds shall be valued at carrying cost.

(7) Unquoted investments in the units of mutual funds in the nature of current investments shall be valued at the net asset value declared by the mutual fund in respect of each particular scheme.

(8) Commercial papers shall be valued at carrying cost.

Note: Unquoted debentures shall be treated as term loans or other type of credit facilities depending upon the tenure of such debentures for the purpose of income recognition and asset classification.

#### **Asset classification**

23. (1) Every housing finance company shall, after taking into account the degree of well defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation, classify its lease/hire purchase assets, loans and advances and any other forms of credit into the following classes, namely :-

(i) Standard assets;

(ii) Sub-standard assets;

(iii) Doubtful assets; and

(iv) Loss assets.

(2) The class of assets referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling, unless it satisfies the conditions required for the upgradation.

#### **Provisioning requirement**

24. Every housing finance company shall, after taking in to account the time lag between an account becoming non-performing, its recognition as such, the realisation of the security and the erosion over time in the value of security charged, make provision against sub-standard assets, doubtful assets and loss assets as provided hereunder:-

*Loans, Advances and Other Credit Facilities Including Bills Purchased and Discounted*

(1) The provisioning requirement in respect of loans, advances and other credit facilities including bills purchased and discounted shall be as under:

i) Loss Assets                      The entire assets shall be written off. If the assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstandings should be provided for.

ii) Doubtful Assets              (a) 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realisable value of the security to which the housing finance company has a valid recourse shall be made. The realisable value is to be estimated on a realistic basis;

(b) in addition to item (a) above, depending upon the period for which the asset has remained doubtful, provision to the extent of 20% to 50% of the secured portion (i.e. estimated realisable value of the outstandings) shall be made on the following basis:-

Period for which the asset has been considered as doubtful	% of provision
Up to one year	20
one to three years	30
More than three years	50

(iii) Sub-standard Assets              A general provision of 10% of total outstanding should be made

*Lease and hire purchase assets*

(2) The provisioning requirements in respect of hire purchase and leased assets shall be as under:-

Hire purchase assets

(i) In respect of hire purchase assets, the total dues (overdue and future installments taken together) as reduced by the finance charges not credited to the profit and loss account and carried forward as unmaturing finance charges and the depreciated value of the underlying asset, shall be provided for.

Explanation

For this purpose, the depreciated value of the asset shall be notionally computed as the original cost of the asset to be reduced by depreciation at the rate of 20 percent per annum on a straight line method. In the case of second hand asset, the original cost shall be the actual cost incurred for acquisition of such second hand asset.



Additional provision for Hire Purchase and Leased assets

(ii) In respect of hire purchase and leased assets, additional provision shall be made as under :

(a) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue up to 12 months	Nil
(b) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 12 months but up to 24 months	10% of the net book value
(c) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 24 months but up to 36 months	40% of the net book value
(d) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 36 months but upto 48 months	70% of the net book value
(e) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 48 months	100% of the net book value

(iii) On expiry of a period of 12 months after the due date of the last installment of hire purchase/ leased asset, the entire net book value shall be fully provided for.

NOTES

(1) The amount of caution money/margin money or security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance of the hire purchase agreement may be deducted against the provisions stipulated under clause (i) above, if not already taken into account while arriving at the equated monthly installments under the agreement. The value of any other security available in pursuance to the hire purchase agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(2) The amount of security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance to the lease agreement together with the value of any other security available in pursuance to the lease agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(3) It is clarified that income recognition on and provisioning against NPAs are two different aspects of prudential norms and provisions as per the norms are required to be made on NPAs on total outstanding balances including the depreciated book value of the leased asset under reference after adjusting the balance, if any, in the lease adjustment account. The fact that income on NPA has not been recognised cannot be taken as reason for not making provision.

(4) An asset which has been re-negotiated or rescheduled as referred to in paragraph 2 (1)(za) of these Directions shall be a sub-standard asset or continue to remain in the same category in which it was prior to its re-negotiation or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset as the case may be. Necessary provision is required to be made as applicable to such asset till it is upgraded. In case where an asset has been re-scheduled on account of natural calamities having impaired the repaying capacity of

the borrower as provided in second proviso to paragraph 2(1)(za), any provisioning made prior to such rescheduling shall neither be written back nor adjusted against any provisioning requirements that may arise in future.

#### **Disclosure in balance sheet**

25. (1) Every housing finance company shall, separately disclose in its balance sheet the provisions made as per paragraph 24 above without netting them from the income or against the value of assets.

(2) The provisions shall be distinctly indicated under separate heads of accounts separately for housing and non-housing finance business and individually for each type of assets as under:-

- (a) provisions for sub-standard, doubtful and loss assets; and
- (b) provisions for depreciation in investments

(3) Such provisions shall not be appropriated from the general provisions and loss reserves held, if any, by the housing finance company.

(4) Such provision for each year shall be debited to the profit and loss account. The excess of provisions, if any, held under the heads general provisions and loss reserves may be written back without making adjustment against them.

#### **Requirement as to Capital Adequacy**

26. (1) Every housing finance company shall, maintain a minimum capital ratio consisting of Tier-I and Tier-II capital which shall not be less than-

- (i) ten percent on or before March 31, 2001; and
- (ii) twelve percent on or before March 31, 2002

of its aggregate risk weighted assets and of risk adjusted value of off-balance sheet items.

(2) The total Tier-II capital, at any point of time, shall not exceed one hundred percent of Tier-I capital.

#### **Explanations:**

##### **On balance sheet assets**

(1) In these Directions, degree of credit risk expressed as percentage weightages have been assigned to balance sheet assets. Hence, the value of each asset/item requires to be multiplied by the relevant risk weights to arrive at risk adjusted value of assets. The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio. The risk weighted asset shall be calculated as the weighted aggregate of funded items as detailed hereunder:

(1)	Cash and bank balances including fixed deposits and certificates of deposits with banks	0
(2)	Investments:	
	a) Approved securities as defined in the National Housing Bank Act, 1987	0
	b) Bonds of public sector banks and fixed deposits/certificates of deposits/bonds of public financial institutions	20
	c) Units of Unit Trust of India	20
	d) Shares of all companies and debentures/bonds/commercial papers of companies other than in b) above/units of mutual funds other than in c) above	100
(3)	a) Housing loans to individuals backed by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets and where loan to value ratio does not exceed 75%	75
	b) Other housing loans	100
(4)	Current Assets:	
	a) Stock on hire (please see note 2 below)	100
	b) Inter corporate loans/ deposits	100
	c) Loans and advances fully secured by company's own deposits	0
	d) Loan to staff	0
	e) Other secured loans and advance considered good	100
	f) Bills purchased/ discounted	100
	h) Others (to be specified)	100
(5)	Fixed Assets (net of depreciation)	
	a) Assets leased out (net book value)	100
	b) Premises	100
	c) Furniture & Fixtures	100
	d) Other Fixed Assets(to be specified)	100
(6)	Other Assets:	
	a) Income tax deducted at source (net of provision)	0
	b) Advance tax paid (net of provision)	0
	c) Interest due on Government Securities and approved securities	0
	d) Others(to be specified)	100

## Notes:

(1) Netting may be done only in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.

(2) Stock on hire should be shown net of finance charges i.e. interest and other charges recoverable.

(3) Assets which have been deducted from owned fund to arrive at tier-I capital pursuant to paragraph 2(1)(zd) will have a weightage of "0".

#### Off-Balance Sheet items

(2) In these Directions, degrees of credit risk exposure attached to off-balance sheet items have been expressed as a percentage of credit conversion factor. Hence the face value of each item requires to be first multiplied by the relevant conversion factor to arrive at risk adjusted value of off-balance sheet item. The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio. This shall have to be again multiplied by the risk weight of 100. The risk weighted value of the off-balance sheet items shall be calculated as per the credit conversion factors of non-funded items as detailed under:-

<i>Nature of Items</i>	<i>credit conversion factor (%)</i>
i) Undisbursed amounts of Housing loans sanctioned	50
ii) Financial & Other guarantees	100
iii) Shares/ debentures underwriting obligations	50
iv) Partly-paid shares/ debentures	100
v) Bills discounted/ rediscounted	100
vi) Lease contracts entered into but yet to be executed	100
vii) Other contingent liabilities (to be specified)	50

Provided that in item (i) above, in those cases where no documents are executed, no disbursement has taken place and in case sanction lapses in course of time and notice to that effect is served on prospective borrower, credit conversion factor shall be taken as 0% and in the case of partly disbursed housing loans credit conversion factor shall be taken as 50%.

*Note: Cash margins/ deposits shall be deducted before applying the conversion factor.*

#### **Restriction on investments in land and building and unquoted shares**

27. (1) No housing finance company, which is accepting public deposit, shall invest in-

(a) land or building, except for its own use, an amount exceeding ten percent of its owned fund;

(b) unquoted shares of another company, which is not a subsidiary company or a company in the same group of the housing finance company, an amount exceeding ten percent of its owned fund.

Provided that the land or building or unquoted shares acquired in satisfaction of its debts shall be disposed off by the housing finance company within a period of three years or within such a period as extended by the National Housing Bank, from the

date of such acquisition if the investment in these assets together with such assets already held by the housing finance company exceeds the above ceiling:

Provided further that the land or building or unquoted shares held by the company in excess of the ceiling specified hereinabove on the date of commencement of these Directions, shall be disposed off so as to bring down such holding within the said ceiling by the housing finance company within three years or within such period as extended by the National Housing Bank from the date of coming into force of these Directions.

### **Concentration of credit/investment**

28. (1) No housing finance company shall,-

(i) lend to-

(a) any single borrower exceeding fifteen percent of its owned fund; and

(b) any single group of borrowers exceeding twenty-five percent of its owned fund;

(ii) invest in-

(a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund;

(b) the shares of a single group of companies exceeding twenty-five percent of its owned fund;

(iii) lend and invest (loans/investments together) exceeding -

(a) twenty-five percent of its owned fund to a single party; and

(b) forty percent of its owned fund to a single group of parties.

(2) Any loan granted and investment made by the housing finance company in excess of the ceilings specified hereinabove and existing on the date of commencement of these directions, shall be brought down by the housing finance company as per the repayment schedule in due course.

Notes:

(1) For determining the above mentioned limits, off-balance sheet exposures be converted in to credit risk by applying the conversion factors explained hereinabove.

(2) The investment in debentures for the above purpose be treated as credit and not investment.

(3) The above ceilings on credit/investments shall be applicable to the own group of the housing finance company as well as to the other group of borrowers/investee companies.

#### CHAPTER IV - DIRECTIONS TO AUDITORS

##### **Auditor's report to contain specified matters**

29. In addition to the report made by the auditor under section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on the accounts of a housing finance company after the commencement of these Directions, the auditor shall make a report to the Board of Directors of the company on the matters specified in paragraphs 30 and 31 below.

##### **Matters to be included in the auditor's report**

30. The auditor's report on the accounts of a housing finance company shall include a statement on the following matters, namely :

(i) where the housing finance company was incorporated before 12<sup>th</sup> June, 2000 - whether it has applied for registration as required under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 and whether it has received any communication from National Housing Bank about grant or refusal of certificate of registration to it;

(ii) where the housing finance company was incorporated on or after 12<sup>th</sup> June, 2000 - whether it has obtained a certificate of registration from National Housing Bank;

(iii) whether the housing finance company has complied with the liquidity requirements as specified under Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 and kept the securities with the designated bank;

(iv) whether the housing finance company has complied with Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987;

(v) whether the housing finance company has complied with the provisions of these Directions;

(vi) whether the capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to National Housing Bank has been correctly determined and whether such ratio is in compliance with the minimum capital to risk weighted asset ratio as prescribed by the National Housing Bank in these Directions;

(vii) where the housing finance company is accepting/holding public deposits - whether

(a) public deposits accepted by the housing finance company are within admissible

(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and loans or other assistance from the NHB are within the limit prescribed in these Directions;

- (c) the deposits in excess of the admissible limit held by the housing finance company have been regularised in the manner stipulated by National Housing Bank.
- (d) the credit rating for deposits i.e. \_\_\_\_\_ (mention the rating) assigned by the credit rating agency viz., \_\_\_\_\_ (name of the agency) on \_\_\_\_\_ (the date) is in force and the aggregate amount of deposits outstanding as at any point during the year has exceeded the limit specified by the rating agency;
- (e) the housing finance company has defaulted in paying to its depositors the interest and/or principal amounts of deposits after such interest and/or principal became due;
- (f) in case of opening of new branches or offices for acceptance of public deposits or closure of branches or offices, the housing finance company has complied with the relevant provisions of these Directions;
- (viii) where the housing finance company is not accepting public deposits- whether
- (a) the Board of Directors has passed a resolution for non-acceptance of any public deposits;
- (b) the company has accepted any public deposits during the relevant period/year;
- (c) the company has complied with prudential norms.

#### **Reasons to be stated for unfavourable or qualified statement**

31. Where, in the auditor's report, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 30 above is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified statement, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion on any of the items referred to in paragraph 30 above, the auditor's report shall indicate such fact together with reasons therefor.

#### **Obligation of auditor to report to the National Housing Bank**

32. Where, in the case of a housing finance company, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 30 above is unfavourable or qualified or in the opinion of the auditor the company has not complied with the provisions of these Directions or the provisions of chapter V of the National Housing Bank Act, 1987, it shall be the obligation of the auditor to make a report containing the details of such unfavourable or qualified statements and/or about the non-compliance, as the case may be, in respect of the company to head office of the National Housing Bank at New Delhi.

### **CHAPTER V - MISCELLANEOUS**

#### **Loans against housing finance company's own shares prohibited**

33. (1) No housing finance company shall lend against its own shares.

(2) Any outstanding loan granted by a housing finance company against its own shares on the date of commencement of these Directions shall be recovered by the housing finance company as per the repayment schedule.

### **Housing finance companies failing to repay public deposit prohibited from making loans and investments**

34. A housing finance company which has failed to repay any public deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of such deposit, as provided in section 36A(1) of the National Housing Bank Act, 1987, shall not grant any loan or other credit facility by whatever name called or make any investment or create any other asset as long as the default exists.

### **Constitution of Audit Committee**

35. A housing finance company having assets of Rs. 50 crore and above as per its last audited balance sheet shall constitute an Audit Committee consisting of not less than three non-executive Directors of the Board.

### **Accounting year**

36. Every housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year with effect from the accounting year ending on March 31, 2002:

Provided that if the accounting year of any housing finance company ends on any date other than March 31, 2002, such housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account for any fraction of the year ending on March 31, 2002.

### **Copies of balance sheet and accounts together with the Directors' report to be furnished to the National Housing Bank.**

37. Every housing finance company shall deliver to the National Housing Bank an audited balance sheet as on the last date of each financial year and audited profit and loss account in respect of that year as passed by the housing finance company in General Meeting together with a copy of the report of the Board of Directors laid before the housing finance company in such meeting in terms of Section 217(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) within 15 days of such meeting as also a copy of the report and the notes on accounts furnished by its Auditors.

### **Auditor's Certificate**

38. Every housing finance company holding/accepting public deposits shall furnish to the National Housing Bank, along with the copy of the audited balance sheet as provided under paragraph 37, a copy of the auditor's report to the Board of Directors and a certificate from its auditors to the effect that the full amount of liabilities to the depositors of the company including interest payable thereon are properly reflected in



the balance sheet and that the company is in a position to meet the amount of such liabilities to the depositors.

### **Returns to be submitted to the National Housing Bank**

**39.** (1) Without prejudice to the provisions of paragraph 37, every housing finance company shall submit to the National Housing Bank an annual return furnishing the information specified in Schedule I to these Directions with reference to its position as on 31<sup>st</sup> March every year, a half yearly return furnishing the information specified in Schedule II to these Directions with reference to its position as on 30<sup>th</sup> September and 31<sup>st</sup> March every year and a quarterly return furnishing the information specified in Schedule III with reference to its position as at the end of every calendar quarter.

(2) (i) Every housing finance company shall, within one month from the commencement of business, deliver to the National Housing Bank, a written statement containing a list of -

- (a) the names and official designations of its principal officers;
- (b) the complete postal address, telephone number/s and fax number/s of the registered/ corporate office;
- (c) the names and office addresses of the auditors of the company;
- (d) the names and the residential addresses of the directors of the housing finance company; and
- (e) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the housing finance company, returns specified in sub-paragraph (1).

(ii) any change in the list referred to in clause(i) of this sub-paragraph shall be intimated to the National Housing Bank within one month from the occurrence of such change.

### **Balance-sheet, returns, etc. to be submitted to the office of National Housing Bank at New Delhi**

**40.** Any balance sheets, returns or information required to be submitted or furnished to the National Housing Bank in pursuance of these Directions shall be submitted or furnished to the office of National Housing Bank at New Delhi.

### **Exemptions**

**41.** The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any housing finance company or class of housing finance companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose.

**Interpretations**

42. For the purpose of giving effect to the provisions of these Directions, the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these Directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

**Saving of action taken or that may be taken for contravention of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989**

43. It is hereby clarified that the supercession of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989, as amended from time to time, shall not in any way affect:

- (i) any right, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder;
- (ii) any penalty, forfeiture, or punishment incurred in respect of any contravention committed thereunder;
- (iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued, or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if those Directions had not been superceded.

  
(Shekhar Agarwal)  
Chairman

**SCHEDULE I**

(See paragraph 39 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001)

Annual Return as on March 31, \_\_\_\_\_

**(Read instructions carefully before filling the return)**

To be filled by National Housing Bank (NHB)	
File No.	
ID No.	
Nature of Business	
District Code	
State Code	

1. Name of the Company		
Income Tax PAN		
2. Full address of the		
(i) Registered Office:	_____	
	_____ PIN _____	
Telephone _____ Fax _____ e-mail _____		
Telex _____ Telegraphic address _____		
(ii) Head/Administrative Office*:	_____	
	_____ PIN _____	
Telephone _____ Fax _____ e-mail _____		
Telex _____ Telegraphic address _____		
3. Whether a Government Company :	Yes/No	
4. State/Union Territory in which the company is registered :		
5. Status +	(i) Public Ltd. [ ]	(ii) Deemed Public Company [ ]
	(iii) Private Ltd. [ ]	(iv) Branch of a Foreign company [ ]
	D D M M Y Y Y Y	
6. Date of (i) Incorporation	[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]	
(ii) Commencement of business	[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]	
(iii) Financial year of the company	[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]	
7. (i) Principal object of the company as mentioned in its Memorandum of Association:		
(ii) Principal business transacted by the company during the year under reporting:		
(iii) Other business transacted by the company during the year under reporting:		
8. Whether the company has applied for registration in terms of the National Housing Bank Act, 1987:	Yes/No	
If yes, give the date of application and if already registered,		

give the Registration no. allotted by the National Housing Bank	
9.No.of branches/offices <sup>β</sup>	
10. Total number of employees (i) Full time :	
(ii) Part time	
(iii) Honorary basis :	
11. Whether shares of the company are listed on any stock exchanges	Yes/No
If yes furnish the name/s of the stock exchange/s	
12. Whether the Half-yearly Return on prudential norms as on the date of this return has been submitted to the NHB. If yes, give the date of furnishing the return	Yes/No
13. (a) Whether the company at the beginning of the financial year to which the return pertains, was holding any credit rating/s for its fixed deposits ?	Yes/No
If yes, give the following details :	
(i) Name of the rating agency :	
(ii) Rating awarded by such agency :	
(iii) Date of such rating and its validity period :	
(b) Whether the company during the financial year to which the return pertains obtained any credit rating/s for its fixed deposits ?	Yes/No
If yes, give the following details :	
(i) Name of the rating agency :	
(ii) Rating awarded by such agency	
(iii) Date of such rating and its validity period	
(c) Whether during the financial year to which the return pertains, there was any change in the credit rating/s mentioned in (a) or (b) above ?	Yes/No
If yes, give the following details	
(i) Name of the rating agency :	
(ii) Rating awarded by such agency :	
(iii) Date of such rating and its validity period :	
(iv) Reasons for variation in credit rating, if any :	
14. Whether a holding company or a subsidiary <sup>§</sup>	
15. Whether the company is a joint venture:	Yes/No
16. Name/s and address/es of the company's promoters/ promoting institutions and the shareholding pattern	_____
[Enclose separate sheet, if necessary]	_____
17. Name/s and address/es of the company's auditors	_____
	_____
	_____
	_____

Telephone _____ Fax _____	
Membership No. _____	
18. Name/s and address/es of the company's bankers [Enclose separate sheet, if necessary]	_____ _____ _____
19. Name/s and address/es of the present directors [Enclose separate sheet, if necessary]	_____ _____ _____
20. Whether the company has created a reserve fund in terms of Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987 :	Yes/No
If yes give the following details of such reserve fund for the financial year to which the return pertains :	
(i) Amount outstanding at the beginning of the year :	
(ii) Amount transferred to the fund during the year :	
(iii) Whether any amount was appropriated from the reserve fund during the year:	Yes/No
If yes, (a) the amount appropriated	
(b) purpose of appropriation	
(c) date of reporting the appropriation to NHB	
(iv) Amount outstanding as on the date of this return	

\* If it is a place other than the Registered Office.

+ Tick the box which is applicable.

β A list showing the names and addresses of the places where the branches/offices of the company are situated should be enclosed.

§ If it is a subsidiary, the name of the holding company may be indicated.

**PART - 1****(A)****Particulars of Public Deposits Outstanding as on March 31, \_\_\_\_**

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Accounts	Amount
1	2	3	4	5
1.	Deposits from public in the form of fixed deposits, recurring deposits, etc.	111		
2.	(i) Deposits received by a public company from its shareholders	112		
	(ii) Deposits received by a private limited company from joint shareholders other than the first named shareholder	113		
3.	Money received by issue of non-convertible unsecured debentures (See instruction no. 13)	114		
4.	Total (1+2+3)	110		
5.	Any other deposits not included in part 2 of the Schedule	120		
6.	Total (4+5)	130		
7.	Of the total deposits at item 6 above, those			
	(i) Repayable on demand or on notice*	141		
	(ii) For a period less than 12 months.*	142		
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	143		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	144		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	145		
	(vi) For a period of 60 months	146		
	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	147		
	(viii) For a period of 84 months.	148		
(ix) For a period more than 84 months*	149			
8.	Total [7(i) to (ix)] should tally with 6 above	140		
9.	Of the total deposits at item 6 above, those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any)Φ (Rate of interest : percent per annum)			
	(i) Free of interest	151		
	(ii) Below 6%	152		
	(iii) 6% or more but less than 9%	153		
	(iv) 9% or more but less than 11%	154		
	(v) 11% or more but less than 13%	155		
	(vi) 13% or more but less than 14%	156		
	(vii) At 14%	157		
(viii) More than 14%*	158			

10.	Total [9(i) to (viii)] should tally with item 6 above	150		
11.	Break-up of deposits at item 6 above according to the size of deposits			
	(i) upto Rs.5,000	161		
	(ii) Rs.5,001 to Rs.10,000	162		
	(iii) Rs.10,001 to Rs.25,000	163		
	(iv) Rs.25,001 to Rs.50,000	164		
	(v) Rs.50,001 to Rs.100,000	165		
	(vi) Over Rs.100,000*	166		
12.	Total [11(i) to (vi)] should tally with item 6 above	160		
13.	Of the total deposits at item 6 above			
	(i) those which have matured but not claimed	171		
	(ii) those which have matured and claimed but not paid	172		
14.	Of the deposits of the type at item 4 above			
	(i) deposits outstanding at the beginning of the year	181		
	(ii) deposits accepted/renewed during the year	182		
	(iii) deposits repaid during the year	183		
	(iv) deposits outstanding at the end of the year	184		
15.	Of the deposits of the type at item 5 above			
	(i) deposits outstanding at the beginning of the year	191		
	(ii) deposits accepted/renewed during the year	192		
	(iii) deposits repaid during the year	193		
	(iv) deposits outstanding at the end of the year	194		
16.	Of the total deposits at item 6 above, deposits received from non-resident Indians	195		

## (B)

**Particulars of Deposits Mobilised [Items 14 (ii) and 15 (ii) of Part - 1(A)] During the Reporting Period**

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Accounts	Amount
1	2	3	4	5
1.	Of the total deposits at item no.14 (ii) of Part-1(A), those (i) Repayable on demand or on notice*	111.1		
	(ii) For a period less than 12 months.*	112.1		
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	113.1		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	114.1		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	115.1		
	(vi) For a period of 60 months	116.1		
	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	117.1		

	(viii) For a period of 84 months.	118.1		
	(ix) For a period more than 84 months*	119.1		
2.	Total [1 (i) to (ix)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)	110.1		
3.	Of the total deposits at item no. 15 (ii) of Part -1(A)			
	(i) Repayable on demand or on notice*	121.1		
	(ii) For a period less than 12 months.*	122.1		
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	123.1		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	124.1		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	125.1		
	(vi) For a period of 60 months	126.1		
	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	127.1		
	(viii) For a period of 84 months.	128.1		
	(ix) For a period more than 84 months*	129.1		
4.	Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)	120.1		
5.	Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest : % per annum)			
	(i) Free of interest	131.1		
	(ii) Below 6%	132.1		
	(iii) 6% or more but less than 9%	133.1		
	(iv) 9% or more but less than 11%	134.1		
	(v) 11% or more but less than 13%	135.1		
	(vi) 13% or more but less than 14%	136.1		
	(vii) At 14%	137.1		
	(viii) More than 14%*	138.1		
6.	Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)	130.1		
7.	Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest : % per annum)			
	(i) Free of interest	141.1		
	(ii) Below 6%	142.1		
	(iii) 6% or more but less than 9%	143.1		
	(iv) 9% or more but less than 11%	144.1		
	(v) 11% or more but less than 13%	145.1		
	(vi) 13% or more but less than 14%	146.1		
	(vii) At 14%	147.1		
	(viii) More than 14%*	148.1		
8.	Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)	140.1		
9.	(a) Amount of brokerage paid	151.1		
	(b) Expenses reimbursed to brokers	152.1		
	(c) Amount of deposits mobilised by payment of	153.1		



brokerage			
-----------	--	--	--

- Φ A statement showing the rates of interest offered as also the rates of brokerage paid on different types of deposits according to their periods i.e. exceeding 12 months, 24 months, 36 months etc. should also be submitted along with this part of the return.  
Details should be furnished separately.

## PART - 2

Particulars of Borrowings and of Deposits not Included in Public Deposits as on  
March 31, \_\_\_\_\_(Amount in lakhs of  
rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Accounts	Amount
1	2	3	4	5
1.	Money received from the Central or State Government(s) or money received from others, the repayment of which is guaranteed by the Central or State Government (s) or money received from a local authority.	221		
2.	Money received from -			
	(a) Foreign Government	222		
	(b) Foreign Authority	223		
	(c) Foreign Citizen or person	224		
	Total [(a)+(b)+(c)]	225		
3.	Borrowings from National Housing Bank	228		
4	Borrowings from -			
	(a) banks	227		
	(b) other financial institutions specified in the Directions	228		
5.	Money received from any other company	229		
6.	Money received from directors/relatives of directors	230		
7.	Money received by a private company from its shareholders (in case of joint shareholders, money received from the first named shareholder only to be included)	231		
8.	Money received from employees of the company by way of security deposit.	232		
9.	Money received by way of security or advance from purchasing, selling or other agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services.	233		
10.	Money received by issue of debentures secured by mortgage of immovable properties or convertible debentures	234		
	Of the above, debentures subscribed by banks [see also item No.(3) of Part -1(A)]	235		
11.	Money received by way of subscription to any shares or secured debentures pending allotment or			

	money received by way of calls in advance on shares in accordance with the Articles of Association of the company so long as such amount is not repayable to the shareholders under the Articles of Association of the company.	236		
12.	Money brought in by promoters by way of unsecured loans in pursuance of stipulations of lending institutions	237		
13.	Commercial Papers	238		
14.	Money received from a mutual fund	239		
15.	Money received as hybrid debt or subordinated debt having maturity period of sixty months or above	240		
16.	Total (221+225 to 234+236 to 240 )	250		

## PART - 3

Statement Showing the "Net Owned Funds" As On March 31, \_\_\_\_\_

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1	2	3	4
1.	Paid-up Equity Capital	311	
2.	Preference shares which are compulsorily convertible into equity	312	
3.	Free reserves		
	(a) General Reserves	313	
	(b) Share premium	314	
	(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)	315	
	(d) Debenture redemption reserve	316	
	(e) Capital redemption reserve	317	
	(f) Credit balance in P & L account	318	
	(g) Reserves under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961	319	
	(h) Other free reserves (to be specified)	319.1	
4.	Total (311 to 319.1)	310	
5.	Accumulated balance of loss	321	
6.	Deferred revenue expenditure	322	
7.	Other intangible assets	323	
8.	Total (321 to 323)	320	
9.	Owned Funds (310-320)	330	
10.	Book value of investment in shares of :		
	(a) Subsidiaries	341	
	(b) Companies in the same group	342	
	(c) Other housing finance institutions which are companies. (Details to be furnished in separate Annexure)	343	
11	Book value of investments in debentures and bonds of :		
	(a) Subsidiaries	344	
	(b) Companies in the same group	345	





**PART - 4.2**  
**Term Wise Break up of Housing Loans (Item Code 410 of Part - 4)**

(Amount in lakhs of Rupees)

Term of the loan	Housing loans to Individuals		Housing loans to corporate bodies	
	No.	Amount	No.	Amount
Upto 1 year				
Above 1 year & upto 3 years				
Above 3 years & upto 5 years				
Above 5 years & upto 7 years				
Above 7 years				

**PART - 5**  
**Statement Showing Investments at Book Value as on March 31, \_\_\_\_\_**

(Amount in lakhs of rupees)

Item no.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1	2	3	4
1.	Investment in shares of		
	(a) Subsidiaries	511	
	(b) Companies in the same group	512	
	(c) Other housing finance institutions which are companies	513	
2.	Investment in debentures, bonds and commercial papers of		
	(a) Subsidiaries	514	
	(b) Companies in the same group	515	
3.	Investments in shares of and debenture/ bonds and commercial papers issued by companies and contribution to the capital of firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest. (Details to be furnished in separate Annexure)	516	
4.	Shares, debentures/bonds and commercial papers of other companies	517	
5.	Other Investments		
	(i) Fixed deposits with banks/certificates of deposits issued by banks	518	
	(ii) Deposits in any other deposit account with banks	519	
	(iii) Securities of central/state governments and bonds guaranteed by central/state governments	520	
	(iv) Units of Unit Trust of India	521	
	(v) Others (Please furnish a list showing book value and market value)	522	
6.	Total [511 to 522]	500	

**Certificate****\*Manager's/ Managing Director's/ Authorised Official's Certificate:**

1. Certified that the directions contained in The Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 are being complied with.
2. Further certified that the particulars/information furnished in this return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date : \_\_\_\_\_ Signature of Manager/Managing  
Place: \_\_\_\_\_ Director/Authorised Official\*

Name:  
Designation :

\*Strike off whichever is not applicable.

**Auditor's Report**

We have examined the books of account and other records maintained by \_\_\_\_\_ in respect of the data furnished in this return and report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and shown by the records examined by us, the data furnished in this return are correct.

Place :

Date : \_\_\_\_\_ Chartered Accountants

**Enclosures to the return**

The following documents should be submitted along with the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission if already submitted.

- |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return</li> <li>(2) Specimen signature card (Please see instruction no. 5)</li> <li>(3) A copy of the application form referred to in paragraph 6 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001</li> <li>(4) A list of principal officers and the names and addresses of directors</li> <li>(5) Auditor's certificate as required in paragraph 38 of the Directions</li> </ol> | <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80px; height: 120px;"> <tr><td style="width: 80px; height: 30px;"></td></tr> <tr><td style="width: 80px; height: 30px;"></td></tr> <tr><td style="width: 80px; height: 30px;"></td></tr> <tr><td style="width: 80px; height: 30px;"></td></tr> <tr><td style="width: 80px; height: 30px;"></td></tr> </table> |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |

---

**Instructions for Filing and Submission of the Return**

---

**General**

1. The return after compilation, should be submitted by a housing finance company once a year as early as possible after March 31 and latest by September 30 with reference to its position as on March 31 irrespective of the date of closing of the financial year of the company, to the Head office of the National Housing Bank, New Delhi as specified in paragraph 40 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. A certificate from the auditors of the company as required in terms of paragraph 38 of the Notification should be appended to the return.
2. The submission of the return should not be delayed for any reason such as the finalisation/ completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of accounts of the company.
3. The return wherever possible should be sent in a floppy diskette (floppy size 3.5, data structure Excel/dbase IV) together with a hard copy duly signed.
4. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts should be given in lakhs of rupees rounded off to two decimal positions.
5. The return should be signed by the Manager (as defined in Section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the National Housing Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature may be furnished separately.
6. All particulars asked for in the Schedule should be filled up without leaving any part/item blank. In case there is nothing to report in any part/item of the return, it should be marked "Nil" and if any part/item is not relevant or applicable, it should be marked "NA".
7. The date to which the return pertains should invariably be filled up in the first page as well as in all the parts of the Schedule at the appropriate place.
8. "Subsidiaries" shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
9. A body corporate shall be deemed to be in the same group as the investing company if the body corporate is the managing agent of the investing company or if the body corporate and the investing company are under the same management.
10. "Substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his/ her spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten per cent of the paid up capital of the company or total capital subscribed by all the partners of a partnership firm.

**Part - 1(A)**

11. If the company is a public company and a declaration as specified in instruction no.18 has not been obtained from its directors, such deposits should be shown against item 2.
12. The amount in respect of non-convertible portion of the debentures which are partly convertible and partly non-convertible, may be included under item 3 and the convertible portion may be shown against item 10 of Part 2.
13. Non-convertible unsecured debentures subscribed to by banks and institutions mentioned under clauses (iii) and (iv) of Section 45 I (bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 should not be included under item 3. Such amount should be included under item 4 of Part 2.
14. The period-wise classification of deposits should be made against the various heads under item 7 according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have run as from March 31 i.e. the date of return.
15. In item 11, the number of accounts and the amounts should be calculated in respect of each range of deposits.

16 Under item 13, if the aggregate amount of deposits not repaid exceeds Rs 5 lakhs, the reasons for non-payment of each deposit and the steps taken for repayment should be indicated in an Annexure

17 The amounts shown in Part-2 should not be included in this Part.

### **Part - 2**

18 Only money received from such persons on a declaration in writing that the money has not been given by such person/s out of funds acquired by him/them by borrowing or accepting deposits from another person should be shown against items 6 and 7

19 Money received from the shareholders of a private company deemed as a public company under section 43A of the Companies Act, 1956, should also be included under item 7 subject to the obtaining of declaration referred to in instruction no 18 above

20 The amounts already shown in Part -1(A) should not be included here

### **Part - 3**

21 Figures relating to net owned funds should be as per the audited balance sheet pertaining to the date of return. In case auditing is not over, figures should relate to the books of accounts for the relevant period

22 'Free reserves' shall include balance in share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserves shown in the balance sheet and created through an allocation out of profits but not being (a) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation on assets or for bad debts, or (b) a reserve created by revaluation of assets of the company

23 Investment in shares includes investment in fully convertible debentures and/or convertible portion of partially convertible debentures. Investments held either in investment account or stock-in-trade should be included under item 10

24 Debentures whether held in investment account or by way of stock-in-trade should be included under item 11. Non-convertible debentures, non-convertible portion of partially convertible debentures and optionally convertible debentures should also be included under this item

25 Credit balance in the profit and loss account should be adjusted by the actual provisions made for NPAs

### **Part - 4**

26 Sundry debtors, tax paid in advance and other recoverable items not in the nature of loans and advances should not be shown in this statement

27 Fixed deposits with other companies should be included under item 2(i) or 2(ii) as the case may be and not in Part 5

28 Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment.

### **Part - 5**

29 Details of shares, debentures and commercial papers held in investment account or by way of stock in-trade should be included in this part

30 Fixed deposits with companies should not be included here but should be shown in Part-4

31 Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment and should not be included in Part-5



## SCHEDULE II

[See paragraph 39(1) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001]

Half-Yearly Return as on March 31/September 30, \_\_\_

(To be submitted within two months from close of the half year)

Name of the HFC:	
Company code number	
Registration number	

## PART-A Capital Funds-Tier-I [ Amount in rupees lakhs]

Item No.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1.	Paid-up Equity Capital	111	
2.	Preference shares which are compulsorily convertible into equity	112	
3.	Free reserves		
	(a) General Reserves	113	
	(b) Share premium	114	
	(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)	115	
	(d) Debenture redemption reserve	116	
	(e) Capital redemption reserve	117	
	(f) Credit balance in P & L account	118	
	(g) Other free reserves (to be specified)	119	
4.	Total (111 to 119)	110	
5.	Accumulated balance of loss	121	
6.	Deferred revenue expenditure	122	
7.	Other intangible assets	123	
8.	Total (121 to 123)	120	
9.	Owned Funds (110-120)	130	
10.	Book value of investment in shares of :		
	(a) Subsidiaries	141	
	(b) Companies in the same group	142	
	(c) Other housing finance institutions which are companies	143	
11.	Book value of investments in debentures and bonds of		
	(a) Subsidiaries	144	
	(b) Companies in the same group	145	
12.	Outstanding loans and advances to and deposits with		
	(a) Subsidiaries	146	
	(b) Companies in the same group	147	
13.	Total (141 to 147)	140	
14.	Amount of item 140 in excess of 10% of item 130 above	150	
15.	Tier I Capital - Net owned funds (130 - 150)	151	

## PART-B-Capital Funds-Tier- II [Amount rupees in lakhs]

Item Name	Item Code	Amount
(1)	(2)	(3)

(i) Preference shares (other than those compulsorily convertible into equity)	161	
(ii) Revaluation Reserves	162	
(iii) General provisions and loss reserves	163	
(iv) Hybrid capital instruments	164	
(v) Subordinated debt	165	
(vi) Aggregate Tier-II Capital	160	
Total Capital Funds (151+160)	170	

**PART C - Risk Assets & Off-Balance Sheet Items [Amount rupees in lakhs]**

Items	Item code	Amount
(i) Adjusted value of funded risk assets, ie, on-balance sheet items (To tally with Part D)	181	
(ii) Adjusted value of non-funded and off-balance sheet items (To tally with Part E)	182	
(iii) Total risk weighted assets/exposures [total (i) + (ii)]	180	
(iv) Percentage of capital funds to risk weighted assets/exposures: (a) Tier-I capital	191	
(b) Tier-II capital	192	
(c) Total capital	193	

**PART D - Weighted assets, i.e., on-balance sheet Items [Amount rupees in lakhs]**

Item description	Item code	Book Value	Risk weight	Adjusted Value
I. Cash and bank balances including fixed deposits & certificate of deposits	210		0	
II. Investments				
(a) Approved securities as defined in the National Housing Bank Act, 1987	221		0	
(b) Bonds of public sector banks and FDs/CDs/ bonds of public financial Institutions				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	222		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	223		20	
(c) Unit Trust of India	224		20	
(d) Shares of all companies and debentures/bonds/ commercial papers of companies other than (b) above/units of mutual fund other than (c) above				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	225		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	226		100	
III. Current assets				
(a) Stock on hire (see Note 2 below)				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	231		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	232		100	
(b) inter corporate loans /deposits				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	233		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	234		100	
(c) Loans and advances fully secured by company's own deposits	235		0	
(d) Loans to staff	236		0	

(e) Housing loans to individuals backed by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets and where loan to value ratio does not exceed 75%	237		75	
(f) Other housing loans (including those to individuals but not qualifying under (e))	238		100	
(g) Other loans & advances				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	241		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	242		100	
(h) Bills purchased/discounted				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	243		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	244		100	
(i) Others (to be specified)	245		100	
IV Fixed assets [net of depreciation]				
(a) Assets leased out				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	251		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	252		100	
(b) Premises	253		100	
(c) Furniture & Fixtures	254		100	
V Other assets				
(a) Income tax deducted at source (net of provisions)	255		0	
(b) Advance tax paid (net of provisions)	256		0	
(c) Interest due on Government securities	257		0	
(d) Others(to be specified)	258		100	
Total weighted assets	200			

## Notes

- 1 Netting may be done in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made
- 2 Stock on hire should be shown net of finance charges, i.e., interest and other charges recoverable
- 3 Assets which have been deducted (item code 150) from owned fund to arrive at net owned fund will have a weightage of '0'.

**PART - E - Weighted non-funded exposures/off-balance sheet Items**

Amount rupees in lakhs

Item description	Item code	Book value	conversion factor	Equivalent	Risk weight	Adjusted value
1 Undisbursed amount of housing loans sanctioned	310		50		100	
2 Financial & other guarantees	320		100		100	
3 Shares / debenture underwriting obligations	330		50		100	
4 Partly paid shares/debentures	340		100		100	

5 Bills discounted/rediscounted	350		100		100	
6 Lease contracts entered in to but yet to be executed	360		100		100	
7 Other contingent liabilities (to be specified)	370		50		100	
Total non-funded exposures	300					

Note: Cash margin/deposits shall be deducted before applying the conversion factor where ever applicable.

#### PART - F - Asset classification [Amount rupees in lakhs]

Aggregate of credit exposures and provisioning in respect of them:

Item description	Item code	Amount	Provision required as per directions	Actual provision made
(i) Standard Assets	411			
(ii) Sub-standard assets				
Individual housing loans	412			
Housing loans to corporate/agencies	413			
Lease and hire purchase assets	414			
Other credit facilities	415			
(iii) Doubtful Assets				
Individual housing loans	416			
Housing loans to corporate/agencies	417			
Lease and hire purchase assets	418			
Other credit facilities				
(iv) Loss Assets	419			
Individual housing loans	420			
Housing loans to corporate/agencies	421			
Lease and hire purchase assets	422			
Other credit facilities	423			
Aggregate provisioning	400			
Other provisions in respect of:				
(i) Depreciation of fixed assets	451			
(ii) Depreciation in investments	452			
(iii) Loss/intangible assets	453			
(iv) Provision for taxation	454			
(v) Gratuity /provident fund	455			
(vi) Others ( to be specified)	456			
Total	450			

#### PART G - Particulars regarding Investments in and advances to companies/firms in the same group and other HFCs.

Item description	Item code	Amount
(i) Book value of bonds and debentures and outstanding loans and advances to and deposits with subsidiaries and companies	510	

In the same group (Details to be enclosed in separate sheet)		
(ii) Investment in shares of subsidiaries and companies in the same group and all HFCs (Details to be enclosed in separate sheet)	520	
(iii) Investment by way of shares, debentures, loans and advances, leasing, hire purchase finance, deposits etc, in other companies, firms and proprietary concerns where directors of HFC hold substantial interest.	530	

**PART H - Particulars regarding concentration of advances including off-balance sheet exposures and investment to parties including those in Part G above**

Item description	Item code	Amount
(i) Loans and advances including off-balance sheet exposures to any single party in excess of 15 percent of owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	610	
(ii) Loans and advances including off-balance sheet exposures to a single group of parties in excess of 25 percent of owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	620	
(iii) Investment in a single company in excess of 15 percent of the owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	630	
(iv) Investments in the shares issued by a single group of companies in excess of 25 percent of the owned fund of the HFC	640	
(v) Loans, advances to (including debentures, bonds and off-balance sheet exposures) and investment in shares of a single party in excess of 25 percent of owned fund of the HFC	650	
(vi) Loans, advances to (including debentures, bonds and off-balance sheet exposures) and investment in a single party in excess of 40 percent of net owned fund of the HFC	660	

**Notes:**

(1) All these exposure limits are applicable to the HFC's own group as well as to the borrower/investee company's group.

(2) Investment in debentures for this purpose shall be treated as credit and not investment.

**PART I - Particulars regarding investments in premises and unquoted shares**

Item description	Item code	Amount
(i) Investments in premises (land & buildings), except for own use, held by the HFC in excess of 10 percent of the owned fund		
(a) Acquired by the HFC independently	710	
(b) Acquired in satisfaction of its debts	720	
(ii) Investments in unquoted shares except those held in the subsidiaries and companies in the same group in excess of 10 percent of owned fund	730	

**PART J - Credit Rating**

Deposits Instrument	Name of rating agency	Date of rating	Rating assigned	Valid upto	Borrowing limit or conditions imposed by rating agency, if any

Note : A copy of the rating should be furnished along with this return.

**PART K - Particulars on suit filed and decreed debts by the HFC and against it**

Item	Item code	Amount
(i) Loans, advances and other credit facilities for which the HFC has filed suits in any court of law for recovery of its dues including the decreed debts	810	
Pending for over 5 years	811	
Pending for 3 to 5 years	812	
Pending for 1 to 3 years	813	
Pending for less than 1 year	814	
(ii) Out of (i) above, the loans, advances and other credit facilities for which decree has been obtained by the HFC	820	
(iii) Recoveries made in suit filed/decreed debts (including amounts deposited in the court)	830	
(iv) Suit filed and decreed against the company	840	

### Certificate

**Certified that**

- (1) the data/information furnished in this statement are in accordance with the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. The statement has been compiled from the books of account and other records of the company and to the best of my knowledge and belief they are correct;
- (2) the company has accepted public deposit and the quantum of such deposit is within the limits applicable to the company;
- (3) the company has not paid interest/brokerage on deposit beyond the ceiling prescribed under the Directions;
- (4) the company has not defaulted in repayment of matured deposit;
- (5) the credit rating for fixed deposits assigned by credit rating agency, viz \_\_\_\_\_ at (rating level) is valid;
- (6) the capital adequacy disclosed in Part C of the return after taking into account the particulars contained in Parts, D, E and F has been correctly worked out;
- (7) classification of assets as disclosed in Part F of the return has been verified and found to be correct. No roll-over/re-phasing of loans, lease and hire purchase transactions and bills discounted beyond due dates has been observed. The substandard or doubtful or loss asset, if upgraded has been done so, in conformity with relevant provisions of the Directions;
- (8) investment in group companies as disclosed in Part G of the return and exposures to individuals/firms/other companies exceeding the credit/investment concentration norms as disclosed in Part H of the half-yearly return and classification of such asset is correct;
- (9) net owned fund as per Tier-I capital of the company has been correctly worked out.

For and on behalf of

(name of the company)

Place:

Managing Director/

Date: 

Chief Executive Officer

Office seal

### Auditor's Report

We have examined the books of accounts and other records maintained by \_\_\_\_\_ Company Limited in respect of the capital funds, risk assets/exposures and risk asset ratio etc., as on \_\_\_\_\_ and statements hereinabove made by the Managing Director/Chief Executive Officer of the company or his authorised representative. We report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the record examined by us the figures shown in Parts A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K of the statement hereinabove are correct.

For & on behalf of

Chartered Accountants

Membership No. \_\_\_\_\_

Name of signatory: \_\_\_\_\_

Office Seal

Place:

Date:

## SCHEDULE III

**Return on Statutory Liquid Assets for the  
Quarter ended March/June/September/December, 20.....**

(See Section 29 B of the National Housing Bank Act, 1987 and paragraph 39(1) of the  
Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 )

1.	Name of the Company					
2.	Company Code					
3.	Address of the Registered Office					
			PIN			
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address	
4.	Address of the Corporate/ Head Office					
			PIN			
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address	
5.	Status of registration with NHB in terms of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987:					
	i) Number and date of Certificate of Registration if issued by NHB					
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending					



## Part A

**Details of Public Deposits and Maintenance of Liquid Assets**

I. Details of Public Deposits outstanding as at the end of preceding second quarter i.e. March/June/September/December 20 (Please see Note 1 below):

(Rupees in lakhs)			
Sr.No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Deposits received from public in the form of Fixed Deposits, Recurring Deposits etc.	111	
2.	(i) Deposits received from shareholders by a Public Limited Company	112	
	(ii) Deposits received from Joint shareholders other than the first named shareholder by a Private Limited Company.	113	
3.	(i) Money received by issue of Non-convertible unsecured debentures (please see Note 2 below)	114	
	(ii) Any other type of public deposits	115	
4.	<b>Total ( 111 to 115)</b>	<b>100</b>	

II. Details of Liquid Assets maintained:

1.	Minimum amount of liquid assets required to be invested in unencumbered approved securities at ____ % of public deposits shown against item code 100 above	121	
2.	Minimum amount of total liquid assets required to be maintained in form of unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets at ____ % of public deposits shown against item code 100 above	122	
3.	Liquid assets actually maintained :		
	A. Unencumbered approved securities [details to be furnished as per Annex 1]	123	
	B. In term deposits or certificates of deposits with scheduled banks	124	
	C. In deposits with NHB [details of B and C to be furnished as per Annex 2]	125	
	D. In bonds issued by NHB [details to be furnished as per Annex 4]	126	

	<b>Total (123 to 126)</b>	<b>120</b>		
4.	(a) Name of the designated bank and address where the securities are lodged [details to be furnished as per Annex 3]			
	(b) Amount of securities lodged			
	(i) Book Value	126		
	(ii) Market Value	127		
	Indicate whether the company has maintained the required level of liquid assets on a daily basis during the quarter			
	A. in unencumbered approved securities (please tick)		Yes	
			No	
	B. on total basis (i.e. investment in unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets) (please tick)		Yes	
			No	
	If not, indicate the date wise position of the shortfall during the quarter [as per Annexure 5]			
5.	(a) Whether the requirement of SLR was complied with during the last quarter? (please tick)		Yes	
			No	
	(b) If not, whether demand for penal interest was made by NHB? (please tick)		Yes	
			No	
	(c) If yes,			
	(i) amount	128		
	(ii) date of payment thereof	129		

### **Part B**

#### **Information regarding compliance of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 (as amended from time to time)**

**(Rupees in lakhs)**

1.	Net owned fund (as per the last audited balance sheet of the company)	131	
2.	Capital Adequacy Ratio (as per the last audited balance sheet of the company)	132	
3.	<b>Credit rating :</b>		
	i) Rating assigned	133	
	ii) Date of rating	134	
	iii) Name of the Rating Agency	135	

	iv) Whether any change has occurred since the last rating (Please furnish details separately)	136	
4.	Public deposits outstanding as at the close of business on the date of commencement of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001	137	
5.	Quantum of excess public deposits held, if any, by the company as on the date of commencement of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001	138	
6.	Public Deposits outstanding as on date of this return (i.e. last working day of the quarter to which this return relates)	139	
7.	Quantum of public deposits permissible as per the provisions of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 as on date of this return	140	
8.	Quantum of excess public deposits remaining to be regularised on the date of this return	141	
9.	Deposits accepted during the quarter under reference	142	
10.	Deposits renewed during the quarter under reference	143	
11.	Deposits matured but remained unpaid/ not renewed as on the date of this return:		
	(a) No. of accounts	144	
	(b) Amount	145	
12.	Of 11 above, those where orders of authorised officer of National Housing Bank have been received		
	(a) No. of accounts	146	
	(b) Amount	147	
13.	(a) Steps taken/being taken to regularise the excess public deposits within the time frame permitted under the Directions (please furnish details in a separate statement)		
	(b) Steps taken to comply with orders of authorised officer of National Housing Bank (please furnish details in a separate statement)		

**Part C**

**Information relating to opening and closing of branches / offices for collection of deposits**

**(a) List of branches/offices opened:**

Name and address of the branches/offices	Date of opening	Reference No. and date of communication to NHB	Remarks

**(b) List of branches/offices closed:**

Name and address of the branches/offices	Date of publicity	Date of closing	Reference No. and date of communication to NHB	Remarks

We declare that the above information is true and correct.

Place :

Date :  
official

Name and signature of the authorised

**NOTE:**

1. For the purpose of this return, assets should be maintained on daily basis and should relate to the public deposit liabilities (including interest accrued thereon) as defined in paragraph 2 (1)(w) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 as on the last working day of the second preceding quarter. For example, the liquid assets to be maintained on each day during the quarter ended 30<sup>th</sup> June 2000 (i.e. 1.4.2000 to 30.6.2000) should relate to the public deposit liabilities as at the close of business on the last working day of the quarter ended 31<sup>st</sup> December 1999.
2. The non-convertible unsecured debentures/bonds (other than those subscribed by banks and FIs) including interest accrued thereon should be included under this item.
3. The return shall be submitted within fifteen days from the last day of the respective quarter.

**Annexure - 1****List of approved securities held towards liquid assets requirement****(Rupees in lakhs)**

Sr. No.	Name of the security	Amount (at market value or carrying cost as the case may be)	Interest collection dates

**Annexure - 2****List of deposits held with scheduled commercial banks or with National Housing Bank****(Rupees in lakhs)**

Sr. No.	Name of the bank	Address of the bank's branch	Amount (including interest accrued)

**Annexure - 3****Name and address of designated bank(s)**

Sr. No.	Name of the bank	Name of the branch and address	Remarks (Reference no. of letters of information to NHB)

**Annexure - 4****Details of investment in bonds issued by National Housing Bank\***

Serial no.	Description	Amount	Interest collection dates

\*Other than those already included in approved securities (Annexure - 1)



## MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### - RECRUITMENT RULES -

**Note:**

1. Relaxations and concessions for candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class (OBC) and Physically handicapped provided by the Central Government &/or as amended from time to time for appointment and promotion in the Council office shall be applicable. Other general instructions issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, New Delhi for recruitment/promotion to the SC/ST/OBC cadre shall be followed.
2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application. In case of recruitment made through the Employment exchanges the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which Employment exchanges are asked to submit the names.
3. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. For this purpose footnote may be added that appointing authority shall records the reasons for relaxing the qualification regarding experience in writhing while doing so.
4. Benefit of added years of service admissible under Rule 30 of C.C.S. (Pension) Rules, 1972 as amended from time to time shall be applicable.
5. Qualifications are relaxable at the discretion of appointing authority in case candidates are found otherwise suitable for the job.
6. In case of promotions seniority-cum-merit criteria will be followed. Age & Educational qualifications shall be relaxable in the case of departmental candidates for promotion, if found otherwise suitable for the post. Qualifying service for selection posts may be relaxed by the competent authority upon the recommendations by the Departmental Promotion Committee.
7. Non-functional selection grade will be applicable after completing the qualifying service prescribed in the recruitment rules for respective higher promotion in the selection posts.
8. The assured career progression scheme as contained in O.M No.35034/1/97-Estts. (D) dated 9/8/1999 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), New Delhi shall be applicable to the employees of the Council. (Annexure – I)

## RECRUITMENT RULES FOR GROUP "A" POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Secretary	1	18,400-500-22400 plus non-practicing allowance as admissible	Selection	Applicable	Between 40 & 55 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b><u>Educational Qualifications</u></b> MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree.</p> <p><b><u>Experience</u></b> A total of 16 years in the profession out of which 10 years teaching experience in a Medical College after a Postgraduate medical degree with atleast 3 years experience as Professor in any department in a Medical College/ Teaching hospital.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>a total of 16 years in the profession out of which 2 years as Additional Secretary or 3 years as Joint Secretary in the Medical Council of India</p>



Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	One year	"Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion – Additional Secretary with 2 years regular service in the grade of Rs. 16400-20000/- or with 3 years combined length of regular service in the grades of Additional Secretary/Joint Secretary: or in the event of the post of Additional Secretary remaining unfilled, Joint Secretary with 3 years regular service in the grade of Rs. 14300-18300/-	President-Chairman, Vice president-member , Addl. DGHS(ME)-member , three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary – member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Whole-time Inspector	3	18400-500-22400 plus non-practicing allowance as admissible	selection	Not Applicable	Between 50 to 55 years (relaxable in exceptional cases)	<p><b>Qualifications</b> MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree qualification in clinical &amp; non-clinical subjects.</p> <p><b>Experience</b> A total of 16 years teaching experience after Postgraduate medical degree out of which at least 3 years experience as Professor in a recognised Medical College/Postgraduate institution.</p> <p><b>Desirable</b> Experience of teaching &amp; examining both at under graduate &amp; post-graduate levels in medical instt. or administration &amp; management of teaching hospitals or colleges or associations under universities, inspections &amp; orientation of this council &amp; contribution in the field of medical education.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/transfer/ short-term contract/ re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Does not arise	Tenure post for three years in the first instance, which may be extended at the option of the council up to the age of 62 years.	By direct recruitment	Does not arise	President-Chairman, Vice president-member, three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Additional Secretary	1	16400-450-20000 plus non-practicing allowance as admissible.	Selection	Not Applicable	Between 40 to 50 years. Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualifications</b> MBBS from a recognised University, with a recognised postgraduate medical degree.</p> <p><b>Experience</b> A total of 14 years standing in Profession out of which 8 years teaching experience in a medical college after postgraduate medical degree qualification.</p> <p>Or A total of 14 years standing in Profession out of which 2 years regular service as Joint Secretary in the MCI.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	One year	Promotion failing which by Direct recruitment.	Promotion - Joint Secretary with 2 years regular service in grade of Rs. 14300-18300/- or with 6 years combined length of regular service in the grades of Joint Secretary/Deputy Secretary.	President-Chairman, Vice president-member, three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Joint Secretary	1	14300-400-18300 plus non-practicing allowance as admissible.	Selection	Applicable	Between 40 to 50 years Relaxable, for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualifications</b> MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree.</p> <p><b>Experience</b> A total of 12 years in the profession out of which 5 years teaching experience in a Medical College after a Postgraduate medical degree qualification.</p> <p>OR</p> <p>A total of 12 years standing in the profession out of which 5 years as Deputy Secretary in the Medical Council of India.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	One year	Promotion failing which by Direct recruitment.	Promotion – Deputy Secretary (Medical) with 5 years regular service in the grade of Rs. 12000-18000/-.	President-Chairman , Vice-president-member , three members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Secretary	3	12000-375-18000 plus 25% non-practicing allowance as admissible	Not Applicable	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years	<b>Educational Qualification</b> MBBS from a recognised University with a recognised postgraduate medical degree  <b>Experience</b> Must have 10 years experience in the profession out of which 3 years teaching experience in medical college after postgraduate medical degree.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9	10		11	12	
Does not arise	One year	Direct recruitment		Does not arise	President-Chairman, Vice president-member, two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary -member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Secretary (Admn.)	1	12000-375-18000	Selection	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b><u>Educational Qualification</u></b> Graduate from a recognised University.</p> <p><b><u>Experience</u></b> 5 years experience as Senior Group "A" Officer in the pay scale of Rs. 10,000-325-15200 in a Public/Under takings/Statutory or Autonomous organization with knowledge of Establishment, Accounts and administration sector</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	a) Promotion – Assistant Secretary with 5 years regular service in the grade of Rs. 10000-15200/- b) Transfer on Deputation – Officials under the Central/State Governments/Universities/Govt. Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 10000-15200; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits and having experience of dealing with establishment and accounts matters.	President-Chairman , Vice president-member , two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Law Officer	1	12000-375-16500	Not applicable	Applicable	Between 35 to 45 years (Relaxable for Govt. Servant upto 5 years)	<p><b><u>Educational Qualification</u></b> Graduate with Ll.B. with at least 55% marks.</p> <p><b><u>Experience</u></b> At least 10 years standing in the profession after registration with Bar Council of India.</p> <p>Desirable – Experience of working in Law deptt. in Govt./Autonomous organization.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	President-Chairman , Vice president-member , two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary –member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee		



Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Secretary	3	10000-325-15200	Selection	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b><u>Educational Qualification</u></b> Graduate from a recognised University.</p> <p><b><u>Experience</u></b> 5 years regular service in the grade of 8000-275-10500 or 8 years service in the grade of 6500-200-10500 in a Public sector undertaking/statutory or autonomous organization with Knowledge of Establishment, Accounts, fundamental &amp; supplementary rules and other Govt. rules.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract), failing which by Direct Recruitment  <u>Note:</u> If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by Promotion.	a) Promotion – Administrative Officer with 5 years regular service in the grade of Rs. 8000-13500/- or with 8 years combined length of regular service in the grades of administrative Officer/Section Officer; or in the event of the post of Administrative Officer remaining unfilled, Section Officer with 8 years regular service in the grade of Rs. 6500-10500/- b) Transfer on Deputation - Officials under the Central / State Governments/ Universities/Government Medical Colleges /Hospitals/ Public Sector Undertakings /Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5/8 years regular service in posts in the scale of Rs. 8000—13500/- 6500-10500 respectively; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits, knowledge of Government rules and having experience of dealing with establishment and accounts matters.	President-Chairman , Vice president-member , two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Administrative Officer	1	8000-275-13500	Selection	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> Graduate from a recognised University with Second Division</p> <p><b>Experience:</b> 5 years experience as Section Officer in a Public/undertaking/Statutory or Autonomous organization or 8 years regular service in the grade of 5500-9000/6500-10500.</p> <p><b>Desirable :</b> Knowledge of Government Rules and Regulations.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	<p>Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract) failing which by Direct Recruitment.</p> <p><b>Note:</b> If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by Promotion.</p>	<p>a) <b>Promotion:</b> Section Officer with 5 years regular service in the grade of Rs. 6500-10500 or with 8 years combined length of regular service in the grades of Section Officer/ Superintendent in the grade of 5500-9000/-.</p> <p>b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/Universities/Govt. Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5/8 years regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500/5500-9000 respectively; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits, knowledge of Government rules and having experience of dealing with establishment and accounts matters.</p>	<p>President-Chairman Vice president-member , two members to be nominated by the Executive Committee of the Council &amp; Secretary-member secretary.</p> <p>The selection will be subject to the approval of Executive Committee</p>

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Computer Programmer	1	8000-275-13500	Not applicable	Applicable	Between 35 to 45 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> Master degree in Statistics /Mathematics (with Statistics)/Operation Research /Physics or Economics (with Statistics) /Commerce(with statistics) with DCA or MCA or Degree in Engineering/Computer Sciences of a recognised University or equivalent.</p> <p>5 years' experience of electronic data processing work, out of which at least 2 years experience should be in actual programming on an electronic computer.</p> <p><b>Desirable:</b> Master degree in Engineering or Doctorate degree in any of the subjects mentioned in Essential qualification.</p> <p>Knowledge of one or more programming languages (to be indicated at the time of recruitment)</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment or by deputation	Does not arise	President-Chairman Vice president-member , two members to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

## RECRUITMENT RULES FOR GROUP "B" POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Section Officer	2	6500-200-10500	Selection	Applicable	Between 35 to 40 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification :</b> A degree from recognised University</p> <p><b>Experience:</b> 3 years regular service as Superintendent in the scale of Rs. 5500-175-9000 in the Public Sector undertaking/Statutory or Autonomous organization</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made		If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9	10	11		12	
No	Two years	By promotion failing both by Direct recruitment	Promotion - Superintendent with 3 years regular service in the grade of 5500-175-9000.		President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Accounts Officer	1	6500-200-10500	Selection	Applicable	Between 25 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> A degree from recognised University</p> <p><b>Experience:</b> 3 years regular service as Accountant in the Scale of Rs. 5500-175-9000 in the Central/State Govt./Public undertaking/Statutory or Autonomous organization.</p>



Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract), failing which by Direct Recruitment  <b>Note:</b> If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by Promotion.	Promotion: 3 years regular service as Accountant in the grade of 5500-175-9000 *	President/Vice president-Chairman two Council members – member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary.  The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Private Secretary	1	6500-200-10500	Selection	Applicable	Between 25 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification</b> A Degree from recognised University.</p> <p><b>Experience</b> 3 years regular service as Stenographer/Personal Assistant in the scale of Pay Rs. 5500-175-9000 in a Govt./Semi Govt./Statutory Body/Public sector undertaking or teaching institution.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	Promotion/Transfer on deputation (including Short-term contract), failing which by Direct Recruitment  <b>Note:</b> If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by Promotion.	a) Promotion- Personal Asstt. in the grade of Rs. 5500-9000 with 3 years regular service.  b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/Universities/ Govt. Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3/6 years regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000/5000-8000 respectively; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits.	President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Personal Assistant	1	5500-175-9000	Non-selection	Applicable	25 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification</b> A degree from a recognised University</p> <p><b>Experience</b> 3 years regular service as Stenographer in the scale of pay of Rs. 5000-8000 and proficiency in short hand &amp; typing as under:</p> <p>120 w.p.m Speed in shorthand &amp; 40 w.p.m. speed in typing.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	<p>a) Promotion - Stenographer Grade-II in the Scale of Rs. 5000-8000 with 3 years regular service.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>With 6 years combined length of service in the grade of 5000-8000/4500-7000.</p> <p>b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/Universities/Govt. Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3/10 years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000/4000-6000 respectively.</p>	<p>President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council &amp; Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee</p>

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Superintendent	5	5500-175-9000	Non-selection	Applicable	Between 25 & 30 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification :</b> A degree from recognised University.</p> <p><b>Experience:</b> 3 years regular service as Head Clerk in the scale of Rs. 5000-8000 in a Govt./Public/Semi Govt. undertaking/Statutory Body or Autonomous organization</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	Promotion - Head Clerk in the scale of 5000-8000 with 3 years regular service in the grade.  Or With 6 years combined length of service in the grade of 5000-8000/4500-7000.	President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee		

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Accountant	1	5500-175-9000	Non-selection	Applicable	Between 25 to 30 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<b>Qualification :</b> A degree from recognised University.  <b>Experience:</b> 3 years regular service as Head Clerk in the scale of Rs. 5000-8000 in a Govt./Public/Semi Govt. undertaking/Statutory Body or Autonomous organization
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made		If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9	10	11		12	
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	Promotion - Head Clerk in the scale of 5000-8000 with 3 years regular service in the grade.  Or With 6 years combined length of service in the grade of 5000-8000/4500-7000.		President/Vice president-Chairman two Council members - member to be nominated by the Executive Committee of the Council & Secretary-member secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee	

## RECRUITMENT RULES FOR GROUP “C” POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Stenographer Grade II	2	5000-150-8000	Non-selection	Applicable	Between 25 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification</b> A Degree from recognised University 100 w.p.m. speed in Stenography and 40w.p.m. speed in typing in English language.</p> <p><b>Experience</b> 8 years regular service as Stenographer grade III in the scale of Rs. 4000-6000 in the Govt./Public sector undertaking/Statutory Body or Autonomous organization/Teaching institutions.</p>



Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	<p>a) Promotion - Stenographer Gr. III in the scale of 4000-6000 with 8 years regular service.</p> <p>Or</p> <p>With 3 years regular service in the scale of 4500-7000</p> <p>b) Transfer on Deputation - Officials under the Central/State Governments/Universities/Govt. Medical Colleges/Hospitals/ Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations; and (i.) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 8 years regular service in post in the scale of Rs. 4000-6000; and (iii) possessing educational qualification prescribed for Direct Recruits.</p>	<p>Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member .</p> <p>The selection will be subject to the approval of President.</p>

Name of Post	No. of Post *	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Translator	1	5000-150-8000	Not applicable	Applicable	Between 25 to 30 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> Master degree of a recognised University in Hindi /English with English/Hindi as a main subject at the degree level</p> <p>Or</p> <p>Master degree of a recognised University with Hindi as medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level</p> <p>Or</p> <p>Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognised Diploma/Certificate course in translation from Hindi to English &amp; vice versa or two years' experience of translation from Hindi to English and vice versa in Central/State Govt. offices including Government of India undertaking.</p> <p><b>Experience</b> 3 years regular service in the grade of 4500-125-7000</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
No	Two years	Direct recruitment	Does not arise	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy, Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.		

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Head Clerk	10	5000-150-8000	Non-selection	Applicable	Between 30 to 35 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> A degree from a recognised University.</p> <p><b>Experience :</b> 8 years regular service as Upper Division Clerk/Store Keeper in the scale of pay of Rs. 4000-6000 in a Govt./Govt. Hospital/University/Public sector undertakings/ Statutory Body or Autonomous organization or teaching institution.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment	Promotion.- U.D.C./Store Keeper in the grade of 4000-6000 with 8 years regular service in the grade.  Or with 3 years regular service in the scale of 4500-7000	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member .  The selection will be subject to the approval of President.		

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection. post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Computer Operator	2	4000-100-6000	Not applicable	Applicable	Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> A degree from a recognised University or equivalent qualification and a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work.</p> <p>Note: The speed of 8000 key depressions per hour for data entry work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s) by the Competent authority.</p> <p><b>Experience:</b> With 3 years regular service as Data entry operator grade I in the scale of Rs. 3050-4590.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise.	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member . The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Stenographer Grade III	5	4000-100-6000	Not applicable	Applicable	Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification :</b> Matriculation or its equivalent. A speed of 80 w.p.m. in shorthand (English) and a minimum speed of 40 w.p.m. in typing (English).</p> <p><b>Desirable Qualification :</b> A degree from a recognised University/Institution.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made		If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10		11		12
Does not arise	Two years	Direct recruitment		Does not arise.		Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Telephone Operator cum Receptionist	1	4000-100-6000	Not applicable	Applicable	Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification :</b> Matriculation or equivalent qualification.</p> <p><b>Experience:</b> 5 years experience as Telephone, PBX, Fax &amp; Telex Operator in a Govt./Public sector undertakings /Statutory body or Autonomous organization /teaching institution.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9	10		11	12	
Does not arise	Two years	Direct recruitment		Does not arise.	Secretary—Chairman, Jt. President Secretary, Deputy Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member . The selection will be subject to the approval of.	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Store Keeper	1	4000-100-6000	Non-selection	Applicable	Between 18 to 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> A degree from a recognised University or equivalent.</p> <p><b>Experience:</b> One year experience in handling store and keeping accounts in a store of concern of repute in public or private sector.</p> <p><u>Desirable qualification:</u> Diploma in Accountancy /Computer Operation.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
No	Two years	100% by promotion.	<p><b>Promotion</b> L.D.C. in the scale Rs. 3050-4590 with 8 years regular service in the grade.</p>	<p>Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member .</p> <p>The selection will be subject to the approval of President.</p>

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
U.D. Clerk	16	4000-100-6000	Non-selection	Applicable	Between 25 to 30 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> A degree from a recognised University or equivalent</p> <p><b>Experience:</b> 8 years regular service in the grade of L.D.C.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made		If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10		11		12
No	Two years	100% by promotion.		<p><b>Promotion</b> L.D.C. in the scale Rs. 3050-4590 with 8 years regular service in the grade. On the basis of fitness cum seniority.</p>		<p>Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member</p> <p>The selection will be subject to the approval of President.</p>



Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Staff Car Driver (Grade II)	1	4000-100-6000	Non-selection	Applicable	30 years and above Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> Middle standard (VIII passed) with valid Driving Licence from State Transport/Licencing authority.</p> <p><b>Experience:</b> 12 years of regular service in the ordinary grade (Rs. 3050-4590) must be able to read english numericals and figure. Must be able to locate faults and carryout minor running repairs. Must have good knowledge of Traffic Regulations. Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. Clean driving experience + Record without major Traffic Penalty imposed by competent authority.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made		If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10		11		12
No	Two years	By promotion on Non-selection (seniority-cum-fitness) basis and will be further subject to passing of a Trade Test of appropriate Standards failing which direct recruitment.		Under assured career progression scheme as contained in OM No 35034/197-Estt.(D) dated 9/8/99 of Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) New Delhi.		<p>Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member .</p> <p>The selection will be subject to the approval of President.</p>

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Record Keeper-cum-Librarian	1	3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Applicable	Between 25 to 35 years. Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p>A) Graduate or equivalent</p> <p>B) Experience/proficiency in one of the following area for three years.</p> <p>i) Typing with a minimum speed of 35 w.p.m.,</p> <p>ii) Understanding of classification system,</p> <p>iii) Experience in preparing and filling a catalogue cards;</p> <p>iv) Experience of counter duties;</p> <p>v) Knowledge of multiple language.</p> <p>C) Candidates are required to qualify in a General English Test and such other test as may be held to assess their proficiency/experience in one of the qualifications mentioned under (B) above.</p> <p><u>Special/Desirable:</u> Preference will be given to person holding a certificate/diploma in Library &amp; information science.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9	10		11	12	
Does not arise	Two years	By Direct recruitment.		Does not arise.	<p>Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member . The selection will be subject to the approval of President.</p>	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
L.D. Clerk	27	3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	i) 12 <sup>th</sup> or equivalent qualification from a recognised board. ii) 30 w.p.m. typing speed in English.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition
8	9	10	11	12
Yes to extent indicated in Col.10	Two years	<p>i) 90 percent by direct recruitment.</p> <p>ii) 5% of vacancies shall be filled up from amongst the Group D staff who possess minimum Matriculation or equivalent qualification and have 5 years regular service in Grade D., on the basis of a Departmental qualifying examination and English typing speed of 30 w.p.m. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the SC/ST).</p> <p><u>Note:</u> a) Unfilling vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over. (b) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) those who qualify the said examination: such excess number of employees out of merit shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a latter examination.</p> <p>iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from group D employees who possess matriculation or equivalent qualification.</p>	As stated in col 10.	Secretary-Chairman. Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Driver (Ordinary Grade)	1	3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Applicable	Not exceeding 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) 8<sup>th</sup> standard minimum</li> <li>ii) Possession of a valid driving licence for motor car.</li> <li>iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defect in vehicles) ,</li> <li>iv) Experience of driving a motor car for at least 3 years.</li> </ul> <p><b>Desirable qualification:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Matriculation or equivalent</li> <li>ii) 3 years service as Home Guard/Civil Volunteer.</li> </ul>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method		Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9	10		11	12	
Does not arise	Two years	By direct recruitment		Does not arise	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member The selection will be subject to the approval of President.	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Gestetner Operator	2	3050-75-3950-80-4590	Non selection	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> Matriculation pass.</p> <p><b>Experience:</b> One year's experience in operating and maintaining Gestetner machines.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made		If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition	
8	9	10	11		12	
No	Two years	By promotion failing which by Direct recruitment.	Promotion: Daftary with 4 years regular service in the grade 2650-4000 and who have proficiency in operating Gestetner machine subject to qualifying the prescribed test due regard given to fitness-cum-seniority.		Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member . The selection will be subject to the approval of President.	

## RECRUITMENT RULES FOR GROUP "D" POSTS IN MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Daftary	3	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Non selection	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<p><b>Qualification:</b> 8<sup>th</sup> class pass from a recognised School/Institution.  10 years experience in the post of Peon/Messenger.  Ability to maintain records in proper shape.</p>
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
No	Not applicable	By promotion	4 years regular service as Peon/Messenger in the scale of pay of Rs. 2550-3200	<p style="text-align: center;">Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member</p> <p style="text-align: center;">The selection will be subject to the approval of President</p>		

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Messenger	2	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<b>Qualification:</b> 8 <sup>th</sup> class pass from a recognised school/institution.  <u>Desirable</u> : Training in Basic and "Refresher" course in Home Guards and Civil Defence.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation / transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member .  The selection will be subject to the approval of President.		

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Peon	5	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<b>Qualification:</b> 8 <sup>th</sup> class pass from a recognised school/institution  <b>Desirable:</b> Training in Basic and "Refresher" course in Home Guards and Civil defence.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/ short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	Secretary—Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of President.		



Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Farash	1	2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not Applicable	Between 18 & 27 years.  Relaxable for Government Servant up to 5 years	<b>Qualification:</b> 8 <sup>th</sup> class pass from a recognised school/institution
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Reect.; Whether by direct reect. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation / transfer/short-term contract/re-employment is to be made	If a DPC exists what is its composition	Selection Committee, what is its composition	
8	9	10	11	12	13	
Does not arise	One Year	Direct recruitment	Does not arise	Not applicable	Secretary- Chairman, Jt. Secretary, Deputy, Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member.  The selection will be subject to the approval of President	

Name of Post	No. of Post	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Safai Karamchari	1	2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Applicable	Between 18 & 27 years Relaxable for Government servants up to 5 years.	<b>Qualification:</b> 8 <sup>th</sup> class pass from a recognised school/institution
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Rectt.; Whether by direct rectt. Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/ short-term contract / re-employment is to be made	If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition		
8	9	10	11	12		
Does not arise	Two years	Direct recruitment	Does not arise	Secretary-Chairman, Jt. Secretary, Deputy. Secretary, Asstt. Secretary (Admn.) - Member. The selection will be subject to the approval of President.		

(Dr. M. Sachdeva)  
Secretary  
Medical Council of India

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS  
OF INDIA

Mumbai-400005, the 8th November 2001

CORRIGENDA

No 3WCA(8)/3/2000-01 —In Notification No. 3 WCA(8)/1/2000-01 Dt. 26.4.2001 cancelling the certificate of practice of following members w.e.f. 8.12.2000 included at serial numbers mentioned against each member be treated as deleted —

Sr. No.	Sr No of the Notification	M No	Name and Address
1.	18	5790	Mr Surte Arvind Baburao, 302 Kasturi Tower, Lal Bahadur Shastri Marg, Opp Vandana Talkies, Thane-400602.
2.	63	14851	Mr Phansekar Subhashchandra Bungalow No 10 S B I Staff Vaibhav Co. Op Daulat Nagar, Road No 1, Borivli-East Mumbai-400066.
3.	120	30527	Mr. Bothara Shantilal Tarachand Main Road Chopda, At & P O Chopda Chopda-425001
4.	373	40800	Mr Pradhan Rajiv Prabhakar 11/32 Khandke Bldg. J K Sawant Rd., Dadar Mumbai-400028
5.	549	47433	Mr Presswala Zuzer Esmail 48 Sarana Street 3rd Floor, Mumbai-400003.
6.	602	49029	Ms Neha Sanghvi 79/81, August Kranti Marg 4 Nirmal Nivas No. 1 Mumbai-400058.
7.	742	101892	Mr. Palan Mehul Jayant 7 Anjali Chambers R C Dutt Road, Opp. Circuit House, Alkapuri Baroda-390007
8.	754	102344	Mr. Shah Mehul Anantrai 103, Rajniketan Bapu Vashi Road Vile Parle-W Mumbai-400056.

Dr. ASHOK HALDIA  
Secy

The 12th November 2001

No 3WCA(5)/3/1999-2000 —In Notification No 3 WCA(4)/3/99-2000 Dt. 27 9 2000 removing the names of following members w.e.f. 1 10 1999 included at serial numbers mentioned against each member be treated as deleted:—

Sr. No.	Sr. No. of the Notification	M No.	Name and Address
1	161	15570	Mr Rustogi Satish Chand 1/3 Yamuna, V H B Society East High Court Road, Kachipura Ramdas Peth, Nagpur-440010
2.	377	32711	Mr. Dalal Shailesh 307-308 Rajkamal Plaza-B Opp Samrudhi Complex, Near High Court, Navrangpura, Ahmedabad-380009.
3.	730	39222	Mr Kulkarni Balwant Keshav B-2/19 Meenal Gardens, 5th Floor, Patwardhan Baug, Erandawane, Pune-411004.
4	897	41365	Mr Andhare Kiran Sudhakar 4/3, V.H B Colony (L.I.G.), Behind Medical College, Nagpur-440027.
5	1647	49985	Mr Kumbhani Devang Hasmukh, 206, A Wing, Madhuban, 27A, Raheja Towership, Malad (E) Mumbai-400097
6	1749	76571	Mr Shireesh Jain 4-A-202, Samarpan Complex Jesal Park, Dist Thane Bhayandar (East) Bhayandar-401105
7	1956	102018	Mr. Shah Nimesh Maheshkumar B-1/1, Ghanshyam Apartments Shahibaug Road Ahmedabad-380004
8.	1981	102387	Mr Jain Kapil Arthur Andersen & Co 18th Floor, Express Towers Nariman Point Mumbai-400021
9.	2542	105576	Mr Shah Sunil Rupchand D-503, Shankeshwar Nagar Shiv Vallabh Road, Ashok Van Dahisar (East) Mumbai-400068

Dr ASHOK HALDIA  
Secy

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF  
INDIA**  
27, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005

(Chartered Accountants) - 3 DEC 2001

\* S/CA(4)/2/2000-2001 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1980, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members -

S No	MRN	Member Name & Address	Removal Dt				
				9	003164	Mr SHAH PRATAPCHAND HIRACHAND P H SHAH & CO MANGAL BHAWAN II FLOOR ROOM NO 21 MANCHHUBHAI RD MALAD-EAST- MUMBAI-400097	25/03/2000
				10	003198	Mr GHIRNIKAR VINAYAK NARAYAN V N GHIRNIKAR & CO SAJOM VINAYAK APPARTMENTS 48 HILL ROAD GOKULPETH NAGPUR-440010	27/01/2000
				11	003469	Mr SATTHA JEHangIR ELIHRAMJI B-3 BENNETT BLDG BHARUCHA PARSII CLNY SWAMI VIVEKANANDA RD ANDHERI MUMBAI-400058	05/07/2000
1	000005	Mr SHAH NARANDAS MOHANLAL SHAH & CO, MAKER BHAVAN NO 2 3RD FLOOR BLOCK NO C 18 NEW MARINE LINES MUMBAI-400020	23/08/2000	12	004060	Mr AIYAR MANI ARJUN K S AIYAR & CO 49-55 BOMBAY SAMACHAR MARG MUMBAI-400023	07/03/2000
2	000514	Mr LAKHIA CHANDRAPRASAD RATILAL 606 PRESIDENT HOUSE NR AMBAWADI CIRCLE OPP C N VIDYALAYA AHMEDABAD 380006	11/08/2000	13	004941	Mr KETKAR DAMODAR RAMCHANDRA SECOND FLOOR SILVA BUILDING ERASMO CARVALHO ST MARGAO GOA-403601	06/11/2000
3	000708	Mr SHAH SHANTILAL KESHAVIAI A/2 JALVIHAR FLATS B/H AJANTA COMMERCIAL CENTRE ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380014	04/11/1999	14	005221	Mr SHAH MAHENDRA HIRACHAND A S MADON & CO 79-80 ESPLANADE MANSION IIND FLOOR 144 M G RD MUMBAI-400001	20/11/2000
4	000724	Mr KHARE MAHESHVAR TRIMBAK KHARE BUNGI FLATS 19-20 VRINDAVAN SOCIETY NAVI PEH PUNE-411030	08/09/2000	15	005728	Mr SALVE HEMENDRAKUMAR PRASADRAO 17-19 DHOBLE LAYOUT FARAS CHHINDWARA ROAD NAGPUR-440030	29/02/2000
5	001583	Mr GHANEKAR PURUSHOTTAM DATTATRAY P D GHANEKAR & CO 231 COMMISSARIAT BLDG DADHABHOY NAOROJI RD FORT MUMBAI-400001	09/05/2000	16	005750	Mr SHAH MAHENDRAKUMAR CHIMANLAL MEHTA CHOKSHI & SHAH COOPER BLDG 2ND FLOOR 229 SHAMALDAS GANDHI MARG (PRINCESS STREET) MUMBAI-400002	07/12/2000
6	001795	Mr MAINTHIA BHANJI TULSIDAS B T MAINTHIA & CO 31 COMMERCIAL CHAMBERS JN OF MASJID BUNDER & MOHD ALI RD MUMBAI-400003	09/12/1999	17	005789	Mr MEHTA NAVROZE HORMUSJI PUNDOLE BLDG OPP MITHAIWALA AGIARY SLEATER RD GRANT RD MUMBAI-400007	20/08/2000
7	001892	Mr PARIKH BABUBHAI AMBALAL BABUBHAI A PARIKH & CO FLAT NOA-7 V FLOOR SUNDER SADAN 63-A WADILAL PATEL MARG MUMBAI-400004	05/12/2000	18	006252	Mr SONI TALAKSHI RATANSHI T R SONI & CO 56-C MITTAL COURT NARIMAN POIN MUMBAI-400021	21/10/2000
8	001995	Mr KAIKI RUSTOM ALPAIWALA A F FERGUSON & CO ALLAHABAD BANK BLDG BOMBAY SAMACHAR MARG MUMBAI-400001	07/11/2000	19	006486	Mr ASHER KRISHNARAJ A/43 BHAGYA APTS S BHARDAWADI ANDHERI WEST MUMBAI-400058	30/04/2000
				20	006492	Mr CHHAYA KIRIT KUMAR RAMASHANKER RAV NIVAS BHAUDASOHALLA SIA BAUG VADODARA-390001	12/11/2000

21	007705	Mr SHAH LAXMICHAND TULSIDAS CHANDRA HOUSE 2ND FLOOR 80 PERIN NARIMAN STREET (BAZAR GATE STREET) MUMBAI-400001	16/02/2000	33	038383	Mr AGRAWAL RATANLAL FULCHAND R F AGRAWAL & CO A/10 ISHWAR NAGAR GROUND FLOOR L B S MARG BHANDUP MUMBAI-400078	30/04/2000
22	008728	Mr PITHWA KISHORKANT NARANDAS 353/30/1 MAHIVIR JYOT-C VALLABH BAUG LANE GHATKOPAR MUMBAI-400077	26/04/2000	34	039321	Mr AGARWAL SURESH DEDRAJ S D AGARWAL 11/2 PRIYADARSHNI COLONY NEAR R TO NAGAR NAGPUR-440001	08/06/2000
23	010518	Mr MUKADAM AMIRALI MOOSABHAI MUKADAM CO RAGHAVJI BLDG II FLOOR RAGHAVJI RD GOWALLA TANK MUMBAI-400036	01/04/2000	35	053542	Mr MALOO K C SINGHI & CO 13/1012 OLD M H B COLONY GORAI ROAD BORIVALI (WEST) MUMBAI-400091	10/12/1999
24	012318	Mr RAJGOR JAVERLAL SHANKERJI 17, SOOD-ANAND, NARIMAN RD EXT VILE-PARLE-E MUMBAI-400057	23/12/1999	36	104190	Ms NIMBALKAR SONAL SHIVAJIRAO PANORAMA H_2/ 454, LAXMINAGAR PUNE-411009	06/04/2000
25	017355	Mr JOSHI KIRTIKUMAR SHANTILAL B12 KAMDHENU SHASHTRI NAGAR S V RD BORIVALI-WEST- MUMBAI-400092	04/04/2000				
26	031952	Mr SHROFF RAHUL VINODCHANDRA R V SHROFF & CO, 2-C ARIHANT OPP ANUPAM TAI KIES GOREGAON EAST MUMBAI-400063	12/06/1999				
27	033075	Mr PANTHAKI NAVZER JAMSHEDJI N J PANTHAKI & CO C/O P J POHOWALA 1/957 PALIA STREET, NANPURA, SURAT-395001	03/07/1999				
28	034113	Mr CHARI RAMCHANDRA RAGHAVA SHOP NO 4, SAJJYOT BLDG GUPTA ROAD, VISHUNAGAR DOMBIVALI-421201	19/02/2001				
29	034574	Mr ANANDWALA VYOMESH MAFATLAL FLAT NO 404, 4TH FLOOR TULSI II, BONBON LANE 4 BUNGLOWS, ANDHERI(WEST) MUMBAI-400053	12/01/2000				
30	035796	Mr SHAH DEEPAK KANTILAL DARSHAN NEAR RAILWAY CROSSING AMUL DAIRY RD ANAND-388001	03/02/2001				
31	037718	Mr NANDHA MANILAL JAMNADAS M J NANDHA & CO, 3 RAVALIA PLOT PORBANDAR-360575	16/09/2000				
32	038326	Mr AGRAWAL VIVEK KUMAR 502/3-B, SIDDHIVINAYAK CO HSG SOC WESTERN EXPRESS HIGHWAY ASHA NAGAR, BORIVALI - EAST MUMBAI-400068	13/11/1999				

  
(Dr ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
27, Cuffe Parade, Colaba Mumbai – 400 005

NOTIFICATION

(Chartered Accountants)

**- 3 DEC 2001**

3WCA(4)/3/2000-2001 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their Request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt
1	000849	Mr SHROFF PESTONJI SORABJI 808 KHUSHNUM DR AMBEDKAR RD DADAR MUMBAI-400014	14/03/2001
2	007195	Mr. KHATLAWALA JYOTINDRA JASVANTLAL A-9, PRERANA, OPP H P PUMP S V RD SANTACRTUZ(WEST) MUMBAI-400054	31/03/2000
3	036040	Ms SWATI SIDDHARTH PRATAP C/O DR K L SHAH 26 DAR UL MULIK 26 PANDTA RAMABAI ROAD MUMBAI-400007	01/04/2000
4	038502	Mr AHUJA SUNIL JAWAHARLAL B-10-6, 1ST FLOOR, 1;2 SECTOR 15, VASHI NAVI MUMBAI-400703	15/08/2000

  
( Dr. ASHOK HALDIA )  
SECRETARY

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI****3<sup>rd</sup> December, 2001****(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

No.25-CA(43)/91: In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri Gupta Hemant Kumar, 35, Kamayani Kunj, 69, I.P. Extension, Patpar Ganj, New Delhi-110 092 (Membership No.82016)** has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct within the meaning of Clause (1) of Part III of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. In respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Gupta Hemant Kumar, has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri Gupta Hemant Kumar (M.No.82016)** shall stand removed from the Register of Members for a period of one month with effect from 29<sup>th</sup> December, 2001.



**(T. KARTHIKEYAN)**  
**ADDITIONAL DIRECTOR (SPL. GRADE)**

No.25-CA(76)/92: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri Gupta Narendra Kumar, F.C.A., Chartered Accountant, A-45, Sector XXVI, Noida-201 301, (Dist.) Gautam Budh Nagar (U.P.) (Membership No.16064)** has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct within the meaning, inter alia, of Clause (11) of Part I and Clause (1) of Part III of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. In respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Gupta Narendra Kumar, has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of six months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri Gupta Narendra Kumar (Membership No.16064)** shall stand removed from the Register of Members for a period of six months with effect from 29<sup>th</sup> December, 2001.

f. initials →

(T. KARTHIKEYAN)  
ADDITIONAL DIRECTOR (SPL. GRADE)



## The Institute of Chartered Accountants of India

(Decentralised Office) 7, Russell Street, Calcutta - 700 071

(Chartered Accountants) - 6 DEC 2001

3ECA/5/4/2000-2001 : With reference to this Institute's Notification Nos. 3ECA/4/2/1999-2000 dated 11 Apr 2000, 3NCA(4)/1/1999-2000 dated 01 Mar 2000, 3SCA(4)/4/1999-2000 dated 20 Jan 2000, 3WCA(4)/3/99-2000 dated 31 Mar 2000, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of members with effect from 01/10/1999, the names of the following members.-

S.No.	MRN	Member Name & Address
1	015958	Mr. BANDYOPADHYAY KALYAN KUMAR ACA 52 CHANDI GHOSH ROAD KOLKATA 700040
2	022140	Mr. RAVI MOHAN N ACA ACCOUNTS MANAGER HINDUSTAN LEVER LIMITED DIST: TINSUKIA DOOM DOOMA 786151
3	050152	Mr. SETH ALOK NATH ACA 35 UPENDRA CHANDRA BANERJEE ROAD KOLKATA 700054
4	051752	Mr. BEDIA NATWAR LAL FCA C/O GAJANAN SECURITIES SERVICES LTD 9/12 LAL BAZAR STREET A BLOCK 3RD FLOOR KOLKATA 700001
5	052499	Mr. CHINCHELA ASHOK FCA NEAR SBI TULISIPUR BRANCH DEULASAI TULISIPUR CUTTACK 753008
6	052852	Mr. BASOTIA PANKAJ KUMAR FCA 863 LAKE TOWN BLOCK A KOLKATA 700089
7	053082	Mr. SAREEN VISHAL ACA 7B HEMCHHAYA 40 IRON SIDE ROAD KOLKATA 700019
8	054167	Mr. CHAKRABARTI PARTHA ACA 843 BLOCK -O NEW ALIPORE KOLKATA 700053

9	054939	Mr. MEHRA ASHWANI ACA C/O DABUR NEPAL PVT LTD PO BOX 14375 TINKUNNE NEPAL KATHMANDU 0 NEPAL
10	055284	Mr. SEN SANDEEP ACA 770A,BLOCK P NEW ALIPORE KOLKATA 700053
11	055720	Mr. VERMA MANOJ KUMAR ACA 18,LAKHI PALLI P.O.MOREPUKUR, DT: HOOGHLY RISHRA 0
12	058214	Ms. GUPTA SUNETRA ACA 9B/2A GOBINDAPUR ROAD LAKE GARDENS KOLKATA 700045
13	080628	Mr. MENON SRIKUMAR ACA CHIEF EXECUTIVE CORPORATE AND COMMERCIAL BOC INDIA LTD KOLKATA 700088
14	090317	Mr. ROY BISWA JIVAN ACA FLAT NO-H-7 CLUSTER X PURBACHAL SALT LAKE KOLKATA 700097

*Ashok Haldia*  
(ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

## The Institute of Chartered Accountants of India

(Decentralised Office) 7, Russell Street, Calcutta - 700 071

3ECA/5/3/2000-2001 : With reference to this Institute's Notification Nos.3ECA/4/11/1982-83 dated 31st Mar,1983, 3ECA(4)/12/1983-84 dated 31 Mar 1984, 3CCA/4/6/1986-87 dated 28 Jan 1987,3ECA/4/4/1993-94 dated 1st Feb, 1994, 3ECA(4)/3/1994-95 dated 03 Feb,1995, 3ECA(4)/2/1996-97 dated 20 Dec 1996, 3ECA/4/3/1998-99 dated 12th May,1999, 3ECA/4/2/1999-2000 dated 11th Apr,2000, 3ECA/4/3/2000-2001 dated 22nd Feb,2001 and 3ECA/4/3/2000-2001 dated 26th Mar,2001, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations,1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations,the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored dt.
1	001864	Mr. JANTRANIA BHAGWAN DAS MANJLAL FCA 26 SARAT BOSE ROAD 'BASUDHARA' FLAT 43 KOLKATA 700020	08/12/2000
2	004248	Mr. DAS BIRENDRA KISHORE FCA 50-06-46 ST. APT /3A WOODSIDE, QUEENS U.S.A. NEWYORK 11377 NEW YORK	01/10/1999
3	004796	Mr. SHARMA KESHAR DEO FCA M/S K D SHARMA & CO 23/1 DOBSON ROAD HOWRAH 711101	08/12/2000
4	006323	Mr. BHUTANI OM PARKASH FCA 12B LORD SINHA ROAD FLAT NO-4 KOLKATA 700071	08/12/2000
5	007555	Mr. AGRAWAL TARA CHAND FCA 152 RAJA R L MITRA ROAD "IDEAL APARTMENT" 7TH FLOOR FLAT NO 7C & D KOLKATA 700010	08/12/2000
6	008019	Mr. KAMLANI ABDUL KARIM FCA P.O.BOX-88 SHARJAH, U A E 0 U A E.	08/12/2000

7	008725	Mr. NAG TUSHAR KANTI FCA 699-B NEW ALIPORE BLOCK-P KOLKATA 700053	08/12/2000
8	009511	Mr. MAJUMDAR RAJAT KANTI ACA B-6/38 DIAMOND PARK JOKA KOLKATA 700104	17/01/2001
9	009648	Mr. KAPOOR ASHOK KUMAR FCA 139 DAKSHINDARI ROAD TRIMURTI APARTMENTS KOLKATA 700048	08/01/2001
10	010178	Mr. SEN MIHIR KUMAR FCA 19 COBBLESTONE COURT OAKLAND NJ 07436 USA 0 U S A	08/12/2000
11	011976	Mr. RAJENDRA PRASAD FCA VICE PRESIDENT INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL 225/C A J C BOSE ROAD KOLKATA 700020	08/12/2000
12	012429	Mr. GHOSH ARABINDA ACA 164A/6/1 LAKE GARDENS KOLKATA 700045	08/12/2000
13	012451	Mr. PASSARY PRAHALAD BHAGAT ACA AJANTA APPARTMENTS FLAT NO 8A 10 GURU SADAY ROAD KOLKATA 700019	07/03/2001
14	013905	Mr. BARMAN PRASANTA KUMAR ROY FCA P-26 KANUNGO PARK GARIA KOLKATA 700084	08/12/2000
15	020527	Mr. PARTHASARTHY K FCA 643/B O BLOCK NEW ALIPORE KOLKATA 700053	08/12/2000
16	023503	Mr. SIVASANKARAN K A ACA FD-322 GROUND FLOOR NEAR FD PARK SECTOR 3 SALT LAKE CITY KOLKATA 700091	08/12/2000
17	040182	Mr. SUBUDHI K RANJAN KUMAR FCA C/O M/S A M JAIN & CO 37 HAMAM STREEET OPP: TO HAMAM HOUSE MUMBAI 400023	08/12/2000

18	050044	Mr. GUHA MAJUMDAR SATYABRATA FCA ECTP PHASE IV B TYPE FLAT 14/12 KOLKATA 700078	10/10/2000	32	051793	Mr. TULSYAN RAMSWAROOP FCA R S TULSYAN & CO 62 BENTINCK STREET 3RD FLOOR KOLKATA 700069	08/12/2000
19	050052	Mr. SIRCAR ANJAN ACA 2 LAKE VIEW ROAD KOLKATA 700029	08/12/2000	33	051833	Mr. BHOTIKA PREM KUMAR FCA 65 BAZAL PARA LANE SALKIA HOWRAH 711106	08/12/2000
20	050126	Mr. SETH BODH RAJ FCA 19A DEODHAR STREET FLAT NO B1-214 NANDANIK APARTMENT KOLKATA 700019	08/12/2000	34	051843	Mr. MISHRA ABHAY FCA C/O M/S RAJESH CHATURVEDI & ASSOCIATES 337 PARNASREE KOLKATA 700060	08/12/2000
21	050334	Mr. JAIN BHAGCHAND FCA 2B GRANT LANE 2ND FLOOR KOLKATA 700012	08/12/2000	35	052140	Mr. SARAWAGI VIJAY KUMAR FCA M/S V K SARAWAGI & CO ROOM NO 401 MANGALAM 24 HEMANT BASU SARANI KOLKATA 700001	08/12/2000
22	050567	Mr. BAFNA MADANLAL FCA 20 A RAMESH MITRA ROAD KOLKATA 700025	08/12/2000	36	052216	Mr. KUNDU NANI GOPAL FCA 3/B BELIAGHATA MAIN ROAD KOLKATA 700085	08/12/2000
23	050623	Mr. DASGUPTA ASOK KUMAR ACA 4 KASBA ROAD (IN BETWEEN HALTU BAZAR & TARUN SERVICE STATION) KOLKATA 700078	20/02/2001	37	052380	Mr. SAHA BISWANATH ACA PO & VILLAGE: BIDHANGARH KOLKATA 700066	08/12/2000
24	050777	Mr. BHANDARI ASHOK FCA 9 RAJIV APARTMENTS 19B MANDEVILLA GARDEN KOLKATA 700019	08/12/2000	38	052389	Mr. JAIN AJIT KUMAR ACA MANI-TOWERS, FLAT DA-1 31/41 BINOBA BHAVE TOAD DAKSHINA BLOCK KOLKATA 700038	08/12/2000
25	050971	Mr. JAIN NARESH KUMAR FCA 4C 'ORBIT' 1 GARSTIN PLACE KOLKATA 700001	08/12/2000	39	052550	Ms. GHOSE MADHUMITA ACA 66 HINDUSTHAN PARK KOLKATA 700029	09/11/2000
26	051102	Mr. DIG GOPAL CHANDRA ACA AREA FINANCE MANAGER WESTERN JHARIA AREA PO: MOONIDIH DHANBAD 828129	08/12/2000	40	052617	Mr. BANERJEE ANJAN ACA 71 S N BANERJEE ROAD KOLKATA 700014	30/11/2000
27	051178	Mr. ROY SEKHAR KANTI ACA 4/17,PURBAPALLI 24 PARGANAS SODEPUR 743178	08/12/2000	41	052693	Mr. BHATTACHARYYA SAMIR KUMAR FCA MANAGER FINANCE & ADMINISTRATION KAGEM MINING LIMITED P O BOX 21657 KITWE ZAMBIA 0 ZAMBIA	08/12/2000
28	051398	Mr. AGRAWAL ANJANI KUMAR FCA S R BATLIBOI & CO 36 GANESH CHANDRA AVENUE KOLKATA 700013	08/12/2000	42	052755	Mr. SARKAR DEBASISH FCA 208 N S C BOSE ROAD FLAT NO # 1D KOLKATA 700040	08/12/2000
29	051416	Mr. JHANWAR RAM AWTAR FCA 23/1A GARIAHAT ROAD(WEST) KOLKATA 700068	08/12/2000	43	052784	Mr. AGARWAL KESHAV FCA 225 PRANTIK PALLI KOLKATA 700042	08/12/2000
30	051457	Mr. BANERJEE NARAYAN ACA 15-B,HAZRA ROAD KOLKATA 700026	08/12/2000	44	052992	Mr. SEKHON RAMINDER SINGH ACA MA-1/6 FLAT 2B GARDEN ESTATES KOLKATA 0	08/12/2000
31	051467	Mr. BASU SWAPAN FCA KAMALPUR PLOT BENA CHITY DURGAPUR 713213	08/12/2000	45	053136	Mr. BOSE AJAY KUMAR ACA 1/13 PAIK PARA ROW KOLKATA 700037	08/12/2000

46	053396	Mr. DUTTA CHOUDHURY DIBYENDU FCA 41 RAIL VIHAR SECTOR-30 NOIDA 201303	08/12/2000	58	054343	Mr. NANGALIA SANJAY ACA PO BOX 2232 RUWI, POSTAL CODE-112 SULTANATE OF OMAN 0 SULTANATE OF OMAN	08/12/2000
47	053450	Mr. NANDI BASHU DEB FCA M/S B NANDI & CO. 86 PURBA SINTHEE BYE LANE (MAIDAN PALLY) KOLKATA 700030	08/12/2000	59	054350	Mr. LOYALKA SANJAY KUMAR ACA C/O HINDUSTHAN GAS & INDUSTRIES LTD 22 NEW TANGRA ROAD KOLKATA 700046	08/12/2000
48	053576	Mr. JAIN BIJAY RAJ FCA 32 EZRA STREET, ROOM NO 1062 10TH FLOOR KOLKATA 700001	08/12/2000	60	054641	Mr. SARKAR JOY ACA FLAT NO IC, SHIVAM APPARTMENTS, 134 PURBA PALLY, KASBA(HALTU) KOLKATA 700078	01/12/2000
49	053679	Mr. BOKARIA ASHOK KUMAR FCA A K BOKARIA & CO 113 NETAJI SUBHAS ROAD 3RD FLOOR ROOM NO 40 KOLKATA 700001	08/12/2000	61	054744	Mr. SENGUPTA SUPRIYA ACA C/O D DASGUPTA P-80A LAKE ROAD 2ND FLOOR KOLKATA 700029	06/02/2001
50	053693	Mr. JAIN ARUN KUMAR FCA C/O B C JAIN & ASSOCIATES 2B GRANT LANE 2ND FLOOR ROOM NO 74 KOLKATA 700012	08/12/2000	62	054835	Mr. AGARWALA ASHOK KUMAR FCA 36 MAHARSHI DEVENDRA ROAD ROOM NO 606 KOLKATA 700006	08/12/2000
51	053704	Mr. GOSWAMI ASIS KUMAR ACA DY MANAGER WCL MAJRI AREA C-14 KUCHNA HOUSING COMPLEX KUCHNA PO: SHEMBAL CHANDRAPUR 4 <sup>A</sup> 2907	08/12/2000	63	054858	Mr. KHETAN ARUN PRAKASH ACA C/O MAHESH KUMAR AGARWAL FLAT NO 308 BLOCK A 138 G T ROAD HOWRAH 711101	08/12/2000
52	053886	Ms. GUPTA KUSUM ACA 10/9 GOBINDPUR ROAD KOLKATA 700045	11/12/2000	64	054890	Mr. PATI PROMOD KUMAR ACA D-22 NDDDB CAMPUS WESTERN EXPRESS HIGHWAY GOREGAON(EAST) MUMBAI 400065	03/11/2000
53	053967	Mr. RAVINDRAN S ACA IDBI BANK LTD 101 PARK-STREET KOLKATA 700016	08/12/2000	65	054920	Mr. CHOUDHARY SANJAY KUMAR FCA 29 N S B ROAD DT BURDWAN RANIGANJ 713347	08/12/2000
54	054182	Mr. HOR PARTH PRATIM ACA CHIEF FINANCE OFFICER TASTY BITE EATABLES LTD R-4 KOHINOOR ESTATE WAKDEWADI BOMBAY PUNE ROAD PUNE 411003	08/12/2000	66	054941	Mr. PATRO P RAJARAO ACA 303 NIHARIKA APARTMENT CUTTACK ROAD BHUBANESWAR 751007	08/12/2000
55	054291	Mr. AGARWAL ARUN KUMAR FCA 11 CLIVE ROW 3RD FLOOR, R.NO. 2B KOLKATA 700001	08/12/2000	67	055021	Mr. SIPANI DILIP KUMAR FCA PRAMESHWARI BUILDING 4TH FLOOR, CHATRIBARI ROOM NO 7 GUWAHATI 781001	08/12/2000
56	054307	Mr. PUROHIT ASHARAM FCA 35 SIR HARIRAM GOENKA STREET KOLKATA 700007	08/12/2000	68	055186	Mr. PANDEY RAJEEV KUMAR ACA C/O BIRENDRA KUMAR PANDEY FLAT NO B-4-E SNEHA GARDEN 28 RAI BAHADUR ROAD KOLKATA 700053	08/12/2000
57	054336	Mr. TANDON VIJAY ACA HB-292/1 SALT LAKE SECTOR-III KOLKATA 700091	08/12/2000	69	055202	Mr. GUHATHAKURTA SOUMYABRATA ACA 294, S N ROY ROAD FLAT NO 4 KOLKATA 700038	08/12/2000

70	055266	Mr GOEL SANJAY ACA PO-BOX 60552 GABORONE BOTSWANA 0 BOTSWANA	08/12/2000	82	055870	Mr MUKHOPADHYAY GOUTAMANSHU ACA 29/1 RAI MOHAN BANERJEE ROAD KOLKATA 700035	08/12/2000
71	055411	Mr GUPTA NIKHILESH ACA BLOCK 852 TAMPINES STREET 82 #06-205 SINGAPORE 520852 SINGAPORE	04/01/2001	83	056048	Mr BIYANI ALOK KUMAR ACA DINESH APARTMENTS FLAT NO A 5 3 113/3 DAKHINDARI ROAD, SHREEBHUMI KOLKATA 700048	08/12/2000
72	055493	Mr PANI BRAHMANANDA FCA D-2 FACULTY HOUSING NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN PALDI AHMEDABAD 380007	08/12/2000	84	056144	Mr GUPTA SANDEEP ACA C/O G S GUPTA 6A KIRAN SHANKAR ROY ROAD SECOND FLOOR KOLKATA 700001	08/12/2000
73	055505	Mr VARADHARAJAN V ACA FLAT NO 2A 2ND FLOOR 18 KARUNAMOYEE GHAT ROAD KOLKATA 700082	08/12/2000	85	056245	Mr BOHRA DEVENDRA KUMAR ACA HOTEL ANAND BUILDING KHOYATHONG ROAD MANIPUR IMPHAL 795001	08/12/2000
74	055582	Mr DATTA BISWAJIT ACA 1 RAMMOHAN PLACE DT HOOGHLY KONNAGAR 712235	08/12/2000	86	056424	Mr SANGANERIYA MAHESH KUMAR FCA MAHESH SANGANERIYA & CO BAJRANG BHAWAN, 1ST FLOOR, FANCY BAZAR OPP UCO BANK GUWAHATI 781001	08/12/2000
75	055617	Mr PAL DILIP ACA A 2/2 NIRODE APTT "L" ROAD BISTUPUR JAMSHEDPUR 831001	08/12/2000	87	056498	Mr AGRAWALLA SANJAY KUMAR ACA PLOT NO N3/410 I R C VILLAGE NAYAPALLI BHUBANESWAR 751015	08/12/2000
76	055629	Mr ASHOK KUMAR FCA M/S AGARWAL MAHESWARI & CO 2B GRANT LANE ROOM NO 88 4TH FLOOR KOLKATA 700012	08/12/2000	88	056512	Ms SIPANI MONIKA FCA PARMESHWARI BUILDING 4TH FLOOR ROOM NO 7 CHATTRIBARI GUWAHATI 781001	08/12/2000
77	055643	Ms BANTHIA ASHA M ACA 69T PRINCE BAKHTIAR SHAH ROAD KOLKATA 700033	08/12/2000	89	056633	Mr TOSHNIWAL LALIT ACA EXPECTRUM SOLUTIONS 22/9 MANOHARPUKUR ROAD KOLKATA 700026	08/12/2000
78	055650	Mr SUDHIR KUMAR ACA FLAT 12C MINTO PARK SYNDICATE 13 D L KHAN ROAD ALIPORE KOLKATA 700027	08/12/2000	90	056698	Mr SEN DIPAK ACA C/O MR SAMIR KUMAR, DUTTA 9 KHELAT BABU LANE KOLKATA 700037	08/12/2000
79	055651	Ms KUMAR JYOTI FCA MANAGER GLOBAL TRUST BANK OM TOWER 32 CHOWRINGHEE ROAD KOLKATA 700027	08/12/2000	91	056928	Mr TRIVEDI PRAVEEN KUMAR ACA 356/26 S K BOSE SARANI KALINDI WEST 4TH FLOOR CHASI PARA KOLKATA 700030	08/12/2000
80	055706	Mr ADHIKARY HIMANSU KUMAR FCA 160A JADAV GHOSH ROAD SARSUNA KOLKATA 700061	08/12/2000	92	056977	Mr SURANA ANAND KUMAR ACA C/O ALEXANDRIA CARBON BLACK CO SAE EL NAHDA ROAD AMREYA, ALEXANDRIA EGYPT 0 EGYPT	15/12/2000
81	055804	Mr BARUA BHASKAS JYOTI ACA ASSAM TEA BROKERS PVT LTD RUKMININAGAR G S ROAD GUWAHATI 781006	08/12/2000	93	057018	Mr GUPTA PRASHANT ACA SHANTI NAGAR BLDG NO 5 FLAT NO 27 LILUAH HOWRAH 711204	08/12/2000

94	057041	Mr MAJUMDAR ASHISH	ACA	08/12/2000	107	057777	Mr GARODIA ALOK	ACA	08/12/2000
		188/61 PRINCE ANWAR SHAH ROAD					FRITO LAY		
		KOLKATA 700045					J174 VIJAY RATTAN VIHAR		
							SECTOR 15(PART II)		
							GURGAON 0		
95	057071	Mr GADHWALA RAJ KUMAR	FCA	08/12/2000	108	057938	Mr AGARWAL ANIL	ACA	08/12/2000
		65 N S B ROAD					8 BANSTALLA LANE		
		GHOSH MARKET					KOLKATA 700001		
		IST FLOOR, ROOM NO 19							
		RANIGANJ 713347							
96	057096	Mr RATHI SHYAM SUNDAR	ACA	09/02/2001	109	058052	Mr LENKA BIJAY KUMAR	ACA	09/10/2000
		I D B I					AUTOMOTIVE WIRING SYSTEMS LTD		
		NARIMAN BHAWAN					4 MILE POST		
		NARIMAN POINT					NAGAR ROAD		
		MUMBAI 400021					PUNE 4111014		
97	057165	Mr SHARMA RAJESH	ACA	08/12/2000	110	058068	Mr CHATTOPADHYAY DEBDULAL	ACA	08/12/2000
		3E CRESCENT TOWER					UTTARYAN		
		229 A J C BOSE ROAD					HOUSE NO 42		
		KOLKATA 700020					DT HOOGHLY		
							RISHRA 712102		
98	057174	Mr SARAWAGI SURESH KUMAR	ACA	08/12/2000	111	058085	Mr CHOUDHURY BIKASH	ACA	08/12/2000
		37 DR ABANI DUTTA ROAD					B CHOUDHURY & ASSOCIATES		
		GAGANANCHAL COMPLEX					C/O CHOUDHURY HOUSE		
		HOWRAH 711106					NEHRU ROAD		
							SILIGURI 734405		
99	057264	Mr SAMAJDAR BIPLAB	ACA	08/12/2000	112	058116	Mr JAIN AMIT KUMAR	ACA	08/12/2000
		10 KIRAN SANKAR ROY ROAD					C33 SUNRISE FLAT NO 605 & 606		
		3RD FLOOR					SHASTRI NAGAR NEAR LOKMANDWALA		
		KOLKATA 700001					ANDHERI (W)		
							MUMBAI 400053		
100	057389	Mr KALANI RAJESH KUMAR	ACA	08/12/2000	113	058192	Mr GHOSH PRADYUMNA	ACA	07/02/2001
		C/O R S R MOHOTA SPG & WVG MILLS LTD					ITH LTD		
		PO HINGANGHAT					108 EMBASSY CENTRE		
		DT. WARDHA					11 CRESCENT ROAD		
		WARDHA 0					BANGALORE 560001		
101	057450	Mr MISHRA NILADRI PRASAD	ACA	08/12/2000	114	058199	Mr DHANUKA SAJAN	ACA	08/12/2000
		PLOT NO N/1/70 NAYAPALLI BUILDING					12 MANGOE LANE		
		N H 5					KOLKATA 700001		
		BHUBANESWAR 751013							
102	057478	Mr BANDYOPADHYAY ARIJIT	ACA	08/12/2000	115	058202	Mr JAIN RAJESH KUMAR	ACA	08/12/2000
		VSNL.					127 NETAJI SUBHASH ROAD		
		L.V.S B KASHINATH DHURU MARG					4TH FLOOR		
		PRABHADEVI					ROOM NO 402		
		MUMBAI 400028					KOLKATA 700001		
103	057497	Mr KARTHIKEYAN B	ACA	08/12/2000	116	058336	Mr CHOKHANY ARVIND	ACA	08/12/2000
		CORPORATION BANK-ZONAL OFFICE					FD-16 SECTOR III		
		16/10 ARYA SAMAJ ROAD					SALT LAKE CITY		
		KAROL BAGH					KOLKATA 700091		
		NEW DELHI 110005							
104	057518	Mr GUPTA ARUN KUMAR	ACA	08/12/2000	117	058435	Mr PATNAIK RAJSEKHAR	ACA	14/12/2000
		33 ABHOY GUHA ROAD					NIRMAL BHAVAN		
		PLOT NO 201					DR NO 15-97		
		LILUAH					ARUNDHATI COLONY		
		HOWRAH 711204					CANTONMENT		
							KOLKATA 0		
105	057622	Mr KUMAR MUKESH	ACA	08/12/2000	118	058556	Mr SINGHAL RAJESH KUMAR	ACA	08/12/2000
		6/1/1 PADMAPUKUR (NETAJI NAGAR)					23 MITRA LANE		
		KOLKATA 700092					KOLKATA 700007		
106	057665	Mr SOM BISWARUP	ACA	08/12/2000	119	058569	Mr DHANDHANIA SURAJ KUMAR	ACA	08/12/2000
		4A/1 DHARMATALA ROAD					228, M G ROAD		
		IST FLOOR					2ND FLOOR,		
		KOLKATA 700042					KOLKATA 700007		

120	058793	Ms. AGRAWAL SHRADHA 3A MAHARAJ APARTMENT 2 BROAD STREET KOLKATA 700019	ACA	08/12/2000	133	059898	Mr. JAIN RITUM FLAT 4A METRO TOWERS 1 HO CHI MINH SARANI KOLKATA 700071	ACA	08/12/2000
121	058846	Mr. SINGH SANJIVE KUMAR CAPITAL ACCOUNTS GROUP GENERAL OFFICE BLDG. TATA STEEL JAMSHEDPUR 831001	ACA	08/12/2000	134	060009	Mr. AGARWAL VIKAS KUMAR SENIOR ACCOUNTANT DELOITTE & TOUCHE P O BOX 778 BOTSWANA GABORONE 0 BOSTWANA	ACA	08/12/2000
122	058876	Mr. MOHANTY DIPTI RANJAN PLOT NO 3934 GOVINDASWAR ROAD OLD TOWN BHUBANESWAR 751002	ACA	28/09/2000	135	060091	Mr. BANDYOPADHYAYA DEBDULAL M/S D K DE SARKAR & CO 167/4 LENIN SARANI 2ND FLOOR KOLKATA 700072	ACA	08/12/2000
123	058901	Ms. ARORA SIMMI A-1/2/203 SUCHIDHAM, IOC COMPLEX GENERAL A K VAIDHYA MARG MALAD(EAST) MUMBAI 400097	ACA	08/12/2000	136	060193	Mr. CHHAWCHHARIA AMIT CITIBANK NA CITIBANK CENTRE PLOT C061 BANDRA KURLA COMPLEX BANDRA(EAST) MUMBAI 400051	ACA	08/12/2000
124	058992	Mr. BHAGANIA ANURAG A/31 TAKSHASHILA APARTMENTS 57 I P EXTENSION DELHI 110092	ACA	08/12/2000	137	089188	Mr. MALLICK AMBIKA PRASAD BISWAJIT FCA S K SAMAL & ASSOCIATES B-221 HIG DUPLEX BARMUNDA BHUBANESWAR 751003	ACA	08/12/2000
125	059238	Mr. GUPTA VIVEK SHANTI NAGAR BLDG.NO.5, FLAT-27 LILUAH HOWRAH 711204	ACA	08/12/2000	138	105724	Mr. PANSARI KARUNAKAR C/O ANNAPURNA RICE MILLS BARGARH 768028	ACA	08/12/2000
126	059258	Mr. BANTHIA LAXMIPAT FLAT 5EC MANIKANCHAN 5/1/1B DR RKM SARANI KOLKATA 700019	ACA	08/12/2000	139	107255	Ms. DHARNIDHARKA MANISHA A5H,SNEHA GARDENS, 28,RAI BAHADUR ROAD, KOLKATA 700053	ACA	08/12/2000
127	059294	Mr. DALMIA ANIL KUMAR C/O M/S G GARG & CO 14/2 OLD CHINA BAZAR STREET 1ST FLOOR KOLKATA 700001	ACA	08/12/2000	140	200282	Mr. ANANDAKUMAR P C/O QUEST INTERNATIONAL 6 SAKI VIHAR ROAD SAKINAKA MUMBAI 400072	ACA	08/12/2000
128	059302	Mr. NAHATA SANJAY KUMAR BLUE HILL APPARTMENT FLAT NO B-4 3RD FLOOR AD-RABINDRAPALLY, KESHTOPUR KOLKATA 700059	ACA	08/12/2000	141	206143	Mr. ROUTRAY KALAGOLAP P.O. BALITUTH VIA KUJANG DISTT - JAGATSINGHPUR ORISSA JAGATSINGHPUR 754141	ACA	08/12/2000
129	059306	Mr. JAIN SUNIL KUMAR C/O LODHA CAPITAL MARKETS LTD 13/3 STRAND ROAD KOLKATA 700001	ACA	08/12/2000	142	207497	Mr. SARANGI RAJENDRA KUMAR C-7 PARKVIEW APARTMENTS 1ST PROFESSORS COLONY TAMBRAM EAST CHENNAI 600056	ACA	08/12/2000
130	059404	Mr. JAIN RAKESH KUMAR C/O ABHAY KUMAR JAIN ROSHAN MARKET 2ND FLOOR FANCY BAZAR GUWAHATI 781001	ACA	08/12/2000	143	057506	Mr. AGRAWAL SUDARSHAN KUMAR 7/1A GRANT LANE 2ND FLOOR KOLKATA 700012	FCA	08/12/2000
131	059420	Mr. PRASAD LAXMAN KUMAR C/O.VOLTAS LTD GILLANDER HOUSE 8,N.S ROAD KOLKATA 700001	ACA	08/12/2000					
132	059832	Mr. MUNDRA RITESH KUMAR C/O P K MUNDRA & CO 1 CROOKED LANE 119 MERLIN CHAMBERS KOLKATA 700069	ACA	08/12/2000					

*Handwritten signature*  
(ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

## The Institute of Chartered Accountants of India

(Decentralised Office) 7, Russell Street,

Calcutta - 700 071 **10 DEC 2001**

(Chartered Accountants)

3ECA/5/5/2000-2001 : In Notification No 3ECA/4/4/2000-2001 dated 26th March, 2001 removing the name of the members with effect from 8th December, 2000 on account of non-payment of prescribed membership fees, the name of the following members included at serial numbers 5, 8, 12, 18, 25, 26, 30, 35, 37, 39, 43, 47, 48, 58, 59, 61, 64, 66, 69, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 85, 86, 87, 92, 99, 104, 115, 117, 118, and 119 respectively be treated as deleted.

S.No.	MRN	Member Name & Address
1	006998	Mr. MAJUMDAR SUSHIL KUMAR 36/3 P G M SHAH ROAD, ANJALI APARTMENTS, FLAT -A1, CALCUTTA 700033
2	011926	Mr. DASGUPTA SHIVAJI C/O P SARKAR & ASSOCIATES, 35 CHITTARANJAN AVENUE, 3RD FLOOR, CALCUTTA 700012
3	050151	Mr. MOOKIM RAJENDRA KUMAR MOOKIM & ASSOCIATES, MOOKIM BHAWAN 2ND FLOOR, G T ROAD, ASANSOL 713301
4	051550	Mr. SARKAR PARIMAL P SARKAR & ASSOCIATES, 35 CHITTARANJAN AVENUE, 3RD FLOOR CALCUTTA 700012
5	052560	Mr. MEHTA ANAND CHAND B-1 GARDEN APARTMENTS, 2/10 SARAT BOSE ROAD, CALCUTTA 700020
6	052568	Mr. BAGCHI NANDAN KUMAR C/O PABITRAPADA CHAKRABORTY, 117 NANDAN KANAN SOUTH, DT 24 PARGANAS (NORTH), RAHARA 743186
7	053372	Mr. AGARAWAL PRAKASH KUMAR 13A, DACRES LANE R.NO-508 5TH FLOOR CALCUTTA 700069
8	053812	Mr. TODI AJAY KUMAR 205 RABINDRA SARANI, 2ND FLOOR ROOM NO 81, CALCUTTA 700007
9	054063	Mr. SEN SABYASACHI C/O P M SEN, GROUND FLOOR, FLAT NO 1, 96 KANKULIA ROAD, CALCUTTA 700029

10	054308	Mr. GUPTA SHIV SHANKAR DY CHAIRMAN, PARADEEP PORT TRUST, DT JAGATSINGHPUR, PARADEEP 754142
11	054593	Mr. GUPTA PREM KUMAR 11 CLIVE ROW, 3RD FLOOR, ROOM NO 11, CALCUTTA 700001
12	055065	Mr. CHAKRABORTY RANAJIT 198B SARAT BOSE ROAD, CALCUTTA 700029
13	055106	Mr. TIBREWAL AJAY AD/65 SALT LAKE, SECTOR-I, CALCUTTA 700064
14	055715	Mr. SINGH SUBODH KUMAR ROOM NO-63H 3RD FLOOR, 161/1 MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA 700007
15	055782	Mr. LUHARUKA PRADEEP KUMAR 90/95 RAJARHAT ROAD, GANGA APARTMENT, 3RD FLOOR, CALCUTTA 700059
16	055940	Mr. MUKHERJEE SRINATH LANSDOWNE SQUARE MANSION, 30-B PADDAPUKUR ROAD, CALCUTTA 700020
17	056221	Mr. GHOSE CHOUDHURY S "MONALISA", 28/4, MOTIHEEL AVENUE CALCUTTA 700074
18	056317	Mr. PATRA SUDHI RANJAN 116/2, NARASINGHA DUTTA RD, HOWRAH 711101
19	056663	Mr. RAKSHIT SUBIR 3A, JAGADISH NATH ROY LANE, CALCUTTA 700006
20	056737	Mr. PANI SAMARENDRA PLOT NO. 2132/5036, NAGESWAR TANGI LEWIS ROAD, BHUBANESWAR 751002
21	056822	Mr. DEY SUBHASISH FLAT 2/3 'GODHULI APARTMENTS', AE-1 RABINDRAPALLY, P O: PRAFULLAKANAN KRISHNAPUR, CALCUTTA 700059
22	056886	Mr. GURUMURTHY N C/O M/S P SARKAR & ASSOCIATES, 35 C R AVENUE, 3RD FLOOR, CALCUTTA 700012
23	057116	Ms. AGRAWAL VINEETA 13A DACRES' LANE, 5TH FLOOR, ROOM NO 508, CALCUTTA 700069



- 24 057228 Mr. GOENKA KAMAL KUMAR  
1/1E SOUTH SINTHEE ROAD,  
CALCUTTA 700050
- 25 057350 Mr. BANSAL RAMESH KUMAR  
ITC LIMITED, 37 CHOWRINGHEE,  
INTERNAL AUDIT DEPT (6TH FLOOR),  
KOLKATA 700071
- 26 057823 Mr. KHANDELWAL VIKASH  
BLOCK A FLAT 501, 36  
PALM AVENUE,  
CALCUTTA 700019
- 27 057641 Ms. BHANDARI DEEPALI  
55D CANNING STREET,  
1ST FLOOR, CALCUTTA 700001
- 28 057674 Mr. TOSHNIWAL JAIPRAKASH  
ACCOUNTS EXECUTIVE,  
HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES  
PVT. LTD.  
PLOT: 11/11A DABGRAM INDUSTRIAL  
GROWTH CENTRE, JALPAIGURI
- 29 058045 Ms. SINHA TANUJA  
C-6/4 GREEN TOWER, GOLF GREEN,  
CALCUTTA 700095
- 30 058436 Mr. PATTWARI SUNIL KUMAR  
C/O-BABULAL AGARWAL,  
156, BAITHAK KHANA ROAD, 2ND FLOOR,  
CALCUTTA 700009
- 31 058752 Mr. ARORA PANKAJ  
P-92 BLOCK-B, 3RD FLOOR,  
BANGUR AVENUE,  
CALCUTTA 700055
- 32 059930 Mr. PANDA JAYANTA KUMAR  
C/O SANTOSH RATH, KALPANA SQUARE,  
QR NO-2 RB 1/2, ORISSA,  
BHUBANESWAR 751014
- 33 060108 Mr. MISHRA PARTHA SARATHI  
PLOT NO 270 1ST FLOOR,  
KHARVEL NAGAR, UNIT III,  
BHUBANESWAR 751001
- 34 060208 Mr. SARAF ROHIT  
11A KALAKAR STREET,  
CALCUTTA 700007
- 35 060293 Ms. SUBRAMANIAN ARUNA  
112/2 SELIMPUR ROAD,  
CALCUTTA 700031

  
(ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

16/77 B, Civil Lines,

Kanpur - 208 001

(Chartered Accountants)

11 DEC 2001

3CCA(5)/2/2000-2001 With reference to this Institute's Notification

Nos 3CA(4) (6) / 1988-89 dated 09-02-1989, 3CCA(4) (6) / 1993-94 dated 01-12-1993,  
 3CCA(4) (1)/1996-97 dated 02/12/1996, 3CCA(4) (4)/1997-98 dated 12-03-1999,  
 3CCA (4) (1) / 1998-99 dated 23-04-1999, 3CCA(4) (1)/99-2000 dated 12-01-2000,  
 3CCA (4) (1) / 2000-2001 dated 02-02-2001, 3ECA (4) /3/1994-95 dated 03-02-95,

it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the name of the following members -

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
1.	003312	Mr GUPTA MAHESH CHANDRA FCA 133/189 M BLOCK KIDWAI NAGAR KANPUR-208011	08/12/2000	8	014272	Mr SAXENA BIPIN KUMAR ACA FLAT NO. 40 JAI LAKSHMI APARTMENT PLOT NO 59 1 P EXTENSION DELHI-110092	23/01/2001
2	007249	Mr TODI GOVIND RAM FCA MANASATI 2/1 PARSİ MOHALLA, GPO INDORE-452001	08/12/2000	9	028870	Mr SRINIVASAN R FCA 712 EXPRESS APARTMENTS VAISHALI GHAZIABAD	08/12/2000
3	008084	Mr. MEHTA RAMESH CHAND FCA SB-10 GANESH MARG BAPU NAGAR JAIPUR-302015	08/12/2000	10	030806	Mr TAVINDER JEET SINGH FCA 61 MOTILAL NEHRU NAGAR S A F LINES BHILAI NAGAR DURG-490022	08/12/2000
4	010438	Mr SHARMA VASUDHA BALLABH FCA 28 SHAMLA HILLS ROAD BHOPAL	08/12/2000	11	039477	Mr. HEDA SUSHIL KUMAR ACA C-95 KAMALA NEHRU NAGAR IST EXTENSION JODHPUR	08/12/2000
5	012316	Mr SUJIT CHANDRA BANDOPADHYAY ACA DY GENERAL MANAGER CENTRAL BANK OF INDIA, MUMBAI MAIN OFFICE MAHATMA GANDHI ROAD, FORT MUMBAI-400023	21/11/2000	12	043302	Mr WADJIKAR AJAY FCA SRUSTHI APARTMENT FLAT NO 211 KHERAPATI ROAD GWALIOR	08/12/2000
6	013085	Mr NAHATA CHANDANMAL ACA VARNDAVAN APARTMENT D-2 MEERA MARG BANI PARK JAIPUR-302016	08/12/2000	13	044600	Mr. BHANDARI BHAG CHAND FCA C/O HIRALAL SOHANLAL MAHAVIR BAZAR BIJAINAGAR AJMER-305624	08/12/2000
7	013310	Mr SHARMA RAJENDRA FCA R SHANDILYA & CO AMRIT RAGHU NATHJI KA MANDIR JAIPUR-302002	08/12/2000				

S. No.	Member Name & Address	Restore Date	S. No.	Member Name & Address	Restore Date
14. 044835	Mr. VELMURUGAN S ACA HPCL RAIPUR LPG PLANT MANDIR HASAND RAIPUR-492001	08/12/2000	23. 070286	Mr. JAIN MAHENDRA KUMAR FCA PRESIDENT ADITYA MILLS LTD MADANGANJ KISHANGARH-305801	08/12/2000
15. 049701	Mr. DUGAR RAJNISH KUMAR ACA K II 8 TATA HOUSING CENTRE LALLU BHAI PARK ROAD MUMBAI-400058	05/03/2001	24. 070318	Mr. GOEL ASHOK KUMAR FCA III-A/24 NEHRU NAGAR GHAZIABAD-201001	08/12/2000
16. 049852	Mr. MAKWANA MITHA LAL ACA AT POST KHOD DIST PALI PALI-306119	08/12/2000	25. 070328	Mr. AJMANI HARBANS SINGH FCA BUS STATION ROAD LAKHIMPUR LAKHIMPUR KHERI-262701	08/12/2000
17. 050953	Mr. PISUPATI MADHAVAYYA ACA FLAT NO. 405 TIRUMALA RESIDENCY RAM NAGAR GUNDU VIDYANAGAT HYDERABAD-500044	04/01/2001	26. 070407	Mr. MATHUR PREM BEHARI FCA GROUND FLOOR "SAI DEEP" BUILDING 7/29, TILAK NAGAR, KANPUR-208002	08/12/2000
18. 053419	Mr. SHARMA RAMESH KUMAR ACA D-32, DAFFODIL BUILDING ASHIANA GARDEN, SONARI JAMSHEDPUR-831011	16/06/2000	27. 070449	Mr. AGRAWAL VED PRAKASH FCA 71 ADARSH COLONY, CIVIL LINES RAMPUR-244901	08/12/2000
19. 055977	Mr. GARG RATAN LAL FCA 299 VINOBA BASTI SRIGANGANAGAR-335001	08/12/2000	28. 070712	Mr. DADU RAJENDRA KUMAR FCA R-14/53 NEW RAJ NAGAR GHAZIABAD-201002	08/12/2000
20. 056204	Mr. AGARWALA NARAYAN ACA C/O SARASWATI & CO A. C. DUTTA LANE F. A. ROAD KUMARPARA GUWAHATI-781001	08/12/2000	29. 070790	Mr. SHAH NAVEEN CHANDRA ACA 309 5TH AVE # 500, NEW YORK NY-10016 NEW YORK USA	08/12/2000
21. 058721	Mr. JAIN MANISH ACA PLOT NO. B-2 CITY CENTRE SECTOR-IV BOKARO STEEL CITY-827004	08/12/2000	30. 071228	Mr. RAJIV KRISHNA ACA NAZAR BAG BANDA-210001	08/12/2000
22. 070173	Mr. NEERAJ KUMAR FCA 25/7 RAM BAGH ROAD MUZAFFARNAGAR-251001	08/12/2000	31. 071537	Mr. EVANI SUDHAKAR FCA PLOT NO. 3, BLOCK NO. 29 WEST NEHRU NAGAR DIST DURG BHILAI-490020	08/12/2000
			32. 071913	Mr. JAIN MAHENDRA KUMAR FCA 201 AMIT CHAMBERS 5-6 JAORA COMPOUND M. Y. H. ROAD INDORE-452001	08/12/2000

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
33	072019	Mr GHOSH AMITABH ICA CHANDEN COMPLEX NEAR KOTWALI RAIPUR	08/12/2000	42	072888	Mr SANJEEV KUMAR VIJAY ACA TREASURER MASSILLON STAINLESS INC 411 OBERLIN ROAD S W PO BOX-4813 OH-44648 MASSILLION U S A	08/12/2000
34	072025	Mr. VERMA DINESH KUMAR ACA SATYA BHAWAN KHALAND MARKET AJMER	08/12/2000	43	072969	Mr CHOUDHARY SACHIDANAND ACA SHIV SADAN B. B. ROAD KARANIBAD JHARKHAND B DEOGHAR-814112	08/12/2000
35	072158	Mr. KHANDELWAL DINESH CHAND ACA 434 KESAV NAGAR ANNA SAGAR CIRCULAR ROAD AJMER-305006	08/12/2000	44	073052	Mr KRIPA SHANKER ACA SUPERINTENDENT ACCOUNTS C-3 PHASE-I TCL COMPLEX BABRALA BADAUN-202521	08/12/2000
36	072200	Mr. AGARWALA SANJAY KUMAR FCA 30/220 FIRST FLOOR SANJAY PLACE AGRA-282002	08/12/2000	45	073454	Mr RAJEEV MOHAN ACA 278-C REGAL SHIPRA SUN CITY INDIRAPURAM GHAZIABAD	29/12/2000
37	072238	Mr BHADURI MOYUKH SR. MANAGER (FINANCE) STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD BHILAI STEEL PLANT BHILAI-490001	08/12/2000	46	073574	Mr GUPTA SURESH KUMAR FCA 313 DHULA HOUSE BAPU BAZAR JAIPUR	08/12/2000
38	072271	Mr PRAMOD KUMAR MAHESHWARI ACA ADA PHASE II ARYA NAGAR RAMGHAT ROAD NEAR DR NAVNEET MAHESHWARI'S RESIDENCE ALIGARH	06/09/2000	47	073626	Mr JAIN RAJESH ACA R-58 ZONE-I M P NAGAR BHOPAL-462003	08/12/2000
39	072583	Mr MAHESHWARI SUNIL KUMAR DWARKADAS ACA M-20 MAHESH COLONY TONK PHATAK JAIPUR-302015	06/11/2000	48	073745	Mr CHATURVEDI KRISHNA CHANDRA FCA IST FLOOR SHARDA MARKET CHATTA BAZAR MATHURA-281001	08/12/2000
40	072611	Mr JAIN ASHOK KUMAR 103, BARJATIA CHAMBERS 44 JAORA COMPOUND INDORE-452001	FCA 08/12/2000	49	073879	Mr TANDON LALIT NARAYAN ACA MANAGER (F&A) BHARAT ALUMINIUM CO I ID PO BALCO TOWNSHIP KORBA-495684	08/12/2000
41	072840	Mr. RAJ SHIROMANI SINGH FCA 134, MIG AVADHPURI LAKHANPUR KANPUR	08/12/2000	50	074005	Mr ANIL KUMAR SHARMA FCA FLAT NO T-2 MANJUSHA APARTMENTS B-7 RAMPRASTHA GHAZIABAD-201011	08/12/2000

S. No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S. No.	MRN	Member Name & Address	Restore Date
51.	074060	Mr. TIWARI SANJAY KUMAR ACA KASTURI ANCHAL C-123 DR. R. K. COLONY BHLWARA-311001	08/12/2000	60.	074405	Mr. JAIN DINESH FCA ROOP KAMAL 13 BANK COLONY NAVRANG NAGAR BEAWAR-305901	08/12/2000
52.	074079	Mr. MEHTA SURENDRA SINGH FCA SURENDRA SINGH MEHTA & CO 101 SIDDHARTH APARTMENT 51 MAHAVEER NAGAR INDORE-452001	08/12/2000	61.	074528	Mr. KABRA ANIL KUMAR ACA FINANCE CONTROLLER JAIPRAKASH INDUSTRIES LTD CAMP BASPA-II HYDROELECTRIC PROJECT (300MVV) SHOLTU COLONY P.O. TAPRI KINNAUR-172104	08/12/2000
53.	074098	Mr. AGRAWAL RAJESH KUMAR FCA 2ND FLOOR JANKI BHAWAN NEAR SHAHID PARK FREE GANJ UJJAIN	08/12/2000	62.	074726	Mr. SONI SANJIV ACA FINANCE MANAGER CBM PROJECT CELL CMPDI RANCHI-834008	08/12/2000
54.	074104	Mr. GEHANI RAVI FCA AL MOUWASAT HOSPITAL P.O. BOX-282 DAMMAM-31411 SAUDI ARABIA	03/01/20001	63.	074760	Mr. SHUKLA SUNEEL M ACA BIHARI SADAN 5 SHRINAGAR (ANNEXE) INDORE-452001	22/01/2001
55.	074243	Mr. CHAUHAN RAJENDRA SINGH ACA DHARTINATH PAWILION BEHIND SHASTRI CIRCLE P.O UDAIPUR-313001	08/12/2000	64.	074840	Mr. TIWARI RAKESH ACA H. NO. 20/2528, TIWARI SADAN PURANI BASTI KAN MAHAJAN KA BAR GOVIND RAJION KA RASTA JAIPUR-302001	08/12/2000
56.	074267	Mr. KHANDELWAL JEETMAL ACA 60 SHANTI KUNJ NEAR CIRCUIT HOUSE ALWAR-301001	08/12/2000	65.	074976	Mr. SRIVASTAVA KRISHNA KUMAR FCA 117/H-1/304 MODEL TOWN PANDU NAGAR KANPUR-208005	08/12/2000
57.	074286	Mr. PAREEK RAVINDRA FCA 303 & 304 SHRI GOPAL TOWER ASHOK MARG AHINSA CIRCLE C-SCHEME JAIPUR-302001	08/12/2000	66.	075064	Mr. SAXENA MUDIT ACA C/O NAVIN K AGRAWAL 215 DILEZAKPUR (NEAR DR SEN GUPTA) GORAKHPUR-273001	08/12/2000
58.	074328	Mr. JAIN ASHOK KUMAR FCA A-5 MOONLIGHT APARTMENT 70 I.P. EXTENSION PATPARGANJ DELHI-110092	08/12/2000	67.	075204	Mr. SOGANI MAHESH KUMAR FCA 66-A RADIO MARKET NEHRU BAZAR JAIPUR-302001	08/12/2000
59.	074355	Mr. ZAIDI SANAUL HASAN FCA 117/556 P-1 BLOCK KAKADEO KANPUR-208025	08/12/2000	68.	075212	Mr. VYAS RAJESH KUMAR FCA VYAS KUTI PURANI DEEG BHARATPUR-321001	08/12/2000
				69.	075327	Mr. RAJESH KUMAR T FCA 25 MEHGNA SINGH MARKET GUMTI NO 5 KANPUR-208012	08/12/2000


S. No.	MkN	Member Name & Address	Restore Date	S. No.	MRN	Member Name & Address	Restore Date
70.	075370	Ms. CHHABRA RASHMI CENTRAL BANK OF INDIA PARLIAMENT HOUSE NEW DELHI	ACA 08/12/2000	80.	076189	Mr. SHUKLA SHEKHAR 3/CH/19 JAWAHAR NAGAR JAIPUR-3Q2004	FCA 08/12/2000
71.	075487	Mr. KHAN HAROON PO BOX NO. 2832 KMPG CEAT MARWICK CHARTERED ACCOUNTANTS SALALAH-211 SULTANATE OF OMAN UAE	ACA 08/12/2000	81.	076240	Mr. KHANDELWAL SHYAM SUNDER M/S RAJASTHAN STATE POWER CORPN. LTD. E-166 YUDHISTHAR MARG C-SCHEME JAIPUR	ACA 08/12/2000
72.	075601	Mr. MALHOTRA RAVI DY MANAGER (TAXATION) H.M.T. LTD. BEAWAR ROAD AJMER-305003	ACA 08/12/2000	82.	076280	Mr. RAJAN SANJEEV KUMAR L. I. C. OF INDIA F & A DEPTT. DIVISIONAL OFFICE 19 M.G. MARG INDORE	ACA 19/02/2001
73.	075693	Mr. AGARWAL VIVEK PRAKASH C/O MR ANKUSH GUPTA 37 A MOTIA KHAN NEW DELHI-110055	ACA 01/01/2001	83.	076310	Dr. JAIN ARUN KUMAR MAHILA MAHAVIDYALAYA JODHPUR-342001	ACA 08/12/2000
74.	075734	Mr. SABHARWAL GIRISH 3, ZILADHISH MARG RAJPUR ROAD DEHRADUN-248001	ACA 08/12/2000	84.	076311	Mr. DHOOT PRADEEP 27 MALHARGANJ (DEWAS) KANNOD-455332	ACA 08/12/2000
75.	075795	Mr. SENGUPTA AMIT L-5/22 SHASTRI NAGAR SIGRA VARANASI	FCA 08/12/2000	85.	076325	Mr. SHARMA NARESH KUMAR 44/45 KATEWA CHAMBERS SHASTRI NAGAR JAIPUR-302016	ACA 08/12/2000
76.	075981	Mr. JAIN SURENDRA KUMAR 18, TARANI COLONY DEWAS-455001	ACA 15/12/2000	86.	076345	Mr. CHOKHANI PRAMOD KUMAR C/O STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 16/98 M. G. MARG L. I. C. BUILDING 4TH FLOOR KANPUR-208001	ACA 08/12/2000
77.	076089	Mr. SINGH AMIT 8 VIDHYA BHAWAN SCHOOL UDAIPUR-313001	ACA 08/12/2000	87.	076348	Mr. MUSTAFA ALI COSTAL TRADING & CONTG CO P. O. BOX-2323 DUBAI UAE	ACA 08/12/2000
78.	076136	Ms. MADAN JYOTSANA 1000/2 SHASTRI NAGAR MEERUT-250001	ACA 08/12/2000	88.	076352	Mr. SUSHIL KUMAR JR 4 HINDALCO INDUSTRIES COLONY RENUKOOT SONEBHADRA 231217	ACA 08/12/2000
79.	076171	Mr. SINGHAL MAHAVIR PRASAD M P. SINGHAL & ASSOCIATES 64 SHOPPING CENTRE KOTA-324007	ACA 08/12/2000				

S. MRN No	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No	Member Name & Address	Restore Date
89. 076354	Mr CHINTAKINDI RADIIA KRISHNA ACA SR. ACCOUNTS OFFICER NORTHERN COALFIELDS LTD JAYANT PROJECT SIDHI-486890	08/12/2000	99. 077324	Mr. SINGHVI RAJNEESH SOBHAGYA A-306 SHASTRI NAGAR JODHPUR	ACA 08/12/2000
90. 076452	Mr. JHANWAR MUKESH KUMAR ACA NEAR BALAJI TEMPLE SADAR BAZAR MADANGANJ KISHANGARH-305802	08/12/2000	100.077423	Mr. JAIN RAKESH KUMAR 165 SCHEME NO. 4 RAJENDRA NAGAR ALWAR-301001	ACA 08/12/2000
91. 076556	Mr. GUPTA VIJAY KUMAR ACA 1096 BARKAT NAGAR KISAN MARG JAIPUR-302015	08/12/2000	101.077517	Mr. JAIN PUSHPENDRA KUMAR ACA 73/100 AGARWAL FARM MANSAROVAR JAIPUR	14/07/2000
92. 076631	Mr. MANGAL SANJAY D-34 LGF EAST OF KAILASH NEW DELHI-110065	ACA 08/12/2000	102.077714	Mr. AGRAWAL AMITABH C/O RAMKUMAR SHIVDUTT ROY SADAR ROAD PO FORBESGANJ ARARIA	ACA 08/12/2000
93. 076632	Mr. ARORA SHIV KUMAR FCA HARNAM SHIV & CO. PRAGATI VIHAR OPP. N.I.I.T. KASHIPUR BY PASS ROAD RUDRAPUR-263153	08/12/2000	103.077803	MR. BHATT KAMLESH KUMAR ACA 1/9 KISHANGANJ BEAWAR-305901	08/12/2000
94. 076742	Mr. KHANDELWAL GAJENDRA PRAKASH 3768 SARAS SADAN GANGAURY BAZAR JAIPUR-302001	ACA 08/12/2000	104.077821	Mr. BAID VIKRAM K-18 DURGA DAS PATH MALVIYA MARG C-SCHEME JAIPUR-302001	ACA 08/12/2000
95. 076777	Mr. DUBLISH VIPUL CHANDRA ACA 270 SOTI GANJ MEERUT-250001	08/12/2000	105.077943	Mr. AGARWAL ROHIT C-21 SHIVAJI MARG DIGGI HOUSE RAM BAGH ROAD JAIPUR-302001	ACA 08/12/2000
96. 076779	Mr. KASHYAP MUKESH M/S M KASHYAP & ASSOCIATES SHANTI VIHAR COLONY DANGANIYA RAIPUR-492001	FCA 08/12/2000	106.078049	Mr. ASAWA SUNIL 18, AHUJA MARKET, OPPOSITE SHREE CLOTH MARKET, PUR ROAD, BHILWARA-311001	ACA 08/12/2000
97. 076796	Mr. GARG DEEPAK KUMAR ACA C/O YOGI ASSOCIATES 13 VICTORIA PARK MEERUT-280004	08/12/2000	107.078190	Mr. VINOD KUMAR K-109 SOUTH CITY-I HARYANA GURGAON-122001	ACA 08/12/2000
98. 076952	Mr. SAMTANI PAWAN PLOT NO. 314/5 SECTOR-11 NOIDA	ACA 08/12/2000	108.078200	Ms. HAVELIA NEELAM 18 ARYA SAMAJ MANDIR ROAD GANESH GANJ LUCKNOW-226018	ACA 08/12/2000

S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Date
109.078514	Mr. PODDAR NARESH KUMAR ACA SITE-II D-40 SECTOR-55 NOIDA-201301	08/12/2000	120.079180	Mr. SHUKLA CHANDRA PRAKASH ACA 216 PRIME PALACE ARAWALI MARG FAIZABAD ROAD LUCKNOW	08/12/2000
110.078575	Mr. AMOLAK ACA B-19 RATAN NAGAR NEAR BALAJI HOSPITAL DHER KA BALAJI JAIPUR-302012	08/12/2000	121.079340	Mr. SHARMA SANJEEV ACA 1/132 F (I) SAKET COLONY SURENDRA NAGAR ALIGARH-202001	08/12/2000
111.078707	Mr. GARG BHARAT KUMAR ACA D2/23 HERMES HERITAGE YESWADA PUNE	08/12/2000	122.079516	Mr. CHOPRA SURYA PRAKASH ACA B-71 DURGADAS NAGAR PALI MARWAR-306401	08/12/2000
112.078751	Mr. SOPRA JITENDRA KUMAR ACA DR. JAIPRAKASH COLONY NEAR DEEN DAYAL PARK DIST. BARAN BARAN-325205	08/12/2000	123.079677	MR. DHAMANI MUKESH ACA D-118A BABU NAGAR KRISHNA MARG JAIPUR-302015	08/12/2000
113.078833	Mr. TEWARI NAVIN ACA 18 PANCHMAHAL APARTMENTS 47 I.P. EXTENSION NEW DELHI-110092	08/12/2000	124.079704	Mr. ARORA ATUL ACA 41 ANKUR APTS 10TH GULMOHAR X ROAD J.V.P.D. SCHEME MUMBAI-400049	08/12/2000
114.079077	Mr. PORWAL RAHUL ACA 28 SURANA STREET MALDAS STREET UDAIPUR-313001	08/12/2000	125.081155	Mr. SAHNI ANIL FCA IFFCO LTD. AONLA UNIT BAREILLY-243403	08/01/2001
115.079087	Mr. SHAH PANKAJ ACA K 37/110, GWAL DAS SAHU LANE VARANASI-221001	08/12/2000	126.081668	Mr. GUPTA AMBRISH KUMAR FCA K-8 ANUPAM NAGAR RAIPUR-492007	08/12/2000
116.079089	Ms. KAITHWAL POOJA ACA 14TH FLOOR C WING MITTAL TOWER 47/6 M.G. ROAD BANGALORE-600001	08/12/2000	127.082338	Mr. RAKESH KRISHAN ACA C-1/1565 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	21/07/2000
117.079108	Mr. KHETPAL PRADEEP ACA INDRA PUSHPA CIVIL LINES BEHIND CHATTISGARH COLLEGE RAIPUR-492001	08/12/2000	128.082477	Mr. ASHOK KUMAR ACA MANAGER (F&A) ONGC TEL BHAWAN DEHRADUN-248003	10/11/2000
118.079116	Mr. GARG LALIT ACA G-5 CHETAK CENTRE 12/01 R.N.T. MARG INDORE-452001	08/12/2000	129.087064	Mr. MATHUR SANJAY FCA A 639 SECTOR-19 NOIDA-201301	08/12/2000
119.079141	Mr. CHOUDRY KULDEEP J ACA 208-KAMALA NEHRU NAGAR AJMER ROAD HEERAPURA JAIPUR	08/12/2000	130.087383	Mr. YOGESH KUMAR ACA RANBAXY LAB LTD. 25 NEHRU PLACE NEW DELHI	08/12/2000
			131.087665	Mr. AGRAWAL DHRUVA KUMAR FCA A-69 B SECTOR-40 NOIDA-201301	08/12/2000



S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Date
132.088605	Mr. MALHOTRA RAJESH FCA 16/256/7 VASUNDHARA DISTT. GHAZIABAD SAHIBABAD	08/12/2000	142.093278	Mr. AGRAWAL SANJEEV KUMAR ACA C/O SH. D.D. SINGHAL SHANTI PURAM ADA COLONY AGRA ROAD ALIGARH	08/12/2000
133.089330	Mr. AGRAWAL UMESH FCA B-114 GANPATI PLAZA BHIWADI-301019	08/12/2000	143.093565	Mr. PANKAJ MOHAN ACA C/O SHRI R. M. GUPTA IND C-117 NEHRU NAGAR GHAZIABAD-201001	08/12/2000
134.089373	Mr. GOEL ANIL KUMAR FCA 311-311A IIRD FLOOR NAMDHARI CHAMBER D.B. GUPTA ROAD KAROL BAGH NEW DELHI-110005	08/12/2000	144.093747	MR. MITTAL AJAY ACA INDIAN OIL CORPORATON LTD. K.R.P.L. REFINERY PANIPAT	08/12/2000
135.090000	Mr. SASHIKANTH R ACA C/O KPML PEM MARWICK P.O. BOX-7613 ABU DHABI U.A.E.	08/12/2000	145.094489	Mr. GUPTA SHYAM SHANKER ACA OPPOSITE HEAD POST OFFICE FIROZABAD-283203	08/12/2000
136.090006	Mr. MAHTO SHYAM KUMAR FCA 304 JAGAT TRADE CENTRE PRASER ROAD PATNA-800001	29/11/2000	146.096077	Mr. JAIN HEETENDRA KUMAR ACA C/O JAY CALENDAR NEAR KHADI ASHRAM ALWAR-301001	08/12/2000
137.090198	Mr. MANOJ KUMAR ACA M/S KUMAR MANOJ & CO. C/O MADHU SUDAN DAYAL CHHAPETI, ANUPSHAHAR BULANDSHAHR-202390	08/12/2000	147.104323	Ms. KAUL VINITA ACA 367 SECTOR 3 SHAKTI NAGAR BHO PAL-462024	08/12/2000
138.091060	Mr. SHARMA SUDHIR KUMAR FCA 306 MASJID MOTH N.D.S.E.-II NEW DELHI-110049	08/12/2000	148.105557	Mr. TOSHNIWAL VINOD KUMAR ACA GOKUL, RAI JI MORA STREET TOSHINIWAL ON KA NOHERA BHILWARA-311001	08/12/2000
139.091660	Mr. GUPTA RAJESH KUMAR FCA C-137 SECTOR-15 NOIDA-201301	08/12/2000			
140.091983	Mr. SINGH HARNAM FCA 15/5 SHASTRI NAGAR UDHAM SINGH NAGAR BAZPUR-262401	08/12/2000			
141.092499	Mr. TYAGI PARMOD ACA NETACROSS LTD. B-65 OKHLA PH-1 NEW DELHI-110020	08/12/2000			

  
(Dr. ASHOK HALBIA)  
SECRETARY

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

16/77 B, Civil Lines,

(Chartered Accountants) Kanpur - 208 001 **12 DEC 2001**

3CCA(4)(1) /2001-2002 With reference to this Institute's Notification Nos. 3CCA(4) (3) / 1984-85 Dated 10/09/1985, 3CCA(4) (3) / 1987-88 dated 01/12/1987, 3CCA (4) (6)/1988-89 dated 09/02/1989, 3CCA (4) (3)/1992-93 dated 11/11/1992, 3CCA (4) (1)/1996-97 dated 02/12/1996, 3CCA (4) (4)/1997-98 dated 23/03/1998, 3CCA (4) (1) / 98-99, dated 23 Apr 1999, 3CCA (4) (1)/99-2000 dated 12 Jan 2000, 3CCA (4) (1)/2000-2001 dated 02 Feb 2001, 4CA(1)/18/78-79 dated 11 August, 78

it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
1	003681	Mr. YEOTIKAR PRABHAKAR VASUDEO FCA 402 AKRUTHI NIWAS 12-13, 619 NAGARONNA NAGAR SECUNDERABAD-500017	08/12/2000	7.	017599	Mr. GOEL SHRI KRISHAN ACA HOUSE NO. 8 VASANT VIHAR PHASE-II DEHRADUN	08/12/2000
2.	011084	Mr. JAIN SATISH CHANDRA ACA FLAT NO. 3 MARVELLOUS APPT MAHATMA NAGAR NASIK	28/05/2001	8.	024328	Mr. MUKILAN D FCA 1/83 SEFD COLONY FAIRLANDS TAMIL NADU SALEM-636016	11/05/2001
3.	012786	Mr. GUPTA SHYAM SUNDER ACA 40 NAVEEN PARK SHYAM PARK EXTN SAHIBABAD GHAZIABAD	21/03/2001	9	029482	Mr. RAMESH NAYAK K ACA SRI SATHYANARAYANA KRIPA III MAIN ROAD SUBHASH NAGAR MANGAJORE-575001	08/12/2000
4	014039	Mr. VARSHNEY JANARDAN PRASAD FCA K-136. SHIVALIK NAGAR PHASE-II B.H.E.L. HARDWAR-249403	14/06/2001	10.	039365	Mr. KUMBHAT PANKAJ ACA REGIONAL FINANCE MANAGER COCA COLA P. O. BOX 52172 DUBAI UAE	21/08/2001
5	015972	Mr. AGIWAL SITARAM ACA FLAT NO. 101 GANESHYALAYA JHARUDIH DHANBAD	06/07/2001	11	043769	Mr. LAKHOTIA ANIL KUMAR ACA 67 ASHOK MARG ANASAGAR LINK ROAD AJMER-305001	29/05/2001
6.	017529	Mr. GUPTA VIJENDRA LAL ACA C/G. P. SHARMA ADVOCATE SHAMI CHARI BAZAR DURG	03/04/2001	12.	054481	Mr. UMESH KUMAR FCA H. NO. 73 AMBEDKAR PATH DISTRICT NATIONAL SCHOOL P.O.B.V. COLLEGE PATNA-800014.	27/04/2001

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
13	054685	Mr. ACARWAL SUDHIR KUMAR FCA CHARTERED ACCOUNTANT C/O ALLIED COMMERCIAL CO B-9 RAISAR PLAZA INDIRA BAZAR JAIPUR-302001	08/12/2000	22.	070999	Mr. BHUSAN LAL BAJAJ ACA DGM (FINANCE) NTPC/VSTPP PO VINDHYANAGAR DIST SIDHI SIDHI-486885	08/08/2001
14	054786	Mr DEY SANTOSH KUMAR ACA C/O DEY ELECTRICALS GORAS BUILDING LAHURABIR VARANASI-221001	09/05/2001	23	071216	Mr AGRAWAL NARENDRA KUMAR ACA AGRAWAL SADAN OLD STATION ROAD ALWAR-301001	23/05/2001
15.	055502	Mr SETH JAWAHAR ACA DY. MANAGER FINANCE TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE CO LIMITED CHINHAT INDUSTRIAL AREA LUCKNOW-226019	31/05/2001	24	071302	Mr MEHTA RAMESH ACA NO. 1813, SUBHASH NAGAR GHB, IOC ROAD CHANDRKHEDA AHMEDABAD	28/04/2001
16.	055809	Mr. PANIGRAHI PARTHASARTHI ACA P O. BOX 56921 K. S. A. RIYADH-11564	22/03/2001	25.	071575	Mr. PAWAN KUMAR SWARUP ACA 298/8 SANJAY KUTIR AZIFGANJ AZAMGARH-270001	25/04/2001
17.	055846	Mr. MATHUR JITENDRA ACA II/25 J ANU KIRAN COLONY VIA KOTA BHABHA NAGAR-323307	01/10/1999	26.	071592	Mr. PANDIYA RAMESH CHANDRA FCA B-1017 ENDIRA NAGAR LUCKNOW	06/08/2001
18.	057830	Mr. ASHRAF NOMAN ACA NO. 185 PATLIPUTRA COLONY PATNA	12/09/2001	27.	071831	Mr. JAIN VINOD KUMAR FCA C/O ABHINAV ANIL & ASSOCIATES 75/6, HALSEY ROAD KANPUR-208001	06/09/2001
19.	059399	Mr. JAIN AMIT KUMAR ACA BUSH BOAKE ALLEN (INDIA) LTD 5 J.L. NEHRU ROAD METRO HOUSE 2ND FLOOR CALCUTTA-700013	08/12/2000	28.	071881	Mr. GARG NETRAJAL FCA I-442 GOVIND PURAM POST DASA GHAZIABAD-201002	12/06/2001
20.	070094	Mr. CHAUDHARY VISHWA NATH FCA 5/57 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR	17/07/2001	29.	072029	Mr. GUPTA ANIL KUMAR FCA 75/6 HALSEY ROAD KANPUR-208001	08/12/2000
21.	070485	Mr. RAMESH CHANDRA GUPTA FCA FLAT NO. 550 POCKET-5 MAYUR VIHAR-I DELHI	28/08/2001	30	072454	Mr. PARVEEN KUMAR ACA GUR MANDI HANUMANGARH TOWN SRIGANGANAGAR-335001	01/10/1999
				31	072797	Mr. GUPTA RAM BABOO FCA 5/3 KHANDELWAL TOWERS VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR-302012	08/12/2000

S. No.	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S. No.	MRN	Member Name & Address	Restore Date
32	072819	Mr. SABARWAL SUDEEP FCA 11 RANGITATA PLACE LYNFIELD AUCKLAND NEW ZELAND	01/10/1999	42.	074542	Mr. RATHI RAM KISHORE ACA 59 DAMODAR COLONY RAMOHALLA JODHPUR	01/10/1999
33.	073126	Mr. TRIPATHI RAJEEVA FCA 5/29 5TH STREET FARRUKHABAD - 209625	27/03/2001	43.	074545	Mr. SANDHU JASPAL SINGH ACA D-84 FIRST FLOOR ROAD #1 ASHOK NAGAR RANCHI	13/07/2001
34.	073296	Mr. RAJEEV GUPTA ACA B-3 BAPNA HOUSE NEW COLONY M ROAD JAIPUR	28/04/2001	44.	074818	Mr. JOSHI GHAN SHYAM FCA H. NO. 871, GANGA MATA KI GALI GOPAL JI KA RASTA JAIPUR-302001	01/10/1999
35.	073904	Ms. MEHTA SUNITA ACA K-7 MALVIYA MARG C-SCHEME JAIPUR-302001	01/10/1999	45.	75057	Mr. MOONDRA KAILASH ACA GOLE BUILDING SARDARPURA JODHPUR-342006	01/10/1999
36.	074037	Mr. SUMEET CHUGH ACA B-5/24 VALLABH VIHAR SEC-13 ROHINI DELHI-110085	05/09/2001	46.	075178	Mr. KEDIA GOPAL KUMAR ACA C/O ANNAPURNA AGENCY 113 AMBA JI TEXTILE MARKET BHILWARA	21/05/2001
37.	074088	Mr. KHURDIA RATAN LAL FCA 178 ASHWINI MARG HUMAD HOUSE, DELHI GATE ULAIPUR-313001	01/10/1999	47.	075377	Mr. GUPTA SANJAY KUMAR ACA 128/953 Y BLOCK NEAR S. I. V. N. CONVENT SCHOOL KIDWAI NAGAR KANPUR-208011	23/04/2001
38.	074260	Mr. JAIN RAJENDRA ACA 1 GA-23 JAWAHAR NAGAR JAIPUR-302004	01/10/1999	48.	075556	Mr. JALAN AJAY FCA 323 III FLOOR GANPATI PLAZA M. I. ROAD JAIPUR-302001	08/12/2000
39.	074283	Mr. AGARWAL MUKESH FCA F-306 SARITA VIHAR NEW DELHI-110044	08/12/2000	49.	075678	Mr. PANDEY RUP MANI FCA 246-B REGENT SHIPRA SUN CITY INDRAPURAM GHAZIABAD-201010	29/08/2001
40.	074318	Mr. ANANTHA SAYANAM T ACA E-3/408-F BHEL TOWNSHIP KAILASHPURAM TIRUCHY-620014	02/08/2001				
41.	074470	Mr. MITTAL VINAY KUMAR ACA 82 ANKUR APTS PATPAR GANJ DELHI	03/04/2001				

MRN No	Member Name & Address	Restore Date	S. MRN No.	Member Name & Address	Restore Date
50. 075723	Mr. GUPTA KRISHAN KUMAR ACA 552, E-BLOCK MAYUR VIHAR PHASE-II NEW DELHI	01/05/2001	60. 077706	Mr. DANGAYECH MATHURA DAS ACA H. NO. 881 BABA HARISHCHANDRA MARG CHANDPOLE BAZAR JAIPUR-302001	08/12/2000
51. 075747	Mr. SETHI ANSHUL 2 SHIV MARG BEHIND GOVERNOR HOUSE CIVIL LINES JAIPUR-302006	ACA 27/08/2001	61. 077726	Mr. BAJPAI ANURAG 111/138 HARSH NAGAR KANPUR-208012	ACA 28/05/2001
52. 076121	Mr. AGRAWAL PRAMOD 110 SARAOGI MANSION M. I. ROAD JAIPUR-302003	FCA 08/12/2000	62. 077814	Mr. MISHRA SHASHI CHANDRA ACA CHARTERED ACCOUNTANT 431 & 232, SECTOR-I BOKARO STEEL CITY-827001	08/12/2000
53. 076413	Mr. MEHTA ROHIT C/O ANJANI RAKESH & ASSOCIATES CUSTOM ROAD BANSWARA-327001	ACA 01/10/1999	63. 078387	Mr. MITTAL NITU CHAPTERED ACCOUNTANT SECTOR-C 68-SONAGIRI PIPLANI BHEL BHOPAL	ACA 01/10/1999
54. 076628	Mr. SONI BADRI LAL 2/411 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR-302001	ACA 08/12/2000	64. 078641	Mr. JHANWAR SURESH KUMAR ACA A-501, VIJAY SINGH PATHIK NAGAR BHLWARA-311001	28/06/2001
55. 076634	Ms. INTODIA DEEPA 71 SECTOR NO. 3 HIRAN MAGRI UDAIPUR-313001	ACA 14/06/2001	65. 079501	Mr. SAMRIA AJAY KUMAR ACA 204, A BLOCK SILVER LINES APARTMENT 20/2 B MANORAMA GANJ INDORE	08/12/2000
56. 077120	Mr. MATAI DILIP KUMAR ACA E-136 AMBABARI JAIPUR-302012	04/06/2001	66. 080864	Mr. GOELA ARUN KUMAR ACA C-121 HOSIERY COMPLEX PHASE-II EXTENSION NOIDA-201301	25/06/2001
57. 077225	Mr. GUPTA PRASHANT 1 PAREEK COLLEGE ROAD JAIPUR	ACA 08/12/2000	67. 080957	Mr. MAHESHWARY RAM SWAROOP FCA 135 RATANDEEP COMPLEX BAREILLY	08/12/2000
58. 077322	Mr. PARAKH RAJESH DELOITTE & TOUCHE P. O. BOX-990 ABU DHABI UAE	ACA 08/12/2000	68. 081270	Mr. JAIN SURESH CHAND FCA 26 PARK ROAD DEHRADUN	20/04/2001
59. 077400	Mr. GUPTA ASHISH CHARTERED ACCOUNTANT 105 NAI BAS TI GHAZIABAD-201001	ACA 01/10/1999			

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date	S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
69	082820	Mr SALUJA PARSHOTAM LAL FCA 26 PATEL MARKET SRIGANGANAGAR-335001	08/12/2000	78	089796	Mr AGRAWAL SANJAY FCA 110 SARAOGI MANSION M I ROAD AIPUR	08/12/2000
70	083289	Mr RISHESWAR PRASAD ACA 16 BAGWATI ROAD NORTHERN TOWN JAMSHEDPUR-831001	08/12/2000	79	089807	Mr GUPTA ASHOK KUMAR FCA GALI KANOONGO MANDI RAMDAS MATHURA-110092	08/12/2000
71	083710	Mr GAGRANI BRIJ MOHAN FCA FINANCIAL CONTROLLER TORORO CEMENT METROPOLE HOUSE 8-10 ENTEBBE ROAD PO BOX 22753 KAMPALA UGANDA	01/10/1999	80	090196	Mr VARADARAJAN N K ACA C/O PRICE WATER HOUSE COOPERS THAMES COURT 1 VICTORIA ST WINDSOR BREKS SL4 IHB U K	08/12/2000
72	085903	Mr RIZVI AHMED PERVEZ FCA 288 CHAUHATTA SAHUPEEP GATE MEERUT	01/10/1999	81	090316	Mr BUDHDEO PRASAD FCA MANPUR PEHANI P O BUNIADGANJ GAYA-823003	30/04/2001
73	086214	Mr ANSHUMAN KANKAN FCA B-91 SECTOR-27 NOIDA-201301	08/12/2000	82	092398	Mr JAIN MUKESH ACA 202 OCEAN COMPLEX SECTOR 18 NOIDA	08/12/2000
74	087648	Mr ANIL KUMAR FCA C/O NASCO MARKETING CO LTD YAKURE GROWNWAY P O BOX 716, JOD NIZERIA	25/06/2001	83	093099	MR BHATIA RAMESH ACA RAMESH BHATIA & ASSOCIATES III-M-37 NEHRU NAGAR GHAZIABAD-201001	01/10/1999
75	088103	Mr SANDEEP KUMAR ACA M/S SAN DEEP KUMAR & CO 105 NAI BASTI NEW GHANTAGHA R GHAZIABAD-201001	01/10/1999	84	093840	Mr TRIPATHI RAJESH ACA C/O SANTOSH MISHRA 1252/60 AWADH NAGAR STATION ROAD MAINPURI-205001	16/07/2001
76	088941	Ms KAK ANJALI ACA FLAT NO 586 SECTOR 29 NOIDA-201303	08/12/2000	85	094630	Mr PATRA B'AJAY KUMAR ACA 387 DDA FLATS KHIRKI VILLAGE DELHI	09/07/2001
77	089072	Mr AGARWAL MUKESH ACA B-89 PINK APARIMINI PASHIM VIHAR NEW DELHI-110063	18/05/2001	86	094740	Mr SUBHASH CHAND ACA F-801 NEELPADMKUNJ VAISHALI GHAZIABAD-201010	08/12/2000
				87	095291	Mr GAGAN DLEP ACA 9 GANGA NAGAR RAILWAY ROAD HAPUR-245101	08/12/2000

S No	MRN	Member Name & Address	Restore Date
88	096538	Mr RAJNISH KUMAR SINGH ACA JANAK COMMERCIAL COMPLEX SRI KRISHNA NAGAR BEGUSARAI	07/08/2001
89	100890	Mr Y V. NARASIMHA RAO ACA C/O Mr. Y. KRISHNAMURTHY DOOR NO 86-4-14/3 VADREVUNAGAR RAJAHMUNDRY-533103	19/06/2001
90	102355	Ms AGARWAL DEEPALI ACA II-A/67 NEHRU NAGAR GHAZIABAD-201001	08/12/2000
91	105899	Mr MODI KAMLESH V ACA 9 PARSHWA BLOCK SHANTI NAGAR SIROHI-307001	01/10/1999
92	201558	Mr KRISHNAN L ACA FINANCE MANAGER POLICY MANAGER SYSTEMS PVT LTD OPTEL SOFTWARE TECHNOLOGY PARK INDORE-452008	08/12/2000
93	207182	Mr SANKARAN R ACA OFFICER IDBI BANK LTD ALANKAR CHAMBERS RATLAM KOTHI A B ROAD INDORE-452001	08/12/2000
94	208354	Mr. RAMESH P ACA C/O NURALI JAWAHAR & CO 33-B BRINDAVAN ST WEST NANBALAM CHENNAI-33	22/06/2001

  
(Dr. ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

3SCA(8)/1/2001-2002. In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.


S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
1	003548	Mr. SESHADRI T S FCA NO. 13 (OLD NO. 7) FIRST CROSS STREET KARPAGAM GARDENS ADYAR CHENNAI-600020	01/04/2001	10	016425	Mr. BHASKAR RAMADAS FCA LAVANIA TC 17-1029-1 POOJAPPURA THIRUVANANTHAPURAM-695012	01/04/2001
2	004056	Mr. ARUMUGAM V N FCA 40-A MANDAVELI STREET NALVAR KOVIL PETTAI THIRUKAZHUKUNDRAM-603109	01/04/2001	11	016815	Mr. MATHIAS NOEL JOSEPH ACA G-1 EASTERN COURT 24 COLES ROAD FRAZER TOWN BANGALORE-560005	01/04/2001
3	004479	Mr. JOSEPH K C FCA VALLAKALIL T.C.4/109 KOWDIAR P O THIRUVANANTHAPURAM-695003	01/01/2001	12	018725	Mr. KIRAN CHANDRA N BOAL FCA BOAL CENTRE SECOND CROSS GANDHI NAGAR BANGALORE-560009	01/04/2001
4	004485	Mr. SUBBARAMAN M N ACA NO 4C THIRD MAIN ROAD POSTAL COLONY WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	01/04/2001	13	018976	Mr. JOSE J MULACKAL ACA FINANCIAL CONTROLLER IRIDIUM MIDDLE EAST POST BOX 32616 DUBAI U A E	01/04/2001
5	005737	Mr. MUTHUKRISHNAN S FCA TOUCHWOOD APARTMENTS II FLOOR 21-8 RAMANATHAN STREET MAHALINGAPURAM CHENNAI-600034	01/04/2001	14	020069	Mr. RAJARAMAN N FCA FLAT 2 A ARWIN AVARAT NO.69 PANCHALI AMMAN KOIL STREET ARUMBAKKAM CHENNAI-600106	31/03/2001
6	009612	Mr. VASUDEVAN M A ACA OLD NO.25/26 WARREN ROAD FLAT NO.9 RAJESWARI APARTMENTS MYLAPORE CHENNAI-600004	01/04/2001	15	020216	Mr. GANESAN K V FCA NO 51 (OLD NO 22) I FLOOR MARAMMA TEMPLE STREET OFF COCONUT AVENUE ROAD MALLESWARAM BANGALORE-560003	01/04/2001
7	011191	Mr. NARASING RAO R P FCA HIG NO 12 K H B COLONY KALLAHALLY II STAGE SHIMOGA-577204	01/04/2001	16	021995	Mr. MADAN V ACA 54 IICROSS II STRAGE RADHAKRISHNA LAYOUT PADMANABH NARGAR BANGALORE-560017	15/06/2001
8	015613	Mr. RAMAMOORTHY A FCA 10 2ND STREET 1ST FLOOR EAST ABHIRAMAPURAM MYLAPORE CHENNAI-600004	31/03/2001	17	022853	Mr. KASIM A J ACA 1,APPU STREET I LANE, MYLAPORE CHENNAI-600004	31/03/2001
9	015723	Mr. MOHAN GEORGE JACOB FCA 2G KINGS CREST 8 MILLERS ROAD BANGALORE-560046	01/04/2001	18	023319	Mr. RAGHUNATHAN M S ACA G-1 SOORYA GRUHA 10/1 SENTHIL ANDAVAR ROAD DHANALAKSHMI COLONY VADAPALANI CHENNAI-600026	31/03/2001



S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
19	023672	Mr. SUDHAKAR REDDY J FCA D NO. 9-14-13 C B M COMPOUND VISAKHAPATNAM-0	01/04/2001	29	201925	Mr. NARENDRANATH D ACA G-234 PANAMPILLY NAGAR ERNAKULAM KOCHI-682036	01/04/2001
20	026000	Mr. VENKATESAN B FCA CHIEF FINANCE OFFICER CHINMAYA INTERNATIONAL RESIDENTIAL SCHOOL SIRUVANI ROAD NALLURVAYAL POST COIMBATORE-641114	31/03/2001	30	202253	Ms. USHA N ACA VASANTH APARTMENTS 1B, FIRST FLOOR NEW NO. 32 OLD NO. 26 VENKATESA AGRAHARAM MYLAPORE CHENNAI-600004	25/04/2001
21	027939	Mr. RAMESH BABU S V FCA FINANCIAL CONTROLLER BIG STAR TRADING CO LTD P O BOX 39325 NAIROBI KENYA-521301 EAST AFRICA	10/03/2001	31	202369	Mr. KOLETH JOHN SUDEEP FCA FINANCE MANAGER LORNE STEWART PLC STEWART HOUSE KENTON ROAD HARROW MIDDLESEX HA3 9TU UNITED KINGDOM	31/03/2001
22	029611	Mr. SHANKER NARAYAN ACA 280, 37 B CROSS JAYANAGAR, 9TH BLOCK BANGALORE-560069	01/04/2001	32	202548	Mr. NARAYANA B L ACA 4B 25TH WARD CANTONMENT BELLARY-583104	03/12/2000
23	029911	Ms. PADMA GOWTHAMAN ACA 14-A DHANASEKARAN I CROSS STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	31/03/2001	33	203628	Mr. SENTHIL VELAN S ACA 11 FIRST MAIN ROAD RAJIV GANDHI NAGAR ERUKKENCHERY CHENNAI-600118	31/03/2001
24	053152	Mr. SRINIVASAN P A FCA DEPUTY GENERAL MANAGER M/S OCEAN MASTERS L L C P O BOX 52056 U A E	01/04/2001	34	203653	Mr. LAKSHMANA KAMATH S FCA 'MADHAV KRIPA' MATADAKANI CROSS ROAD MANGALORE-575006	31/03/2001
25	079537	Mr. TANDON ABHISHEK ACA FINANCE OFFICER (TRANSMISSION)-FPA ITI LTD DOORAVANI NAGAR BANGALORE-560016	06/01/2001	35	203697	Mr. MURUGESAN R FCA ACCOUNTANT ENKAY EXPRESS P O BOX 55393 U A E	01/04/2001
26	095763	Mr. SINGH DEEPAK KUMAR ACA MANAGER CANARA BANK TRUSTEE & TAXATION SECTION 51 STOCK EXCHANGE TOWERS 1ST CROSS J.C ROAD BANGALORE-560027	31/03/2001	36	203723	Mr. BRAHMAIAH VUNNAM ACA 12-12-160/2 RAVINDRA NAGAR SEETHAPHALMANDI SECUNDERABAD-500361	31/03/2001
27	200500	Mr. JOHN K ABRAHAM FCA CHIEF ACCOUNTANT M/S GISCO P O BOX 46625 ABU DHABI U A E	01/04/2001	37	204300	Ms. MAHALAKSHMI S ACA OLD NO 281 NEW NO 228 SECTOR C JALAVAYUVIHAR KAMANAHALLI MAIN ROAD BANGALORE-560084	31/03/2001
28	200851	Mr. CHANDRAMOULI N ACA FLAT 11, 2ND FLOOR 3/1 & 2 DEVADI STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	01/04/2001	38	204329	Mr. VENKATESAN R ACA 1-1-401/2/A GANDHI NAGAR HYDERABAD-500080	31/03/2001
				39	204584	Mrs. MEERA RAMANAN ACA FLAT NO 303 VIJAYA LEELA APARTMENTS 7-1-32 LEELA NAGAR AMEERPET HYDERABAD-500016	01/04/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
40	204889	Mr. SUBHASCHANDRA PAI T ACA FN-5 MRPL HOUSING COLONY KUTHETHUR PO VIA KATIPALLA MANGALORE-574149	01/04/2001	50	207604	Mr. VISHNUVARDHAN S ACA FLAT B/4 4TH FLOOR PARSN AJAY APARTMENTS 7 HANUMANTHA ROAD CHENNAI-600014	01/04/2001
41	204943	Mr. NARASIMHAN P L ACA FLAT NO 25 THIRD FLOOR 33 THIRD MAIN ROAD GANDHINAGAR ADYAR CHENNAI-600020	31/03/2001	51	207807	Mr. VENKATARAMANA M K ACA NO 9 SUBBU STREET L B ROAD TIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	01/04/2001
42	205054	Ms. BHARATHI MURUGESAN ACA C/O MR. R MURUGESAN P O BOX 55393 DUBAI U A E	01/04/2001	52	208513	Mr. SAI MAHESH D ACA FLAT NO 3-C QUANTA TRINITY 34 WEST ROAD WEST CIT NAGAR NANDANAM CHENNAI-600035	31/03/2001
43	205483	Mr. NAGARAJAN T ACA 365 SABARI SALAI J S APARTMENTS MADIPAKKAM CHENNAI-600091	31/03/2001	53	209123	Mr. VENKATAKRISHNAN M ACA 4/51 ALATHUR SUBRAMANI STREET CHOO LAI CHENNAI-600112	31/03/2001
44	205690	Mr. SURESH R ACA C14 RR FLATS 8 WARREN ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	31/03/2001	54	209377	Mr. HARIPREDEEP G ACA WADI AL HAWASNA TRADING ENT. P O BOX 1987 POSTAL CODE 111 SEEB SULTANATE OF OMAN	01/04/2001
45	205777	Mr VASIMALLA LUTHER ANANDA RAJU ACA H NO. 6-3-582/1/1 KHAIRATABAD HYDERABAD-500004	01/04/2001	55	209480	Mr. RAHUL TYAGI ACA D/123-E RAJAMANNAR SALAI K K NAGAR CHENNAI-600078	01/04/2001
46	205979	Mr. SIVA SARAVANAN S K ACA (OLD NO 7) NEW NO.15 SRIRANGAMMAL STREET OLD WASHERMENPET CHENNAI-600021	31/03/2001	56	209499	Ms. MEERA S ACA G-2 NO 6 KIRUPASANKARI STREET WEST MAMBLAM CHENNAI-600033	31/03/2001
47	206039	Mr KORLEPARA RAMA RAO ACA 2-2-1137/8/8/A NEW NALLAKUNTA HYDERABAD-500044	30/12/2000	57	210092	Mr. DEVAKUMAR P ACA 17/2 VIVEKANANDAR STREET M G R NAGAR CHENNAI-600078	31/03/2001
48	206222	Ms. VEENA M C ACA NO 378, 7TH MAIN 2ND CROSS REMCO LAYOUT VIJAYANAGAR II STAGE BANGALORE-560040	01/04/2001	58	210093	Mr. DEEPAK CHANDRAN ACA C/O KPMG WESCARE TOWERS 16 CENOTAPH ROAD TEYNAMPET CHENNAI-600018	31/03/2001
49	207407	Mr SHANMUGASUNDARAM N ACA SR ACCOUNTS OFFICER (EXPORTS) CAVIN KARE PVT LTD PETERS ROAD CHENNAI-600014	02/05/2001	59	210277	Mr. KRISHNAN V ACA NO 55 (OLD NO 17) SOUTH K R KOIL STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	01/04/2001
				60	210501	Mr. VENKATESWARA RAO D ACA T-4 SAI SARAVANA RESIDENCY D NO 4-2-65 LALITHANAGAR AKKAYAPALEM VISAKHAPATNAM-530016	28/05/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
61	210504	Mr. SURYANARAYANAN K ACA G-3 'JUMBO GANPATH' KARTHIKEYAPURAM 2ND CROSS LANE MADIPAKKAM CHENNAI-600091	01/04/2001	62	210677	Ms. CHITRA R ACA OFFICER (ACCOUNTS DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE NAIKANAL ROUND KERALA, THRISSUR.	11/06/2001

  
(Ashok Haldia)  
Secretary

